

ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका: बिहार के
कैमूर जनपद का एक अध्ययन

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
लखनऊ से राजनीति विज्ञान विषय म॥
पी-एच०डी० की उपाधि
हेतु प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध



शोध निर्देशक
प्रो० सार्तिक बाग
राजनीति विज्ञान विभाग

शोधार्थी
प्रेम शंकर गोंड
नामांकन संख्या: 130 / 14

राजनीति विज्ञान विभाग
अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
लखनऊ-226025

2019



DEDICATED
TO
MY SUPERVISOR

उद्घोषणा

मैं, प्रेम शंकर गोंड यह घोषणा करता हूँ कि मैंने “ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका: बिहार के कैमूर जनपद का एक अध्ययन” विषय पर शोध कार्य प्रो० सार्तिक बाग, राजनीति विज्ञान विभाग, अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ, बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के निर्देशन में पूर्ण किया है। पी-एच०डी० की उपाधि हेतु प्रस्तुत यह शोध प्रबन्ध मेरा मौलिक कार्य है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को इससे पहले इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय में पी-एच०डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यह शोध प्रबन्ध पूर्णतया साहित्यिक चोरी (Plagiarism) मुक्त है।

दिनांक.. 17.7.2019

प्रेम शंकर गोंड

प्रेम शंकर गोंड
(शोधकर्ता)

नामांकन संख्या: 130 / 14
राजनीति विज्ञान विभाग

CERTIFICATE


This is to certify that the thesis titled “ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका: बिहार के कैमूर जनपद का एक अध्ययन” Submitted by Mr. **Prem Shankar Gond** is an original research work and has not been previously submitted in part or full for the award of any other degree or diploma to this or any other university.

The thesis submitted to Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Lucknow satisfies all the requirements as stipulated in the *Doctor of Philosophy (Ph.D.) regulations-1999 as amended in 2008/2010/2013* and it is fit for submission and evaluation for the award of the degree of Doctor of Philosophy of the University.

Date: 17.7.2019


Supervisor
Prof. Sarika Bagh
Research Supervisor
DPS/SAS/Bh.A.U.


Head of the Department
विभागाध्यक्ष
राजनीति विज्ञान विभाग
बी०बी०ए०यू०
Head
Deptt. of Political Science
B.B.A.U.



आभार

आभार

विकास की चर्चा होना, एक प्रगतिशील समाज एवं राष्ट्र की अद्वितीय विशेषता है। विकास मानव सभ्यता का वफादार साथी रहा है प्राचीन आदिमानव से लेकर अत्याधुनिक शहरी मानव ने अपने जीवन को काफी हद तक तात्कालिक बनाया है। विकास को उन्नति के रूप में देखा जाता है जो जीवन के किसी भी पहलू में नवीनता लाता है। किसी भी देश की विकास नीति उसकी अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना एवं जनसंख्या पर आधारित होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण होने एवं अधिक जनसंख्या गांवों में बसे होने के कारण भारत के विकास की नीति ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी होनी चाहिए। ग्रामीण विकास के सहारे ही ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास करते हुए हम भारत के विकास का स्पष्ट पूरा कर सकते हैं। इस सन्दर्भ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने शोध प्रबन्ध “**ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका: बिहार के कैमूर जनपद का एक अध्ययन**” का चयन तार्किक एवं वैज्ञानिक रूप से किया है। इस शोध प्रबन्ध के शीर्षक चयन से लेकर शोध प्रबन्ध के सारगर्भित एवं सफल लेखन तक के कार्य में अपने श्रद्धेय शोध निर्देशक **प्रो० सार्तिक बाग** का मैं आजीवन ऋणी रहूँगा, जिनके ज्ञानपूर्ण कुशल मार्गदर्शन में शोध कार्य बिना किसी व्यवधान के गतिशील रहा और गुरुवर का वात्सल्यपूर्ण प्रेम और कुशल मार्गदर्शक से शोध प्रबन्ध अपनी सम्पूर्णता को प्राप्त किया है।

इसी क्रम में मैं अपने विभाग के **प्रो० रिपुसूदन सिंह, प्रो० शशिकान्त पाण्डेय (विभागाध्यक्ष), डॉ० सिद्धार्थ मुखर्जी, डॉ० प्रीति चौधरी, मंजरी राज ओराँव** एवं अन्य गुरुजनों का सदा आभारी रहूँगा, जिनके दिशा-निर्देश प्राप्त होने से शोध प्रबन्ध कार्य को पूरा करने में सहायता प्राप्त हुई। इसके साथ ही मैं राजनीति विज्ञान विभाग के सभी कर्मचारियों का सहृदय से आभारी हूँ, जिनका समय-समय पर सहयोग प्राप्त होता रहा।

शोध अध्ययन के क्रम में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय नई

दिल्ली, तीनमूर्ति पुस्तकालय नई दिल्ली, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, के पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ जिनके सहयोग के बिना शोध कार्य पूर्ण करने में कठिनाई होती।

इसी क्रम में मैं अपनी माता श्रीमती महदेई देवी, पिता श्री विक्रमा गोंड, मेरे प्रेरणास्त्रोत श्रीमती गीता सिन्हा एवं शशि भूषण सिन्हा, भाई चन्द्रशेखर, नागेश्वर, हनुमान एवं अपनी बहन सुनीता और अनीता का सदैव आभारी एवं ऋणी रहूँगा, जिनका हमेशा सहयोग एवं आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है और जो मुझे शोध प्रबन्ध के लेखन हेतु प्रेरित एवं उत्साहित करते रहें।

इसी क्रम में मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती विभा देवी का हमेशा ऋणी रहूँगा, जिसके त्याग, प्रेम, प्रेरणा, सहयोग एवं उत्साहवर्द्धन ने शोध प्रबन्ध को सम्पूर्णता प्रदान करने में सहायता प्रदान की।

इसी क्रम में मैं अपने सहपाठी अजय कुमार पाठक, सीमा कुमारी, संदीप कुमार आदित्य,, डॉ० अनील कुमार, डॉ० आनंद प्रताप सिंह, डॉ० उपेन्द्र कुमार, डॉ० रामबचन कुमार, डॉ० शैफाली सिंह, डॉ० राजीव कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार, युवराज सूर्य, आशुतोष कुमार एवं सभी मित्रों का आभारी हूँ।

अन्त में मैं डॉ० स्वदेश कुमार (पर्यावरण सलाहकार), का हृदय से आभार व्यक्त किया है जिन्होंने मेरे शोध कार्य को पूरा करने में सहयोग दिया।

प्रमशंकरगोंड
प्रेम शंकर गोंड

A decorative border in dark blue ink frames the page. It consists of four ornate corner pieces, each featuring a central floral motif with radiating petals and swirling vine-like flourishes. These corner pieces are connected by thin, parallel horizontal and vertical lines that form a rectangular frame.

अनुक्रमभाषिका

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शीर्षक	पेज न.
I.	प्रथम अध्याय – प्रस्तावना	1–26
1.1	ग्रामीण विकास	
1.2	भारत में ग्रामीण विकास	
1.3	ग्रामीण विकास के नियोजन में प्राथमिकता	
1.4	मनरेगा	
1.5	कैमूर (बिहार)	
1.6	साहित्य समीक्षा	
1.7	शोध उद्देश्य	
1.8	शोध प्रश्न	
1.9	परिकल्पना	
1.10	शोध प्रविधि	
1.11	आंकड़ों का संकलन	
	1.11.1 प्राथमिक समंक	
	1.11.2 द्वितीयक समंक	
1.12	निर्देशन/प्रतिचयन	
1.13	प्रतिदर्श का आकार	
1.14	अध्ययन की प्रासंगिकता	
1.15	अध्याय का संक्षिप्त परिचय	
II.	द्वितीय अध्याय— ग्रामीण विकास : एक संकल्पनात्मक विवेचना	27–53
2.1	ग्राम की अवधारणा	
2.2	ग्रामीण	
2.3	विकास	
	2.3.1 परंपरागत दृष्टिकोण (उदारवादी सिद्धांत)	
	2.3.2 कल्याणकारी दृष्टिकोण (सेन के विचार)	
	2.3.3 आधुनिक दृष्टिकोण	

- 2.4 ग्रामीण विकास की अवधारणा
- 2.5 ग्रामीण विकास के आयाम
 - 2.5.1 मानवीय आयाम
 - 2.5.2 आर्थिक आयाम
 - 2.5.3 संसाधन और पर्यावरण
 - 2.5.4 राजनीतिक आयाम
 - 2.5.5 विज्ञान एवं तकनीकी
- 2.6 ग्रामीण विकास क्यों?
- 2.7 ग्रामीण विकास के तरीके
- 2.8 पंचायती राज व्यवस्था
 - 2.8.1 बलवंत राय मेहता समिति
 - 2.8.2 अशोक मेहता समिति
 - 2.8.3 राव समिति
 - 2.8.4 सिंघवी समिति
 - 2.8.5 थुंगन समिति
 - 2.8.6 गाडगिल समिति
- 2.9 ग्रामीण विकास के तरीके
 - 2.9.1 गांधीवादी दृष्टिकोण
 - 2.9.2 अंबेडकर दृष्टिकोण
- 2.10 भारत के विकास में ग्रामीण विकास का योगदान

III. अध्याय तृतीय—भारत में ग्रामीण विकास के प्रयास एवं योजनाएं

54—82

- 3.1 स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण विकास
 - 3.1.1 श्रीनिकेतन परियोजना
 - 3.1.2 मार्तांडम परियोजना
 - 3.1.3 गुड़गांव परियोजना
 - 3.1.4 बड़ौदा परियोजना
 - 3.1.5 सेवाग्राम परियोजना
 - 3.1.6 नीलोखेड़ी परियोजना
 - 3.1.7 इटावा परियोजना
- 3.2 स्वतंत्रता के बाद भारत ग्रामीण विकास
- 3.3 सामाजिक कल्याण अभिमुख कार्यक्रम
 - 3.3.1 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

- 3.3.2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- 3.3.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
- 3.3.4 विधवा पेंशन योजना
- 3.3.5 विकलांग पेंशन योजना
- 3.3.6 अन्नपूर्णा योजना
- 3.3.7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना
- 3.4 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास योजना
 - 3.4.1 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
 - 3.4.2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
 - 3.4.3 भारत निर्माण
- 3.5 पर्यावरण सहज (सतत विकास) परियोजनाएं
 - 3.5.1 समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम
 - 3.5.2 राष्ट्रीय ग्राम स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम
 - 3.5.3 निर्मल भारत अभियान
- 3.6 रोजगार परक योजनाएं
 - 3.6.1 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
 - 3.6.2 जवाहर रोजगार योजना
 - 3.6.3 रोजगार आश्वासन योजना
 - 3.6.4 प्रधानमंत्री रोजगार योजना
 - 3.6.5 स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना
 - 3.6.6 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना
 - 3.6.7 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

IV. अध्याय चतुर्थ—मनरेगा परिचय एवं क्रियान्वयन 83—110

- 4.1 पृष्ठभूमि
- 4.2 रोजगार अधिनियम की आवश्यकता क्यों?
- 4.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा)
 - 4.3.1 उद्देश्य
 - 4.3.2 रोजगार की गारंटी
 - 4.3.3 मजदूरों को प्राप्त अधिकार
 - 4.3.4 ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण
 - 4.3.5 जॉब कार्ड
 - 4.3.6 अधिनियम में परिवार की परिभाषा

- 4.3.7 कार्य के लिए आवेदन
- 4.3.8 महिलाओं को प्राथमिकता
- 4.3.9 समयबद्ध रोजगार आवंटन
- 4.3.10 बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान
- 4.3.11 बेरोजगारी भत्ता कब नहीं दिया जाएगा
- 4.3.12 न्यूनतम मजदूरी गारंटी
- 4.3.13 योजना के अंतर्गत होने वाले कार्य
- 4.3.14 मजदूरी व सामग्री
- 4.4 योजना के अंतर्गत पंचायत संस्थानों एवं जन प्रतिनिधियों की भूमिका
 - 4.4.1 ग्रामसभा की भूमिका
 - 4.4.2 ग्राम पंचायत स्तर की भूमिका
- 4.5 ग्राम पंचायत द्वारा जरूरी बातों को ध्यान में रखना
- 4.6 जिला स्तर की भूमिका
- 4.7 कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व
- 4.8 पारदर्शिता के प्रावधान
- 4.9 योजना का क्रियान्वयन

V. अध्याय पंचम—बिहार में ग्रामीण विकास और मनरेगा

111—135

- 5.1 भौगोलिक समिति
- 5.2 जनसांख्यिकी
- 5.3 बिहार की अर्थव्यवस्था
- 5.4 आर्थिक एवं ग्रामीण उद्योग
- 5.5 गरीबी
- 5.6 बिहार में ग्रामीण विकास
- 5.7 बिहार में पंचायती संस्थाएं
 - 5.7.1 मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना
 - 5.7.2 मुख्यमंत्री ग्रामीण गली—नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना
- 5.8 ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 - 5.8.1 बिहार ग्रामीण आजीविका प्रमोशन सोसायटी
 - 5.8.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
 - 5.8.3 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

- 5.8.4 ग्रहभूमि वितरण
5.8.5 ग्रामीण विद्युतीकरण
5.9 मनरेगा (बिहार)

VI. अध्याय षष्ठम्—मनरेगा और ग्रामीण विकास : कैमूर 136—203
जनपद का एक अध्ययन

- 6.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
6.2 क्षेत्रफल
6.3 भौगोलिक स्थिति
6.4 जलवायु
6.5 मिट्टी
6.6 शोध क्षेत्र कैमूर का सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति
6.7 जनसांख्यिकी (कैमूर जिला)
6.8 स्वास्थ्य
6.9 शिक्षा
6.10 औद्योगिक परिदृश्य (कैमूर जिला)
6.11 मनरेगा (कैमूर जिला)
6.12 अवलोकन और मुद्दे

VII. अध्याय सप्तम —निष्कर्ष एवं सुझाव 204—215

- 7.1 निष्कर्ष
7.2 सुझाव

संदर्भ सूची 216—223
परिशिष्ट i - vii
छायाचित्र viii

तालिका-सूची

तालिका संख्या	तालिका विषय
तालिका : 3.1	स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण विकास परियोजना
तालिका : 3.2	विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास कार्यक्रम
तालिका : 3.3	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या
तालिका : 3.4	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास योजना की आवंटन राशि (करोड़ में)
तालिका : 4.1	नरेगा पूर्व एवं बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी में वृद्धि
तालिका : 4.2	राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा की प्रगति
तालिका : 4.3	वित्तीय वर्ष 2017-18 में मनरेगा द्वारा किया गया रोजगार सृजन का विवरण
तालिका : 4.4	मनरेगा में कृषि एवं कृषि से संबंधित होने वाले अन्य कार्य
तालिका : 5.1	भारत और बिहार की जनसंख्या की विवरणी और प्रशासनिक ढांचा (2001 और 2011)
तालिका : 5.2	बिहार में 2011-12 के मूल्य द्वितीयक क्षेत्रों की वार्षिक विकास दर
तालिका : 5.3	उद्योगों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय (करोड़ में)
तालिका : 5.4	ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों की बढ़ोतरी (संख्या हजार में)
तालिका : 5.5	बिहार और भारत में गरीबी अनुपात
तालिका : 5.6	पंचायती राज संस्थाओं का व्यय स्तर (लाख रु.)
तालिका : 5.7	जीविका की प्रगति
तालिका : 5.8	सितम्बर 2017 तक कौशल विकास और नियोजन की स्थिति
तालिका : 5.9	प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रदर्शन
तालिका : 5.10	अभियान बसेरा कार्यक्रम में जमीन पाने वालों परिवारों की संख्या
तालिका : 5.11	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के तहत कार्य की प्रगति
तालिका : 5.12	बिहार में विभिन्न वित्तीय वर्ष में मनरेगा का प्रदर्शन
तालिका : 5.13	बिहार में विभिन्न वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत पूरे हुए कार्य

तालिका : 6.1	कैमूर जिला में विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ
तालिका : 6.2	कैमूर में मजदूरों की स्थिति
तालिका : 6.3	बिहार के कैमूर जिले में मनरेगा की प्रगति
तालिका : 6.4	लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या
तालिका : 6.5	उत्तरदाताओं की आयु का विवरण
तालिका : 6.6	समुदाय/धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण
तालिका : 6.7	जाति/वर्ग के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण
तालिका : 6.8	वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण
तालिका : 6.9	शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण
तालिका : 6.10	पेशा/व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण
तालिका : 6.11	वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण
तालिका : 6.12	विकास से संबंधित उत्तरदाताओं के विचार का विवरण
तालिका : 6.13	चुनाव में उत्तरदाताओं की भागीदारी
तालिका : 6.14	चुनाव में उत्तरदाताओं का वोट देने का आधार का विवरण
तालिका : 6.15	ग्रामीण विकास सरकारी योजनाओं से संभावना का विवरण
तालिका : 6.16	ग्रामीण विकास सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है का विवरण
तालिका : 6.17	उत्तरदाताओं की परिवारिक स्थिति
तालिका : 6.18	उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति
तालिका : 6.19	मनरेगा से पूर्व उत्तरदाताओं के परिवार में आय का साधन
तालिका : 6.20	उत्तरदाताओं के जॉब कार्ड में अंकित सदस्यों की संख्या
तालिका : 6.21	उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी
तालिका : 6.22	उत्तरदाताओं का मनरेगा कार्यक्रम प्रावधानों की जानकारी
तालिका : 6.23	उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी का स्रोत
तालिका : 6.24	उत्तरदाताओं के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम में काम मांगने के संबंध में
तालिका : 6.25	उत्तरदाताओं को काम मांगने के बाद प्राप्ति रसीद के संबंध में
तालिका : 6.26	काम मांगने के बाद काम मिलने में लगा समय

तालिका : 6.27	मनरेगा कार्यक्रम में काम मिलते समय भेदभाव
तालिका : 6.28	मनरेगा कार्यक्रम में काम मिलते समय भेदभाव का आधार
तालिका : 6.29	मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत मिले काम का विवरण
तालिका : 6.30	कार्य करने के उपरांत मजदूरी भुगतान में लगा समय का विवरण
तालिका : 6.31	मनरेगा में मजदूरों को कार्य करने की दूरी का विवरण
तालिका : 6.32	5 किमी० से अधिक दूर कार्य पर अतिरिक्त मजदूरी का विवरण
तालिका : 6.33	कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी का विवरण
तालिका : 6.34	कार्यस्थल पर मस्टररोल की उपस्थिति का विवरण
तालिका : 6.35	कार्यस्थल पर मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज का विवरण
तालिका : 6.36	जॉब कार्ड रखने के संबंध में विवरण
तालिका : 6.37	बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी का विवरण
तालिका : 6.38	सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी का विवरण
तालिका : 6.39	ग्राम सभा की बैठक के बारे में जानकारी का विवरण
तालिका : 6.40	ग्राम सभा की बैठक में मनरेगा योजना निर्णय संबंधित विवरण
तालिका : 6.41	ग्राम सभा/पंचायत द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का विवरण
तालिका : 6.42	मनरेगा कार्यक्रम से परिवार की आय में वृद्धि का विवरण
तालिका : 6.43	मनरेगा कार्यक्रम के बावजूद बाहर जाकर काम करने वालों का विवरण
तालिका : 6.44	मनरेगा से उत्तरदाताओं के जीवन में सुधार की जानकारी
तालिका : 6.45	मनरेगा से लोगों के जीवन में होने वाले सुधार के स्वरूप
तालिका : 6.46	मनरेगा में महिलाओं को कार्य कि अवधि का विवरण
तालिका : 6.47	मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में बदलाव का विवरण
तालिका : 6.48	मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में बदलाव का स्वरूप
तालिका : 6.49	मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के भुगतान के माध्यम का विवरण
तालिका : 6.50	मनरेगा योजना से उत्तरदाताओं का बैंक से जुड़ाव का विवरण
तालिका : 6.51	मनरेगा शिकायत रजिस्टर उपयोग संबंधित विवरण
तालिका : 6.52	मनरेगा में अनियमितता को लेकर होने वाले धरना प्रदर्शन

तालिका : 6.53	मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्य गुणवत्ता का विवरण
तालिका : 6.54	मनरेगा योजना उपरांत गांव में विकास/परिवर्तन का विवरण
तालिका : 6.55	मनरेगा से गांव में विकास के स्वरूप का विवरण
तालिका : 6.56	मनरेगा की उपरांत उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार
तालिका : 6.57	मनरेगा के उपरांत उत्तरदाताओं के खान-पान में सुधार
तालिका : 6.58	मनरेगा योजना जारी रखने के संबंध में उत्तरदाताओं का विवरण

रेखाचित्र–सूची

रेखाचित्र संख्या	रेखाचित्र विषय
रेखाचित्र : 2.1	ग्रामीण विकास के विभिन्न आयाम
रेखाचित्र : 3.1	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क
रेखाचित्र : 3.2	प्रमुख रोजगार योजनाओं में मनरेगा का प्रतिशतता
रेखाचित्र : 5.1	जीविका की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति
रेखाचित्र : 5.2	मनरेगा के तहत पूरे हुए कार्य
रेखाचित्र : 6.1	लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.2	उत्तरदाताओं की आयु का विवरण (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.3	समुदाय/धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.4	जाति/वर्ग के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.5	वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.6	शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.7	पेशा/व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.8	वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.9	विकास से संबंधित विचार के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.10	चुनाव में उत्तरदाताओं की भागीदारी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.11	उत्तरदाताओं द्वारा प्रतिनिधि को वोट देने का आधार (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.12	ग्रामीण विकास को सरकारी योजनाओं से संभावना का विवरण (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.13	यदि नहीं तो उपाय (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.14	उत्तरदाताओं की परिवारिक स्थिति (प्रतिशत में)

रेखाचित्र : 6.15	उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.16	मनरेगा पूर्व उत्तरदाताओं के परिवार में आय का साधन (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.17	उत्तरदाताओं के जॉब कार्ड में अंकित सदस्यों की संख्या (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.18	उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.19	उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम प्रावधानों की जानकारी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.20	उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी का स्रोत (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.21	उत्तरदाताओं के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम में काम मांगने के संबंध में (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.22	उत्तरदाताओं को काम मांगने के बाद रसीद प्राप्ति का प्रतिशत
रेखाचित्र : 6.23	उत्तरदाताओं के द्वारा काम मांगने के बाद कार्य मिलने में लगा समय (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.24	मनरेगा कार्यक्रम में काम मिलते समय भेदभाव का अनुभव (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.25	मनरेगा कार्यक्रम में काम मिलते समय भेदभाव का आधार का प्रतिशत
रेखाचित्र : 6.26	उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत मिले काम की अवधी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.27	उत्तरदाताओं को मनरेगा के अंतर्गत मिले काम के भुगतान की अवधी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.28	उत्तरदाताओं को मनरेगा में कार्य करने हेतु जाने की दूरी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.29	उत्तरदाताओं को मनरेगा के अंतर्गत 5 किमी ⁰ से अधिक दूर जाने पर अतिरिक्त मजदूरी मिली
रेखाचित्र : 6.30	उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम के दौरान कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.31	कार्यस्थल पर मस्टररोल रखे जाने के संबंध में उत्तरदाताओं का प्रतिशत

रेखाचित्र : 6.32	कार्यस्थल पर मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज किये जाने के संबंध में उत्तरदाताओं का प्रतिशत
रेखाचित्र : 6.33	जॉब कार्ड रखने के संबंध में उत्तरदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.34	बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी के संबंध में उत्तरदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.35	उत्तरदाताओं को सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी की संख्या (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.36	उत्तरदाताओं के अनुसार वर्ष में ग्राम सभा की होने वाली बैठक (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.37	उत्तरदाताओं का ग्राम सभा की बैठक में मनरेगा के कार्य योजना के बारे में की जानकारी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.38	उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किये जाने संबंध में जानकारी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.39	मनरेगा कार्यक्रम से उत्तरदाताओं के परिवार की आय में वृद्धि हुई जानकारी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.40	मनरेगा कार्यक्रम के बावजूद आपने बाहर जाकर कार्य किये जाने संबंध में उत्तरदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.41	मनरेगा कार्यक्रम में कार्योपरांत उत्तरदाताओं के जीवन में सुधार की संख्या (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.42	मनरेगा से उत्तरदाताओं के जीवन में बदलाव का प्रकार (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.43	उत्तरदाताओं के अनुसार मनरेगा में महिलाओं को काम मिलने अवधी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.44	मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में बदलाव के संबंध में उत्तरदाताओं की संख्या (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.45	मनरेगा कार्यक्रम से महिलाओं की स्थिति में बदलाव के प्रकार (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.46	मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के भुगतान के माध्यम का स्वरूप (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.47	मनरेगा में कार्य करने से पूर्व बैंक या पोस्ट ऑफिस में खाते के संबंध (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.48	उत्तरदाताओं का मनरेगा में शिकायत रजिस्टर पर शिकायत दर्ज कराने की संख्या (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.49	उत्तरदाताओं मनरेगा से संबंधित अनियमितता/गड़बड़ी को लेकर धरना प्रदर्शन की जानकारी (प्रतिशत में)


रेखाचित्र : 6.50	मनरेगा के अंतर्गत के अंतर्गत हुए कार्य की गुणवत्ता की जानकारी (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.51	उत्तरदाताओं का मनरेगा कार्य योजना विकास देखने मिलने के संबंध में (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.52	उत्तरदाताओं के विचार से मनरेगा से होने वाला विकास (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.53	उत्तरदाताओं का मनरेगा योजना से शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.54	उत्तरदाताओं का मनरेगा योजना से खान-पान में सुधार (प्रतिशत में)
रेखाचित्र : 6.55	मनरेगा योजना जारी रखने के संबंध में उत्तरदाताओं का विचार (प्रतिशत में)

प्रकाशित लेख:-

1. "जनजाति विकास में मनरेगा की भूमिका" Published in "JIGYASA" An Interdisciplinary Peer Reviewed Referred Research Journal, Vol. – XII, No – II , March 2019, ISSN - 0974-7648.
2. "ग्रामीण विकास और मनरेगा" Published in "REVIEW OF RESEARCH" International online Multidisciplinary Journal, Vol. – VIII, No – VII, April 2019, ISSN - 2249-894X.

शब्द-संक्षेप सूची

क्र.सं.	शब्द-संक्षेप	पूर्ण विवरण
1.	एच०डी०आर०	ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट
2.	एस०ई०ई०यू०आई०	स्कीम फॉर एजुकेशन अनएंप्लॉयड यूथ नेशनल
3.	एन०ए०सी०	नेशनल एडवाइजरी काउंसिल
4.	एन०सी०ए०आर०	नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनामिक रिसर्च
5.	कैग	कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया
6.	जी०डी०पी०	ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रोडक्ट
7.	जी०एन०पी०	ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
8.	ट्राइसेम	ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एंप्लॉयमेंट
9.	डवाकरा	डेवलपमेंट ऑफ वूमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया
10.	नरेगा	नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
11.	पी०ओ०	प्रोग्राम ऑफिसर
12.	पी०सी०	पर्सनल कमिशन
13.	पुरा	प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनटिज टू रूरल एरिया
14.	पी०आई०बी०	प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो
15.	पी०एम०जी०एस०	प्रधानमंत्री रोजगार योजना
16.	मनरेगा	महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
17.	यू०एन०ओ०	यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन
18.	यू०एन०डी०पी०	यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम
19.	यूपीए	यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाइंस
20.	राजग	राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
21.	संप्रग	संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
22.	एन०आर०एच०एम०	नेशनल रूरल हेल्थ मिशन
23.	आर०एस०ई०टी०आई०	रूरल सेल्फ एंप्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट

A decorative border with floral and scrollwork motifs in the corners, framing the central text.

अध्याय-प्रथम
प्रस्तावना

अध्याय—प्रथम

प्रस्तावना

भारतीय ग्रामीण समाज सदा से वैश्विक आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका सरल, शांत, सामाजिक-आर्थिक जीवनप्राचीन समय से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। आंद्रे बेते लिखते हैं “गांव केवल वह स्थान नहीं है, जहां लोग रहते हैं, यह वह अभिकल्पना है जिसमें भारतीय सभ्यता के आधारभूत मूल्य दिखाई देते हैं।” महात्मा गांधी का मानना था कि सत्य और अहिंसा का बोध केवल गांव के सरल जीवन में ही हो सकता है। उनका कहना था कि भारत की आत्मा गांवों में ही बसती है। भारत ऐसा पहला देश है जहां पर स्थानीय स्वशासन के प्राचीनकालीन प्रमाण मिलते हैं। यहां प्राचीन समय से ही स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जहां का प्रमुख ‘ग्रामीक’ होता था। ग्रामीण जीवन और ग्रामसभा का वर्णन वैदिककाल के विभिन्न ग्रंथों में मिलता है।

1.1 ग्रामीण विकास :

ग्रामीण विकास शब्द ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को प्रदर्शित करता है। यह एक व्यापक एवं बहुआयामी संकल्पना है। इसमें कृषि और सहायक गतिविधियाँ, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग और शिल्पकारी, सामाजिक, आर्थिक, सामुदायिक सेवाएं एवं सुविधाएं और इन सभी से ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों के मानव संसाधनों का विकास सम्मिलित है। एक तथ्य के रूप में ग्रामीण विकास विविध भौतिक, तकनीकी, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत कारकों के मध्य अर्न्तसंबंधों का अंतिम परिणाम है। एक रणनीति के रूप में इसकी संरचना वर्ग विशेष के लोगों की विशेषतः ग्रामीण गरीबों को आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में सुधार हेतु की गयी है। एक अनुशासन के रूप में इसकी प्रकृति बहु-अनुशासनिक है जिसमें कृषिगत, सामाजिक व्यवहारिक, अभियांत्रिक एवं प्रबन्धकीय विज्ञानों का प्रतिनिधित्व है।

विश्व बैंक के ग्रामीण विकास के क्षेत्र की नीति के अनुसार ग्रामीण विकास एक व्यूह रचना है जो कि एक विशेष समूह गरीब ग्रामीणों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए बनाई जाती है। यह व्यूह रचना ग्रामीण क्षेत्रों के अति गरीब व्यक्तियों को विकास के लाभो तक पहुंचाने के लिए तैयार की जाती है। इस समूह में किसान एवं खेतिहर मजदूर होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास गरीब ग्रामीण के रहन सहन के स्तर में उन्नत करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है।

रॉबर्ट चेम्बर्स ने ग्रामीण विकास को एक ऐसी रणनीति माना है जो समूह विशेष के लोगों, ग्रामीण गरीब पुरुषों एवं स्त्रियों को समर्थ बनाती है। उन्हें एवं उनके बच्चों को उनकी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं से अधिक अर्जित करने के योग्य बनाती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनतम लोगों को आजीविका पाने में सहायता मिलती है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ती है और विकास का लाभ लघु तथा सीमान्त किसानों और भूमिहीनों तक पहुँचता है।

1.2 भारत में ग्रामीण विकास (Rural Development in India):

भारत जैसा विकासशील देश जहां लगभग सत्तर प्रतिशत जनसंख्या गावों में निवास करती है, ग्रामीण विकास का महत्व स्वतः ही स्पष्ट है। यदि भारत को एक सशक्त देश बनाना है तो ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देनी ही होगी। हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास संबन्धी कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया जाता है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना ही ग्रामीण विकास है। विश्व बैंक के अनुसार ग्रामीण विकास गरीब ग्रामीणों, छोटे एवं सीमान्त किसानों भूमिहीनों एवं बटाईदारों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन सुधार लाने की व्यूहरचना है। ग्रामीण शब्द से तात्पर्य है जिनका व्यावसायिक ढांचा, सामाजिक संगठन एवं रहने का तरीका गैर शहरी जीवनशैली का होता है। विकास का अर्थ होता है तकनीकी, औद्योगिक एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों का विकास। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास ही ग्रामीण विकास है। इसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र और जीवन स्तर का विकास करना ही नहीं

बल्की न्यूनतम आधुनिक सुविधायें भी प्राप्त करना हैं। इस प्रकार ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। भारत में ग्रामीण विकास का इतिहास प्राचीन है एवं इसकी एक समृद्ध परम्परा विद्यमान रही है। प्राचीन भारत के ग्राम सम्पन्न एवं आत्मनिर्भर थे। मध्यकालीन भारत में भी ग्रामीण स्वशासन की प्रचलित परम्परा में अधिक बदलाव नहीं किया गया। परन्तु अंग्रेजी दासता के फलस्वरूप यह ढाँचा अव्यवस्थित हो गया।

सदियों की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में ग्रामीण विकास एवं स्थानीय शासन की बुनियाद नये सिरे से शासन के विकेन्द्रीकरण की नीति के सिद्धान्त पर रखी गयी जिसमें भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास की दिशा में प्रयास प्रारम्भ किया गया। भारत ने योजनाबद्ध तरीके से विकास की ओर बढ़ने के लिये पंचवर्षीय योजना को अपनाया। इन पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गयी।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विकेन्द्रित प्रशासन द्वारा गाँवों को आत्मनिर्भर बनाने तथा देश में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये दिसंबर, 1992 में संसद द्वारा बहत्तरवां संविधान संशोधन पारित किया गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिये अनेक प्रावधानों के साथ महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की भागीदारी आरक्षण के आधार पर सुनिश्चित की गई है।

इसके साथ ही ग्रामीण विकास के लिए अनेकों कार्यक्रम इस संदर्भ में चलाये गये। जैसे—सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा प्रसार, खादी एवं ग्रामोद्योग कार्यक्रम, ग्रामीण उद्योग प्रोजेक्ट, वार्षिक किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम, कुआँ निर्माण कार्यक्रम, आदिवासी विकास ब्लाक, ग्रामीण मानव-शक्ति विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, आदिवासी विकास ब्लाक, ग्रामीण मानव शक्ति विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवक प्रशिक्षण कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना इत्यादि।

21वीं सदी में ग्रामीण विकास के निम्न कार्यक्रम चलाये गये—

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
- सम्पूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना
- भारत निर्माण
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
- मनरेगा
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
- दीनदयाल अंत्योदय योजना
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
- दीक्षा (Rural Development Training Institutes)

1.3 ग्रामीण विकास के नियोजन में प्राथमिकता :

भारत गाँवों का देश है। इसकी तीन चौथाई जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। अतः भारत का विकास करने के लिए उसके गाँवों का विकास करना उतना ही जरूरी है जितना जीवन के लिए वायु। भारत जैसे कृषि प्रधान देश को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा ही रह जायेगा, जब तक हमारे सभी गाँवों में जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जाती है। आज आजादी के 65 साल बीत जाने के बाद भी हमारी अधिकांश ग्रामीण जनता जीवन के बुनियादी जरूरतों के पूर्ति के लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। गौरतलब है कि भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी आज भी गाँवों में ही निवास करती है। परन्तु जनसंख्या के अनुपात में इन्हें भारत के आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आज भी अनेक गाँव विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाये हैं। अपने को जन हितैषी तथा विकास का नारा बुलन्द करने वाली सरकार ने भी कभी ग्रामीण

समस्याओं को गम्भीर रूप से नहीं लिया है। प्रायः हर सरकार सुसंगठित शहरी जनता को ही खुश करने में लगी रही है। (कुरुक्षेत्र मार्च 2009)

एक बात और भी ध्यान देने के योग्य है कि जो गाँव शहर के जितने पास है, उनके विकास की सम्भावनाएं उतनी ही अधिक बनी रहती हैं। परन्तु दूर-दराज के पिछड़े गाँवों के प्रति न तो केन्द्र सरकार, न ही राज्य सरकार और न ही जिला प्रशासन अपना कर्तव्य निभा पाता है। यही कारण है कि हमारे गाँव सभ्यता की दौड़ में पीछे छूटते जा रहे हैं।

ग्रामीण विकास के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा विषय रहा होगा जो सरकार, प्रशासन, नियोजन एवं शिक्षाविदों के व्यापक विचार-विमर्श का केन्द्र बिन्दु बना हो। किन्तु स्थिति यदि यथावत नहीं तो उसमें विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र मानसून की अनिश्चिताओं से अभी भी ग्रस्त हैं। अभी भी बड़े भू-स्वामियों का वर्चस्व विद्यमान है, उत्पादकता कम है, बेरोजगारी एवं निर्धनता बनी हुई है। लघु एवं कुटीर-उद्योगों का व्यापक विकास नहीं हो पाया है तथा अधः संरचना की कमी है। परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र से कटा हुआ दिखाई देता है, विकास की प्रमुख धारा से कटा हुआ दिखाई देता है। प्रश्न उठता है कि समस्या का निदान क्या है परन्तु उससे पूर्व महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या समस्या का सम्यक ज्ञान है? क्या ग्रामीण विकास के नियोजन नीति बनाने वाले ग्राम्य-क्षेत्र की वास्तविकताओं से परिचित हैं? परिणामों को देखा जाए तो उत्तर नकारात्मक ही प्राप्त होगा। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले कुछ मौलिक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए जैसे ग्रामीण विकास के प्रति राजनीतिक इच्छा एवं कटिबद्धता, नियोजन की आवश्यकता, औचित्य एवं उसके प्रति ईमानदारी, नियोजन का प्रकार एवं नियोजन में प्राथमिकताओं का निर्धारण जरूरी है।

सबसे पहले ग्रामीण-विकास नियोजन में सड़कों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिये। गाँव को गाँव से, गाँव को ब्लॉक, तहसील एवं जिला मुख्यालय से, प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिये उपयुक्त यातायात व्यवस्था होनी चाहिये। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने के लिये उपयुक्त यातायात व्यवस्था

होनी चाहिए। जिसमें राष्ट्रीय राजधानी से प्रान्तीय तथा प्रान्तीय राजधानी से जिला मुख्यालय तक आने में विशेष असुविधा नहीं होती परन्तु जिला मुख्यालय से गाँव-गाँव तक पहुँचने में अभी भी बहुत अधिक असुविधा हाती है। यहाँ यह वक्तव्य देना अनुपयुक्त न होगा कि जब गाँव तक पहुँचा ही नहीं जा सकता तब उनकी समस्याओं का ज्ञान एवं निदान भी वास्तविकता पर आधारित नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक शहर से सुदूर क्षेत्रों में बसे हुये ग्रामों को एक सड़क चक्र से नहीं जोड़ा जाता तब तक उनकी स्थिति में सुधार नहीं लाया जा सकता। प्राथमिकता क्रम में सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'सड़क-निर्माण' का होना चाहिये जिससे बहुत सी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जायेगा।

इस क्रम में दूसरी प्राथमिकता शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को देनी चाहिये। शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा जो ग्रामीणों को साक्षर होने के साथ-साथ उन्हें विवेकपूर्ण बनाये तथा हितों-अनहितों, कर्तव्य अधिकारों से अवगत कराये। स्वास्थ्य से तात्पर्य जो जीवितों को सुखद जीवन एवं जन्म तथा मृत्युदर कम करने में उपयोगी हो। हमारे ग्रामीण क्षेत्र मनोवैज्ञानिक रूढ़ियों एवं अति जनसंख्या से ग्रस्त हैं। जिसके कारण अनेकानेक समस्याओं का जन्म हुआ है। अतः उपयुक्त सुविधाओं की प्रभावशाली व्यवस्था होनी चाहिये। जिनके अभाव में स्वतः प्रेरित सुदृढ़ विकास सम्भव नहीं है।

तीसरी प्राथमिकता भूमि सुधार कार्यक्रमों को देनी चाहिये। ग्रामों में भूमि के विषम एवं अनार्थिक आवंटन का तथ्य अनुद्घटित नहीं है। भूमि जो कि ग्रामों में आर्थिक आय, सामाजिक स्तर एवं राजनीतिक वर्चस्व का द्योतक होती है, अभी भी कुछ हाथों में केन्द्रित है। शासन प्रशासक एवं अर्थशास्त्री सभी लोग इस बात से अवगत हैं तथा बहुत से कार्यक्रम भी बनाये गये, परन्तु उनके परिणाम उल्लेखनीय नहीं कहे जा सकते क्योंकि लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में जागरुकता का अभाव, ग्रामीण क्षेत्र का शहरी क्षेत्र से कटाव तथा इन सबसे ऊपर राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण कुछ लोगों का भूमि पर स्वामित्व बना हुआ है। भूमि-संसाधन का अनुकूलतम आवंटन ग्रामीण विकास की बहुत बड़ी पूर्व शर्त है।

चौथी प्राथमिकता सिंचाई, विद्युत, साख इत्यादि सुविधाओं को देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी के उपयोग को प्रोत्साहन देना चाहिये। जब भूमि का समुचित बँटवारा हो जायेगा तभी उक्त सुविधाओं का सही उपयोग हो सकेगा।

पाँचवीं प्राथमिकता संसाधनों की उपलब्धि एवं मांग के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना, उत्पादित माल के विपणन की व्यवस्था आदि को देना चाहिये।

छठी प्राथमिकता सतत मूल्यांकन को देनी चाहिये। कार्यक्रम के लक्ष्यों एवं वास्तविक परिणामों की निरन्तर तुलना होती रहनी चाहिये और उसके आवंटन आदि में अपेक्षित परिवर्तन होना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र से प्राप्त होने वाले आंकड़े अधिकतर भ्रामक होते हैं। इसलिये मूल्यांकन हेतु 'आंकड़ों की कलाबाजी' का कम से कम उपयोग करना चाहिये। उसके लिये वास्तविकताओं के प्रत्यक्ष निरीक्षण को महत्त्व देना चाहिये।

1.4 मनरेगा (MGNREGA) :

रोजगार किसी भी देश और समाज के आर्थिक विकास की कुँजी है। जिस गति से रोजगार पाने वालों की संख्या और उनकी आमदनी में बढ़ोत्तरी होती है। उस गति से देश विकास के पथ पर अग्रसर होता है। गांधी जी बेरोजगारी को एक सामाजिक अपराध की संज्ञा देते हुये कहते थे कि "किसी स्वस्थ समाज के अंदर चंद व्यक्तियों के पास धन का केन्द्रित हो जाना और लाखों का स्वरोजगार बेकार होना एक महान सामाजिक अपराध है।"

ग्रामीण भारत की अधिकांश जनसंख्या गैर कृषिगत कार्यों की कमी के कारण, कृषि पर रोजगार के लिए निर्भर है। कृषि सभी इच्छुकों को पूरे वर्ष का रोजगार दे पाने में सक्षम नहीं है। बेरोजगारी की इस स्थिति से वहाँ के लोगों का विस्थापन महानगरों की तरफ होता है जिससे ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति में परिवर्तन आता है। इस समस्या से निपटने के लिये ग्रामीण रोजगार को कानूनी गारंटी का स्वरूप दिया गया। इससे यह मजदूरों का न्यायोचित अधिकार बन गया। भारत सरकार द्वारा सितम्बर 2005 में इस कानून का निर्माण किया गया तथा इसे 02 फरवरी 2006 को आन्ध्र प्रदेश के

अनन्तपुर जिले के बन्दापाली गांव से शुरू किया गया। पहले चरण 2006-07 वित्तीय वर्ष के दौरान देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया तथा 1 जनवरी 2008 को यह कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में लागू कर दिया गया। इस योजना को तैयार करने में ज्यां ट्रेज का प्रमुख योगदान रहा है।

इस अधिनियम द्वारा प्रशिक्षित एवं अर्धप्रशिक्षित मजदूरों के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 100 दिनों का रोजगार मुहैया कराने का प्रावधान है। इस अधिनियम में काम न मिलने की दशा में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने का प्रावधान है साथ ही कराये जा रहे कामों की सामाजिक संपरीक्षा का प्रावधान किया गया है। परन्तु इसका कार्यान्वयन सभी क्षेत्रों में सुचारु रूप से लागू नहीं हो पा रहा है यद्यपि इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा सुशासित कार्यान्वयन के लिये इलेक्ट्रॉनिक गर्वनेन्स का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही भ्रष्टाचार से भी यह योजना जूझ रही है।

इस अधिनियम का मूल उद्देश्य लोकतंत्र में उपेक्षित जनता को सुदृढ़ करना है जिससे ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके। यह आम जनता का कानून है इसका प्रभावी कार्यान्वयन जनसहभागिता पर ही निर्भर करता है। जनता इस कानून के बारे में अल्पज्ञान रखने के कारण अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं कर पाती है।

2008 में इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना कर दिया गया। वस्तुतः महात्मा गांधी गांवों को विकास की इकाई के रूप में स्वीकार करते थे। वे आत्मनिर्भर गांवों की कल्पना करते थे जो सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त होंगे, जिससे ग्रामीण विकास सुनिश्चित हो सके। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता इसे वैश्विक मंदी से बचाने का भी काम करती है।

1.5 कैमूर (बिहार) :

प्रस्तुत शोध में बिहार राज्य के कैमूर, जिला को शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया है। यहां की जनसंख्या 16,26,384 (2011) है। जिसमें 52 प्रतिशत पुरुष तथा 48 प्रतिशत महिलायें हैं। यहां साक्षरता दर 69.34 प्रतिशत है। यहां 96 प्रतिशत

ग्रामीण तथा 4 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या है तथा 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है कुल जनसंख्या में। भौगोलिक रूप से बड़ा क्षेत्र पहाड़ी एवं कुछ भाग मैदानी होने के कारण यहां बेरोजगारी है। यहां लघु कुटीर उद्योग की अनुपलब्धता की वजह से जनपद की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है अतः यहां ग्रामीण गरीबी अधिक है और रोजगार की तलाश में मजदूरों का पलायन शहरों की तरफ हो रहा है। इसलिये प्रस्तुत जनपद को शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया है। जनपद में बारह ब्लॉक है। यहां मनरेगा 2007 में लागू किया गया।

1.6 साहित्य समीक्षा (Review of Literature) :

सेन, अमर्त्य कुमार में अपनी पुस्तक *“भारत विकास की दिशाएं (1993)”* में उन कारणों का तुलनात्मक अध्ययन किया है जिसके कारण समकालीन चीन एवं एशियाई देश विकास में भारत से आगे बढ़ते चले गये। जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत की तुलना में उन देशों में पहले से हुआ साक्षरता प्रसार देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार तथा स्त्री शक्ति का सभी कार्यों में बढ़ चढ़ कर योगदान देना इसका प्रमुख कारण रहा जिसके अभाव में एक सीमा से आगे उन्नति कर पाना संभव नहीं होता। यह पुस्तक सामाजिक अवसरों को प्राथमिकता देने वाले प्रमुख कारणों का तुलनात्मक आकड़े देती है।

सेन, अमर्त्य कुमार ने अपनी पुस्तक *“गरीबी और अकाल (2011)”* को राष्ट्र संघ की संस्था अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के तत्वाधान से सम्पन्न किया। इसमें इन्होंने अकाल के समय सरकार के पास खाद्य सामग्री का अभाव न होते हुए गरीबों को तडप-तडप कर मर जाने पर सवाल उठाये है। देखा जाए तो इस पुस्तक द्वारा समाज में उपलब्ध न्यायपूर्ण साधनों के सहारे जीवित रहने का मनुष्य का अधिकार क्या है अथवा क्या होना चाहिए इसका अच्छा चित्रण मिलता है।

सेन, अमर्त्य कुमार ने अपनी पुस्तक *“आर्थिक विकास और स्वतंत्रता (2013)”* में व्यक्ति के स्वतंत्रता को ही दुनिया की अर्थव्यवस्था के केन्द्र में रखा है और कहा है कि आर्थिक विकास के वे ही स्वरूप सफल है जो इस बहुपक्षीय स्वतंत्रता को

परिपुष्ट करते हैं। उन्होंने अपनी इस नवीन दृष्टि में विस्तार प्रदान करते हुए बाजार, राज्य, मीडिया, राजनीतिक दल, स्वयंसेवी संगठन आदि समाज के सभी आधुनिक पहलुओं तथा संस्थाओं को इसी नियम के अंतर्गत प्रतिष्ठित किया है। मानवी स्वतंत्रता के सभी पक्षों का लेखक ने जिस रूप में सूक्ष्म विवेचन किया है वह आज की दुनिया से गरीबी हटाने और मनुष्य का जीवन अधिक सुरक्षित बनाने में उसका क्या और किस प्रकार योगदान हो सकता है इसको बड़ी स्पष्टता से बताया है।

ट्रेज, ज्यां एवं रीतिका खेरा ने अपनी पुस्तक *“रोजगार गारंटी अधिनियम (2006)”* में इस अधिनियम के प्रावधानों को बहुत ही आसान करने व्याख्या किया है जिसमें उन्होंने इस एक्ट के प्रावधानों, विशेषताओं एवं इसके उद्देश्यों के साथ इसकी संभावनाओं पर भी चर्चा की है।

खेरा, रीतिका ने अपनी पुस्तक *“द बैटल फॉर इम्प्लॉयमेंट गारंटी (2011)”* में मनरेगा कार्यक्रम को सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में एक अनोखा पहल बताया गया है जो स्थानीय स्तर पर कार्य के लिए गारंटी प्रदान करता है। पुस्तक में मनरेगा को संसार की सबसे बड़ी लोक कार्यक्रम की संज्ञा दी गई है। जिसमें प्रतिवर्ष 50 मिलियन पुरुष और महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। 2006–10 क्षेत्रीय सर्वेक्षण के आधार पर मनरेगा के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। जिसमें इसका संक्षिप्त इतिहास, सरकारी सांख्यिकी डाटा के अनुसार इसकी प्रगति का वर्णन करते हुए इसका ग्रामीण लोगों पर सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण असंगठित श्रमिकों को संसाधन के रूप में उपयोग करने के साथ साथ मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है। उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मनरेगा को लागू करने में आने वाले चुनौतियों एवं सफलताओं का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

ट्रेज, ज्यां और अमर्त्य सेन अनुवादक अशोक कुमार ने अपनी पुस्तक *“भारत और उसके विरोधाभास (2018)” (An Uncertain Glory: India and Its*

Contradiction का अनुवाद) में नब्बे के दशक की भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्णन करते हुए बताया गया है कि किस तरह उपनिवेशवादी शासन से उभरकर निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था का ठप्पा हटाकर धीरे-धीरे सकल घरेलु उत्पाद में तीव्र वृद्धि भारत ने की लेकिन उँची और टिकाऊ वृद्धि की दर का आकलन इस बात पर निर्भर करता है कि इस आर्थिक वृद्धि ने लोगों के जीवन एवं स्वाधीनता पर क्या प्रभाव डाला। क्योंकि इस दशक में जहां भारतीय अर्थव्यवस्था कि आर्थिक वृद्धि में तेजी आई वहीं सामाजिक संकेतको के पैमाने पर भारत पिछड़ता चला गया। यह पुस्तक वृद्धि एवं विकास का समानता तथा लोगों के जीवन पर उसके प्रभाव के पारस्परिक संबंधो के बारे में विस्तार से बताती है।

द्रेज, ज्यां द्वारा संपादित एवं कमलनयन चौबे द्वारा सह संपादित पुस्तक **“भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष (2017)”** में 18 अध्यायों में अनेक विद्वानो के द्वारा इकोनॉमिक एवं पोलिटिकल वीकली में प्रकाशित अनेक शोध पत्रों एवं विचारो का संग्रह किया गया है। जिसमे भारतीय नीतियो मे शामिल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार(मनरेगा), खाद्य सुरक्षा तथा वंचित समूहों की समस्याओं पर अनेक विचारको ने अपना विचार प्रस्तुत किया है। मिहिर शाह ने मनरेगा पर अपने लेख मे बताया है कि अगर इस योजना को प्रभावशाली तरीके से लागू किया जाए तो कम से कम इसके छह नतीजे देखने को मिलेगा जिसमे संकट के समय रोजगार के साथ-साथ भारतीय खेती में बाढ़, सूखा इत्यादि को रोकने, अर्थव्यवस्था को सतत संवृद्धि दर से आगे बढ़ाने में मदद, गरीबी में कमी लाने, मुद्रास्फिति को रोकने जैसे फायदे को इस पुस्तक में बताया गया है। इसके साथ ही एक अन्य शोध लेख में रीतिका खेड़ा ने मनरेगा योजना से महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक लाभ को बताते हुए उनकी आर्थिक सुरक्षा में इस योजना की भूमिका पर चर्चा की है।

शर्मा, महेश ने अपनी पुस्तक **“नरेगा (2010)”** में इस योजना के विभिन्न पहलुओं को छुआ है जिसमें उन्होंने बताया है कि यह योजना कहां तक रोजगार प्राप्ती में सफल रही तथा यह कैसे समाज के पिछड़े एवं वंचित लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सहायक बन रही है तथा यह योजना कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक हो रही है। मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार

उपलब्ध कर गांव से पलायन को रोका है तथा ग्रामीण विकास में यह योजना कहां तक सफल हो रही है इसका विवरण दिया है।

महिपाल ने अपनी पुस्तक *“पंचायती राज : चुनौतियां एवं संभावनाएं (2012)”* में भारत में पंचायतो के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं तथा पंचायतें उन चुनौतियों को पार करके कैसे ग्रामीण विकास में सहायक होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बतलाया है कि कैसे ग्रामीण समाज के दबे कुचले वर्ग में पिछले लगभग एक दशक के दौरान जागृति आई है। वे ग्रामीण समाज के उच्च वर्ग की शोषणप्रद आदतों व व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठा रहे तथा उनकी आदतों व व्यवहार को समझने भी लगे हैं जो पहले नहीं था।

सुरेन्द्र कटारिया ने अपनी पुस्तक *“भारत में आर्थिक नियोजन एवं निर्धनता उन्मूलन (2006)”* में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं वंचित एवं पिछड़े वर्ग के लिए चलाये गये योजनाओं एवं उसके प्रभाव का विस्तृत वर्णन किया है तथा ये योजना निर्धनता उन्मूलन में/निर्धनता दूर करने में कहां तक सफल हो रही है एवं इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं इसका भी चित्रण किया है।

महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा 2012 में इस अधिनियम के 2006 –12 तक के किये गए कार्यों का समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। शोधपूर्ण अध्ययनों द्वारा इसमें योजना के अंतर्गत किये गये कार्यों एवं उसके परिणाम क्या हुए जिसमें इसने किस हद तक उद्देश्यों को पूरा किया (पलायन रोके, पिछड़े एवं दबे वर्गों की आर्थिक स्थिति सुधारने में कितना सफल रहा) इन सबकी व्याख्या किया गया है।

मीणा, जनक सिंह ने *“ग्रामीण विकास के विविध आयाम (2010)”* पुस्तक में लोकतांत्रिक भारत में सार्वभौमिक विकास का स्वरूप पूर्णरूपेण ग्रामीण परिवेश पर न केवल पल्लवित होता है अपितु इस पर निर्भर भी करता है। इस पुस्तक में भारत के ग्रामीण विकास के लिए आजादी के बाद से शुरू किए गए विकास कार्यक्रमों एवं इसका क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, अंकेक्षण तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रशासनिक तंत्र की भूमिका का मूल्यांकन तथा नीति निर्माण की सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक विवेचना करने का प्रयास किया गया है।

पन्त, डी०सी० ने *“भारत में ग्रामीण विकास (2002)”* पुस्तक में भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र की भूमिका को बताते हुए भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता को बताया है। इसमें ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। पुस्तक में ग्रामीण विकास का इतिहास, अर्थ एवं महत्व को बताते हुए ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं का पहचान कर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में लघु एवं कुटीर उद्योगों की भूमिका एवं सहकारिता पर आधारित सामुदायिक विकास कार्यक्रमों एवं इसकी असफलता को बताया गया है। पंचायत प्रणाली में ग्राम पंचायत एवं ग्राम सभा की भूमिका को बताते हुए पंचायत प्रणाली की कमियों एवं इसमें सुधार के लिए सुझावों का वर्णन किया गया है।

कुमार, मनोज एवं अखलाख अहमद ने *“पंचायतीराज : उमरते मुद्दे (2009)”* अपनी पुस्तक में इस बात पर विचार किया है कि किस तरह राज्य सरकारें निर्वाचित पंचायत सदस्यों को महत्व नहीं देते हैं तथा इन पंचायत सदस्यों को विधायकों एवं सांसदों की तरह विकास कार्यों के लिए सरकार से पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो पाता है साथ ही एक-एक पंचायत सचिव को कई-कई पंचायतों का कार्य करना पड़ता है। पंचायतों को आवश्यक धन और अन्य जरूरी संसाधन न मिल पाने के कारण गांवों एवं पंचायतों का विकास नहीं हो पा रहा है। विकास कार्य को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए पंचायतों को आवश्यक कर्मचारी नहीं मिलने जैसी आम शिकायत हर पंचायतों की है। इस पुस्तक के अंतिम भाग में पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए कुछ सुझाव देते हुए नई संभावनाओं पर विचार किया गया है।

डॉ० महीपाल ने अपनी पुस्तक *“ग्राम नियोजन (2016)”* में भारत की आजादी के पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद की गांवों के विकास के लिए चलाई गई योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की है। इसके साथ ही ग्रामीण विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी संकुचित अवधारणा (रोटी, कपड़ा, मकान, गलियों का निर्माण) से हटकर गरीबी और आय की असमानता को दूर करना, रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ साथ सम्पत्ति और असमानताओं में कमी लाने जैसे बिन्दुओं

को ग्रामीण विकास की अवधारणा में शामिल किए हैं। स्वतंत्रता बाद चलाई गई ग्रामीण विकास योजनाओं की भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता को बताते हुए इसका समीक्षात्मक मूल्यांकन किया गया है।

ज्ञा, अंजनी कुमार ने *“ग्राम विकास और समाज (2017)”* पुस्तक में विकास के गाँधीवादी दृष्टिकोण से जोड़ते हुए भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा का विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। जिसमें ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहकारी समितियों, स्वसहायता समूहों की भूमिका का भी वर्णन किया गया है। ग्रामीण विकास में ग्राम सभा की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा गया है हमारे समाज में ग्राम सभा की संस्कृति का अभाव है। जाति और वर्ग में विभाजन गाँवों को ऐसे संगठित समुदाय के रूप में काम करने से रोकता है। जो सभी के साझा हित में काम कर सके। इसके साथ नेहरू और गाँधी के ग्राम स्वराज व्यवस्था पर विभिन्न दस्तावेजों के साथ विचार को समझाने का प्रयास किया गया है।

शर्मा, ओम प्रकाश ने अपनी पुस्तक *“ग्रामीण समाज में नियोजित समाजिक परिवर्तन (2004)”* में विकास तथा समाजिक विकास के मापदण्डों को बताते हुए विकास के विभिन्न सिद्धान्तों (शास्त्रीय सिद्धान्त, मार्क्सवादी सिद्धान्त, प्रकार्यवादी सिद्धान्त तथा गाँधीवादी सिद्धान्त) का विस्तार से विवेचना किया है। भारत में भूमि वितरण में असमानता के साथ-साथ ग्रामीण बेरोजगारी के कारण को बतलाते हुए ग्रामीण विकास की अवधारणा एवं भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके साथ ही भारत में विभिन्न रोजगार योजनाओं को बताते हुए 1980 में चलाई गई समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का विस्तार से विश्लेषण किया गया है

हेमंत ने अपनी पुस्तक *“बिहार एक खोज (2012)”* में बिहार की संस्कृति एवं प्राचीन गौरवशाली इतिहास को बताते हुए इसकी विषम चरित्रवाली समाज का विस्तार से वर्णन किया है। आजादी के समय बिहार को बदलाव एवं देश को दिशा देने वाले राज्य के रूप में देखा जाता था लेकिन आजादी के बाद इस राज्य की

किस तरह उपेक्षा की गई जिससे बिहार पिछड़े राज्यों में गिना जाने लगा। कभी भारत का हर्ट कहा जाने वाला राज्य अब विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आता है।

श्रीकांत ने *“बिहार राज्य और समाज (2011)”* पुस्तक में बिहार की समाजिक संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तन का चर्चा करते हुए बिहार के दो बड़े नेता लालू प्रसाद यादव एवं नीतीश कुमार के राज का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। लालू यादव के बाद किस तरह नितिश कुमार का बिहार में उदय हुआ और इसमें कौन-कौन से कारण रहे इसका भी विवेचन किया गया है। लालू यादव के काल में बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ तथा नितिश कुमार के कार्यकाल में यह किस तरह तीव्र गति प्राप्त किया इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है। जिसमें लालू यादव के काल में योजनाओं में की गई भारी कटौती को प्रमुख कारण माना गया है।

चौधरी, प्रसन्न कुमार एवं श्रीकांत ने अपनी पुस्तक *“बिहार में समाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम (2001)”* में आजादी के पूर्व बिहार की समाजिक संरचना एवं उससे उत्पन्न जातिगत संगठन जिसमें जनेऊ आन्दोलन एवं उसके बाद बने त्रिवेणी संघ का विस्तार से वर्णन किया गया है। जो अलग-अलग जातियों का साझा संगठन था। आजादी के बाद बिहार में चले जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जिसमें लोहिया का सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता पर आधारित आंदोलन का वर्णन किया गया है। राज्य में कांग्रेस के शुरुआती शासन के बाद लालू यादव के उभरते नेता के साथ नितिश काल के शासन में बिहार की जातिगत संरचना का विश्लेषण किया गया है।

सिंह, ललित कुमार ने अपने पुस्तक *“डॉ० कलाम के सपनों का बिहार (2018)”* में पूर्व राष्ट्रपति डॉ० कलाम के बिहार राज्य के बारे में उनके विजन को बताया है। जो विभिन्न पहलुओं एवं विविधता को समेटे हुए हैं। इसमें 2009 से 2015 के बीच बिहार राज्य के विभिन्न हिस्सों में किए गए उनके यात्रा का वर्णन किया गया है। इसमें कलाम द्वारा बिहार के युवाओं एवं किसानों के तेज दिमाग की

सराहना करते हुए इन्हें रोजगार एवं निशुल्क बिजली, खाद देने की बात कही है। बिहार के विकास के लिए डॉ० कलाम के 10 सूत्रीय विजन पर भी विस्तार से चर्चा की गई है जो नीति निर्माताओं के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें 'पुरा (2004)' अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं पर भी चर्चा की गई है।

दत्ता, पूजा ने वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट *'Right to Work Assessing India's Employment Guarantee Scheme in Bihar (2014)'* में मनरेगा कार्यक्रम के न्यायपूर्ण कार्य के अधिकार का वर्णन किया है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत देश के बिहार राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन तथा इसके प्रभाव एवं चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। अध्ययन में बताया गया है कि श्रमिकों को काम न दिये जाने के कारण योजना अपने क्षमता के अनुरूप बिहार में गरीबी को प्रभावित करने में पिछड़ रही है। इसके साथ ही श्रमिकों को किये गये काम का सही समय पर भुगतान न होने के कारण उन्हें इस योजना में कार्य करना महंगा पड़ रहा है। जिससे इसके आय अर्जन की क्षमता प्रभावित होती है। जिसमें इस राज्य के लोगों का इस योजना से मोहमंग होता जा रहा है तथा योजना अपने लक्ष्य प्राप्ति से दूर होती नजर आ रही है।

महात्मा गाँधी नरेगा समीक्षा (2012-14)– II में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत 2012-14 तक किये गये कार्यों का समीक्षात्मक विवेचना किया गया है। जिसमें मनरेगा अधिनियम के उद्देश्य एवं विशेषता बताते हुए मनरेगा का ग्रामीण जनता की आय एवं आजीविका सुरक्षा पर प्रभाव को इंगीत करते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर होने वाले सुधार को बताया गया है। महिलाओं की इस योजना में भागीदारी, मजदूरी समतुल्यता, आर्थिक स्वावलंबन तथा सामाजिक सशक्तिकरण जैसे बातों का उल्लेख करते हुए मनरेगा को टिकाऊ सम्पत्ति के निर्माण एवं पर्यावरणीय तथा कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में सहायक बताया गया है। कृषि श्रमिकों पर इस योजना का प्रभाव तथा मोलभाव के क्षमता में वृद्धि के साथ योजना की लिकेज और दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार जैसे बिन्दुओं पर

चर्चा करते हुए इस योजना को मजबूत बनाने के लिए हाल में की गई पहलों का विश्लेषण किया गया है।

एम.शाह (2009), ने अपने प्रकाशित लेख, *“मल्टीप्लायर एक्सीलरेटर सिनजी इन NREGA”* में यह निष्कर्ष निकाला कि मनरेगा से श्रमिकों की क्रय क्षमता बढ़ रही है जो वस्तुओं की माँग में वृद्धि कर रहा है और इसे एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभाव को कम कर सकता है।

बसु, ए.के. (2011), ने अपने शोध लेख, *“इम्पैक्ट ऑफ रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम्स ऑन सीजनल लेबर मार्केट्स : आव्टीमम कपनसेशन एंड वर्कर्स वेलफेयर”* में यह निष्कर्ष निकाला कि भारत में हाल में लागू नरेगा कार्यक्रम बड़े पैमाने पर एक ऐसी नीति के रूप में जाना जाने लगा है जो ग्रामीणों की आय बढ़ने की क्षमता के साथ गरीबों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है, कृषि उत्पादन बढ़ती है जिससे गांवों से शहरों की आरे पलायन में कमी आई है।

द्रेज,ज्या (2011), *“ब्रेकिंग द नेक्सस ऑफ करप्शन, इन द बैटल फॉर इम्प्लायमेंट गारंटी”* में मनरेगा के तहत पारदर्शी सुरक्षा प्रभावों पर दृष्टि डाली और निष्कर्ष निकाला कि मनरेगा के क्रियान्वयन के शुरुआती वर्ष में अक्सर ये दावे किए जाते रहे कि सी ए जी की एक रिपोर्ट में भ्रामक तथ्यों के कारण मनरेगा के फंड गरीबों तक नहीं पहुंच रहे हैं, परंतु क्षेत्र-स्तरीय अध्ययनों में सकारात्मक निष्कर्ष का संकेत मिला और सुधार पाया गया, काम के बदले अनाज की योजना जैसे कार्यक्रमों की तुलना में मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार और खामियों के कुछ उदाहरण ही देख गए हैं।

1.7 शोध उद्देश्य :

किसी भी शोध कार्य की सफलता तथा शोध के सार्थक परिणाम प्राप्त करने हेतु एवं निर्धारित लक्ष्य के लिए उद्देश्यों का होना अत्यावश्यक है जिसके आधार पर शोध कार्य को एक व्यापक गति प्रदान की जा सके एवं उद्देश्यों को प्राप्त कर सार्थक परिणम पाया जा सके।

प्रस्तावित शोध अध्ययन कैमूर जिले के ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका पर आधारित है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं

1. ग्रामीण विकास में अधिनियम की भूमिका की वास्तविकता की जांच करना।
2. कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत मनरेगा के उद्देश्यों का विश्लेषण करना।
3. प्रभावशाली नीति लागूकरण में स्थानीय संरचना, स्थानीय शासन तथा पंचायतों के बीच संबंधों की समीक्षा करना।
4. मनरेगा में चलाये जा रहे कार्यक्रमों की पारदर्शिता का मूल्यांकन करना।
5. मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण का विश्लेषण करना।
6. कैमूर जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं एवं पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण में मनरेगा का मूल्यांकन करना।

1.8 शोध प्रश्न :

1. मनरेगा योजना का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है।
2. क्या मनरेगा के द्वारा बिहार के कैमूर जिले का ग्रामीण विकास हुआ है।
3. क्या मनरेगा मजदूरों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में योगदान कर रहा है।
4. मनरेगा द्वारा महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में क्या-क्या सुधार हुआ।
5. कैमूर जिले में मनरेगा के क्रियान्वयन में ग्राम सभा की क्या-क्या भूमिका रही है।

1.9 परिकल्पना :

एक ऐसा कथन जिसकी सत्यता सिद्ध होना शेष होता है परिकल्पना कहलाता है। यह चरों (variable) के बीच संबंधों के विषय में एक पूर्वानुमान है। यह शोध की समस्या का प्रायोगिक (tentative) व्याख्या है जो शोध के दौरान शोधकर्ता को एक दिशा में आगे बढ़ने का संकेत करती है।

- 1 मनरेगा के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रभुत्वशाली समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- 2 बिहार के कैमूर जिले में सामाजिक अंकेक्षण के अभाव में मनरेगा का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
- 3 कैमूर जिले में शिक्षा एवं जागरूकता के कारण मनरेगा का ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

1.10 शोध प्रविधि :

एक अनुसंधानकर्ता अपने शोध आंकड़ों को अपने अनुसंधान का आधार मानकर आगे बढ़ता है। बिना आंकड़ों के शोधकार्य वास्तव में बिना पैर के मनुष्य जैसा है जो आगे नहीं बढ़ सकता। अनुसंधानकर्ता का मुख्य लक्ष्य ऐसे तथ्यों को एकत्रित करना होता है जो उसकी परिकल्पना एवं उद्देश्यों को समर्थन करती हो या पहले से बनाई गई उपकल्पना को अस्वीकार करती है। इसके लिए विभिन्न शोध प्रविधियों की सहायता से शोधकर्ता आंकड़ों को एकत्रित करता है ताकि इन आंकड़ों के माध्यम से वह शोध के परिणामों की सार्थकता निर्धारित कर सके।

प्रस्तुत शोध आनुभावित अध्ययन पर आधारित है। इसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आंकड़े एकत्र किये गये हैं। प्रश्नावली, सर्वे एवं साक्षात्कार का प्रयोग आंकड़े एकत्र करने के लिये किया गया। प्रतिदर्श का चयन कैमूर जिले के 4 ब्लकों से किया गया। प्रतिदर्श के सभी इकाइयों को व्यक्तिगत तौर पर प्रशासित किया गया। यह शोध केवल कैमूर जिले पर केन्द्रित है।

1.11 आंकड़ों का संकलन :

शोधकर्ता का मुख्य लक्ष्य उन तथ्य सामग्रियों को एकत्रित करना होता है जो उसकी परिकल्पनाओं (**Hypothesis**) को स्वीकार या अस्वीकार करती हैं। अतः अनुसंधानकर्ता को उसके द्वारा तय की गई परिकल्पनाएँ ही आंकड़ों के संकलन के स्रोत को निर्धारण करती हैं। प्रस्तुत शोध में आंकड़ों का संकलन प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों तरह के स्रोतों से किया गया है।

1.11.1 प्राथमिक समंक

प्राथमिक स्रोत को मौलिक स्रोत भी कहते हैं क्योंकि यह स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एकत्रित की जाती है। यह स्रोत किसी भी शोध का मुख्य आधार होता है। प्राथमिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं –

1. प्रत्यक्ष स्रोत
2. अप्रत्यक्ष स्रोत

इस शोध में शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों ही स्रोतों से तथ्य एकत्रित किया गया है। प्रत्यक्ष स्रोत में शोधकर्ता द्वारा मनरेगा में होने वाले कार्यों का कार्यस्थल पर जाकर अपने अध्ययन विषय से संबंधित जानकारी को एकत्रित किया गया है। इसके लिए दो तरीके अपनाए गए हैं अवलोकन एवं साक्षात्कार या मौखिक छानबीन। अप्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत के द्वारा प्रश्नावली के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है।

1.11.2 द्वितीयक समंक

अनुसंधानकर्ता शोध अध्ययन के सैद्धांतिक पक्षों का विवेचन करने के लिए अनेक स्रोतों का सहारा लेता है जिसे हम द्वितीयक समंक/स्रोत (Secondary Sources) कहते हैं। इन स्रोतों से अनुसंधानकर्ता को अपने ज्ञान का विस्तार, अंतर्दृष्टि का विकास करने के साथ-साथ पुनरावृत्ति जैसी समस्या से छुटकारा प्राप्त कर नवीन ज्ञान का सृजन एवं नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में सहायता प्राप्त होती है। इन द्वितीयक स्रोतों में विभिन्न पुस्तकें, शोध विषय से संबंधित सूचना, कानून, सरकारी गजेटियर, संबंधित समाचार बुलेटिन, वार्षिक समीक्षा, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ (कुरुक्षेत्र, योजना), वार्षिक प्रतिवेदन (ग्रामीण विकास मंत्रालय), शोध संस्थान (राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान, हैदराबाद), आयोग(कैंग) की रिपोर्टों को सम्मिलित किया गया है। प्रस्तुत शोध में प्रकाशित सार्वजनिक प्रलेख में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, ग्राम पंचायत एवं मनरेगा दफ्तर से प्राप्त सूचना एवं अन्य लेखों को भी सम्मिलित किया गया है।

1.12 निर्देशन/प्रतिचयन :

जनसंख्या के बड़े भाग से या एक समूह से प्रतिनिधि प्रतिदर्श को प्राप्त करने की विधि को प्रतिचयन कहते हैं। प्रतिदर्श पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है जब हम एक बड़ी आबादी से प्रतिदर्श को चुनते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आबादी में सम्मिलित विभिन्न समूहों (Groups) को शामिल किया जाए जिससे प्रतिदर्श की वैधानिकता सिद्ध हो सके।

इस शोध में सर्वे के दौरान आंकड़ों को **Disproportionate Stratified Random Sampling** विधि द्वारा एकत्रित किया गया है जिसमें मनरेगा में कार्यरत विभिन्न समूहों (Groups) जिसमें विभिन्न समुदाय (GEN, OBC, SC, ST) तथा विभिन्न आयु के लोगों एवं शिक्षित मजदूरों के साथ-साथ महिला श्रमिकों को भी शामिल किया गया है।

ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ-साथ मनरेगा के क्रियान्वयन में शामिल प्रशासनिक तंत्र जो ग्रामीण विकास योजनाओं के लागू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको भी संख्या के अनुपात में चयन किया गया है।

1.13 प्रतिदर्श का आकार :

प्रस्तुत शोध में अनुभवपरक अध्ययन के लिए बिहार के कैमूर जिले के भभुआ, चांद, रामगढ और भगवानपुर प्रखंड के दो-दो ग्राम पंचायतों का अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 25 मनरेगा श्रमिकों का चयन किया गया है। इसके साथ ही साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत के मुख्य प्रतिनिधि (मुखिया), रोजगार सेवक के साथ ही प्रखंड के मनरेगा के प्रोग्राम आफिसर (P.O.) का भी साक्षात्कार लिया गया।

● तथ्यों का प्रदर्शन एवं विश्लेषण

इस शोध के अर्न्तगत प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं का सारणीयन चार्ट एवं ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तथ्यों के विश्लेषण के लिये सरल सांख्यिकी का भी प्रयोग किया गया है।

- **सर्वेक्षण वर्ष**

शोधार्थी द्वारा अनुभवमूलक अध्ययन तीन चरणों में संपन्न किया गया। प्रथम चरण में 25 उत्तरदाताओं से प्रश्नावली भरवाकर पायलट टेस्ट लिया गया। अगले चरण में जून-जुलाई, 2018 में 200 प्रश्नावलियों को विभिन्न ग्राम पंचायतों से मनरेगा श्रमिकों द्वारा भरवाया गया। अंतिम चरण में मनरेगा के क्रियान्वयन में शामिल प्रशासनिक तंत्र से साक्षात्कार संपन्न किया गया।

1.14 अध्ययन की प्रासंगिकता :

प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका पर आधारित है। ग्रामीण विकास की अवधारणा विस्तृत है लेकिन हम सिर्फ गांवों में बिजली, सड़क, नालियों के निर्माण को ही ग्रामीण विकास के रूप में देखते हैं। परंतु किसी भी क्षेत्र के विकास पर चर्चा का अर्थ उसके मानवीय पक्ष से होना चाहिए नहीं तो यह विकास का रूप संकीर्ण हो सकता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास मानवीय विकास के मार्ग में साधन है।

इस अध्ययन में ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका का आकलन करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ मनरेगा से ग्रामीण लोगों के शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषकयुक्त भोजन में बदलाव के साथ-साथ उनके जीवन के अन्य क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को भी देखने की कोशिश की गई है।

अध्ययन को और अधिक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण बनाने के लिए राज्य के जिला क्षेत्र के समीप वाले गांव तथा जिला से दूर क्षेत्र के साथ-साथ प्रशासनिक केंद्र (प्रखंड) के समीप ग्राम पंचायत एवं दूरस्थ दूसरे ग्राम पंचायत का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत मनरेगा में कार्यरत अनेक पृष्ठभूमि वाले लोगों का अध्ययन कर सैद्धांतिकता एवं व्यवहारिकता पर भी बल दिया गया है। जिससे ग्रामीण विकास एवं मनरेगा की रिक्तता को पाटने के लिए नीति-निर्माण, निर्णयन एवं क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिया जा सके। यह

अध्ययन ग्रामीण विकास की संकीर्ण अवधारणा से हटकर आधुनिक परिप्रेक्ष्य की विस्तृत अवधारणा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा।

1.15 अध्यायों का संक्षिप्त परिचय :

प्रस्तुत शोध प्रबंध को संपादित करने हेतु इसे कुल अध्याय में विभाजित किया गया है :

प्रथम अध्याय :

प्रथम अध्याय में विकास को परिभाषित करते हुए विकास के विभिन्न आयामों का वर्णन किया गया है जिसमें राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास प्रमुख रूप से है। विकास की चर्चा केवल आर्थिक विकास के रूप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सारे आयाम/घटक मिलकर विकास की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस अध्याय में भारत के ग्रामीण विकास की आवश्यकता को बताते हुए गांवों के विकास के लिए चलाई गई योजनाओं का संक्षेप में वर्णन करते हुए ग्रामीण विकास के नियोजन में दिये जाने वाले प्राथमिकताओं को बतलाया गया है। इसके साथ ही मनरेगा योजना का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। 21वीं सदी में ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए कार्यक्रमों की सूची प्रदान की गई है।

द्वितीय अध्याय :

द्वितीय अध्याय "ग्रामीण विकास : एक संकल्पनात्मक विवेचना" में ग्रामीण विकास का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्राम की अवधारणा को परिभाषित करते हुए ग्राम को ग्रामीण समुदाय की संरचनात्मक इकाई के रूप में बतलाया गया है जो प्राथमिक समूहों से बना होता है। गांवों को शहरों से अलग करने वाली विशेषता का वर्णन करते हुए इसमें होने वाले परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। गांवों में रहने वाले लोग "ग्रामीण" का भी वर्णन किया गया है। विकास को परिभाषित करते हुए इसे तुलनात्मक रूप में देखा गया है। जो निश्चित समयों में किसी व्यक्ति, समाज, वस्तु, क्षेत्र इत्यादि में होने वाले परिवर्तन को बतलाया है। समय के साथ होने वाले विकास की अवधारणा में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए

विकास के परम्परागत, कल्याणकारी एवं आधुनिक दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है।

इसी अध्याय में भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा को बतलाते हुए इसके विभिन्न आयामों (मानवीय, आर्थिक, राजनीतिक एवं तकनीकी तथा संसाधन एवं पर्यावरण) का वर्णन किया गया है। भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता को बतलाते हुए ग्रामीण विकास के तरीके का वर्णन किया गया है। इसके साथ भारत में ग्रामीण विकास के दृष्टिकोणों (गांधीवादी, अंबेडकरवादी) का विस्तार से वर्णन किया गया है।

तृतीय अध्याय :

तृतीय अध्याय “भारत में ग्रामीण विकास के प्रयास एवं योजनाएँ” में भारत में ग्रामीण विकास के लिए किए गए प्रयास एवं सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन योजनाओं को दो भागों में बांटते हुए आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद के ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव एवं उनकी सफलता एवं असफलता को बताया गया है। आजादी के पूर्व श्रीनिकेतन परियोजना, मार्ताडम परियोजना, गुडगांव परियोजना, बड़ौदा परियोजना इत्यादि जैसे ग्रामीण विकास की परियोजना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में स्वतंत्रता बाद चलाए गए ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं को सामाजिक कल्याण अभिमुख योजनाएं, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास योजनाएं, पर्यावरण सहज (सतत विकास) योजनाएं तथा रोजगार से संबंधित योजनाओं के रूप में बांटकर विभिन्न योजनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

चतुर्थ अध्याय:

चतुर्थ अध्याय “मनरेगा परिचय एवं क्रियान्वयन” में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम को बतलाते हुए इसके क्रियान्वयन का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिसमें ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी को दिखाते हुए मनरेगा अधिनियम के लाने की पृष्ठभूमि को बतलायी गयी है। मनरेगा को लागू करने के पीछे दो कारणों

को सामाजिक, आर्थिक ढांचागत बदलाव एवं राजनीतिक कारण का उल्लेख किया गया है, योजना एवं अधिनियम में अंतर बतलाते हुए अधिनियम में उल्लेखित इसके उद्देश्य, रोजगार गारंटी, कार्य दिवस, जॉब कार्ड, कार्य के लिए आवेदन, महिलाओं को 33% आरक्षण, बेरोजगारी भत्ता, योजना अंतर्गत होने वाले कार्य, पंचायत संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका, पारदर्शिता के प्रावधान एवं सामाजिक अंकेक्षण जैसे बिंदुओं का वर्णन किया गया है।

इसी अध्याय में मनरेगा योजना का भारतीय स्तर पर क्रियान्वयन का विस्तार से वर्णन किया गया है जिसमें मनरेगा के उपरांत पुरुष और महिलाओं के वास्तविक मजदूरी में वृद्धि का वर्णन करते हुए मनरेगा का राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रगति का वर्णन किया गया है। इसके साथ मनरेगा में होने वाले कुल कार्यों में कृषि एवं कृषि से संबंधित होने वाले कार्यों की प्रतिशतता को दिखाते हुए मनरेगा के उपरांत श्रमिकों के उपयोग, व्यय, ऊर्जा प्रोटीन के धन तथा संपत्ति एकत्रित में होने वाले वृद्धि का वर्णन किया गया है।

पंचम अध्याय :

पंचम अध्याय “बिहार में ग्रामीण विकास और मनरेगा” में मनरेगा का ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें बिहार का संक्षेप परिचय देते हुए भारत और बिहार की जनसंख्या एवं प्रशासनिक ढांचा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। बिहार की अर्थव्यवस्था, आर्थिक एवं ग्रामीण उद्योग तथा द्वितीयक क्षेत्रों में वार्षिक विकास की दर को बतलाते हुए उद्योगों पर राज्य सरकार के व्यय को दिखलाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों की बढ़ोतरी को बतलाया गया है।

इसी अध्याय में बिहार के शहरी तथा ग्रामीण गरीबी अनुपात को बताते हुए बिहार में ग्रामीण विकास की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। बिहार में ग्रामीण विकास को बतलाते हुए बिहार में पंचायती संस्थाओं एवं उनके द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय को दिखलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के विकास के लिए किए गए सात निश्चय का वर्णन किया है इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना,


दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसे भारत सरकार की योजनाओं का बिहार में प्रगति का वर्णन करते हुए गृह भूमि वितरण (अभियान बसेरा कार्यक्रम) की भी व्याख्या की गई है। भारत सरकार द्वारा 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर लोगों को कानूनी काम का अधिकार प्रदान किया गया बिहार में मनरेगा योजना की प्रगति/प्रदर्शन का विस्तार से वर्णन किया गया है।

षष्ठम् अध्यायः

षष्ठम् अध्याय “मनरेगा और ग्रामीण विकास: कैमूर जनपद का एक अध्ययन” के अंतर्गत उत्तरदाताओं से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। जिले का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक एवं राजनितिक स्थिति, जनसांख्यिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक परिदृश्य एवं मजदूरों की स्थिति और औद्योगिक इकाइयों द्वारा उन क्षेत्रों के लोगों को दिये जाने वाले रोजगार कार्य दिवसों को बतलाते हुये कैमूर जिले में मनरेगा की प्रगति का वर्णन भी इस अध्याय में किया गया है।

सप्तम् अध्यायः

शोध प्रबंध के अन्तिम अध्याय ‘निष्कर्ष एवं सुझाव’ के अन्तर्गत शोध प्रबंध के विभिन्न अध्यायों से प्राप्त निष्कर्षों की विवेचना प्रस्तुत की गई है। इसमें शोध की परिकल्पना की सत्यता एवं असत्यता को प्राप्त आँकड़ों से सिद्ध किया गया है। अंत में मनरेगा के सफलतम क्रियान्वयन हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया है।

A decorative border with floral motifs in the corners, framing the central text.

अध्याय-द्वितीय
ग्रामीण विकास : एक संकल्पनात्मक
विवेचना

अध्याय—द्वितीय

ग्रामीण विकास : एक संकल्पनात्मक विवेचना

भारत गांवों का देश है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121,07 करोड़ में से 83.4 करोड़ 597485 गांवों में निवास करती है।¹ इस प्रकार भारत की तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में रहती है। इसलिए भारत के विकास के लिए भारत के गांवों का विकास जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गयी किन्तु आज भी समाज में सम्पन्नता एवं विपन्नता की खाई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं में शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को सही ढंग से लागू न होने के कारण गांवों का सही तरह से विकास नहीं हो पाया है।

एकांकी विकास किसी भी समाज, क्षेत्र या देश के लिए लाभकारी न होकर हानिकारक होता है। अतः विकास की नई रणनीतियों के अनुसार विकास का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज के उपेक्षित एवं विपन्न लोगों को विकास का अधिक अवसर प्रदान कर उनमें सामाजिक आर्थिक जीवन की विषमता को दूर करना माना गया साथ ही साथ ग्रामीण जीवन में सुधार के अतिरिक्त मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित सुविधा जिसमें भोजन वस्त्र आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का विकास भी जरूरी है। लेकिन इस प्रकार के विकास का वास्तविक लाभ समाज के सबसे गरीब वर्ग को प्राप्त होना चाहिए। हमारे देश के ग्रामीण आम तौर पर कम उत्पादकता बेरोजगारी या अल्परोजगार के कारण गरीब है इसलिए जरूरत इस बात की है कि गांवों में उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए ताकि समग्र ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। ग्रामीण लोगों का विकास किये बिना भारत के विकास का स्पष्ट सदैव अधूरा रहेगा।

भारत में स्वतंत्रता के बाद गांवों के विकास के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन राज्य की देख रेख में शुरू किया गया परन्तु 1992 में

¹ भारत, 2015, "भारत भूमि एवं इसके निवासी, "सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ 28।

73वां संवैधानिक संशोधन कर भारत में स्थानीय स्वाशासन को बढ़ावा देते हुए पंचायतों के गठन को संवैधानिक बना दिया गया जिससे पंचायतें स्थानीय स्तर पर प्रशासन एवं स्थानीय विकास के कार्यों को सम्पन्न करने लगी। वर्तमान में गांवों के विकास में राज्य एवं पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये अभिकरण योजनाबद्ध तरीके से गांवों के विकास की रूपरेखा तैयार करती हैं जिससे गांवों का विकास हो सके। ये दोनों अभिकरण गांवों के सर्वांगीण विकास हेतु तीन प्रमुख मुद्दों पर विशेष ध्यान देती हैं। प्रथम गांवों में व्याप्त गरीबी को दूर करने हेतु रोजगार के अवसर पैदा किये जाएं, द्वितीय— शिक्षा स्वास्थ्य, आवास, पेयजल तथा बिजली जैसे मूलभूत सुविधाओं को विकसित किया जाए और तृतीय— देश के शासन में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रयास किये जाएं। राज्य और पंचायतों द्वारा साधन हीन ग्रामीण समुदायों को विशेष समर्थन देने की नीति अपनायी गई जिससे भारत के अंतिम व्यक्ति का विकास संभव हो सके।

भारत को विकास के रास्ते पर अग्रसर करने के लिए हमारे पास एक मात्र विकल्प ग्रामीण विकास का ही है। ग्रामीण विकास के सहारे ही ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य संचार और परिवहन की सुविधाएं मिल सकेंगी। क्योंकि जब गांव और शहर सड़कों द्वारा जुड़े होंगे तो किसान अपने फसल को सीधे शहर की मंडियों में ले जा सकेंगे जिससे उन्हें अपने पैदावार की अधिक मूल्य मिल सकेगा। इस प्रकार आज सबसे बड़ी जरूरत ग्रामीण विकास की ही है। क्योंकि ग्रामीण विकास के सहारे ही हम भारत के विकास का स्वप्न पूरा कर सकते हैं।

2.1 ग्राम की अवधारणा :

ग्राम ग्रामीण समुदाय की संगठनात्मक इकाई है। ग्राम शब्द का प्रयोग आदिकाल से होता आया है। सामाजिक संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने वाले संगठन को सर्वप्रथम ग्राम के अर्थों में प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में ग्रिहा अथवा गिरोह के शब्द से ही ग्राम शब्द का उदय निर्धारित किया जाता है। वहीं कहीं कहीं सामाजिक संगठनों की इकाइयों को पुर अथवा ग्राम के अर्थों में प्रयोग किया जाता

है। इस प्रकार ग्राम अथवा गांव वे स्थान हैं जहां प्राचीन मानव ने अपने अस्थायी जीवन को स्थायी रूप प्रदान करना प्रारंभ किया और यह स्थायी जीवन कृषि के प्रारंभ से शुरू हुई क्योंकि कृषि ने ही मानव को स्थायीत्व प्रदान किया और इसी स्थायित्व के आधार पर हुई स्थापना को ग्राम अथवा गांव की संज्ञा दी गयी।

गांव मुख्यतः प्राथमिक समूहों से बना होता है जिसमें परिवार उत्पादन की इकाई होता है, जो अपनी अधिकांश वस्तुएँ उत्पन्न करने की कोशिश करता है और जो कुछ वह नहीं कर पाता वह उसी गांव के अथवा पड़ोसी गांव के निवास करने वाले कृषक एवं दस्तकारों से प्राप्त कर लेता है। गांव की बुनियादी विशेषता इसके प्रकृति से निकट रहने तथा भूमि से इसके सम्बन्ध जहां से इसके अधिकांश सदस्य आजीविका अर्जित करते हैं। ग्रामजनों की कार्य का तरीका, जीवन शैली सामाजिक समूह, सांस्कृतिक प्रकृति तथा सामान्य व्यवहार भी भूमि से उनके संबंध से ही निर्धारित होता है। क्योंकि कृषक और ग्रामीण पर्यायवाची होते हैं।² भूमि से जुड़े होने की वजह से उनमें क्षेत्रिय होने की प्रवृत्ति पाई जाती है जिससे उनके अन्दर कुछ चयनित गुण पाये जाते हैं जैसे जीवन तथा संस्कारों की सरलता, परम्परागत लोकशैली, आपसी सामंजस्य तथा प्रकृति प्रेमी आदि गुण जो शहरी समाज से बिल्कुल भिन्न होते हैं। इसके अलावा जो विशेषता गांवों को शहरों से भिन्न करते हैं उनमें—

- 1— गांवों की कृषि पर निर्भरता
- 2— राजनीतिक एवं सामाजिक वर्ग भू जोतों से संबंधित
- 3— लघु एवं कुटीर उद्योगों पर निर्भरता।
- 4— भूमि का कृषि के लिए उपयोग।
- 5— प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता।

लेकिन समय के साथ साथ गांवों में भी परिवर्तन होते रहे और ये परिवर्तन ग्रामीणों के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सभी क्षेत्रों में देखने को मिलते रहे

² Smith, T.L., (1953) "The Sociology of Rural Life" New York Harper & Brothers Publishers.

है। इसके साथ ही साथ बाह्य सम्पर्क ग्रामीणों की इच्छा शक्ति एवं गांवों की प्राकृतिक संसाधन तथा राज्य संस्थाओं के माध्यम से गांव धीरे धीरे कस्बे और कस्बे धीरे धीरे शहर में बदलते नजर आ रहे हैं।

इन सब के बावजूद गांव एक जीवन विधि की अवधारणा के रूप में बने हुए हैं³ बाहरी सम्पर्क के बावजूद गांव वाले अपना जीवन उसी तरह व्यतीत कर रहे हैं जैसे वे पहले करते आ रहे थे क्योंकि गांव ग्रामीण समाज की इकाई के साथ यह वह रंगमंच है जहां ग्रामीण जीवन का स्वरूप स्वयं प्रकट होता है और कार्य करता है।⁴ जब तक गांव अपना व्यक्तित्व बनाये रखेगा जैसा कि अब तक बनाये रखा है अथवा जब तक ग्रामीण मूल्य समूह में परिवर्तन नहीं आता है तब तक गांव एक अवधारणा के रूप में मौजूद रहेगा।

2.2 ग्रामीण :

गांव में रहने वाले लोग ग्रामीण कहलाते हैं। ग्रामीण शब्द का तात्पर्य यह गैर शहरी ढंग से रहने-सहने का जीवन स्तर पेशागत एवं व्यवसायिक संरचना, सामाजिक संगठन एवं ग्रामीण प्रणाली तथा गांव के ढंग से समायोजन, ग्रामीण परिवेश का रहने-सहने, भवनों आदि का बनावट, सामाजिक रूप से सभी समुदाय आपस में जुड़कर अन्तर सम्बन्धित होकर सह निर्भरता की भावना से लोग ओत प्रोत हो? सामुदायिक जीवन पद्धति की छाप उनकी जड़ों तक फैल चुकी हों, जीवन पद्धति में शनैः-शनैः परिवर्तन हो रहा हो, जिससे सम्पूर्ण ग्रामीण परिवेश प्राकृतिक छट्टाओं से परिपूर्ण हो, पेशा के रूप में कृषि पर पूर्ण निर्भरता हो, पशुपालन ही जिसका मुख्य धन्धा हो, साथ ही साथ वृक्षों एवं फसलों का समान रूप से जिसके लिए महत्व हो, ऐसी उक्त सभी बातों का द्योतक ग्रामीण है।

ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान न केवल सैद्धान्तिक रूप से ही बल्कि व्याहारिकता के धरातल पर भी शहरी क्षेत्रों से अलग रूप में सामान्य तौर पर की जा सकती है। जहां शहरी क्षेत्रों अत्याधुनिक सामानों के उत्पादन हेतु बड़े-बड़े उद्योग समूह हैं, वाणिज्य व्यवसाय तथा अन्य सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में

³ Majumdar, D.N. (1978), "Rural Profiles" Asia Publishing House, Bombay

⁴ Desai, A.R. (1978), "Rural Sociology in India", Popular Prakashan, Bombay, P. 127

सभी निवासी आपस में मानवीयता एवं मानवधर्म से एक दूसरे से पूरी तरह से सह-सम्बन्धित हैं। किन्तु उक्त गुणों का बेहद अभाव शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। साथ ही ग्रामीण समुदाय आपस में आवश्यकताओं के अनुरूप परस्पर जुड़े होते हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर ही अपनी आजीविका हेतु निर्भर होते हैं। जो कृषि पर आश्रित नहीं होते वे विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों, उद्योगों, कुटीर उद्योग-धन्धों तथा अन्य गतिविधियों जैसे-ब्यापार, खाद्यान्नों का क्रय-विक्रय तथा कृषि उत्पादनों के विवरण आदि कार्यों को करके अपनी आजीविका चलाते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में वानिकी, कृषि, आधुनिक डेरी, भेड़ पालन आदि कार्यों को भी सहायक उद्योग के रूप में अपनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में परम्परागत कृषि की प्राचीन पद्धतियों ने अब आधुनिक कृषि तथा इसके सहायक उद्योग-धन्धों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। जिससे अब हम कृषि को उद्योग के रूप में संरचनात्मक एवं संगठनात्मक स्वरूप देने को अग्रसर हो रहे हैं।

2.3 विकास:

विकास मानव सभ्यता का वफादार साथी रहा है प्राचीन आदिमानव से लेकर अत्याधुनिक शहरी मानव तक अपने जीवन को काफी हद तक तात्कालिक बनाया है। विकास को उन्नति के रूप में देखा जाता है जो जीवन के किसी भी पहलू में नवीनता लाता है। फ्रांसीसी विचारक ऑगस्ट कॉम्टे ने उन्नत शताब्दी में विकास को बताते हुए कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान की उन्नति के फल स्वरूप हमारा सामाजिक संगठन सैन्य समाज से औद्योगिक समाज की ओर अग्रसर होता है इसी तरह दुर्खीम ने कहा कि मानव समाज यांत्रिक संहिता से आंगिक संहिता की ओर अग्रसर होता है। मतलब यह है कि परंपरागत समाज में लोग समान जाति धर्म, भाषा संस्कृति के आधार पर एक ही सांघे में ढले रहते हैं अतः उनमें एकता की भावना आ जाती है परंतु आधुनिक समाज में वे भिन्न-भिन्न कृत्य संभाल लेते हैं जिससे वे एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं और उनमें परस्पर सहयोग एवं सौहार्द की भावना विकसित हो जाती है।

विकास की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किया गया। तत्पश्चात् समाज वैज्ञानिकों ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग करना प्रारंभ किया। विकास को उन व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तनों से लिया गया है जो समाज को संगठित रूप प्रदान करने में सहायक होता है। व्यवस्थित शब्द का अभिप्राय यहां यह है कि इन परिवर्तनों में कोई ना कोई क्रम अवश्य होगा और प्रत्येक परिवर्तन अपने पूर्व परिवर्तन पर निर्भर रहेगा समानुपात शब्द का आशय है कि ये परिवर्तन संबंध हीन नहीं होंगे इनमें परस्पर सामंजस्य होगा।⁵

विकास एक तुलनात्मक शब्द है जो निश्चित समयों में किसी व्यक्ति, समाज, वस्तु और क्षेत्र इत्यादि में होने वाला परिवर्तन को बतलता है। विकास के दो अवयव हैं—समयान्तराल एवं परिवर्तन। इसलिए विकास की अवधारणा भी समय के साथ परिवर्तित होती रही है—

2.3.1 परम्परागत दृष्टिकोण (उदारवादी सिद्धान्त) :

अठारहवीं शताब्दी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अर्थशास्त्रियों ने (डेविड रिकार्डो एडम स्मिथ, जान स्टुअर्ट मिल, रॉबर्ट माल्थस) विकास को प्राथमिक रूप से आर्थिक वृद्धि के रूप में दिलचस्पी दिखाई।⁶ इसके बाद यू एन ओ द्वारा भी समग्र राष्ट्रीय उत्पाद सिद्धान्त द्वारा यह निर्धारित किया गया कि शिथिल पड़ी हुई किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था जो समग्र राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में प्रतिवर्ष 5—7 प्रतिशत की वृद्धि कर ले उसे विकास कहा जायेगा। इस तरह समग्र राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि की दर को विकास का संकेतक माना गया। जो व्यक्ति एवं राष्ट्र के आर्थिक पक्ष को ही इंगित किया गया।

लेकिन बाद के वर्षों में समग्र राष्ट्रीय आय की जगह प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को विकास का उचित मापदण्ड माना गया क्योंकि इसी के द्वारा हम जान

⁵ तिलारा, के०एस० और जायसवाल, आर (1973), "सामाजिक नियोजन एवं प्रशासन", प्रकाशन केन्द्र, अमीनाबाद, लखनऊ पृ०1।

⁶ Singh Katar (2009), "Rural Development: Principles, Policies and Management, Sage Publication India, p. 73.

सकते हैं कि औसत रूप से नागरिकों के खुशहाली के लिए वास्तविक वस्तुएं व सेवाएं उपभोग व विनियोग के लिए कितनी मात्रा में हैं।

इस तरह परम्परागत दृष्टिकोण के अनुसार विकास को एक आर्थिक घटना के रूप में देखा गया है जिसमें प्रति व्यक्ति आय में तेजी से वृद्धि पर जोर दिया जाता है जिससे व्यक्ति अपना विकास स्वयं कर सके।

2.3.2 कल्याणकारी दृष्टिकोण (सेन के विचार) :

पश्चिम के अनेक देशों द्वारा यू एन ओ द्वारा स्थापित विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया लेकिन वहां के नागरिकों के जीवन स्तर में कोई ज्यादा सुधार न होने की वजह से विकास की संकुचित अवधारणा से हटकर 1970 के दशक में विकास को गरीबी उन्मूलन, जीवन दशा में सुधार असमानता निवारण एवं रोजगार सृजन के रूप में परिभाषित किया गया।

नोबेल पुरस्कार **प्रो अमर्त्य सेन** विकास की व्यापक व्याख्या देते हुए कहते हैं की "यह मानवीय योग्यताओं का विस्तृत रूप है जिसमें स्वतंत्रता और अवसरों की प्रमुखता महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार मानवीय योग्यताओं में स्वास्थ्य और शिक्षा, अवसरों की प्रमुखता में लम्बे समय तक प्रसन्नता या समृद्धता महसूस करने के लिए उपर्युक्त वातावरण का निर्माण, स्वास्थ्य और सृजनात्मक जीवन प्रमुख है, वहीं स्वतंत्रता में व्यक्ति की आत्मानुभूति और लिंग पर आधारित न्याय की अवधारणा प्रमुख है।"⁷

इस तरह प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के बावजूद भी अगर निर्धनता, असमानता और बेरोजगारी में कमी नहीं होती है तो इसको हम विकास नहीं कह सकते हैं।

⁷ शर्मा, ओमप्रकाश (2004), "ग्रामीण समाज में नियोजित सामाजिक परिवर्तन," रावत प्रकाशन, जयपुर, राजस्थान, पृ0198।

2.3.3 आधुनिक दृष्टिकोण :

वर्तमान में विकास की यह अवधारणा भी संकुचित लगने लगी है और यह कहा जाने लगा है कि विकास समस्त समाज तथा सामाजिक प्रणाली में दीर्घकालीन परिवर्तन की वह दशा है जिसमें पर्यावरण एवं परिस्थितिक संतुलन के साथ साथ हर मनुष्य बेहतर जीवन जी सके। इस तरह विकास वह दशा है जिसमें समाज आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संतुलन के विभिन्न संयोगों के साथ ऐसे साधनों को प्राप्त करे जिससे वह बेहतर जीवन जी सके और वैज्ञानिक नजरिये तथा धर्म निरपेक्ष मूल्यों एवं मान्यताओं की ओर बढ़ सके।⁸

विकास मूलतया एक मानवीय समस्या है। यद्यपि विकास की गति एवं दिशा के मापन में निमित्त सामाजिक आर्थिक आदि परिवर्तनों के मापन में प्रयुक्त मापदण्डों का प्रयोग होता है किन्तु ये परिवर्तन विकास की प्रक्रिया के प्रतिफल है। विकास की प्रक्रिया में परिवर्तन अवश्यम्भावी है, किन्तु समस्त परिवर्तन को विकास नहीं कहा जा सकता है। विकास परिवर्तन की वह स्थिति है जिसके द्वारा परम्परागतपूर्ण स्थिति से हम आधुनिक स्थिति पर आते हैं। यह एक निरन्तर परिवर्तनशील गतिशील प्रक्रिया तथा बहुआयमी अवधारणा है। जिसकी सर्वमान्य परिभाषा करना कठिन है। इसकी संकल्पना व्यक्ति से लेकर समुदाय, राष्ट्र एवं समूचे विश्व के लिए सभी स्तरों पर लागू होती है। सभी व्यक्तियों, समुदायों एवं राष्ट्रों में विकास की चाहत होती है चाहे वे कही भी रहते हो उनकी कोई भी संस्कृति हो और वे किसी भी धर्म के अनुयायी हो।⁹

विकास नियोजित तथा अनियोजित निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कृषि योग्य भूमि प्रादेशिक संसाधनों, देश मनुष्य सम्बंधित तत्वों को अपने में समाहित किया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो उत्पादन व आय में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। ये दोनों दशाएं संयुक्त रूप से विकास की उत्तम दिशा को बतलाती हैं। इनमें संरचनात्मक परिवर्तन, दृष्टिकोण परिवर्तन एवं संस्थागत परिवर्तन को शामिल

⁸ Singh Katar (2009), "Rural Development: Principles, Policies and Management" Sage Publication India, P.91.

⁹ Desai, A.R. (1978), "Rural Sociology in India", Popular Prakashan Bombay, p. 231.

किया जाता है। इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि, असमानता में कमी तथा निर्धनता में कमी भी इस विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। विकास द्वारा समाज में रहने वाले लोगों के रहन-सहन को उँचा उठाना, राजनैतिक रूप से जागरूक करना तथा मानव कल्याण की सामान्य दशाओं को उन्नत करना है क्योंकि विकास को एक धनात्मक संकल्पना के रूप में देखा जाता है।

इस प्रकार एक निश्चित समयावधि में किसी क्षेत्र में होने वाला गुणात्मक मात्रात्मक एवं कल्याणपरक सकारात्मक परिवर्तन को हम विकास कह सकते हैं साथ ही साथ विकास से तात्पर्य जीवन के भौतिक स्तर में समग्र रचनात्मक परिवर्तन से है रचनात्मक परिवर्तन में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन सम्मिलित है। अतः विकास के लिए केवल आर्थिक समृद्धि ही नहीं बल्कि आर्थिक समृद्धि के लाभों का न्यायोचित वितरण भी आवश्यक है। जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास के लाभों को पहुँचाया जा सके।

2.4 ग्रामीण विकास की अवधारणा :

ग्रामीण विकास शब्द ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को प्रदर्शित करता है। यह एक व्यापक एवं बहुआयामी संकल्पना है। इसमें कृषि और सहायक गतिविधियाँ, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग और शिल्पकारी, सामाजिक, आर्थिक, सामुदायिक सेवाएं एवं सुविधाएँ और इन सभी से ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों के मानव संसाधनों का विकास सम्मिलित है। एक तथ्य के रूप में ग्रामीण विकास विविध भौतिक, तकनीकी, आर्थिक सामाजिक, सांस्कृतिक एवं संस्थागत कारकों के मध्य अन्तर्सम्बन्धों का अंतिम परिणाम है। एक रणनीति के रूप में इसकी संरचना वर्ग विशेष के लोगों की विशेषतः ग्रामीण गरीबों को आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में सुधार हेतु की गयी है। एक अनुशासन के रूप में इसकी प्रकृति बहुअनुशासनिक है जिसमें कृषिगत, सामाजिक व्यवहारिक, अभियांत्रिक एवं प्रबन्धकीय विज्ञानों का प्रतिनिधित्व है।¹⁰

¹⁰ Singh Katar (2009), "Rural Development : Principles, Policies and Management" Sage Publication India, P.3

विश्व बैंक के ग्रामीण विकास के क्षेत्र की नीति के अनुसार ग्रामीण विकास एक व्यूह रचना है जो कि एक विशेष समूह गरीब ग्रामीणों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए बनाई जाती है। यह व्यूह रचना ग्रामीण क्षेत्रों के अति गरीब व्यक्तियों को विकास के लाभो तक पहुंचाने के लिए तैयार की जाती है। इस समूह में किसान एवं खेतिहर मजदूर होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण विकास गरीब ग्रामीण के रहन सहन के स्तर में उन्नत करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया गया है।¹¹

राबर्ट चेम्बर्स ने ग्रामीण विकास को एक ऐसी रणनीति माना है जो समूह विशेष के लोगों, ग्रामीण गरीब पुरुषों एवं स्त्रियों को समर्थ बनाती है। उन्हें एवं उनके बच्चों को उनकी इच्छाओं एवं आवश्यकताओं से अधिक अर्जित करने के योग्य बनाती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के निर्धनतम लोगों को आजीविका पाने में सहायता मिलती है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में मांग बढ़ती है और विकास का लाभ लघु तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीनों तक पहुंचता है।¹²

इस तरह ग्रामीण विकास का अभिप्राय लोगों को होने वाले आर्थिक लाभों के साथ समाज के सम्पूर्ण ढांचे में होने वाले अधिकाधिक परिवर्तन से लगाया जाता है। ग्रामीण लोगों के लिए आर्थिक विकास की बेहतर सम्भावनायें उसी स्थिति में हो सकती हैं जब ग्रामीण विकास प्रक्रिया में अधिकाधिक जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुये योजना का विकेन्द्रिकरण किया जाये। भूमि सुधारों को अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जाये तथा ऋण और निवेश की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था हो साथ ही सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य पेयजल एवं ऊर्जा आपूर्ति आदि की स्थिति में सुधार और ग्रामजनों की मनोवृत्तियों में परिवर्तन भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण विकास संरचना के चार उद्देश्य उसके सामने आते हैं—

1— रोटी, कपडा, मकान, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर जीवन स्तर को ऊपर चढ़ाना।

¹¹ Goal, Sunil (1998), "Rural Sociology", RBSA, Publishers Jaipur, p. 181.

¹² Chambers, Robert (1983), "Rural Development: Putting the last First, Longmans Group Ltd., P.147.

2- ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादकता, बढ़ाना तथा गरीबों को कम करना।


3- समाज में सभी को एक समान अवसर प्रदान करना तथा समाजिक न्याय दिलाना।

4- लोगों का निर्णय योजना में सहभागी बनाकर एवं प्रशासन का विकेन्द्रीयकरण करके उनको योजना एवं विकास की धारा से जोड़ना।

इस तरह ग्रामीण विकास के द्वारा उन्नत खाद्य आपूर्ति जिससे कि गांवों की कृषि को लाभ हो तथा पोषण और इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सेवाएं न केवल गरीब व्यक्ति के भौतिक कल्याण तथा जीवन की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष रूप से सुधार लाते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उनकी उत्पादकता तथा राष्ट्रीय आय में उनके योगदान करने की क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण एवं मौद्रीकरण से संबंधित है तथा साथ ही इसको परम्परागत अलगाव से हटाकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से एकीकृत करने की संक्रमण क्रिया से की जा सकती है क्योंकि ग्रामीण विकास के द्वारा हम गांवों में आधारभूत संरचनाओं का विकास कर हम उन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास करते हैं।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब तक कम आय वाले लोगों की आय तथा जीवन स्तर में वृद्धि करके उनकी जीवन प्रक्रिया को आत्मपोषक बनाने एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उन्हें जोड़ने की विधि को ग्रामीण विकास कह सकते हैं।

2.5 ग्रामीण विकास के आयाम : ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। जिसमें सिर्फ खेती, किसानों एवं वानिकी में परिवर्तन ही नहीं बल्कि ग्रामीण उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विकास भी शामिल होता है। ग्रामीण विकास को जननीतियों का वित्तीय और कानूनी मापदंड भी काफी प्रभावित करते हैं। यहाँ पर कुछ कम ध्यातव्य कारक भी जैसे— जनसांख्यिकी परिवर्तन, तकनीकी नवाचार, सामाजिक संरचना में परिवर्तन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए बढ़ते जनसमर्थन को भी ग्रामीण विकास में शामिल कर सकते हैं।



रेखाचित्र : 2.1 ग्रामीण विकास के विभिन्न आयाम

2.5.1 मानवीय आयाम :

ग्रामीण विकास के अंतर्गत जनसांख्यिकी पक्ष के अतिरिक्त लोगों का शिक्षा, ग्रामीण सामाजिक संरचना एवं संस्कृति को भी शामिल किया जाता है जो शहर की जीवन शैली और संस्कृति से प्रभावित होते हैं। जिसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनाना चाहते हैं।

2.5.2 आर्थिक आयाम :

इसमें आर्थिकी के सभी पक्ष शामिल होते हैं। खेती, किसानों और वानिकी का महत्व धीरे-धीरे कम होता जाता है और ग्रामीण उद्योग एवं सेवा क्षेत्र और पर्यटन का महत्व बढ़ता जाता है। लेकिन वर्तमान में फिर से खेती, किसानों और वानिकी के साथ-साथ स्थाई सम्पत्ति के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि अंधाधुंध औद्योगिकरण स्थायी सम्पत्ति (संसाधन) और पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं।

2.5.3 संसाधन और पर्यावरण :

बहुत हद तक ग्रामीण विकास केवल तभी संभव है जब आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, भूमि को प्रदूषित न करना, जल एवं वायु तथा पौधे एवं जानवरों के जैविक विविधता का संरक्षण किया जाए क्योंकि शहरी क्षेत्र जहाँ पर मनुष्य मानवीय या यान्त्रिक वातावरण में रहता है और कार्य करता है वहीं ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने कई आर्थिक गतिविधियों के लिए प्राकृतिक संसाधन एवं प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर रहते हैं जैसे पर्यटन, खाद्य उत्पादन एवं वानिकी इत्यादि।

2.5.4 राजनीतिक आयाम :

इसमें कोई संदेह नहीं की विभिन्न हित समूह राजनीतिक दबाव द्वारा ग्रामीण विकास को प्रभावित करते हैं जिसमें अनेक नीतियों के सफलतम क्रियान्वयन के साथ-साथ सरकार द्वारा नई नीतियों के बनाने एवं उसके क्रियान्वयन के कार्य शामिल होते हैं। इसको हम इस तथ्य के साथ समझ सकते हैं कि विकासशील देश ग्रामीण विकास के लिए बहुत सारा धन खर्च करते हैं विशेषकर खेती को सब्सिडी देने और आधारभूत संरचना के विकास पर। क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था खासकर ग्रामीण होती है।

2.5.5 विज्ञान एवं तकनीकी :

ग्रामीण क्षेत्र भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। जैव तकनीकी एवं संचार साधनों के विस्तार ने ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत प्रभावित किया है जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं उन्हें भंडारण करने तथा उन्हें बाजार तक पहुंचाने में मदद मिली है इसके साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र के जीवन शैली एवं जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

2.6 ग्रामीण विकास क्यों :

प्राचीन काल से भारत ग्रामीण समुदायों की भूमि रहा है। गांव ही हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के स्रोत एवं केन्द्र रहे हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रन्थों,

वेदों, पुराणों, एवं अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों का विस्तार से वर्णन मिलता है।

प्राचीनकाल में छोट-छोटे राज्य जन या जनपद कहलाते थे। प्रत्येक जनपद में अनेक विश होते थे जिनका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। वैदिक युग में ग्रामीण शासन महत्वपूर्ण माना जाता था। ग्राम की पंचायते गांव के लोगों द्वारा संगठित होती थी यह पंचायते ग्राम के विकास संबंधित कार्य ही नहीं बल्कि प्रशासनिक एवम् न्यायिक कार्यों का सम्पादन भी करती थी। मौर्य, गुप्त एवं इसके बाद के काल में भी मुखिया का पद गांव के शासन में महत्वपूर्ण होता था तथा मुखिया का कर्तव्य ग्राम की रक्षा एवं सरकारी करों को एकत्र कर गांवों का विकास करना था।

भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण चरित्र की प्रमुखता यहां की ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या के प्रतिशत से प्रतिबिंबित होती रही है। 1901 में यह 89 प्रतिशत 1951 में 83 प्रतिशत, 1971 में 80 प्रतिशत एवं 2011 में 70 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है।¹³ ऐसे में भारत की सामाजिक आर्थिक विकास की कोई भी रणनीति ग्रामीण लोगों एवं क्षेत्रों की अवहेलना करके सफल नहीं हो सकती।

अर्थव्यवस्था के ग्रामीण चरित्र एवं ग्रामीण जीवन के पुनरुद्धार के लिए महात्मा गांधी ने जोर देते हुए कहा था कि भारत की पहचान इसके कुछ शहरों में न होते हुए इसके सात लाख गांव में है, लेकिन हम कास्बों अथवा शहरों में रहने वाले लोगों का मानना है कि भारत कास्बों अथवा शहरों में रहता है तथा गांवों को हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया गया है हमने तनिक ठहरकर यह जानने का प्रयास किया कि क्या इन गरीब ग्रामीण के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन एवं पहनने के लिए कपड़े हैं तथा क्या उनके पास धूप एवं बारिश के लिए उनकी अपनी छत है।¹⁴

उन्होंने यह भी लिखा कि यदि गांव समाप्त होते हैं तो भारत भी समाप्त हो जाएगा यह भारत के रूप में नहीं बचेगा। विश्व में भारत का जीवन लक्ष्य ही गुम

¹³ भारतीय जनगणना 1901-2011 तक

¹⁴ Singh Katar (2009), "Rural Development : Principles, Policies and Management" Sage Publication India, P.6

हो जाएगा। ग्रामीण विकास की पुनरुद्धार केवल तभी संभव है जब इसका और शोषण न हो।¹⁵

गांधी के अलावा अनेक विचारकों ने भारत के विकास को गांवों के विकास के रास्ते पूरा करने पर जोर दिया। लेकिन आजादी के बाद सरकार द्वारा बड़े बड़े उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया गया और गांवों के लघु एवं कुटीर उद्योगों पर सरकार ने सही तरह से ध्यान नहीं दिया, जिससे कि ये लघु एवं कुटीर उद्योग बंद होने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि गांव विकास के मामले में शहरों से पिछड़ते गये तथा गांव और शहरों के बीच की खाई और बढ़ने लगी।

गांवों पर सरकार द्वारा अच्छी तरह से ध्यान न देने की वजह से तथा कुटीर एवं लघु उद्योगों के बंद होने से गांव में गरीबी, भूखमरी, बरोजगारी जैसी समस्या उत्पन्न होने लगी। गांव मुख्यतः कृषि के सहारे अपना जीवन यापन चलाते थे लेकिन जनसंख्या वृद्धि एवं जोतों का आकार छोटे होने की वजह से तथा सरकार द्वारा कृषि के विकास पर ज्यादा ध्यान न देने की वजह से भूमि एवं कृषकों को कम उत्पादकता जैसे समस्या का सामना करना पड़ा इसके साथ ही साथ अशिक्षा स्वास्थ्य, पेयजल, ऊर्जा आदि में भी गांव शहरों से पिछड़ते नजर आये।

इस तरह भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या का ज्यादा मांग गांवों में रहने के कारण भारत में ग्रामीण विकास आवश्यक बन जाता है। इस क्षेत्र के विकास के बिना हमें भारत के विकास के बारे में सोचना तर्कसंगत नहीं होगा। गांधीजी भी कुछ इसी तरह सोचते थे, उनका कहना था कि प्रारंभ से ही मेरा यह अटूट विश्वास रहा है कि केवल कृषि ही इस देश के लोगों को अचुक एवं सतत सहायता प्रदान कर सकती है¹⁶ जिससे हम विकास के रास्त पर अग्रसर हो सकते हैं।

¹⁵ पूर्वोक्त पृ०-६

¹⁶ Gandhi M.K., (1954), Village Swaraj, Navjeevan Publishing House, Ahemadabad.

2.7 ग्रामीण विकास के तरीके :

ग्रामीण विकास के लिए कोई एक सर्वमान्य तरीका न होकर अनेक अलग अलग रास्ते हैं। क्योंकि विभिन्न विचारकों ने भी ग्राम विकास की समस्या को भिन्न भिन्न तरीके से अंकित करते हुए अपने सिद्धान्तों में अलग अलग पहलुओं पर जोर दिया है। इसका एक कारण यह है कि समय पर्यन्त ग्रामीण परिदृश्य में अनेक परिवर्तन देखने को मिलते हैं जैसे— खाद्यानों का उत्पादन बढ़ना, कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ना। इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरण के प्रतिक्रिया स्वरूप भी अनेक परिवर्तन अवश्यम्भावी हो जाते हैं। जब कीमतों में वृद्धि होती है तो कृषि श्रमिक, सीमान्त एवं लघु किसानों तथा ग्रामीण दस्तकारों के सामने संकट उत्पन्न हो जाता है। इस वृद्धि का सामना किस प्रकार की जाय ऐसी अस्थिर स्थिति में भ्रष्टाचार, मानव अधिकारों का उल्लंघन, शोषण, राजनीति में अपराधीकरण तथा संरचनात्मक हिंसा की घटनाएँ जन्म लेने लगती हैं। स्वभावतः इन सभी कारकों से प्रभावित समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद इसके उपचार भी अलग अलग तरीके से ही संभव हैं।

इस तरह ग्रामीण विकास के जो तरीके उभर कर सामने आते हैं उनमें —

1. भू-सुधारों पर जोर देना।
2. अधिक से अधिक भूमिहीन मजदूर को भूमि का प्रत्यक्ष अधिकार प्रदान करना।
3. कृषि का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि करने के विभिन्न कार्यक्रम शुरू करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के साधन विकसित किया जाए ताकि लोग आराम से आवागमन कर सकें।
5. ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाए।
6. शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।
7. गांवों के आधारभूत ढांचे का विकास किया जाए।
8. ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए।

9. गांव के लोगों में राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाया जाए।
10. गांव के लघु एवं कुटीर अद्योगों को प्रोत्साहित किया जाए।

ग्रामीण विकास के लिए प्राथमिक शर्त लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना हो जिसको ग्रामीण लोगों को शिक्षित कर या रोजगार प्रदान कर हम प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि शिक्षा एवं रोजगार से प्राप्त पैसे से वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं तथा अनेक समस्याओं का सामना आसानी से वे कर सकते हैं। जब हमारे गांव में रोजगार के पर्याप्त अवसर होंगे, रोजगारपरक शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएँ होंगी और खेती की उत्पादकता अधिक होगी तो फिर कोई भी ग्रामीण गरीब नहीं होगा और हम गांवों के विकास के रास्ते देश के विकास को भी प्राप्त कर सकेंगे।

2.8 पंचायती राज व्यवस्था :

भारतीय समाज और शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत की अवधारणा पुरानी है जिसके स्वरूप में समय के साथ-साथ बदलाव भी देखने को मिलता है लेकिन निसंदेह ग्रामीण विकास में इसका एक अहम योगदान रहा है। गाँधी जी के शब्दों में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो इसे अच्छे से समझा जा सकता है। स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने पंचायती राज की कल्पना करते हुए कहा था कि भारत के सम्पूर्ण गाँव में पंचायती राज होगा, उसके पास पूर्ण सत्ता और अधिकार होंगे। अर्थात् सभी गाँव अपने-अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपनी जरूरतों की पूर्ति वे स्वयं करेंगे। साथ ही उन्हें दुनिया के विरुद्ध अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी यही ग्राम स्वराज में पंचायती राज हेतु मेरी अवधारणा है। गाँधी जी आसान शब्दों में गाँवों की प्रगति को हिंदुस्तान की प्रगति से जोड़ दिया। इसका मकसद था सत्ता की डोर को देश की संसद से लेकर गाँवों की इकाई तक जोड़ना।¹⁷

आजादी के बाद 'ग्राम स्वराज' के सपने को पूरा करने के लिये पूरे देश में विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायतों का गठन किया गया। भारतीय संविधान में पंचायतों को विशेष महत्त्व देते हुए संविधान के **अनुच्छेद 40** के नीति निर्देशक

¹⁷ झा, सिद्धार्थ "गाँवों के बुनियादी विकास में पंचायतों की भूमिका" कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 2016

सिद्धांतों में उल्लेख किया गया है— “सरकार ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिये आवश्यक कदम उठाएगी एवं उन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकारों से युक्त करेगी जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में सक्षम बनाने के लिये उपयुक्त हो।”¹⁸ उपर्युक्त अनुच्छेद में गाँधी जी के ग्रामीण सशक्तीकरण के सपनों को धरातल पर उतारने की झलक साफ देखी जा सकती है। लेकिन नीति निर्देशक में की गई बातें बाध्यकारी ना होने के कारण इस ओर राज्य सरकारों द्वारा ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तत्पश्चात जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया जो ग्रामीण आबादी की समस्याओं के अध्ययन के लिये बनी थी। इस कमेटी ने उसी वर्ष नवंबर में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। समिति की सिफारिशों को स्वीकृत करते हुए इन संस्थाओं का नाम ‘पंचायती राज’ रखा गया।

2.8.1 बलवंत राय मेहता समिति

वर्ष 1957 में भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के कार्यों की समीक्षा व उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए इस समिति का गठन किया गया, इस समिति ने 1957 में अपनी रिपोर्ट पेश की और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की जिसे पंचायती राज के रूप में जाना गया जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्न थी —

- त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना तथा ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव के गठन के द्वारा जुड़े होने चाहिए।
- गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत
- ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति
- जिला स्तर पर जिला परिषद्
- ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हो जबकि पंचायत समिति व जिला परिषद् का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाय।

¹⁸ कश्यप, सुभाष, (2000), हमारा संविधान, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली पृ•115

- स्थानीय स्तर पर सभी योजना व विकास कार्य इन निकायों को दिए जाने चाहिए।
- जिला परिषद् का अध्यक्ष जिलाधिकारी हो।

समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा 1958 में स्वीकार किया गया। 2 Oct-1959 को नागौर जिला (जयपुर,राजस्थान) देश का पहला राज्य बना जिसने सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश (1959) ने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया।

2.8.2 अशोक मेहता समिति (1977)

वर्ष 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राजव्यवस्था में सुधार हेतु एक समिति का गठन किया जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसकी प्रमुख निम्न सिफारिशें हैं –

- त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति का द्विस्तरीय पंचायती राज पद्धति में परिवर्तन –
 - i. जिला परिषद् जिला स्तर पर
 - ii. इससे नीचे मंडल पंचायत में 15000 से 20000 जनसंख्या वाले गाँवों के समूह होने चाहिए।
- राज्य स्तर से नीचे शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए।
- राजनीतिक पार्टियों की पंचायती चुनावों में अधिकारिक भागीदारी हो।
- पंचायती राज संस्थाओं के पास क्षेत्रीय स्तर पर कराधान की अनिवार्य शक्ति हो।
- न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकायों के रूप में रखा जाना चाहिए एवं इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाना चाहिए।

- मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव कराए जाने चाहिए।
- जनसँख्या के आधार पर अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए स्थानों का आरक्षण ।

2.8.3 राव समिति (1985)

वर्ष 1985 में योजना आयोग (Planning Commission) द्वारा GVK की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन की समीक्षा हेतु इस समिति का गठन किया गया । यह समिति इस निर्णय पर पहुंची कि विकास की प्रक्रिया नौकरशाही से युक्त होकर पंचायती राज से अलग हो गयी है। जिसने निम्न सिफारिशें पेश की—

- जिला व स्थानीय स्तर पर पंचायती संस्थाओ को विकास कार्यों के नियोजन (Planning), क्रियान्वयन (Application) व निगरानी (Monitoring) में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाए।
- एक जिला विकास आयुक्त (District Development Commissinor) के पद का सृजन किया जाए , जिसे जिला स्तर पर सभी विकास कार्यों का प्रभारी होना चाहिए।

2.8.4 L.M (Laxmi Mall Singhvi) सिंघवी समिति

वर्ष 1986 में राजीव गाँधी (कांग्रेस) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए L.M सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसकी निम्न सिफारिशें थी—

- पंचायती राज संस्थाओ को संवैधानिक मान्यता दी जाए और इससे भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए।
- गाँवों के समूह के लिए न्याय पंचायतो की स्थापना।
- पंचायतों को वित्त उपलब्ध कराने के लिए अधिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराएं जाए।

- पंचायतों के चुनाव, विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित विवाद निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए।

2.8.5 थुंगन समिति

वर्ष 1988 में संसद की सलाहकार समिति की एक उप-समिति थुंगन की अध्यक्षता में गठित की गयी, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कई सुझाव दिए—

- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए।
- त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति का गठन, जिसका 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए।
- जिला परिषद् को पंचायती राज व्यवस्था का केंद्र होना चाहिए तथा जिले में निर्माण व विकास योजना की संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए।
- पंचायतों में तीन स्तर पर जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण तथा महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन जो पंचायती राज संस्थाओं को वित्त वितरण के लिए विधियाँ तय करेगा।
- जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिले का जिला अधिकारी होना चाहिए।

2.8.6 गाडगिल समिति

वर्ष 1988 में V.N गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति व कार्यक्रम समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य इस विषय पर विचार करना था की पंचायतीराज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए। इस समिति की प्रमुख सिफारिशें थी—

- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए।

- त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति का गठन, जिसका 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए।
- त्रिस्तरीय पंचायतों के तीनों स्तर पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाना चाहिए।
- पंचायतों में तीन स्तर पर जनसँख्या के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण तथा महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए।
- पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन।
- पंचायतों को कर लगाने व वसूलने का अधिकार होना चाहिए।

उपरोक्त समितियों की अनुसंशा के आधार पर महात्मा गाँधी के ग्राम स्वराज के स्वपन को वास्तविकता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत में पंचायती व्यवस्था को लागू करने के लिए 73 वां संविधान संशोधन (1993) किया गया जो पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है। इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग -9 के अनुच्छेद 243 में (अनुच्छेद 243 A 243 M तक) नई अनुच्छेद जोड़े गए तथा एक नई अनुसूची 11 जोड़ी गई। इस नई अनुसूची में 29 विषयों की व्यवस्था है जिस पर पंचायतों को कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है

2.9 ग्रामीण विकास में दृष्टिकोण :

2.9.1 गांधीवादी दृष्टिकोण

गांधी जी का भारत के गांवों के विकास को लेकर दृष्टिकोण व्यापक एवं लोक केन्द्रित था। इसकी जड़े उनके सत्य के सिद्धान्त, अहिंसा, ट्रस्टीशीप एवं लोककल्याण के साथ साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर अधिक जोर दिया जाता है। गांधी जी ने ग्रामीण विकास के लिए ग्राम स्वराज को एक आवश्यक शर्त माना है। उनका मानना था कि ग्राम स्वराज की मेरी कल्पना यह है कि वह एक ऐसा पूर्ण प्रजातंत्र होगा जो अपने अहम जरूरतों के लिए अपने पड़ोसी पर निर्भर नहीं रहेगा और फिर बहुतेरी दूसरी जरूरतों के लिए जिसमें दूसरों का सहयोग

अनिवार्य होगा, वह परस्पर सहयोग से काम लेगा। इस तरह हर गांव का पहला काम यह होगा कि वह अपने जरूरत के अनाज और कपड़े के लिए कपास खुद पैदा कर ले। उनके पास इतनी सुरक्षित जमीन होनी चाहिए जिसमें जानवर चर सके और गांव में बड़ो एवं बच्चों के लिए मनबहलाव के साधन और खेलकूद के मैदान वगैरह का बंदोबस्त हो सके। इसके बाद भी जमीन बची तो उसमें वह एक ऐसी उपयोगी फसल बोयेगा जिन्हे बेचकर वह आर्थिक लाभ उठा सके।¹⁹

गांवो के आर्थिक विकास के क्रम में गांधी जी खेती, खादी और ग्रामोद्योग को महत्वपूर्ण कारण मानते थे। वे मानते थे कि ग्राम उद्योग को लगाने एवं प्रोत्साहन देने से ही हम विकास को प्राप्त कर सकते हैं जो लोग गरीबी से पीड़ित हैं वे किसी ग्रामोद्योग को अपना ले और अपनी आमदनी में वृद्धि करें। वे मानते थे कि ग्रामोद्योग के पीछे मेरी कल्पना है कि हमें अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताएँ गांव की बनी चीजों से ही पूरी करनी चाहिए। गांधीजी ने ग्रामोद्योग में हथकरघा उद्योग, तेलघानी उद्योग, मधुमक्खी पालन, ताड़गुड़ उद्योग, चमड़े का उद्योग, मिट्टी की चीजें बनाना आदि को सम्मिलित किया। जो गांव के साधनों और जनशक्ति के उपयोग किये जा सकते हैं।

देश की सबसे बड़ी वर्तमान समस्या बेकारी की है। लोगों को रोजगार देने की क्षमता सबसे अधिक ग्रामोद्योग में ही है। इस कारण उसका विकास और विस्तार राष्ट्रीय अर्थनीति का आवश्यक अंग होना चाहिए। देश ने संविधान द्वारा सामाजवादी व्यवस्था कायम करने का संकल्प लिया उसमें वर्तमान समय की तरह आर्थिक उत्पादन विषमता कायम नहीं रह सकती है। सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बहुत कुछ आर्थिक उत्पादन की प्रकृति पर निर्भर करता है। ग्रामोद्योग द्वारा विकेंद्रित उत्पादन और सम्पत्ति का समान वितरण को सम्भव बनाया जा सकता है इसलिए यदि राष्ट्र को समता और शक्तिमूलक समाज की व्यवस्था कायम करनी है तो सरकार को लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी होगी, उनका जीवन स्तर उठाना होगा और उत्पादन भी बढ़ाना होगा जो ग्रामोद्योग और हस्तकला के कौशल के विकास से ही सम्भव हो सकता है।

¹⁹ कुमार, के उदय (2014), "भारत में ग्रामीण समस्याएँ", महेन्द्र बुक कम्पनी पेज-223

महात्मा गांधी ने गांवों को आत्मनिर्भर एवं स्वः शासन के रूप में देखा जिसमें शोषण और विषमता को ट्रस्टीशीप द्वारा दूर करने एवं न्याय व्यवस्था के लिए उन्होंने ग्रामीण पंचायतो की बात कहीं जिससे न्याय व्यवस्था सरल, सुगम एवं सस्ती हो ग्रामीण विकास का गांधीवाद दृष्टिकोण निम्न बिन्दुओं पर आधारित है।

1. आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था
2. शक्ति विकेन्दीकरण
3. खादी एवं ग्रामीण उद्योग
4. सहकारिता।
5. विषमतापरक एवं शोषणमुक्त समाज

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज एवं ग्रामीण विकास को स्वतंत्र भारत के केन्द्र बिन्दु के रूप में देखा था और आज जब भारत सरकार द्वारा आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने का जो प्रयास किया जा रहा है। यह गांधीवादी दृष्टिकोण का ही परिणाम है। जिससे आज गांव में बदलाव एवं विकास संभव हो पाया है।

2.9.2 अम्बेडकर दृष्टिकोण

डॉ० भीमराव अम्बेडकर के विचार महात्मा गांधी के ग्रामीण विकास से भिन्न है। अम्बेडकर ग्राम एवं सामाजिक संस्थाओं को छुआ छूत या अस्पृश्यता का गढ़ मानते थे। उनके अनुसार "भारतीय गाँव दलित, महिलाओं तथा भूमिहीन मजदूरों तथा हासिये पर रह रहे दूसरे समुदाय के लोगों के लिए बहुत कठिन तथा दमघोंटू होते थे। ये एक तरह जेल के समान होते थे।"²⁰ उनका मानना था कि सामाजिक संस्थाएं ही शोषण एवं उत्पीडन के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख ने कुछ ऐसा परिवेश का निर्माण किया जिससे साधनों के स्वामित्व में असमानता उत्पन्न हुई वहीं कार्य के सिद्धान्त का विकास हुआ। अम्बेडकर ने यह विचार व्यक्त किया कि ग्रामीण क्षेत्र के समुदायों एवं सामाजिक संस्थाओं का

²⁰ ज्यां द्रेजः "सामाजिक योजनाओं के भ्रष्टाचार से बड़ी चुनौती है कॉरपोरेट घोटाले" www.im4change.org

विघटन कर दिया जाये ताकि निर्बल, निर्धन, शोषित, दलित और अन्य पिछड़े एवं उपेक्षित लोगो का आर्थिक एवं सामाजिक शोषण समाप्त हो सके।

इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण लोगों को शहर में जाकर बसने एवं शिक्षा प्राप्त करने तथा रोजगार प्राप्त करने पर जोर दिया उनका मानना था कि शिक्षा एवं आर्थिक सुदृढीकरण से अस्पृश्यता तथा असमानता को दूर किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने पंचायतों के गठन एवं उन्हें शक्ति देने का विरोध कर औद्योगिक विकास पर जोर देने की बात कही।

भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा में भी डा० अम्बेडकर ने पंचायतो के स्थान एवं उसकी भूमिका पर बहस करते हुए मैटकाफ के एक प्रसिद्ध कथन को सुनाते हुए कहते हैं कि “राजवंश के बाद राजवंश आते चले गए। एक के बाद एक क्रांतियाँ होती गई। हिन्दू, पठान, मुगल, मराठा, सिख, अंग्रेज शासन करके चले गए, लेकिन भारत के ग्राम समुदाय में कोई बदलाव नहीं आया। बैरी सेनाए पास से गुजर गई। गांववालो ने अपने पशु चारदीवारी में कर लिए तथा सेनाएं बिना कुछ किए चली गई।”²¹

ग्राम समुदाय के अपने स्वयं तक सिमटे मैटकाफ के इस मार्मिक चित्रण को सुनाते हुए डा० अम्बेडकर ने तर्क दिया कि “गांवो का भारत के इतिहास में कोई योगदान नहीं है, यह जानकर हम उन पर कैसे गर्व कर सकते हैं। यह ठीक है कि ग्रामीण समुदाय कठिन परेशानी में भी अपने को जीवित रखा लेकिन किसलिए? निचले स्तर पर केवल स्वयं के लिए! गांव क्या है? वे स्थानीयता का कूप है; अज्ञान और सांप्रदायिकता की गुफा है। मुझे खुशी है कि संविधान के मसौदे में गांव को नहीं बल्की व्यक्ति को इकाई माना गया है।”²²

डा० अम्बेडकर का गांव के संबंध में विचार वहां के दलितो एवं शोषितो की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर आधारित थी वे गांव को एवं वहां की सामाजिक संस्थाओं को शोषण का यंत्र मानते थे। वे भारत के गांव या ग्रामीण क्षेत्रों के

²¹ महीपाल(2017), “पंचायती राज चुनौतियां एवं संभवनाए,” नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत पृ०11

²² पूर्वोक्त पृ०12

खिलाफ नहीं बल्की वे वहा के छुआ-छुत एवं शोषण के विरुद्ध थे इसके स्थान पर समानता पर आधारित समाज के गठन की बात अम्बेडकर करते थे जिसमें सभी को समान अवसर मिले जिससे सब आगे बढ़ सके। क्योंकि 6 अक्टूबर 1932 को जब बंबई ग्राम पंचायत विधेयक पर बंबई विधान सभा मे बहस हो रही थी तब अम्बेडकर ने पंचायतो का पक्ष लेकर उसमें शोषित समाज के प्रतिनिधित्व की वकालत की थी।²³

2.10 भारत के विकास में ग्रामीण विकास का योगदान :

भारत में स्वतंत्रता के बाद नियोजन काल में जब ग्रामीण विकास की प्रक्रिया सक्रिय रूप से प्रारम्भ हुई तो भारतीय ग्रामीण जीवन में अनेक स्तरों पर अनुकूल परिवर्तन देखने को मिले। सरकार द्वारा चलाये गये ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की रचनात्मक भूमिका के कारण ग्रामीण विकास का महत्व हमारे लिए बढ़ गया है। दूरस्थ ग्रामों में पेयजल, बिजली, सिंचाई, यातायात, संचार, बैंकिंग आदि सेवाओं का विकास होने से देश के आर्थिक विकास में ग्रामीण लोगो की भागीदारी बढ़ी है जैसे


- ग्रामीण विकास के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विस्तार हुआ परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों को राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी भागीदारी की जानकारी मिली है।
- ग्रामीण विकास के परिणस्वरूप कृषि कार्यों में सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक, मशीन आदि का प्रयोग बढ़ने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि एवं तीव्र विकास हुआ है।
- भारत में आर्थिक असमानता की खाई बहुत चौड़ी है। भारत में ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आय एवं सम्पत्ति की असमानता में थोड़ी बहुत कमी अवश्य हुई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों का विकास न हो पाने से प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन नहीं हो पाता है अतः इनका विदोहन कर इन्हे देश के आर्थिक विकास में लगाने का कार्य आवश्यक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों का उपयोग ग्रामीण विकास की दिशा में तेजी से हुए प्रयासों के फलस्वरूप ही हो पाया है।

²³ पूर्वोक्त

ग्रामीण विकास के तहत ग्रामों में रोजगारपरक उद्योगों की स्थापना की गयी। जिसके कारण लोगों को रोजगार मिला, उनकी निर्धनता में कमी तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ एवं उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। कुल मिलाकर देश का आर्थिक विकास बढ़ा है।

विकास कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से चलाये जाने के कारण आधुनिक तरीकों एवं तकनीकी का प्रयोग हर क्षेत्र में देखने को मिला है। परम्परागत तथा रूढ़िवादी कृषि उत्पादन पद्धति के स्थान पर नई कृषि पद्धति को अपनाया गया है। अन्य उद्योग-धन्धों में भी नई तकनीकी का प्रयोग बढ़ा है।

किन्तु हकीकत यह है कि देश की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण समुदाय द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिए जाने के बावजूद भी गांव विकास की दौड़ में पीछे छूट गए हैं, विकास की मुख्यधारा में समाहित होने से वंचित रह गए हैं। स्वतंत्रता के 7 दशक की अवधि के बावजूद भी देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यापक अंतराल मौजूद है। एक तरफ देश में चमचमाते, अनेक सुविधाओं से लैस, भव्य इमारतों से सुसज्जित शहर हैं जो शाइनिंग इंडिया की अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं से वंचित, विकास की रोशनी से दूर तथा विभिन्न अभावों से जूझ रहे गांव हैं जहां देश की आत्मा निवास करती है।

A decorative border with floral and scrollwork patterns in blue ink, framing the central text.

अध्याय-तृतीय
भारत में ग्रामीण विकास के
प्रयास एवं योजनाएं

अध्याय—तृतीय

भारत में ग्रामीण विकास के प्रयास एवं योजनाएँ

भारत के सन्दर्भ में ग्रामीण विकास का इतिहास काफी पुराना है अगर हम ऐतिहासिक रचनाओं एवं स्रोत का अध्ययन करें तो हमें प्राचीन काल से ही ग्रामीण विकास प्रशासकों के कार्यों का प्रमुख भाग था। चाणक्य से लेकर गुप्त वंश तथा मध्य युग पर दृष्टि डाले तो हम पाते हैं कि सम्पूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था में गांव का महत्वपूर्ण स्थान था चाहे वह कौटिल्य के समय का प्रजातन्त्र हो या फिर उसके बाद के समय का राजतंत्र सभी ने गांव एवं ग्रामीण जीवन की सुख सुविधाओं के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि प्राचीन काल से ही भारत की अर्थव्यवस्था ग्रामीण थी और राजा को राजस्व की आय का बड़ा स्रोत गांवों से ही प्राप्त होता था इसलिए प्रत्येक राजाओं द्वारा इन गांवों के विकास की ओर ध्यान दिया जाता था। ग्रामीण विकास की दशा एवं दिशा में बदलाव एवं गतिहीनता मुगल और ब्रिटिशकाल में आई। परन्तु मुगलकाल के ही शासक शेरशाह ने सम्पूर्ण भारत के गांवों को जोड़ने के लिए ग्रांड ट्रंक रोड एवं अश्व द्वारा डाक पहुँचाने की व्यवस्था शुरू कर गांवों को राजधानियों, शहरों, व्यापार केन्द्रों तक जोड़ने की कोशिश की थी।

स्वतंत्रता बाद ग्रामीण विकास की अवधारणा में अपेक्षित परिवर्तन होते रहे हैं। भारत सरकार ने स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की पथ पर बढ़ने का लक्ष्य रखा। इन योजनाओं द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देते हुए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के माध्यम से गांवों में फैली बेरोजगारी, गरीबी एवं कृषि सम्बन्धी समस्याओं के निदान का प्रयास किया गया।

भारत विकास और परिवर्तन की प्रमुख कड़ी ग्रामीण विकास आज के समसामयिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बिन्दु के रूप में सामने आ रहा है। भारत गांवों का देश है और यहां की जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत भाग गांवों में रहता है इसलिए गांवों के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना करना भी संभव

नहीं हैं। गांवों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महात्मा गांधी ने विकास को गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने की बात कही थी और इसके लिए उन्होंने कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के साथ-साथ भारत के गांवों की समस्या (बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, शोषण) को दूर कर प्रत्येक गांव को आत्मनिर्भर बनाने की ओर सरकार को प्रयास करने की बात कही जिससे भारत का सही मायने में विकास हो सके।

3.1 स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण विकास :

स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण विकास की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि अंग्रेजी सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल अपने साम्राज्य के हितों की रक्षा करना था न कि भारतवासियों के लिए आर्थिक, सामाजिक हितों की सुरक्षा तथा उनका विकास करना। परन्तु अंग्रेजी शासन के कुछ वायसराय और देश में भीषण आकाल की स्थिति ने सरकार को कुछ नीतिगत निर्णय लेने के लिए बाध्य किया। 1866 और 1880 के आकाल की समस्या से निपटने के लिए भूमि सुधार, कृषि सुधार, सिंचाई व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों की ओर सरकार का ध्यान गया। इन सुधारों को हम ग्रामीण विकास की दिशा में सरकारी प्रयास की शुरुआत के रूप में देख सकते हैं।

आजादी के पूर्व अंग्रेजी सरकार द्वारा सार्थक पहल न होने के बावजूद कुछ विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण विकास हेतु कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किये गए जो भारतीय गांवों के विकास से सम्बन्धित थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम अथवा योजनाएँ और रणनीति को अपनाया गया उनमें से कुछ इस प्रकार थे—

तालिका : 3.1 स्वतंत्रता पूर्व भारत में ग्रामीण विकास परियोजना

परियोजना का नाम	सूत्रधार	प्रारम्भ होने का वर्ष	क्षेत्र
श्री निकेतन परियोजना	रविन्द्रनाथ टैगोर	1921	श्री निकेतन पश्चिम, बंगाल
मार्ताडम परियोजना	डा० स्पेन्सर हैच	1921	मार्ताडम, केरल
गुडगांव परियोजना	एफ०एल० ब्रायन	1927	गुडगांव, हरियाणा
बड़ौदा परियोजना	वी०टी० कृष्णाचारी	1932	कोसला, गुजरात
फिरका विकास परियोजना	मद्रास राज्य	1941	मद्रास, तमिलनाडु
इटावा परियोजना	अल्वर्ट मायर	1948	मेहवा गांव, यू०पी०
नीलखेड़ी परियोजना	एस०के० डे०	1949	नीलखेड़ी, हरियाणा

स्रोत – कुरुक्षेत्र पत्रिका, जनवरी, 2005

1. **श्री निकेतन परियोजना** : इस परियोजना को रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में बंगाल के श्रीनिकेतन में ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए शुरू किया। इस परियोजना को टैगोर ने ग्रामीण लोगों के प्रति उच्च एवं सम्पन्न वर्ग के व्यक्तियों में विद्यमान उदासीनता के विरोध में प्रारम्भ किया था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान पैदा करना था। इसके द्वारा मुख्य रूप से इस क्षेत्र के कृषि का विकास, ग्रामीण कल्याण, ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं उनके उत्पादन प्रक्रिया में सुधार करके उनमें शिक्षा का प्रसार करना था। इस परियोजना द्वारा इस पर बल दिया गया कि लोग स्वयं अपने विकास हेतु संसाधन उत्पन्न करें तथा अपनी सम्पत्ति को बनाए रखें जिससे इस क्षेत्र का विकास संभव हो सके। कृषि के अंतर्गत नवीन तकनीकी विकसित करने के साथ-साथ चावल के अतिरिक्त अन्य फसलों को बोना आरंभ किया गया। कृषि विकास के लिए कृषि जानकारों का एक कृषि दल गठन किया जाता जो कृषकों को कृषि के नवी तरीकों और कृषि उपकरणों की जानकारी देने के साथ-साथ सहकारी समितियों, ऋण संघों तथा धान भण्डारों को संचालित करता था।

श्री निकेतन परियोजना जनमानस में समृद्ध भारतीय संस्कृति के प्रति चेतना जागृत करने के साथ-साथ विकास के प्रमुख साधनों के माध्यम से कृषि तकनीकी पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस परियोजना से एक सीमा तक विकास की ऐसी आधारिक संरचना निर्मित हुई जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा तकनीकी निवेश को भी शामिल किया गया।¹

2. मर्ताडम परियोजना : यह परियोजना 1921 ई0 में स्पेन्सर हैच द्वारा कन्याकुमारी जिले के मर्ताडम में यंग मेन्स किश्चियन एसोसिएशन द्वारा शुरू किया गया। इस योजना में ग्रामीणों के आत्मिक, अध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक पक्षों के पूर्ण विकास करने पर बल दिया गया। इस योजना के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए उनमें धर्मजाति के भेद-भाव को समाप्त कर सभी के लिए कार्य करना, गांव के विकास के लिए आध्यात्मिक आधार तैयार करना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर ग्रामीण लोगों का विकास करना तथा स्व-सहायता को प्रोत्साहन देते हुए लोगों में जनसहभागिता एवं स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए छः सूत्रीय कार्यक्रम का संचालन किया गया। जिसमें आवश्यक साधनों को जुटाने के लिए स्थानीय स्तर पर लोगों से धन एकत्रित करना, कृषि तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य कार्य (मधुमक्खी पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन) के लिए नवीन पद्धतियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करना तथा ग्रामीण के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो और कृषि से जुड़े अन्य कार्य सम्पन्न कर ग्रामीण अतिरिक्त आय प्राप्त कर अपना जीवन स्तर सुधार सके।

3. गुड़गांव परियोजना : हरियाणा के गुड़गांव जिले के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर एफ0एल0 ब्रायन ने 1927 ई0 में इस परियोजना की शुरुआत की। ब्रायन का मानना था कि ग्रामीण विकास वस्तुतः ग्रामीण संगठन, व्यापक शिक्षा, सेवाभाव और कर्तव्यनिष्ठा से ही संभव है।² परिश्रम, आत्मसम्मान, स्वयं सहायता तथा पारस्परिक सहयोग के गुणों का विकास और मौसम सम्बन्धी समस्याओं, बीमारियों व

¹ चतुर्वेदी, विनायक (2011), "ग्रामीण विकास", प्रिज्म बुक्स इण्डिया, जयपुर, पृ० -25

² जमुआर, डॉ0 रविशंकर (2011), "भारत में ग्रामीण विकास-अवधारणा, रणनीति और योजनाएं" रीगल पब्लिकेशन, नई दिल्ली पृ० -37

कीड़ों की रोकथाम के उपायों की जानकारी देकर उन्हें यह समझाना कि इन उपायों से स्थिति में सुधार लाया जा सकता है इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य थे। ब्रायन का विश्वास था कि यदि ये उद्देश्य ग्राम संगठन, जनशिक्षा, संजीदा लोगों का नेतृत्व तथा दूसरों के प्रति सेवा और कर्तव्य की भावना की मूल सिद्धान्तों पर आधारित हो तो वांछित कार्य आसानी से पूरे होंगे।³

ब्रायन ने गुड़गांव परियोजना में चार सूत्रीय कार्यनीति अपनायी जिसमें—

1. श्रम की महत्ता पर बल दिया गया।
2. उन्नत किस्म के बीज, कृषि एवं सिंचाई के लिए रहट के उपयोग की जानकारी प्रदान करना।
3. स्वास्थ्य केन्द्रों को देखने, मार्गदर्शन के साथ—साथ सफाई सप्ताह मनाने तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रदर्शनियां आयोजित करना।
4. स्त्रियों को महिला और बाल कल्याण का प्रशिक्षण देने के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था विद्यालय की स्थापना जहां स्त्रियों को बुनियादी शिक्षा के अलावा सिलाई, बुनाई, सफाई, प्राथमिक उपचार व बाल कल्याण की जानकारी देना शामिल था।⁴

कुछ समय बाद इस परियोजना से लोगों में यह धारणा बनने लगी की स्वयं का जीवन स्तर उठाने के लिए उनकी स्वयं की सहभागिता आवश्यक है। जिसके फलस्वरूप लोगों ने कृषि तकनीकी से सम्बन्धी नवीन ज्ञान लेना शुरू किया जिससे उनके मूलभूत सुविधाओं के निर्माण एवं विस्तार में सहायता मिली तथा समाज में फैली कुछ भ्रान्तियों के निवारण का प्रयास भी किया गया जिससे ग्रामीण समाज का विकास अवरूद्ध था। इसके लिए दिल्ली के जामा मस्जिद से यह घोषणा करवाया गया कि चेचक, हैजा व प्लेग का टीका लगवाना धर्म का उल्लंघन नहीं है।⁵ इस परियोजना की रणनीति में कठिन परिश्रम, बचत, आत्मनियंत्रण, पारस्परिक सम्मान तथा कर्तव्य की भावना के आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुर्ननिर्माण करना था।

³ यादव, सुबह सिंह (1994), "ग्रामीण विकास के नये क्षितिज" मानक पब्लिकेशन्स प्रा0लिमिटेड, पृ• 23

⁴ पूर्वोक्त

⁵ पूर्वोक्त

4. बड़ौदा परियोजना : बड़ौदा रियासत के मंत्री **टी० माधवराज** ने प्रजा के सामाजिक कल्याण के लिए इस परियोजना को शुरू किया बाद में स्पेन्सर हैच की सहायता से बड़ौदा रियासत के दीवान बी०टी० कृष्णमाचारी ने ग्रामीण विकास के प्रयोग के रूप में 1932 में पहले केन्द्र की स्थापना की। इस परियोजना के तरह अन्य केन्द्र भी गांवों में चलते थे। इस परियोजना में किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना तथा ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व विकसित कर प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था कर गांवों को विकास के रास्ते पर बढ़ने का प्रमुख उद्देश्य शामिल किया गया था।

इस परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास की जो रणनीति अपनाई गई थी उसमें ग्रामीण जीवन में सुधार करना, ग्रामीणों की आत्म सहायता, आत्म-निर्भरता तथा अच्छा जीवन जीने की इच्छा विकसित करना शामिल था। इन रणनीति के तहत प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ जलापूर्ति की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, घरेलू बागवानी, मुर्गीपालन मधुमक्खी पालन की समुचित व्यवस्था और उनके बिक्री की व्यवस्था घरेलू उद्योग एवं सहकारी समितियां स्थापित करना स्वीकार किया गया था जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके।⁶

5. सेवाग्राम परियोजना : इस योजना की शुरुआत **महात्मा गांधी** ने 1936 ई० में गुजरात के सेवाग्राम से की। इस योजना के द्वारा महात्मा गांधी ने ग्रामीण जीवन के सभी अंगों को विकसित करने की रणनीति अपनाई। इस योजना के लिए महात्मा गांधी ने जो उद्देश्यों को निर्धारित किया उसमें ग्रामीणों में स्वयं सहायता विकसित करना, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अस्पृश्यता एवं कमजोर वर्ग की सेवा करना, ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप ग्रामीण संस्थाओं का प्रयोग करके लोगों में गांवों के पुर्ननिर्माण की चेतना पैदा करना प्रमुख था।

इस योजना को सफल बनाने के लिए महात्मा गांधी ने गांवों को इकाई मानकर समस्त भारत से स्वयंसेवक बुलाकर उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई व कटाई का प्रशिक्षण दिलाया जाता था ताकि प्रशिक्षण लेने के बाद में स्वयंसेवक

⁶ पूर्वोक्त-पेज नं. 36

अपने-अपने गांव जाकर गांव के लोगों को प्रशिक्षण देते थे। इस परियोजना में एकीकृत ग्राम विकास आर्थिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक पहल की धारणा का प्रयोग सामने आया।⁷ महात्मा गांधी के प्रयासों के समय तक कायम नहीं रह सका क्योंकि गांधीजी के सिद्धान्तों एवं आदर्शों के अनुरूप लोग ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकते थे।

6. नीलोखेड़ी परियोजना : शुरुआत में शरणार्थी पुर्नवास परियोजना के नाम से 1943 में शुरू हुई इस योजना को 1949 में **एस0के0डे0** ने इसे नीलोखेड़ी परियोजना नाम दिया। यह योजना पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए पुर्नवास की व्यवस्था करने के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसके अन्तर्गत हरियाणा के नीलोखेड़ी नामक स्थान पर गांव बसाया गया। इस योजना के द्वारा विस्थापितों के पुर्नवास, शरणार्थियों के श्रम व प्रतिभा का उपयोग कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जिससे अपनी मूल आवश्यकता को पूरा वे स्वयं कर सकें। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण व रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण व उत्पादन केन्द्र खोले गये तथा पांच हजार लोगों के लिए "मजदूर मंजिल" नामक कस्बा बनाया गया। हर बस्ती में विद्यालय चिकित्सालय, व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं, पशु चिकित्सा एवं लोगों को मनोरंजन की सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश की गई जिससे विस्थापित लोगों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो सकें।

इस परियोजना की कमी यह थी कि सरकारी सदस्यों के मध्य तथा तकनीकी व प्रबन्ध कर्मचारियों के मध्य सहकारिता की भावना विकसित न हो पाया लेकिन इन कमियों के बावजूद यह योजना नीलोखेड़ी क्षेत्र व शरणार्थियों के लिए ज्यादा सफल रही। इस योजना की सफलता ने यह बताया कि सीमित साधनों से भी आपसी सहयोग के माध्यम से विभिन्न कार्यों को शुरू कर भूमि का विकास करके निर्धन एवं ग्रामीणों का विकास किया जा सकता है।

7. इटावा परियोजना : 1948 ई0 में **अल्बर्ट मेयर** के निर्देशन में उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा चार विशेषज्ञों का दल गठन करके इस परियोजना की शुरुआत की

⁷ यादव, सुबह सिंह 1994, "ग्रामीण विकास के नये क्षितिज" मानक पब्लिकेशन्स प्रा0लिमिटेड, पृ0 24

गयी। इन चार विशेषज्ञों में एक नगर व ग्राम नियोजन, एक कृषि विशेषज्ञ, एक कृषि इंजीनियर तथा एक ग्रामीण विशेषज्ञ से संबंधित थे। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्यों में कृषि का उत्पादन बढ़ाना ग्राम स्तर पर नेतृत्व विकसित करना तथा ग्रामीण स्तर पर आत्म-निर्भरता का विकास करना शामिल था। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऋण उत्पादन विपणन एवं आपूर्ति के लिए सहकारी समिति की व्यवस्था की गई आवास सुविधा उपलब्ध कराई गई, उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, हरी खाद एवं सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई।

इस परियोजना द्वारा स्थानीय स्तर पर नियोजन, आपसी मेलजोल से कार्य करने तथा संचार एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य करने पर बल दिया गया। इटावा परियोजना का ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई पूर्व योजनाओं से सकारात्मक पहलू यह रहा कि इस योजना को राज्य, जिला व ग्राम स्तर पर प्रशासनिक तंत्र का समर्थन प्राप्त था। इसमें कुशलता व निष्पादन में वृद्धि हुई। इस योजना द्वारा प्रशासनिक तंत्र की सहायता से ग्रामीण जनता ग्रामीण समस्या का पता लगाकर उन्हें दूर करने के उत्तम तकनीकों के उपयोग करने की ओर प्रेरित हुए।

3.2 स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण विकास :

भारत ने आजादी के बाद देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना को अपनाया जिसमें छोटे-छोटे उद्देश्यों को निर्धारित कर उसे प्राप्त करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की रणनीति सरकार द्वारा अपनाई गई। इन पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जिससे कि देश के ग्रामीण इलाकों का विकास हो सके और वे देश के विकास में सहायता प्रदान कर सकें। सरकार ने ग्रामीण इलाकों की परियोजनाओं में ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इन्हें दूर करने का प्रयास किया। इन योजनाओं के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव, परिवर्तन एवं विकास देखने को मिले। राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार वर्तमान समय में तीन स्तरों के

ग्रामीण विकास कार्यक्रम एवं योजनाएँ संचालित करती है जिसमें बाह्य सहायता प्राप्त कार्यक्रम केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम एवं राज्य प्रवर्तित कार्यक्रम प्रमुख है।

ग्रामीण क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद तीसरे दशक से ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास में नया मोड़ आया जिसमें समाज के पिछड़े तथा गरीबी से ग्रस्त परिवारों को सीधे लाभ पहुँचाने का प्रयास किया गया। इसके लिए सरकार द्वारा 1971 में विशिष्ट योजना संगठन की स्थापना की गई। वर्ष 1979 में इसका पुर्नगठन एवं कार्यक्षेत्र को बढ़ाकर इसे 'विशिष्ट योजनाएँ एवं एकीकृत ग्रामीण विभाग' नाम दिया गया। 1 अप्रैल 1999 को इस विभाग का नाम **ग्रामीण विकास विभाग** कर दिया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इस विभाग द्वारा ग्रामीण विकास के लिए अनेको योजनाएँ संचालित किया जाता है। इन योजनाओं में से कुछ योजनाएँ अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहीं तो कुछ योजनाएँ भ्रष्टाचार एवं सरकारी/प्रशासनिक तंत्र की कमियों की वजह से सफल न हो सकी। सरकार द्वारा आजादी के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में गांवों के विकास के लिए जिन योजनाओं का संचालन किया गया उनमें—

तालिका : 3.2 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास कार्यक्रम

पहली पंचवर्षीय योजना	1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम	1952
	2 राष्ट्रीय प्रसार सेवा	1953
दूसरी पंचवर्षीय योजना	1 खादी एवं ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम	1957
	2 ग्रामीण आवासीय योजना	1957
	3 बहुउद्देशीय अनु0 जनजाति विकास खंड कार्यक्रम	1959
	4 पैकेज कार्यक्रम	1960
तीसरी पंचवर्षीय योजना	1 ग्रामीण उद्योग परियोजना	1962
	2 गहन कृषि क्षेत्रीय कार्यक्रम	1964
	3 किसानों का प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम	1966
	4 कुआँ निर्माण कार्यक्रम	1966

वार्षिक योजना	1 ग्रामीण कार्यक्रम 2 जनजाति विकास खंड कार्यक्रम	1967 1968
चौथी पंचवर्षीय योजना	1 ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 2 सूखा पीडित क्षेत्रीय कार्यक्रम 3 ग्रामीण रोजगार हेतु नगर योजना 4 ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम 5 लघु कृषक विकास एजेंसी 6 जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम 7 पाइलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 8 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	1969 1970 1971 1971 1971 1972 1972 1972
पांचवी पंचवर्षीय योजना	1 कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम 2 विशेष दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम 3 काम के बदले अनाज कार्यक्रम 4 मरुभूमि विकास कार्यक्रम	1974 1975 1977 1978
वार्षिक योजना	1 अनौपचारिक शिक्षा योजना 2 ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना 3 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1979 1979 1979
छठी पंचवर्षीय योजना	1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 2 नया बीस सूत्रीय कार्यक्रम 3 राष्ट्रीय बायोगैस योजना 4 ग्रामीण क्षेत्र महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 5 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना	1980 1980 1982 1982 1983
सातवी पंचवर्षीय योजना	1 इंदिरा आवास योजना 2 फसल बीमा योजना 3 उद्यमिता विकास योजना 4 न्यू मार्डन चरखा योजना 5 भूमिहीन मजदूरों हेतु सामूहिक बीमा योजना 6 ग्रामीण कुटीर उद्योग 7 प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 8 जवाहर रोजगार योजना	1985 1985 1986 1987 1987 1988 1988 1989
वार्षिक योजना	1 स्वच्छ शौचालय निर्माण योजना 2 महिला डेयरी योजना 3 अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना 4 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना	1990 1991 1991 1991

आठवीं पंचवर्षीय योजना	<ol style="list-style-type: none"> 1 उन्नत किस्म के औजार टूल किट योजना 2 सघन मिनी डेयरी योजना 3 उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 4 सुनिश्चित रोजगार योजना 5 प्रधानमंत्री रोजगार योजना 6 राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना 7 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 8 इंदिरा महिला योजना 9 प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील योजना 10 स्वच्छ पेयजल योजना 	<p>1992 1992 1993 1993 1993 1994 1995 1995 1995 1996</p>
नवीं पंचवर्षीय योजना	<ol style="list-style-type: none"> 1 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना 2 बालिका समृद्धि योजना 3 रोजगार छतरी योजना 4 किसान मित्र योजना 5 स्वर्ण जयंती ग्राम विकास योजना 6 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 7 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 8 अन्नपूर्णा योजना 9 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 10 त्वरित ग्रामीण रोजगार योजना 11 त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 12 जय प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 	<p>1997 1997 1998 1998 1998 1999 1999 1999 2000 2001 2002 2002</p>
दसवीं पंचवर्षीय योजना	<ol style="list-style-type: none"> 1 राष्ट्रीय बीमा योजना 2 राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना 3 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 4 जननी सुरक्षा योजना 	<p>2004 2005 2005 2005</p>
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना	<ol style="list-style-type: none"> 1 आम आदमी बीमा योजना 2 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 3 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 4 इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 	<p>2007 2008 2010 2010</p>
बारहवीं पंचवर्षीय योजना	<ol style="list-style-type: none"> 1 प्रधानमंत्री जनधन योजना 2 स्वच्छ भारत अभियान 3 सांसद आदर्श ग्राम योजना 4 दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना 5 सुकन्या समृद्धि योजना 6 प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 7 श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूबर्न योजना 	<p>2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015</p>

भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा गांवों के विकास एवं ग्रामीण जनता की समस्या को दूर करने के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन करती है जिनका उद्देश्य ग्रामीण जनता को योग्य बनाकर उनके जीवन स्तर में सुधार लाकर उन्हें आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ग्रामीण विकास योजनाओं को गरीबी उन्मूलन तथा त्वरित सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्यों के साथ एक विविधतापूर्ण रणनीति के द्वारा समाज के सर्वाधिक वंचित वर्ग तक लाभ पहुँचाने का कार्य किया जाता है। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं केन्द्र एवं राज्य द्वारा अलग-अलग या संयुक्त रूप से संचालित किये जाते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में भी राज्य सरकार का सहयोग लिया जाता है। आजादी के बाद से अब तक ग्रामीण विकास के लिए चलाई गई योजनाओं को आसानी से समझने के लिए हम उन्हें विभिन्न वर्गों में बाँट सकते हैं जिनमें सामाजिक कल्याण अभिमुख कार्यक्रम, प्राकृतिक संसाधन विकास एवं पुर्ननिर्माण कार्यक्रम, आधारभूत संरचना विकास कार्यक्रम एवं रोजगार पकर कार्यक्रम प्रमुख हैं—

3.3 सामाजिक कल्याण अभिमुख कार्यक्रम :

भारत सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम जो विभिन्न कार्यक्रम चलाती है उसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण ही होता है इन योजनाओं के माध्यम से सरकार भारत के उन अंतिम व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करती है जो अभी तक मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं सरकार समय समय पर ग्रामीण गरीबों के कल्याण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाती है इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना और राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना सम्मिलित है।

3.3.1 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम : यह कार्यक्रम गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया।⁸ इस योजना को संविधान के अनुच्छेद 41 एवं

⁸ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

42 के नीति-निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया।⁹ इस योजना का लक्ष्य गुणवत्ता एवं प्रभावित ग्रामीणों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में बेहतरी लाना था। इस योजना का शत-प्रतिशत सहायता केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है जिससे राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेश के लोगों को सीधे लाभ प्राप्त होता है। इस कार्यक्रम को वृद्धावस्था में सहायता, मुख्य आय सृजक (परिवार में कमाने वाला व्यक्ति) की मृत्यु एवं मातृत्व की स्थिति में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान की राष्ट्रीय नीति से जोड़ा गया है। यह योजना गरीबी उन्मूलन एवं लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के सामाजिक सहायता पैकेज से जोड़ता है। इस योजना के तीन घटक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व सहायता योजना है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा बजट 2017-18 में 9500 करोड़ रुपया राशि स्वीकृत की गई है।

3.3.2 राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना : इस योजना की शुरुआत 1995 में वृद्ध लोगों द्वारा महसूस की जा रही पृथक्ता एवं असुरक्षा को देखते हुए किया गया इसमें 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है या कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है अथवा असहाय है उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए पेंशन के रूप में कुछ पैसा दी जाती है। इस योजना में पेंशन की राशि का खर्च असहाय व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन या आवश्यकताओं की पूर्ति के ऊपर खर्च करता है। यह गरीब परिवार के आय का 25 से 40 प्रतिशत भाग होता था। समय के साथ-साथ इस योजना में कुछ कमियां नजर आई जिसमें एक तो पेंशन की राशि का कम होना दूसरा केवल निःसहाय एवं गरीब वृद्धों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होता था। इन सब कमियों को दूर करते हुए 2007 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सभी वृद्धों को सम्मिलित करते हुए एवं

⁹ Atul K. Tiwari, Reaching out of the Neglected poor in Rural India National Social Assistance program, press information bureau New Delhi, 9-06-2011

पेंशन की राशि को बढ़ाकर 200 रू0 प्रतिमाह (2011 अप्रैल) कर दी गई तथा 80 वर्ष के ऊपर के वृद्धों को 500 रू0 प्रतिमाह राशि कर दी गई।¹⁰

3.3.3 राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना : इस योजना के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति की जो अपने परिवार का आय सृजन (कमाने वाला) हो उसकी प्राकृतिक मृत्यु होने पर 5000 रू0 एवं दुर्घटना स्वरूप मौत होने पर 20000 रू0 की एकमुश्त राशि उसक परिवार को दी जाती है।¹¹ इसके साथ ही साथ गर्भस्थ महिला जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है उसे 500 रू0 की सहायता सरकार द्वारा दी जाती है।

3.3.4 विधवा पेंशन योजना : इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की 40–79 वर्ष की आयु की विधवाओं को प्रतिमाह 300 रूपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर लाभार्थी को इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल कर लिया जाता है ताकि 500 रूपये की बढ़ी हुई राशि उसे प्राप्त हो।

3.3.5 विकलांगता पेंशन योजना : इस योजना के तहत भारत सरकार गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले एवं निर्धारित मापदण्ड को पूरा करने वाले 18–79 वर्ष के गम्भीर या विविध प्रकार के विकलांगता से प्रभावित व्यक्ति को प्रतिमाह 300 रू0 की सहायता राशि प्रदान की जाती है। 80 वर्ष के बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापेंशन योजना के तहत बढ़ी हुई 500 राशि प्रदान की जाती है।

3.3.6 अन्नपूर्णा योजना : इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापेंशन योजना के अंतर्गत पात्र होने के बावजूद जिन वृद्धजनों को पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है उन वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त में दिया जाता है।

¹⁰ PIB government of India, Ministry of Social Justice & Empowerment Revision in pension amount (05 August 2014).

¹¹ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार रिपोर्ट।

3.3.7 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना : भारत सरकार ने अपनी जनता को सामाजिक सुरक्षा व स्वस्थ जीवन देने के लिए हमेशा कुछ न कुछ योजना चलाती रही है। 1 अप्रैल 2008 को सरकार ने गरीब नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। इस योजना के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिक एवं गरीब नागरिक के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा एक स्मार्ट कार्ड उस व्यक्ति के नाम से जारी किया जाता है जिससे व्यक्ति अपना इलाज करा कर स्वस्थ जीवन जी सके और आर्थिक नुकसान से बच सके। इसमें प्रति परिवार प्रतिवर्ष पारिवारिक फ्लोटर के आधार पर कुल बीमा 30000 रूपया होती है। इस योजना के तहत वर्ष 2017 तक 3.5 करोड़ स्मार्ट कार्ड सरकार द्वारा जारी किया गया है।¹²

तालिका : 3.3 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या

योजना का नाम	लभार्थी
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	3,66,68,334
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	3,00,00,000
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	3,85,15,411

स्रोत - अप्रैल 2018 : ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार

3.4 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास योजना :

भारत में आजादी के बाद समाजवादी प्रतिमानों की व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्यों को संविधान में उल्लेख किया गया। जिसमें विकास की रेखा निर्धारित करते समय निजी लाभ के स्थान पर सामाजिक लाभ को स्थान दिया गया तथा विकास का तरीका और सामाजिक-आर्थिक संबंधों की संरचना को इस तरह नियोजित करने पर जोर दिया गया जिससे न केवल राष्ट्रीय आय और रोजगार में वृद्धि हो बल्कि उससे आय एवं पूँजी में बेहतर समानता लाई जा सके। लेकिन कुछ वर्षों के बाद यह अनुभव किया गया कि नियोजित विकास के इस क्रम में विकास के लाभों का सभी के मध्य समान वितरण नहीं हुआ/पहुँचा। शहरों ओर गांवों के

¹² www.India.gov.in.

बीच खाई और बढ़ती गई। गांवों में आधारभूत संरचना (बिजली, पानी, अस्पताल, आवागमन एवं संचार) का अभाव होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है इसको देखते हुए एवं शहरों एवं गांवों के बीच की खाई को दूर करने के लिए सरकार ने गांवों में आधारभूत अधोसंरचना के विकास के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की जिससे ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास हो सके।

3.4.1 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम : भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचा के विकास आवश्यक सुविधाएं एवं सेवाओं को प्रदान करने के लिए पाँचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को निश्चित सामाजिक उपभोग की वस्तुएँ एवं सेवाओं की व्यवस्था करना जो उनकी मूलभूत आवश्यकता के आधारभूत अंग है। इस कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया गया कि निश्चित समयावधि में आवश्यक सामाजिक सेवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों के अनुसार ग्रामीण जनता को प्रदान किया जाए। पांचवी पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को शुरुआत करते समय इस योजना के आठ अवयव थे जो सातवीं योजना तक विस्तारित करते हुए इसमें 12 अवयवों को शामिल कर लिया गया।

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. प्राथमिक शिक्षा | 7. ग्रामीण विद्युतीकरण |
| 2. वयस्क शिक्षा | 8. शहरी गन्दी बस्तियों का पर्यावरण सुधार |
| 3. ग्रामीण स्वास्थ्य | 9. पौष्टिक आहार |
| 4. ग्रामीण जल आपूर्ति | 10. ग्रामीण घरेलू रसोई ऊर्जा |
| 5. ग्रामीण सड़के | 11. ग्रामीण स्वच्छता |
| 6. ग्रामीण आवास | 12. सार्वजनिक वितरण प्रणाली |


3.4.2 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : भारत एक विकासशील कृषि प्रदान एवं गांवों का देश है। यहां की 68.84 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है जो मौसमों में आवागमन के लिए सड़कों की मौजूदगी न होने के कारण वर्षा में अन्य क्षेत्रों से इनका सम्पर्क टूट जाता है तथा शहर तक पहुँचने के लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों

का सामना करना पड़ता है। जिसमें किसानों को अपनी कृषि उपज का लाभप्रद मूल्य नहीं मिलना, बीमार लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा के लिए शहर ले जाने में कठिनाई अच्छी सड़कों के अभाव में डॉक्टरों का गांव में न आना, उच्च शिक्षा के लिए दूसरे गांव/शहर जाने में कठिनाई जैसी समस्या के कारण शहरों और गांवों के बीच की खाई और बढ़ती जा रही थी। इन सभी समस्याओं (आवागमन और संचार) के समाधान के लिए भारत सरकार ने 25 दिसम्बर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। इस योजना के द्वारा प्रत्येक गांव को अच्छी बारहमासी सड़कों के जरिए सड़क सम्पर्क मुहैया कराकर उन्हें हर क्षेत्रों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के लिए धन की व्यवस्था डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर के उपकर से की जा रही है। अतिरिक्त डीजल पर उपकर का 50 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए दिया जा रहा है।¹³

इस योजना का उद्देश्य मैदानी क्षेत्र में 500 या अधिक आबादी वाले (2011 की जनगणना के अनुसार) तथा पहाड़ी, जनजातीय या मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 या अधिक आबादी वाले सम्पर्क विहिन स्थलों को बारहमासी सड़क सम्पर्क के द्वारा मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ना है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान रिकार्ड 47447 किमी रोड का निर्माण किया गया जो पिछले कई वित्तीय वर्ष से ज्यादा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 572787 किमी लम्बी सड़क का निर्माण कर गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने का काम किया गया है।¹⁴

¹³ कुरुक्षेत्र, मार्च 2014, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

¹⁴ ग्रामीण विकास मंत्रालय।



स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

रेखाचित्र :3.1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क

इस योजना द्वारा सड़कों के निर्माण से शिक्षा, रोजगार प्राप्ति तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बढ़ोत्तरी हुई है। विश्व बैंक के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों का सम्पर्क पक्की सड़कों से है उन क्षेत्रों में वर्ष 2000 से 2009 के बीच लोगों की आमदनी में 50 से 100 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है। अध्ययन में यह भी बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब सड़क निर्माण पर 10 लाख का निवेश होता है तो करीब 163 लोग गरीबी के चक्र से बाहर निकलते हैं।¹⁵

3.4.3 भारत निर्माण : केन्द्र सरकार ने गांवों में बुनियादी ढांचे को बनाकर उन्हें हर तरीके से उन्नत बनाने पर जोर देते हुए उसके सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए 2005 में एक विशाल, दीर्घकाली एवं समयबद्ध योजना भारत निर्माण की शुरुआत की। यह योजना पिछले के विकास योजनाओं से इस प्रकार अलग था कि इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के किसी एक विशेष क्षेत्र के विकास की बात न कहकर उस क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास की बात इस योजना के अंतर्गत पूरा करने को कही गई थी। यदि कोई क्षेत्र इसमें छूट जाता है तो एनआरएचएम एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूरा करने की बात स्वीकार की गई है जिससे गांवों का सम्पूर्ण

¹⁵ कुरुक्षेत्र, मार्च 2014, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

विकास हो सके। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के सिंचाई, ग्रामीण आवास ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण दूर संचार कनेक्टिविटी क्षेत्र के विकास की बात कही गई है।¹⁶

1. जल आपूर्ति : सुरक्षित और साफ पीने के पानी की सुविधा प्रदान कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्यों में से एक है क्योंकि ग्रामीण भारत में पेयजल की एक विकट समस्या है पेयजल की अशुद्धता के कारण ग्रामीण लोगों में अनेक प्रकार की बिमारियां फैल सकती है इसलिए इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ एवं साफ जल की आपूर्ति को एक घटक के रूप में रखा गया था।

2. सड़कें : भारत सरकार ने ग्रामीण सड़कों में सुधार एवं नई सड़कों के निर्माण के लिए अनेक योजनाएं एवं नीतियाँ बनायी हैं उन योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इस योजना के माध्यम गांवों को बारहमासी सड़कों के माध्यम से मुख्य सड़क को जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत निर्माण के एक भाग के रूप में कार्य कर रही थी।

3. आवास : आवास व्यक्ति की भोजन और वस्त्र के बाद तीसरा मूलभूत आवश्यकता है। आवास से व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का निर्धारण होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की स्थिति ज्यादा विकट है। इसको देखते हुए सरकार ने इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की। जिसके अंतर्गत सरकार गांव में गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था करती है। वर्तमान समय में इंदिरा आवास योजना को भारत निर्माण के एक हिस्सा के रूप में कार्य दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान 30 लाख मकानों तथा 2016–17 के दौरान 35 लाख मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। जिसमें इससे थोड़े बहुत कम मकानों का निर्माण कर गरीबों को आवास प्रदान किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इस योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 59585 करोड़ रुपया और 1.5 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।¹⁷

¹⁶ कुरुक्षेत्र, मार्च 2014, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

¹⁷ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

4. दूर संचार : इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों के दूर-दराज क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्ष 2014 के अंत तक 40 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार की सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराना था। भारत निर्माण योजना के माध्यम से भारत सरकार हर एक गांव को दूर संचार के माध्यम से जोड़ना चाहती है। इस योजना का प्रभाव भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक देखने को मिल रहा है। जिससे कृषि क्षेत्र में दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कृषि उपज बढ़ाने, फसलों को रोगमुक्त रखने तथा उन्नत बीजों के उपयोग आदि के संबंध में यह योजना सफलतापूर्वक कार्य की।¹⁸

5. विद्युतीकरण : सभी ग्रामीण इलाकों में बिजली प्रदान करना भारत निर्माण का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना द्वारा सभी गांवों में विद्युत सुनिश्चित करते हुए 4 करोड़ गरीब परिवारों को कनेक्शन प्रदान करना है। इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मुहैया कराने वाली एक महत्वपूर्ण योजना "ग्रामीण विद्युतीकरण योजना" को भारत निर्माण का अंग बना दिया गया। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।

6. सिंचाई : भारत निर्माण योजना के तहत सरकार किसानों को सिंचाई के लिए अतिरिक्त उपज वाली भूमि तथा उनके सिंचाई के लिए उपकरण मुहैया कराती है। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होने के कारण इस योजना के द्वारा कृषि के असिंचित क्षेत्रों तक सिंचाई की सुविधा पहुँचाने की कोशिश की गई जिससे अनाज का उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

भारत निर्माण योजना के तहत भारत सरकार गांवों के आधारभूत ढांचे के सम्पूर्ण विकास को एक ही योजना के अंतर्गत कार्य करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को दो चरणों में लागू करके इसके उद्देश्यों को एक निश्चित समय में पूरा करने पर जोर दिया गया। 2014 के अंत तक इस योजना ने भारत के

¹⁸ कुरुक्षेत्र, मार्च 2014, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

ग्रामीण क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाये। जिससे गांवों से पलायक रूका और रोजगार की संभावनाएँ बढ़ी। गांवों की मुख्य व्यवसाय कृषि के लिए इस योजना ने बेहतर कार्य किये जिससे कृषि में तकनीकी नवीकरण फसलों को रोगमुक्त तथा सिंचाई की सुविधा को बढ़ाया गया जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।

तालिका: 3.4 ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास योजना की आवंटन राशी (करोड़ में)

कार्यक्रम	2015-16	2016-17	2017-18
मनरेगा	38500	47499	48000
प्रधानमंत्री आवास योजना	20075	20936	29043
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000	19000	19000
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	8500	7874	10635
गरीब परीवारो को एल0पी0जी0 कनेक्शन योजना	2000	2500	2500

स्रोत :- बजट दस्तावेज, भारत सरकार, 2017-18 और प्रेस सूचना ब्यूरो।

3.5 पर्यावरण सहज (सतत विकास) परियोजनाएँ :

आर्थिक विकास की तीव्र गति ने वर्तमान समय में होने वाले पर्यावरणीय परिवर्तन ने विकासात्मक उद्देश्यों एवं लाभों को सीमित कर दिया है। तेज आर्थिक विकास एवं लाभ कमाने की क्षमता के कारण भविष्य में संसाधनों की सीमितता की समस्या उत्पन्न कर दिया है। भूमि का धीरे-धीरे अनुपजाऊ होना, जल स्तर में कमी आना, प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ रहे दबाव के कारण खाद्यान्न, सामाजिक, आर्थिक, आजीविका और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति गम्भीर चुनौतियाँ सामने आ रही है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक सरकार को विकास का एक ऐसा रास्ता अपनाना होगा जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँच सके।

पर्यावरण सहज विकास ऐसा विकास का रास्ता है जिसमें हम वर्तमान पीढ़ी की जीवन की गुणवत्ता के साथ-साथ भावी पीढ़ी की भी जीवन की गुणवत्ता बनी रहे इस ओर भी ध्यान देने की बात करता है। विकास गतिविधियों के माध्यम से

प्राकृतिक संसाधनों को पुर्नजीवित एवं संरक्षित करने का प्रयास होना चाहिए। भारत जैसे देश के लिए जहां की बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था होने के नाते सरकार को विकास का ऐसा पैमाना अपनाना चाहिए जिससे पर्यावरण को कम नुकसान हो और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित किया जा सके। सरकार ने गांवों के विकास के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करने का प्रयास किया है—

3.5.1 समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम : इस योजना को 2009–10 में वाटरशेड परियोजना विकास 2008 के सामान्य दिशा निर्देश के अनुसार शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मृदा, वनस्पति और जल जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, संरक्षण और विकास करके पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करना है। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मृदा कटाव पर रोक, प्राकृतिक वनस्पति का पुर्नसृजन, वर्षा जल एकत्रीकरण तथा भू-जल स्तर की वृद्धि जैसे कार्यों को इस योजना में प्राथमिकता प्रदान की गई। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुफसलें लगने लगी और विविध कृषि आधारित कार्यक्रमलाप करने में इस योजना से मदद मिली।¹⁹

3.5.2 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छ पेयजल कार्यक्रम : इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी आवश्यकताओं में से एक स्वच्छ एवं साफ पानी उपलब्ध कराना है। ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना को पर्यावरण के अनुकूल (वर्षा, जल संचन) बनाना इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग है। इसके लिए जहां तक सम्भव हो सके जल के बहुस्रोत व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाती है। योजना को पर्यावरण के अनुकूल बनाने हेतु छत पर वर्षा जल संचयन, जल स्रोत के संरक्षण, पुर्नजीवन तथा नदियों के उपचार हेतु कार्य योजना तैयार करना जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भू-जल स्तर को बढ़ाया जा सके। इसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में इस बात को शामिल किया गया है कि जहां तक संभव हो सके ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 55 प्रतिशत परिवारों को स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने के लिए पाइप जलापूर्ति से जोड़े जाए।

¹⁹ ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

3.5.3 निर्मल भारत अभियान : राष्ट्र या समाज में रहने वाले लोगों की व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई काफी हद तक उनके पेयजल एवं उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिए मानव स्वास्थ्य का जल और स्वच्छता से सीधा सम्बन्ध पाया जाता है। गंदा जल का उपयोग, खुले में शौच करना तथा भोजन की साफ-सफाई न होने से कई बिमारियां उत्पन्न होती हैं जिससे मनुष्य द्वारा अर्जित धन का एक हिस्सा इन बिमारियों के निदान पर खर्च होता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इन आर्थिक क्षति से बचाने के लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएं संचालित की जिसमें निर्मल भारत अभियान एक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य खुले में मल करने की पारंपरिक प्रथा को समाप्त करना है। इसके साथ ही साथ व्यक्तिगत साफ-सफाई, घरेलू स्वच्छता, पेयजल, कूड़ा-करकट तथा अपशिष्ट जल के निपटाने को भी स्वच्छता की अवधारणा में विस्तार किया गया।²⁰

इस योजना के लक्ष्यों में सम्पूर्ण स्वच्छता, पर्यावरण का सृजन उन्नत स्वच्छ प्रथाएं अपनाने के साथ-साथ 2022 तक ठोस और तरल अपशिष्ट कचरा प्रबंधन को इस प्रकार करना कि गांव का परिवेश हर समय स्वच्छ बना रहे। 2014 में भाजपा सरकार ने इस योजना का पुर्नगठन करके इसे स्वच्छ भारत मिशन के नाम से शुरू किया जो पूर्व की निर्मल भारत अभियान की भांति ग्रामीण इलाकों में खुले में शौच को कम करते हुए महात्मा गांधी के 150वीं वर्षगाँठ 2019 तक 1.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण करके महात्मा गांधी के सपनों का भारत स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत का निर्माण करना है।

वर्तमान समय में विश्व स्तर पर पर्यावरण परिवर्तन से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। जिससे विश्व के अनेक देश की सरकारें विकास का एक ऐसा ढांचा अपना रही हैं जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो जिसके फलस्वरूप विकास की एक नई अवधारणा सतत विकास का विकास हुआ। भारत सरकार भी स्वयं एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित कर स्थानीय स्तर पर पर्यावरण सहज विकास को अपना रही हैं। आंकड़े यह बताते हैं कि सही ढंग से लागू किये

²⁰ कुरुक्षेत्र, फरवरी 2014, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

जाने पर पर्यावरण सहज योजनाएँ गांवों में रोजगार का सृजन करती है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है तथा ग्रामीणों को प्राकृतिक आपदा को झेलने एवं बचाने का कार्य करती है। भारत जैसे ग्रामीण आबादी वाले देश में ग्रामीण विकास को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर, पर्यावरण संतुलन को स्थापित तथा कम नुकसान पहुँचाकर ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण जीवन को सुधारा जा सकता है।

3.6 रोजगारपरक योजनाएँ :

आजादी के बाद से ग्रामीण बेरोजगारी भारत की एक प्रमुख समस्या रही है। पिछले लगभग कई दशकों से गांवों में रोजगार के नए अवसर जुटाकर गरीबी दूर करने के इरादे से केन्द्र तथा राज्य सरकारों की ओर से समय-समय पर अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए, जिसके अच्छे परिणाम भी मिले। किंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी की समस्या की विकरालता कम नहीं हुई।

3.6.1 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम

इस कार्यक्रम की उद्घोषणा 15 अगस्त 1983 को की गयी थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक भूमिहीन परिवार के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार की गारण्टी प्रदान करना है। इसके लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने की व्यवस्था की जाती है और इस दृष्टि से ऐसी स्थायी परिसम्पतियों के सृजन पर बल दिया जाता है जो आधारभूत ग्रामीण संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास करने में सहायक सिद्ध हो। इन परिसम्पतियों के विकास हेतु सड़को, भवनों, सिंचाई के लिये नहरों जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। यह कार्यक्रम पूर्णरूपेण केन्द्र सरकार का है और भूमिहीन श्रमिकों को सहायता पहुँचाने के लिए चलाया गया।

3.6.2 जवाहर रोजगार योजना

यह योजना अप्रैल, 1989 में प्रारम्भ की गयी। इसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश में ग्रामीण पंचायतों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना था ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धनों के हित में उपयुक्त ग्रामीण रोजगार की योजनायें चला सकें। इस योजना

के संचालन हेतु वर्ष 1989-90 के वित्तीय वर्ष में 21,000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया था। यह धनराशि विभिन्न पंचायतों को इनकी अधिकार क्षेत्र में पायी जाने वाली निर्धन जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की गयी। जनसंख्या में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अनुपात, मजदूरों की कुल संख्या में कृषि मजदूरों की संख्या के अनुपात तथा कृषि उत्पादकता के स्तर को धनराशि के आवंटन के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। 3 से 4 हजार जनसंख्या वाली एक ग्राम पंचायत को जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये 80 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक प्रदान किये गये। यह आशा की गई कि इस योजना के अधीन प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम एक सदस्य को उसके घर के समीप कार्यस्थल पर एक वर्ष के दौरान 50 से लेकर 100 दिन तक रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। खानाबदोश जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चलायी गयी एकीकृत योजनाओं को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया। इस योजना की एक विशेषता यह है कि उत्पन्न होने वाले रोजगार के अवसरों में से 30 प्रतिशत महिलाओं के लिये आरक्षित किये गये थे।

3.6.3 रोजगार आश्वासन योजना

महाराष्ट्र की रोजगार गारण्टी योजना के मॉडल के अनुसार सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 1993 को 261 जिलों के 1,1778 ब्लकों के ग्राम क्षेत्रों में रोजगार आश्वासन चालू की गयी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे ग्रामीण निर्धनों को रोजगार देना जो उसकी तलाश में हैं। 100 दिन का अकुशल शारीरिक कार्य उपलब्ध कराना है। 100 दिन के रोजगार का आश्वासन 18 से 60 वर्ष तक के सभी पुरुष तथा महिलाओं को दिया गया। इस योजना के अधीन एक परिवार के अधिक से अधिक दो बालिगों को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया।

3.6.4 प्रधानमंत्री रोजगार योजना

2 अक्टूबर, 1993 से आरम्भ इस योजना के माध्यम से आठवीं योजना के उद्योग, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में 70 लाख लघुतर उद्यम स्थापित करके 10 लाख से अधिक 18 से 35 आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को सहायता प्रदान करने का

प्रावधान है इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग तथा महिलाओं के लिये आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय हैं। इस योजना के अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा हेतु ऋण सीमा 2 लाख रुपये तक तथा व्यवसाय के लिये ऋण सीमा 1 लाख रुपये तक निर्धारित हैं। इसमें 15 प्रतिशत अधिकतम 7,500 रुपये प्रति उद्यमी की दर से अनुदान देय हैं। इस योजना को 1 अप्रैल, 1994 से इसे ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी लागू कर दिया गया तथा साथ ही इसमें SEEUY योजना का विलय कर दिया गया। 24 दिसम्बर, 1998 को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने PMRY के दायरे का विस्तार करते हुए नियमों में संसोधन पारित किया है। योजना के ढांचे में अब औद्योगिक एवं सीमित व्यापारिक गतिविधियों के अतिरिक्त बागवानी, मछली पालन व पोल्ट्री व्यवसाय सहित कृषि एवं सभी आर्थिक व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है।

3.6.5 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना


पूर्व में चल रही छः योजनाओं—एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ट्राइसेम, ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना (डवाकरा), दस लाख कूप योजना, उन्नत टूल किट योजनाओं, तथा गंगा कल्याण योजना का विलय करके 1 अप्रैल, 1999 से यह प्रारम्भ की गई इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम द्वारा ग्रामीण गरीबों को 'स्वयं सहायता समूहों' के माध्यम से उनकी क्षमता निर्माण, अवस्थापन निर्माण, तकनीकी ज्ञान, ऋण व्यवस्था तथा बाजार व्यवस्था को विकसित करना है। इस योजना का मुख्य बल सामूहिक प्रयास पर है। इस योजना का उद्देश्य यह कि इस योजना में जिस ग्रामीण को सहायता दी जा रही है वह तीन वर्षों में गरीबी रेखा के ऊपर हो जाये। इस कार्यक्रम में ग्रामीण निर्धनों के लिए पर्याप्त अतिरिक्त आमदनी जुटाने का भी लक्ष्य रखा गया है। धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अगले 5 वर्षों में प्रत्येक विकास खण्ड के गरीब लोगों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य था। यह योजना जिला ग्राम विकास अधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जाती। इस योजना के कुल व्यय केन्द्र एवं राज्य की भागीदारी 75:25 निर्धारित की गयी थी।

3.6.6 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना

1 अप्रैल, 1999 से जवाहर रोजगार योजना को समाप्त करके 'जवाहर ग्राम समृद्धि योजना' आरम्भ की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों के द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण गरीबों के लिए नियमित रोजगार अवसरों में वृद्धि करना तथा बेरोजगार ग्रामीण गरीबों को पूरक रोजगार के रूप में मजदूरी वाले रोजगार उपलब्ध कराना था। यह योजना केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 के लागत बंटवारे के अनुपात के आधार पर केन्द्रीय प्रयोजित योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही थी। इस योजना में ऐसे सभी कार्य शामिल किये गये जिनके परिणामस्वरूप स्थायी उत्पादनकारी सामुदायिक परिसम्पतियों का सृजन होता हो। यह कार्यक्रम पूरी तरह ग्राम पंचायत के स्तर पर लागू किया गया। ग्राम पंचायतें ही वार्षिक योजना बनानें तथा ग्राम सभा की स्वीकृति से उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं।

3.6.7 सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

इसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 25 सितम्बर 2001 को फरह (जिला मथुरा) से किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, द्वारा संचालित की जाने वाली 10 हजार करोड़ रुपये वार्षिक केन्द्र द्वारा प्रयोजित इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त एवं सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराना था। इस योजना के अन्तर्गत 7500 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा एवं 25 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार के द्वारा खर्च किये जाने का लक्ष्य रखा गया। योजना के अन्तर्गत टिकाऊ परिसम्पतियों के निर्माण से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे। योजना में 100 करोड़ रुपये मानव दिवस रोजगार के सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 5 किलो अनाज के साथ अतिरिक्त धन राशि प्रतिदिन प्रदान की जाती।




स्रोत – पाँचवीं भारतीय रोजगार रिपोर्ट-बेरोजगारी सर्वे, 2015-16 भाग-1, पृष्ठ-16

रेखाचित्र : 3.2 प्रमुख रोजगार योजनाओं में मनरेगा का प्रतिशतता

स्वतंत्र भारत में आर्थिक योजनाओं की बुनियादी भूल यह रही कि प्रारंभ में गरीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर हल करने की कोशिश नहीं की गई। सरकार ने यह सोचा कि देश की तीव्र विकास आर्थिक से लोगों की गरीबी स्वतः समाप्त हो जायेगी। यह ध्यान में नहीं रखा गया कि भारत में संसाधनों व उत्पादों में घोर असमानता व्याप्त है और यदि देश की जनता का वास्तव में आर्थिक विकास करना है तो असमान वितरण की समस्या को भी हल करना होगा। ग्रामीण इलाकों में यह असमान वितरण भूमि, पूंजी सामुदायिक निर्णय इत्यादि में देखने को मिलती है। इस अदूरदर्शिता का परिणाम यह रहा है कि प्रथम तीन योजनाओं में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को किसी स्तर पर वरीयता नहीं दी गई। एक ओर राष्ट्रीय आय तो बढ़ती गई लेकिन सम्पत्ति कुछ लोगों के पास संचित होता गया। लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी गरीबी के भयानक जाल में उलझती गई।

इस गरीबी के समस्या पर सर्वप्रथम ध्यान चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इस पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण गरीबी पर प्रत्यक्ष प्रहार की नीति अपनाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद विभिन्न योजनाएं चलती रही और इन योजनाओं के लक्ष्य भी बदलते रहे तथा इन निर्धारित लक्ष्यों में कुछ प्राप्त किये गए तो कुछ नहीं हुए। इन सभी योजनाओं में प्रारंभिक एवं प्रौढ़ शिक्षा ग्रामीण स्वास्थ्य

एवं जलपूर्ति, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण एवं ग्रामीण भूमिहीनों को आवास सुविधा एवं रोजगार प्राप्ति इन योजनाओं के लक्ष्य रहे। इन विभिन्न योजनाओं के फलस्वरूप ही आज ग्रामीण क्षेत्र संचार व परिवहन माध्यमों से जुड़ चुका है तथा कृषि में भी वैज्ञानिक तरीके अपनाकर उत्पादन बढ़ाया गया। सरकार द्वारा दी गई निःशुल्क सुविधा एवं विभिन्न योजनाओं ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का जीवन स्तर सुधारा है लेकिन इन सबके बावजूद एक हकीकत यह भी है कि आज कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सड़कें नहीं हैं। कई गांवों में अभी भी 2 किमी के भीतर उच्च शिक्षा नहीं है। कई लाखों गांवों में अभी भी पेयजल की समस्या है। ग्रामीण स्वास्थ्य अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। ग्रामीण बेरोजगारी विकराल रूप ले रही है। सरकार अपनी योजनाओं में इन चिंताओं को देखते हुए इन्हें दूर करने का उपाय कर रही है। लेकिन योजनाओं का सही क्रियान्वयन न हो पाने से इसका उचित लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है।



अध्याय-चतुर्थ
मनरेगा परिचय एवं क्रियाव्ययन

अध्याय—चतुर्थ

मनरेगा परिचय एवं क्रियान्वयन

विकसित तथा विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या विकट बनी हुई है। भारत तथा विकासशील देशों की बढ़ती जनसंख्या ने इस समस्या को और अधिक विकट बना दिया है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा हर पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। किन्तु इस समस्या के निदान के बदले समस्या और विकट होती गई है। क्योंकि बेरोजगारी की समस्या का स्वरूप बहुआयामी है।

भौतिक उत्पादन के मूलतः दो ही क्षेत्र माने जाते हैं प्रथम कृषि तो द्वितीय कल कारखाने। अन्य सभी क्षेत्र इन दोनों के सहायक क्षेत्र माने जाते हैं। खाद्यान व पशुपालन कृषि के ही अंग मान लिए जाते हैं। दोनों की प्रकृति एक दूसरे से हमेशा अलग होती है।¹ खेती—किसानी की संरचना जैविक एवं प्राकृतिक ढंग की है और परिवारिक मेहनत के बलबूते पर सभी लोगों द्वारा मिलकर की जाती है वही उद्योग क्षेत्र मनुष्यों द्वारा तैयार मशीन पर निर्भर होता है तथा इसकी श्रम इकाई एक व्यक्ति होता है जो मजदूरी पर कार्य करता है। उत्पादन के दोनों साधनों में उत्पादन का रंग—ढंग व बढ़त का स्वरूप भी अलग होता है जो उनके चरित्र को निर्धारित करता है। उत्पादन का प्रथम साधन कृषि समाज का निर्माण करता है तो द्वितीय साधन उद्योग मनुष्य को मनुष्य से अलग करता है तथा बेचैन बनाता है। माना जाता है कि उत्पादन की प्रक्रिया के पहले चरण में लंबे समय तक परिवारिक श्रम पर टिकी खेती सबसे व्यापक रोजगार देने वाला क्षेत्र रहा है क्योंकि इसका स्वरूप मूलतः प्राकृतिक एवं मानव श्रम पर आधारित था। उत्पादन के अन्य क्षेत्रों से इसकी बढ़त प्रदान करने का कारण इसका प्राकृतिक ढंग का चरित्र था। भरपूर पूंजीकरण—मशीनीकरण के बावजूद इसमें बढ़त की प्राकृतिक सीमा बांधती है। दूसरी ओर पूंजी आधारित उद्योग का मौलिक चरित्र व्यक्तिमुखी और इसके बढ़त

¹ कैनेडी, माग्रेट, (1995) ब्याज व मुद्रास्फीति मुक्त मुद्रा, यू.एस.ए. सेवा इंटरेशनल मिचिगन पृ. — 22

का स्वरूप संपर्कीय है। बढ़त अगर एकदम तीव्र गति से बढ़ता है तो मशीन के रुकते ही उत्पादन धड़ाम से गिरता है।² यह मशीन के रुकने का कारण, वस्तु की मांग में कमी, मशीन खराबी, तथा नीतिगत निर्णय के कारण हो सकता है जिसके फलस्वरूप बेरोजगारी का प्रश्न सामने आ जाता है। छोटी जोत में उत्पादकता की मात्रा अधिक रहती है यह अर्थशास्त्रीय मान्यता है। इसलिए कहा जाता है कि बेरोजगारी की समस्या देश की आर्थिक नीति तथा विकास के प्रश्न से जुड़ी समस्या है।

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स के रोजगार सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण रोजगार किसी भी अर्थव्यवस्था में एक सामान्य स्थिति नहीं होती, अर्थव्यवस्था में हमेशा बेरोजगारी के कुछ स्तर मौजूद होते हैं।² जो श्रम और श्रम की आपूर्ति के लिए मांग के बीच असंतुलन की वजह से पैदा होता है। एक विकसित देश में बेरोजगारी की समस्या सामान्यतः प्रतिरोधात्मक होती है वहीं विकासशील देशों में गरीबी और इससे जुड़ी बेरोजगारी के कई रूप होते हैं। उदाहरणस्वरूप एक विकासशील देश की ज्यादातर समस्या संरचनात्मक बेरोजगारी, छुपी बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी होती है।

भारतीय भूमि एवं जलवायु अतुलनीय है। देश में प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार हैं। यहां की जलवायु विभिन्न मौसमों से भरी है। वन व खनिज सम्पदा ऐसी विविध की विदेशियों की निगाह इस धरती पर हमेशा से गड़ी रहती है। देश धनी है परन्तु जनसंख्या का 77 प्रतिशत भाग पीड़ादायक एवं अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर है।³ एक समय तक यह माना जाता था कि विकास का अर्थ औद्योगीकरण का एकल पथ है और यही सुख समृद्धि एवं पूर्ण रोजगार की कुंजी है। कृषि आधारित जीवनशैली को यह विचारधारा या समझ पिछड़ेपन के साथ जोड़कर देखती है। जबकि देखा जाए तो तथ्य इसके विपरीत नजर आता है। कृषि आधारित विकास भले ही धीमी गति से चलता है लेकिन उसकी गति स्वभाविक एवं प्रकृति से मेल खाती चलती है और समाज भी चैन से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता

² एम. एल. झिंगन(2011), "समिष्ट अर्थशास्त्र" वृन्दा पब्लिकेशन नई दिल्ली पृ.-35

³ शेखावत, प्रहलाद (2011), "भारत किधर जा रहा है" नई दिल्ली, इंडिया टुडे, पृ.- 4

है।⁴ भारत ने भी लम्बे समय की गुलामी के बाद विकास के औद्योगिक मार्ग को अपनाया। इस मार्ग पर सरकार द्वारा नियोजित ढंग से कार्य किया गया। वर्तमान समय में बारहवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होने वाली है इस समय में (आजादी से अब तक) देश ने औद्योगिक ढांचा को सशक्त किया जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि व खनिज क्षेत्र में भी वृद्धि हुई और हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भरता को प्राप्त किए लेकिन इस आर्थिक संवृद्धि के साथ-साथ भारत में बेरोजगारी की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी है जो भारत के सामाजिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल रहा है।

भारत में फैली अगर हम इस बेरोजगारी की समस्या की जड़ों को जानने की कोशिश करते हैं तो यह भारत में अंग्रेजी गुलामी से शुरू होती नजर आती है। अंग्रेजी शासन की शुरुआत से पहले भारत आत्मनिर्भरता, समृद्धि के उस स्तर पर था जहां भारतीय जनसंख्या को खेती एवं दस्तकारी से संतोष मिलता था और लोग भूखों नहीं मरते थे। ब्रिटिश गुलामी के पहले भारत विकास एवं समृद्धि के उस पैमाने (जिसे पश्चिमी देश विकास मानते थे) पर कहां खड़ा था इस पर स्वयं उनके द्वारा बनाए गए इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन (1916-18) की रिपोर्ट बताती है –

“जब आधुनिक उद्योगों की जन्मभूमि पश्चिमी यूरोप में असभ्य जातियों का वास था, भारत उसके शासकों के वैभव और दस्तकारों की कलात्मक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था। इसके बहुत समय बाद तक जब पश्चिमी देशों से जोखिम उठाकर सौदागर पहले पहल भारत पहुंचे तो इस देश का औद्योगिक विकास अधिक विकसित कहे जाने वाले यूरोपीय राष्ट्रों से किसी तरह से निम्न स्तर का नहीं था।⁵”

अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय कृषि, कपास, रेशम और मसाले बहुत प्रसिद्ध थे तथा भारतीय कृषि के माध्यम से अपने जनसंख्या की अनाज उपजा लेती थी। भारतीय कृषि करने के तरीके पश्चिमी देशों से कमतर नहीं थी। अंग्रेजों के आने से पहले भारतीय कृषि यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय थी। जो भारतीय सीधे तौर पर कृषि कार्य में नहीं लगे थे उनमें से बहुत सारे कृषि से संबंधित कार्यों

⁴ कैनेडी, माग्रेट, (1995) ब्याज व मुद्रास्फीति मुक्त मुद्रा, यू.एस.ए. सेवा इंटरनेशनल मिचिगन पृ. – 22

⁵ इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन (1916-18) रिपोर्ट, पृ. – 16

को कर अपना जीवन यापन करते थे। इस तरह भारतीय कृषि पर्याप्त रूप से विकसित थी और लोगों को रोजगार प्रदान करती थी।

अंग्रेजी शासन की लगभग 200 वर्षों की गुलामी ने भारतीय कृषि, वन सम्पदा एवं खनिजों के अत्यधिक शोषण ने भारतीय कृषि वन एवं लघु उद्योगों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जिससे बेरोजगारों की एक लम्बी कतार खड़ी हो गई। लम्बी गुलामी के बाद जब भारत आजाद हुआ तब 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा मध्यरात्रि को दिए गए भाषण ने जनता में एक नए भविष्य की आशा की चमक दिखाई दी उनके उद्घाटन भाषण में व्यक्त किए गए शब्दों में –

“जब दुनिया सो रही है तब भारत आलोक और स्वतंत्रता को अंगीकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है।”⁶

इस मध्यरात्रि के भाषण में आजाद भारत कैसा होगा इसकी एक झलक दिखाई पड़ी। आजादी के बाद भारत के समक्ष दो प्रश्न थे एक शासन प्रणाली कैसी हो और दूसरा विकास का रास्ता कैसा हो। अंग्रेजी शासन के समय से विकसित लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एवं संवैधानिक वाद-विवाद के बाद हमने लोकतंत्र को चुना। जिसमें विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली एवं पंचायती व्यवस्था को स्वीकारते हुए आगे चलने का निर्णय लिया गया।

दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वह यह कि विकास का रास्ता कैसा हो। एक मत गांवों का देश तथा कृषि प्रधान भारत होने के नाते कृषि विकास को गति देकर आगे बढ़ने पर जोर दिया गया। वही विकास के दूसरे मत रखने वालों का मानना था कि उद्योगों के रास्ते भारत को विकास की धुरी मानकर आगे बढ़ा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर जोर दिया गया लेकिन बाद के समय में औद्योगीकरण को विकास का केन्द्र मानकर कृषि को इस विकास के पूरक शाक्ति के तौर पर देखा गया जो लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। विकास के इस

⁶ मोलिंग एंड लापियरे, (1997) फीडम एट मिडनाइट, हार्पर, हिन्दी पॉकेट बुक पृ.252

बदलाव से भारत में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिला। कृषि विकास की योजनाओं एवं मशीनीकरण ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल किए जिससे कृषि पूंजी आधारित व्यवसाय बन गया तथा ग्रामीण इलाके में रोजगार एवं गरीबी का संकट बढ़ने लगा।

रोजगार एवं गरीबी के बढ़ते संकट ने ग्रामीण युवाओं को शहरों की ओर जाने पर मजबूर किया जिससे वे अपनी रोजी-रोटी के संकट को दूर कर सके। शहरों की ओर ग्रामीण युवाओं के रोजगार प्राप्ति की ललक ने नगरों में पलायन की दर बढ़ा दी। सरकार ने शहरी पलायन एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए बीसवीं शताब्दी के आठवें-नौवें दशक में बेरोजगारी उन्मूलन योजनाओं की शुरुआत की वही वैश्वीकरण के दौर में पूंजी सघन प्रयास को समृद्धि की राह बताकर देश के विकास का सिलसिला शुरू हुआ लेकिन व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो इस समय विकास की गाड़ी जिस रास्ते पर चल रही थी मशीनीकरण एवं अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य ने उत्पादन जनसंख्या का एक भाग धीरे-धीरे बेरोजगार होता चला गया। प्रत्येक वर्ष विकास की बढ़ती दर के बावजूद जनसंख्या के आनुपातिक भाग बेरोजगार होता चला गया।⁷ क्योंकि इस दौर के उद्योगपतियों का नारा "रोजगार घटाओ, उत्पादन बढ़ाओ" का था। जिससे इन पूंजीपतियों का अधिक से अधिक लाभ हो सके। भारत के उदारीकरण (वैश्वीकरण) के इस युग के पांच साल पश्चात (1991-96) विकास के इस अभियान का जो परिणाम सामने आया वह चिंताजनक थे। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट 'मानव विकास रिपोर्ट 1996' के द्वारा यह बताया गया कि "भारत रोजगार विहीन विकास के पदक्रम में पहुंचने का गौरव प्राप्त कर चुका है"⁸

वैश्वीकरण के इस दौर का एक और परिणाम यह हुआ कि देश का ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ने लगा क्योंकि उद्योगों तथा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कृषि की उपेक्षा की गई और उद्योगों के लिए सिर्फ कृषि को कच्चे माल की पूर्ति करने वाला बना दिया गया। जिसका परिणाम यह हुआ कि इस दौर में कृषि घाटे का धंधा बन

⁷ निनान, ओ.ए. (31 अक्टूबर 2011), आर्थिक विकास से बेरोजगारी नहीं घटी, द हिंदू, नई दिल्ली पृ.-12

⁸ मानव विकास रिपोर्ट (1996), विश्व बैंक, यू.एन.डी.पी., ऑक्सफोर्ड, यू. प्रेस, पृ.- 90

गया। कृषि से लोगों का इस समय मोह भंग होता चला गया और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के जीवन में बेरोजगारी, अभाव और निराशा का दौर शुरू हुआ।

अभाव और निराशा के इस वातावरण के दौर में केंद्र और राज्य सरकारों पर तथा ग्रामीण सामाजिक जीवन में रोजगार प्राप्त करने का सवाल प्रमुख रूप से उठने लगा और यह बेरोजगारी, अभाव जैसे मुद्दे भारत के राजनीति विमर्श के रूप में उभरकर सामने आये। बेरोजगारी, अभाव, निराशा तथा अर्ध बेरोजगारी के दौर में केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाओं की शुरुआत की गई। इसी समय महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया रोजगार गारंटी कार्यक्रम सबसे पुराना और सबसे व्यापक योजना थी।

1960 के गठन के बाद से ही महाराष्ट्र में सूखे का दौर आया जिससे भुखमरी और बेरोजगारी इस क्षेत्र में भयावह स्थिति में आ गई। भुखमरी, बेरोजगारी जैसे कठिन समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत करके हर बेरोजगारों के हाथ में काम देकर इस कठिन दौर से निकलने का प्रयास किया। जिसको मनरेगा योजना की पूर्ववर्ती योजना मानी जाती है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को जुलाई 1989 को कानूनी दर्जा प्रदान किया गया। परियोजना के लिए पैसे जुटाने के लिहाज से राज्य के हर कामकाजी व्यक्ति से प्रोफेशनल टैक्स वसूलना शुरू किया गया। सरकार द्वारा शुरू किया गया रोजगार गारंटी योजना का मूल भावना यह था कि गांव के खेतिहर मजदूरों को अपने-अपने क्षेत्र में काम उस समय प्रदान किया जाए जब उनको खेती-किसानी में काम ना मिल रहा हो। इस योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि यदि किसी एक गांव के 20 लोग आवेदन देते हैं काम करने के लिए तब सरकार उन लोगों के लिए 15 दिन के अन्दर उनके विकासखंड के अंतर्गत काम की व्यवस्था करेगी। अगर सरकार की तरफ से आवेदनकर्ता को काम नहीं दिया जाता है तो न्यायालय के निर्णय के अनुसार उन्हें बिना काम के उतने दिनों की निर्धारित मजदूरी राशि देनी पड़ती थी जो उस समय के 21 रुपए प्रतिदिन थी।⁹

⁹ Policy Brief – 6, The Maharashtra Employment Guarantee Scheme, Feb., 2006, Page - 2

इस कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य के लिए जो मजदूरी तय की गई थी वह खेतीहर मजदूरी की दर होती थी जो सरकार ने तय की थी। लेकिन इस बात की ओर भी ध्यान रखा गया था कि इस कार्यक्रम से खेती-किसानी में मजदूरी दर न बढ़ सके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई कि कोई कार्य ठेका पर न किया जाए।

4.1 पृष्ठभूमि :

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के 6 वर्षों में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के दौर में हुए कार्यों से देश में रोजगार की समस्या ज्यादा संकटपूर्ण हो गई जिससे 14वीं लोकसभा के चुनाव के दौरान देश में व्याप्त बेरोजगारी और युवाओं को रोजगार मुहैया कराने का मुद्दा प्रमुख रूप से था। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 2004 के चुनाव में भाजपा ने अपना अभियान "इंडिया शाइनिंग" के नारे से किया वहीं विरोधी दलों ने भारत में व्याप्त बेरोजगारी एवं सरकार में आने के बाद रोजगार देने के वादे से अपना अभियान शुरू किया। युवाओं में फैली बेरोजगारी अभाव एवं निराशा में राजग के इंडिया शाइनिंग के नारे को नकारते हुए यूपीए के गठबंधन को भारी मतों से 14वीं लोकसभा में विजय प्राप्त की।

चुनाव में विजयी होने के बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपी.ए.) की सरकार ने अपने चुनावी वायदे को निभाने की शुरुआत की जिसमें वह वर्ष 2005 के वार्षिक बजट में कृषि कर्ज मुहैया कराने के लिए दी जाने वाली राशि को 1,25,309 करोड़ से बढ़ाकर 1,41,000 करोड़ कर दिया। जिससे ग्रामीण कृषकों को मजबूती मिली।¹⁰ इसके साथ ही साथ इस सरकार द्वारा अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम के पहले अनुच्छेद में यह कहा गया की "संप्रग सरकार तत्काल एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम बनाएगी"। आरंभ में यह सार्वजनिक परिसंपत्ति तैयार करने वाले कार्यक्रमों को आरंभ कर प्रत्येक ग्रामीण-शहरी निर्धन तथा निम्न-मध्यम परिवार के कम से कम एक सक्षम व्यक्ति को प्रतिवर्ष न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान

¹⁰ वार्षिक बजट 2005-06, भारत सरकार, नई दिल्ली।

करने का कानूनी गारंटी प्रदान करेगा।¹¹ असंगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाएगा। आयोग इस क्षेत्र को तकनीक विपणन और ऋण सहायता देने के बारे में उचित सुझाव देगा तथा इसके लिए एक राष्ट्रीय कोष बनाया जाएगा।¹²

2004 में बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार को सोनिया गांधी के नेतृत्व में बनी एन.ए.सी. (राष्ट्रीय सलाहकार परिषद) में रोजगार देने की बात उठाई गई तब जुलाई-अगस्त 2004 के बीच साझा न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत की गई बात या संकल्प के अनुरूप ही एक प्रारूप बनाकर सरकार को एन.ए.सी. ने भेजा। सरकार द्वारा भेजे गए प्रारूप पर एन.ए.सी. एवं योजना आयोग में बहस हुई जिसमें आवश्यक साधनों की कमी का प्रश्न उठाते हुए रोजगार गारंटी के वायदे के अमल को अव्यवहारिक बताया गया। अंत में इस योजना को संशोधन के साथ सिर्फ ग्रामीण इलाकों में विभिन्न राज्यों के कुछ जिलों का चयन कर चलाने की बात स्वीकार की गई। अंततः संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा सरकार भारत की आजादी के 58 वर्ष बाद संविधान की अनुच्छेद 41 (कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार)¹³ राज्य के दिशा निर्देशक सिद्धांत के दायरे से बाहर निकलकर काम के अधिकार को कानूनी/वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया।

4.2 रोजगार अधिनियम की आवश्यकता क्यों ?

भारत सरकार द्वारा 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम पारित करते समय यह सवाल संसद में उठा कि आखिर रोजगार प्रदान करने के लिए अधिनियम/कानून क्यों बनाया जा रहा है कानून के बदले चलाए जा रहे रोजगार के कार्यक्रमों को विस्तार किया जाए या भारत में एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए जो बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता हो।

¹¹ ट्रेज, ज्यां, "वायदों का सच," योजना, अप्रैल 2005, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

¹² BBC.HINDI.COM

¹³ पाण्डेय, डा0 जय नारायण (2018), "भारत का संविधान," सेन्द्रल लॉ एजेंसी इलाहाबाद, पृ0 सं.-434।

संसद में सत्तापक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया कि पहले से चलाए गए कार्यक्रमों ने देश में बेरोजगारी की संकट को दूर करने में सफल नहीं हुए हैं जिससे की बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ बढ़ रही है। सरकारी अधिकारियों द्वारा कार्यक्रमों में लेट-लतीफी एवं भ्रष्टाचार से कार्यक्रम सही मायने में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए अगर व्यक्ति के पास काम का कानूनी अधिकार होगा तो यह सरकार पर एक जिम्मेदारी डालने का काम करेगा तथा मजदूरों को दी जानेवाली मजदूरी के सन्दर्भ में मजदूरों को मोल भाव की ताकत मिलेगी।

रोजगार कार्यक्रमों एवं अधिनियम में एक अंतर बतलाते हुए यह कहा गया कि सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम आते-जाते रहते हैं कार्यक्रम में नौकरशाह कांट-छांट करते रहते हैं या उसे निरस्त कर देते हैं लेकिन कानून ज्यादा स्थायी होते हैं इसे कांट-छांट या संशोधन संसद द्वारा हो सकता है। इसके पूर्व की योजनाओं में पंचायतों के प्रमुख द्वारा अपने चहेते पिछलग्गुओं को सिर्फ काम दिया जा रहा था जिससे ग्रामीण क्षेत्र में सभी लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पा रहा था।

रोजगार के संबंध में कानून बनने से मजदूरों को काम का स्थायी अधिकार मिलेगा। इससे मिलने वाली राशि का वे अपने परिवार पर अच्छी सुविधा पर व्यय करेगा तथा समय के साथ-साथ वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते रहेंगे और इस काम के अधिकार की रक्षा करना भी सीख जायेंगे।¹⁴

4.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना :

भारतीय संसद द्वारा सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम पारित किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव बादलापल्ली से शुरुआत की। इस गांव का नाम ही इस गांव की स्थिति को बतलाता है। बादलापल्ली का अर्थ होता है 'पत्थरों का गांव'। इस गांव की भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो यह छोटी-छोटी पहाड़ियाँ, सूखी झाड़ियाँ, सूखे खेत एवं शुष्क मौसम यहां पर पाया जाता है। इन कठिन परिस्थितियों में उस समय

¹⁴ द्रेज, ज्यां, "वायदों का सच," योजना, अप्रैल 2005, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

इस गांव में 719 परिवार जिनकी कुल संख्या 4200 थी।¹⁵ 2 फरवरी 2006 को इस गांव के लोगों के लिए सुखद एवं प्रसन्तापूर्ण जीवन की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को एक छोटे से गांव से विधिवत शुरुआत करने की घोषणा दो दलित महिलाओं सहित पांच ग्रामीणों को रोजगार कार्ड देकर की। उसी दिन गांव के आधे से अधिक परिवार के सदस्यों ने जॉब के लिए आवेदन दिया। योजना का प्रभाव इतना लोगों पर पड़ा कि रोजगार की तलाश में 20 घर छोड़कर बाहर गए थे वे वापस अपने गांव आ गये।

इसी योजना की शुरुआत करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि “योजना से गरीबों को गरिमा और आत्म सम्मान से जीने का अवसर सुलभ होगा।”¹⁶ इसी दिन देश के विभिन्न राज्यों के 200 जिलों (150 जिले जवाहर रोजगार योजना वाले तथा 50 चयनित अन्य जिले) में इस योजना को लागू किया गया। इसके साथ ही साथ ही यह कहा गया कि 5 वर्ष के अंदर देश के संपूर्ण 600 जिलों में चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया जाएगा।

4.3.1 उद्देश्य :

इस अधिनियम का उद्देश्य इसकी प्रस्तावना में दर्ज है जिसमें कहा गया है कि

“देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक ग्रहस्थी को, जिसने वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे सशक्त उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित है।”¹⁷

इसके साथ ही साथ गरीबों को अपने गांव के आस-पास कार्य देकर उन्हें गरिमापूर्ण और आत्मसम्मान से जीने का अवसर प्रदान करना तथा ग्रामीण

¹⁵ अरोडा, वेद प्रकाश, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कुरुक्षेत्र मई 2006, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।

¹⁶ पूर्वोक्त

¹⁷ राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, www.nrega.nic.in

आधारभूत संरचना के विकास के साथ टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण करते हुए उस क्षेत्र के ग्रामीण निर्धनों का आजीविका संसाधनों के लिए आधार का निर्माण करना जिससे वे उन परिसंपत्तियों से सतत आय प्राप्त कर सकें।

4.3.2 रोजगार की गारंटी

ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य जो अकुशल श्रमिक हो उसे एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी है लेकिन 100 दिन की गारंटी का तात्पर्य यह नहीं कि इससे अधिक रोजगार नहीं दिया जा सकता। मनमोहन सिंह योजना को शुरुआत करते हुए 100 दिन के रोजगार को पूरा माना था असाधारण या अनहोनी की घटना तथा राज्य सरकार अपने लोगों को इसमें दिए जाने वाले कार्य दिवस में बढ़ोतरी कर सकती है। (झारखंड सरकार नरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का कार्य मजदूर को प्रदान करती है।)

4.3.3 नरेगा के अंतर्गत मजदूरों को प्राप्त अधिकार

- प्रत्येक वर्ष (वित्तीय) में परिवार के एक सदस्य को 100 दिन के लिए अकुशल श्रमिक के रूप में रोजगार की गारंटी।
- प्रत्येक व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पार कर लिया हो अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य (रोजगार) की मांग करने का अधिकार।
- कार्य न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकार।
- कार्यस्थल पर स्वच्छ पीने का पानी, छाया, प्राथमिक उपचार तथा महिला श्रमिकों के बच्चों की देखभाल की सुविधा प्राप्ति का अधिकार।
- राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने का अधिकार।

4.3.4 ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण

ग्राम पंचायत के परिवार का प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के वयस्क सदस्यों (18 वर्ष) का जो काम करने के इच्छुक हो, अपना नाम, उम्र, लिंग और पता बता

कर पंजीकरण करवा सकता है। वर्तमान में यह पंजीकरण ऑनलाइन भी होता है। व्यक्ति द्वारा कराया गया पंजीकरण 5 वर्ष तक के लिए वैध होता है।

4.3.5 महत्वपूर्ण दस्तावेज जॉब कार्ड

जब परिवार के सदस्यों द्वारा पंजीकरण कर दिया जाता है तब ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवार को कार्ड दिया जाता है जिसे जॉब कार्ड कहते हैं। इस जॉब कार्ड पर व्यस्त व्यक्ति का फोटो तथा पंजीकरण संख्या अंकित होता है। यह जॉब कार्ड भी 5 वर्ष के लिए वैध होता है। इस कार्ड पर मजदूरों द्वारा किए गए कार्य दिवसों, प्राप्त मजदूरी, प्राप्त बेरोजगारी भत्ता आदि का लिखित ब्योरा होता है।

4.3.6 अधिनियम में 'परिवार' की परिभाषा

नरेगा अधिनियम में परिवार का अर्थ सभी सदस्यों से लिया गया है जो एक दूसरे से खून का रिश्ता, विवाह या गोद लेने से संबंध हो और जिनका भोजन और आवास एक साथ होता हो।

इस पर भाषा की एक समस्या यह है कि इसमें संयुक्त परिवार को भी एक परिवार माना गया है जिनमें कई वयस्क सदस्य इकट्ठे रहते हो और उनका एक ही राशन कार्ड है जबकि देखा जाए तो यह परिवार बहुत बड़ा होता है। यह परिभाषा ऐसे परिवारों के साथ अन्याय करता है क्योंकि इतने बड़े परिवार के सदस्यों की कार्य एवं आय की जरूरत ज्यादा होती है जबकि उनके सदस्यों को 100 दिन का ही काम मिलता है।

4.3.7 कार्य के लिए आवेदन

काम पाने के लिए एवं कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक परिवार के वयस्क सदस्य को ग्राम पंचायत या कार्यक्रम में अधिकारी (ब्लॉक/पंचायत समिति स्तर पर) को लिखित आवेदन करना होगा जिसके फलस्वरूप उन्हें तारीख युक्त पावती

रसीद प्राप्त होगा। रोजगार पाने के लिए आवेदन न्यूनतम 14 दिनों के लिए किया जाना चाहिए। (अनुच्छेद-2, अवतरण-7)¹⁸

4.3.8 महिलाओं को प्राथमिकता

नरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। यह उस क्षेत्र में रोजगार पाने वाले लोगों में से कम से कम एक तिहाई (33 प्रतिशत) संख्या उस क्षेत्र की महिलाओं की हो।

4.3.9 समयबद्ध रोजगार आवंटन

- पंजीकृत वयस्क सदस्य द्वारा आवेदन करने अथवा रोजगार की मांग करने के 15 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा काम दिया जाएगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा पत्र के माध्यम से या ग्राम पंचायत की सूचना पट्ट पर सार्वजनिक सूचना देकर यह सूचित करेगी कि कब और कहां आवेदक को काम के लिए उपस्थित होना है। (अनुच्छेद-2, अवतरण-11 एवं 22)

4.3.10 बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान

यदि आवेदक को ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन की तिथि से 15 दिनों के अंदर काम नहीं दिया जाता है तो वह निर्धारित शर्त के अनुसार वह बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा। बेरोजगारी भत्ता पर होने वाला व्यय भार राज्य सरकार वहन करेगी क्योंकि राज्य सरकार ही लोगों को काम देने में असफल रही है।

बेरोजगारी भत्ता पहले 30 दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की एक चौथाई की दर से तथा शेष दिनों के लिए न्यूनतम मजदूरी की आधे की दर से दिया जाएगा। (अनुभाग-7 (2))¹⁹

¹⁸ राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 भारत सरकार।

4.3.11 बेरोजगारी भत्ता कब नहीं दिया जाएगा

- ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी ने उस व्यक्ति को काम पर उपस्थित होने का निर्देश दे दिया हो और वह आवंटित कार्य के लिए उपस्थित नहीं हुआ हो।
- भत्ता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का वित्तीय वर्ष में कार्य करने का 100 दिन का कोटा पूरा हो गया हो।
- परिवार को वित्तीय वर्ष में प्राप्त पारिश्रमिक और बेरोजगारी भत्ता को मिलाकर 100 दिन के पारिश्रमिक के बराबर हो गया हो दूसरे शब्दों में उस व्यक्ति को कुल मिलाकर 100 दिन के निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के बराबर से ज्यादा भुगतान नहीं हो।

4.3.12 न्यूनतम मजदूरी की गारंटी

- अधिनियम के अंतर्गत राज्य के खेतिहर मजदूरों को दी जाने वाले न्यूनतम मजदूरी ही इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जायेगी जो 60 रु प्रतिदिन से कम नहीं होगी। (अनुभाग-6)
- वर्तमान समय में यह 167 रु प्रतिदिन है इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली दरों में राज्यवार विभिन्नता है। जहां हरियाणा और केरल में सबसे अधिक 277 रु मजदूरी है वहीं झारखंड और बिहार में यह दर केवल 168 रु प्रतिदिन है।¹⁹
- मजदूरी का भुगतान श्रमिक को 2 सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। कुल पारिश्रमिक का न्यूनतम 25 प्रतिशत नगद भुगतान आवश्यक है। (अनुच्छेद-2, अवतरण-31) जो वर्तमान समय में बदल कर सीधे मजदूरों के बैंक खातों में दी जाती है।

¹⁹ जनसत्ता, 5 मार्च 2017

- आवेदक को कार्य उसके निवास स्थान से 5 कि.मी. की परिधि के भीतर देना होगा। यदि उसको इस सीमा से बाहर कार्य/रोजगार दिया जाएगा तो उसे न्यूनतम मजदूरी से 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी।
- प्रत्येक कार्य स्थल पर मजदूरों के लिए पीने का पानी, छाया, विश्राम स्थल और प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जाएगी।
- कार्यस्थल पर काम के दौरान श्रमिक को किसी प्रकार की चोट लगने पर राज्य सरकार द्वारा मुफ्त इलाज कराई जाएगी तथा इस योजना के नियमों के अनुसार मजदूर को लाभ दिया जाएगा।

4.3.13 योजना के अंतर्गत होने वाले कार्य

भारत सरकार द्वारा नरेगा अधिनियम के अंतर्गत जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित किया है उसमें ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण करना जिससे ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के आजीविका संसाधनों को मजबूती/आधार प्रदान किया जा सके। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने नरेगा के अंतर्गत अनेक कार्यों के क्रियान्वयन पर बल दिया है –

- जल संरक्षण एवं जल संग्रहण।
- सूखा निवारण, वन रोपण और वृक्षारोपण।
- सिंचाई की नहरें, जिसमें मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्य शामिल हो।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के भू-स्वामियों की भूमि का भू-सुधार के लाभार्थियों की भूमि के लिए अथवा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के स्वयं के कृषि योग्य भूमि के लिए सिंचाई (नहर, आहार) की सुविधा, बागवानी बागान और भूमि विकास सुविधा प्रबंध।

- पारंपारिक जल स्रोतों (कुआँ, तालाब) की मरम्मत तथा तालाबों से गाद निकालना।
- भूमि विकास।
- बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से सुरक्षा के काम, जिनमें जलभराव से ग्रस्त इलाकों से पानी को निकालना।
- बारहमासी सड़कों का निर्माण जिससे ग्रामीण इलाकों को मुख्य सड़क से जोड़ना ताकि ग्रामीणों की आवाजाही को सहज बनाया जा सके।
- सड़क निर्माण परियोजना के अंतर्गत जरूरत के हिसाब से ग्रामीणों की आवाजाही को सरल बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुलिया का निर्माण तथा गांव के अंदर पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण।
- केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार से परामर्श एवं अधि सूचनानुसार नये कार्यों को सम्मिलित करना।

4.3.14 मजदूरी व सामग्री

- इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों में मजदूरी व सामग्री का अनुपात 60:40 का होगा।

4.4 योजना के अंतर्गत पंचायत संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधि की भूमिका :

4.4.1 ग्राम सभा की भूमिका

- पंचायत के समक्ष ग्राम सभा पंचायत के अंतर्गत होने वाले कार्यों की अनुशंसा करेगी तत्पश्चात ग्राम पंचायत अपनी कार्य की योजना तैयार करेगी।
- ग्राम सभा पंचायत के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के क्रियान्वयन की निगरानी (मॉनिटरिंग) करेगी।

- ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंतर्गत होने वाले समस्त कार्यों की (नरेगा के अंतर्गत या अन्य परियोजना) नियमित अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) करेगी।
- पंचायत नरेगा के अंतर्गत होने वाले समस्त कार्यों से सम्बन्धित कागजात ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगी जैसे –
 - मस्टर रोल
 - बिल
 - वाउचर
 - मैनेजमेंट बुक (MB)
 - स्वीकृति आदेश की प्रति
 - लेखा-अभिलेख आदि

4.4.2 ग्राम पंचायत स्तर की भूमिका

- ग्राम सभा की अनुशंसाओं के मद्देनजर विकास की योजना का निर्माण करना और योजनांतर्गत संभावित कार्यों की श्रृंखला तैयार करना।
- रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य के इच्छुक मजदूरों का पंजीकरण करना तथा उन्हें रोजगार पत्र जारी करना।
- काम करने हेतु आवेदन प्राप्त करना और आवेदकों का तिथि सहित रसीद जारी करना।
- आवेदकों के मध्य काम का बंटवारा करते हुए उन्हें काम पर उपस्थित होने की सूचना देना।
- रोजगार प्राप्त लोगों के नाम अपने सूचना-पट्ट पर दर्ज करना।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कार्यों का क्रियान्वयन करना।
- सामाजिक मूल्यांकन के दृष्टिकोण से सभी संबद्ध दस्तावेज ग्राम सभा को उपलब्ध कराना।

- पंचायत कार्यालय में हाजिरी बही की एक प्रति सुरक्षित रखना, ताकि जनता को दिखाया जा सके।
- योजना के क्रियान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- ग्राम पंचायत अगर चाहे तो वह एक स्थानीय स्तर के व्यक्ति को जो स्नातक हो सहायक के रूप में अनुबंध (Contractual) पर रख सकती है।
- ग्राम पंचायत तथा अन्य इस योजना के क्रियान्वयन में लगी एजेंसियों को मस्टर रोल रजिस्टर रखने होंगे।
- इस मस्टर रोल रजिस्टर में इस योजना से सम्बंधित विभिन्न जानकारियां दर्ज की जाएगी
 - काम पर मौजूद व्यक्ति का नाम
 - व्यक्ति का रोजगार कार्ड क्रमांक
 - कुल कितने दिन काम किया
 - कितने दिन उपस्थित रहा
 - कुल कितना वेतन मिला
 - कार्य/परियोजना की विशिष्ट पहचान संख्या
 - भुगतान करने वाले का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
- मस्टर रोल की एक प्रति सार्वजनिक निगरानी के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में रहेगी।
- ग्राम पंचायत द्वारा अनेक रिकार्ड संभाल कर रखना होगा जिसमें –
 - आवेदक पंजीकरण रजिस्टर
 - रोजगार कार्ड रजिस्टर
 - रोजगार रजिस्टर
 - सम्पदा रजिस्टर
 - मस्टर रोल प्राप्ति रजिस्टर
 - शिकायत रजिस्टर

4.5 ग्राम पंचायत द्वारा जरूरी बातों को ध्यान में रखना :

- होने वाला कार्यक्रम ग्राम सभा द्वारा पास है व नरेगा की नियमावली 5.1 के अंतर्गत आता है या नहीं ?
- प्रस्तावित कार्य का एस्टीमेट तैयार है या नहीं ?
- एस्टीमेट के साथ कार्यस्थल का नक्शा संलग्न है या नहीं ?
- सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति ली गई है या नहीं ?
- यह सहमति हो गया है कि मजदूरों द्वारा किए जाने वाले कार्य पर एक दिन की न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करने के लिए कितना कार्य करना होगा या नहीं ?
- प्रत्येक दिन शाम को रोजगार सहायक ने मजदूरों को यह बताया है कि उन्होंने कितने रुपए का कार्य किया है या नहीं ?
- क्या कार्यस्थल पर कार्य की अनुमानित लागत, कार्य शुरू करने की तारीख, कुल रोजगार मानव दिवस जो सृजित होंगे तथा कार्य समाप्ति की संभावित तिथि लिखे हैं ?
- क्या कार्य शुरू करवाने से पहले व कार्य समाप्त होने के बाद कार्यस्थल का फोटो खींचा गया है ?
- क्या निरीक्षणकर्ता अधिकारी ने यह सत्यापित किया है कि कार्यस्थल पर कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ?
- लागत मजदूरी की अदायगी निगरानी समिति व सतर्कता समिति तथा लाभार्थी समिति के सामने की है या नहीं ?

4.6 जिला स्तर की भूमिका :

- नरेगा योजना का जिला स्तर पर निगरानी 'जिला समन्वयक' अधिकारी का दायित्व है।
- जिला समन्वयक अधिकारी से उम्मीद किया जाता है कि वह अगले वित्तीय वर्ष के लिए हर एक वर्ष दिसंबर में एक 'श्रमिक बजट' तैयार करें।

- जिला समन्वयक का दायित्व है कि वह जिला में जारी कार्यों को नियमित निरीक्षण करें, कार्यक्रम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र से बाहर के कार्यों का अनुमोदन, जिला पंचायतों की सहायता और राज्य परिषद के लिए वार्षिक रिपोर्ट का निर्माण।

4.7 कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व :

- कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व है कि वह अपने क्षेत्र के अंतर्गत मांग आधारित रोजगार और उपलब्ध रोजगार के बीच तालमेल स्थापित करें।
- ग्राम पंचायत यदि अपने क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को काम उपलब्ध नहीं करा पाता है तो कार्यक्रम अधिकारी का दायित्व है कि उस पंचायत के लोगों को काम उपलब्ध कराये।
- कार्यक्रम अधिकारी अपने क्षेत्र के पंचायतों द्वारा प्रस्तावित एवं तैयार कार्यक्रम (परियोजना) को संकलित करना।
- पंचायत एवं पंचायत समिति की जिम्मेदारी (कार्य) को पूरा करने में सहायता देना।
- पंचायत समिति स्तर पर ग्राम पंचायतों तथा इस योजना के क्रियान्वयन में लगी अन्य एजेंसी के द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों का मॉनिटर करना।
- इस योजना के अंतर्गत जिले से मिली राशि को क्रियान्वयन में लगी अन्य एजेंसियों को देना और उसके व्यय से सम्बंधित लेखा जोखा प्राप्त करना।
- कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन में लगी विभिन्न एजेंसी से प्राप्त रिकार्ड अनिवार्य रूप से रखना होगा जिसमें :-
 - रोजगार रजिस्टर
 - रोजगार कार्ड रजिस्टर
 - मस्टर रोल जारी रजिस्टर

- सम्पदा रजिस्टर
 - शिकायत रजिस्टर
- कार्यक्रम अधिकारी अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों तथा क्रियान्वयन एजेंसियों को एक विशिष्ट पहचान संख्या से अंकित मस्टर रोल जारी करेगा।
 - ऐसे किसी भी मस्टर रोल को गैर-कानूनी माना जाएगा जिसे कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया हो।

4.8 पारदर्शिता के प्रावधान :

ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनवरी 2006 में जारी किया गया रोजगार गारंटी कानून क्रियान्वयन दिग्दर्शिका (ओ.जी.) में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के विस्तृत प्रावधान शामिल किए गए हैं जिससे इस योजना को सरल एवं भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सके :-

- पंजीकरण का काम जनता के समक्ष होना चाहिए। लोगों को अपने या अन्य लोगों के तमाम विवरणों को जांचने-परखने की सुविधा मिलनी चाहिए।²⁰
- पंजीकृत परिवारों की सूची ग्राम पंचायत कार्यालय में प्रदर्शित होना चाहिए और प्रत्येक तीन माह पर उसका नवीकरण किया जाना चाहिए।²¹
- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के मजदूरों के मुख्य अधिकार जॉब कार्ड के पीछे छिपे होने चाहिए।²²
- इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत हर एक कार्य के लिए एक स्थानीय सतर्कता और निगरानी समिति होनी चाहिए।²³

²⁰ क्रियान्वयन दिग्दर्शिका (ओ.जी.) 2006, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय।

²¹ पूर्वोक्त

²² पूर्वोक्त

²³ पूर्वोक्त

- प्रत्येक कार्यस्थल पर कार्य के विवरण इस प्रकार प्रदर्शित हो कि जनता आसानी से पढ़-समझ सके।²⁴
- योजना के सभी कार्यों का सामाजिक मूल्यांकन ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए।²⁵

इन सबके बावजूद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त करने वाले रोजगार एवं आंकड़ों में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार कानून का पालन किया जाता है जिसमें इस योजना से संबंधित दस्तावेजों की प्रति आर.टी.आई. के तहत मांगने पर उसकी प्रति मुहैया 7 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। इसके साथ ही साथ यह भी व्यवस्था की गई है कि संबंधित प्रतियों को मुहैया कराने का शुल्क छाया प्रति के व्यय से ज्यादा ना हो।

लेकिन अब तक के आंकड़े एवं कैग की रिपोर्ट यह बताती है कि ग्राम सभा द्वारा होने वाला सामाजिक अंकेक्षण कुछ राज्यों को छोड़कर नियमित नहीं होती है।²⁶

योजना का क्रियान्वयन

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगारों की समस्या दूर कर काफी हद तक उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य किया है। योजना के क्रियान्वयन के समय इस योजना में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी निश्चित कर ग्रामीण एवं कृषि मजदूरी में वृद्धि करने में सहायता प्रदान की है। इसमें भी ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा देखने को मिली है। इसके साथ ही इस योजना ने पुरुषों एवं महिलाओं को समान मजदूरी देने (समान काम, समान वेतन) के लक्ष्य को निर्धारित किया।

²⁴ पूर्वोक्त

²⁵ पूर्वोक्त

²⁶ कैग रिपोर्ट (2011), भारत सरकार।

तालिका : 4.1 नरेगा पूर्व एवं बाद में ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी में वृद्धि

2000 वाले दशक में ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक मजदूरी में वृद्धि की दरें (प्रतिशत प्रतिवर्ष)				
2000-01 से 2005-06 (नरेगा से पहले)			2005-06 से 2010-11 (नरेगा के बाद)	
	पुरुष	महिलाएँ	पुरुष	महिलाएँ
सभी ग्रामीण मजदूर	0.01	-0.05	1.82	3.83
कृषि मजदूर	0.10	0.05	2.67	3-67
गैर-कृषि मजदूर	0.04	0.04	1.21	4.34
अकुशल मजदूर	0.01	0.04	3.98	4.34

स्त्रोत : उसामि (2012), श्रम ब्यूरो, शिमला।

मनरेगा अन्य योजनाओं से भिन्न मांग आधारित योजना है जिसके अधीन जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार, वानिकी वृक्षारोपण, भूमि विकास इत्यादि कार्यक्रमों को अपनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 2006-07 में कुल जॉब कार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या 3.78 करोड़ था जो 2018-19 में बढ़कर 12.98 करोड़ हो गया। जिसमें कुल सक्रिय मजदूरों की संख्या 11.84 करोड़ है।²⁷ सरकार द्वारा चलाई गयी विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं में मनरेगा रोजगार देने वाली सबसे बड़ी योजना है जो श्रमिकों को इनके घर के आस पास कार्य प्रदान करती है। अगर हम भारत सरकार द्वारा चलाई गयी अन्य रोजगार योजनाओं से तुलना करें तो मनरेगा का रोजगार देने में सर्वाधिक 91 प्रतिशत योगदान है।²⁸

²⁷ www.nrega.nic.in

²⁸ पॉचवी भारतीय रोजगार रिपोर्ट-बेरोजगारी सर्वे, 2015-16 भाग-1, पृ0-16

तालिका : 4.2 राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा की प्रगति

प्रगति	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2016-17	वित्त वर्ष 2015-16	वित्त वर्ष 2014-15	वित्त वर्ष 2013-14
अब तक सृजित कुल कार्य दिवस (करोड़ में)	231.60 (श्रम बजट का 100 प्रतिशत)	235.6458	235.1465	166.21	220.37
रोजगार के औसत दिन प्रति परिवार	45.44	46	48.85	40.17	45.97
परिवारों द्वारा किया गया कुल कार्य (करोड़ में)	5.10	5.1224	4.8134	4.14	4.79
दिव्यागजनों के द्वारा किया गया कार्य	469393	471819	459597	413316	486495
पूर्ण किये गये कार्यों की संख्या (करोड़ में)	54.22	65.46	36.18	29.44	27.42
कृषि तथा कृषि संबंधित अन्य कार्यों पर परिव्यय का प्रतिशत	68.46	66	62.85	52.81	48.7
कुल परिव्यय (करोड़ में)	63887.35	58062.92	44002.59	36025.04	38552.62
ईएफएमएस के जरिए कुल परिव्यय प्रतिशत में	96.31	92.33	91.19	77.35	37.17
15 दिनों में दिए गये भुगतान का प्रतिशत	85.75	43.43	36.92	26.85	50.09

स्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

ग्रामीण श्रमिकों को यह योजना अपना कदम आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। सरकारी आकड़ों के अनुसार शुरुआती दिनों के बाद से (2008 – 09 के बाद) हर साल लगभग 5 करोड़ परिवार नरेगा में भाग लेते हैं तथा हर वर्ष औसतन 40-44 दिन प्रति परिवार को मनरेगा में रोजगार मिलता है। ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि ने न केवल मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों को लाभ

पहुँचाया बल्की ग्रामीण कामगार भी इस वृद्धि से लाभाविंत हो अपनी आय में वृद्धि कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति किये।

तालिका :4.3 वित्तीय वर्ष 2017–18 में मनरेगा द्वारा किया गया रोजगार सृजन का विवरण

राज्य	जॉब कार्ड धारको की संख्या	कार्य मांगने वाले जॉब कार्ड धारको की संख्या	कार्य दिये जाने वाले जॉब कार्ड धारको की संख्या	परिवारो द्वारा किया गया कुल कार्य
आन्ध्र प्रदेश	8641251	7414543	6513082	212091763
केरल	3335989	1672181	1471107	61959450
बिहार	148332241	3575580	270289	81719613
झारखंड	4119647	2712812	1908209	59274361
मध्य प्रदेश	6701624	7654649	6098330	162246202
महाराष्ट्र	8417902	3634010	3139897	82532128
हरियाणा	885730	494071	396050	9037119
छत्तीसगढ़	3701963	5537036	4277448	119929309
पंजाब	1464466	991642	809495	22310598

स्रोत : www.nrega.nic.in

गरीब तथा कमजोर वर्ग के परिवारों की आय तथा उनके जीवन-यापन पर मनरेगा का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। विभिन्न अध्ययनों से पाया गया है, मनरेगा इन वर्गों के उपयोग क्षमता तथा परिवार के अन्य क्षेत्रों में व्यय को वृद्धि प्रदान किया है। इस तबके के लोगों के बच्चों के शिक्षा पर होने वाले खर्च पर भी सकारात्मक प्रभाव मनरेगा ने डाला है।²⁹ इसके साथ ही साथ मनरेगा में होने वाले भूमि विकास कार्यों ने इस तबके के लोगों की भूमि पर होने वाले कृषि एवं उससे होने वाली उपज में वृद्धि की है। मनरेगा योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण लोगों को रोजगार मुहैया कराना था, लेकिन इसके साथ ही साथ इस रोजगार प्राप्ति के दौरान यह भी ध्यान रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र की आधारभूत संरचना एवं कृषि को भी इससे मजबूती प्रदान किया जा सके। इसलिए इसके अन्तर्गत होने वाले कार्यों

²⁹ मनरेगा समीक्षा-2 (2015), UNDP, INDIA- पृ-32।

में कृषि एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्यों को ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आय में वृद्धि के साथ कृषि उपजों में भी वृद्धि की जा सके।

तालिका : 4.4 मनरेगा में कृषि एवं कृषि से संबंधित होने वाले अन्य कार्य

वित्तीय वर्ष	कृषि एवं कृषि से संबंधित कार्य का प्रतिशत	
2014-15	52.81	
2015-16	62.85	
2016-17	66.00	
2017-18	66.77	
2018-19 (as on 05-02-2019)	65.77	

स्रोत : www.nrega.nic.in

मनरेगा कामगार मुख्यतः ग्रामीण आबादी के अभावग्रस्त तबकों से आते हैं। यह योजना इस अभावग्रस्त तबकों को रोजगार एवं आजीविका का सुरक्षा प्रदान कर उन्हें आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध कराता है। मनरेगा अपने शुरुआती समय से लेकर अब तक ग्रामीण लोगों को मौलिक आय की सुनिश्चितता प्रदान करता है। यह महिलाओं को कार्य की सुनिश्चितता प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाया है। आन्ध्र प्रदेश का एक अध्ययन यह बताता है कि इस योजना के कारण लोगों के मासिक प्रति उपयोग तथा गैर-भोज्य उपयोग पर होने वाले व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। इस योजना द्वारा श्रमिकों के घर के 5 कि० मी० के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराकर श्रमिकों के परिवहन व्यय पर होने वाले खर्च में भी कमी की है। इसके साथ ही साथ आन्ध्र प्रदेश का सर्वे (2500 घरों) योजना शुरू होने के पहले एवं योजना के बाद व्यक्ति के उपयोग व्यय, उर्जा और प्रोटीन ग्रहण तथा संपत्ति एकत्र करने पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।³⁰ मेरीलैंड-एनसीईआर 2011-12 के रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा से कुल गरीबी मात्र 1.1 फीसदी घटी वही अगर मनरेगा के समग्र प्रभाव को गरीबी उन्मूलन के रूप में हम सिर्फ उन परिवारों को

³⁰ मनरेगा समीक्षा (2006.12), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।

शामिल करे जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए तो यह बढ़कर 6.7 प्रतिशत अंक की कमी उन परिवारों के लिए हुआ जिन्हे कुछ सकारात्मक पेमेंट प्राप्त हुए जो प्रारंभ से ही निर्धन थे।³¹

परिवार की कुल आय अथवा परिवार की आय का एक हिस्सा गरीबों के लिए इस योजना की प्रासंगिकता का संकेतक माना जाता है, तीन राज्यों के परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण का एक अध्ययन यह बताता है कि मनरेगा से गरीबों की आय में सबसे ज्यादा आन्ध्र प्रदेश 17 प्रतिशत, राजस्थान 10 प्रतिशत जबकी महाराष्ट्र में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अन्तर्गत अधिनियम में उल्लेखित कुल व्यय का 60 प्रतिशत मजदूरी पर खर्च करने का नियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2015–16 में कुल व्यय 43380.72 करोड़ में से 30,890.96 करोड़ मजदूरी पर खर्च किया गया। वही 2017–18 में कुल व्यय 63,651.04 करोड़ में से 43,130.24 करोड़ रुपये मजदूरी पर खर्च किया गया।³²


मनरेगा ने लैगिंग समानता एवं महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए महिलाओं को आत्म निर्भर बनाया है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी अन्य सभी योजनाओं की तुलना में अधिक है। इस योजना में रोजगार पाने वालों में महिलाओं का अनुपात पिछले कुछ वर्षों से 50 प्रतिशत या इससे कुछ अधिक रहा है, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां महिलाओं की भागीदारी शुरुआत में बहुत कम होती थी, इनमें भी वर्तमान समय में लगातार वृद्धि देखने को मिली है।

मनरेगा भारत की सबसे बड़ी रोजगारपरक योजना है जो भारत के हर नागरिक को काम का अधिकार प्रदान करती है 2006 में लायी गई इस योजना का अब-तक सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है। यह योजना ग्रामीण लोगों को घर के आस-पास कार्य प्रदान कर उन्हें अतिरिक्त आय प्रदान की है। ग्रामीण महिलाओं का इसमें भागीदारी से उनके कुल पारिवारिक आय में वृद्धि होने के साथ-साथ इस योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है।

³¹ राष्ट्रीय सहारा, मनरेगा के दस साल कितने असरदार, कितने कारगर, 13 फरवरी 2016।

³² www.narega.nic.in

आंध्र-प्रदेश और महाराष्ट्र के सर्वे यह बतलाते हैं की मनरेगा सिर्फ गांवो की आधारभूत संरचना में ही बृद्धि नहीं कर रहा है बल्कि लोगो के स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले खर्च में भी सकारात्मक वृद्धि प्रदान कर रहा है परन्तु अन्य योजनाओं की तरह इस योजना का भी जागरूकता की कमी और भ्रष्टाचार के कारण सही लोगों तक इसका लाभ नहीं पहुंचाया जा सका है। सरकार ने भ्रष्टाचार को कम करने के लिए समय-समय पर अनेक नियम बनाये है लेकिन जनभागीदारी के आभाव में तथा जागरूकता की कमी के कारण इस योजना का लाभ सही तरह से लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

A decorative border with floral and scrollwork patterns in blue ink, framing the central text.

अध्याय-पंचम
बिहार में ग्रामीण
विकास और मनरेगा

अध्याय—पंचम

बिहार में ग्रामीण विकास और मनरेगा


भारत को अतीत में सबसे ज्यादा गर्व का मौका बिहार ने ही दिया है मगध और पाटलिपुत्र का इतिहास सबसे सुनहरे पन्नों में एक रहा है प्राचीन काल में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र शासन का केंद्र स्थल रही। गंगा घाटी में बसा यह क्षेत्र ज्ञान, धर्म, अध्यात्म व सभ्यता संस्कृति से भारत ही नहीं विश्व को आलोकित किया है। मध्यकाल में शेरशाह सूरी के शासनकाल में यह भारतीय शासन का केंद्र रहा। अंग्रेजी राज में बंगाल प्रांत (बिहार, बंगाल, उड़ीसा) के नाम से जाना जाने वाला बिहार पहली बार 1950 में बंगाल विभाजन के बाद अस्तित्व में आया 1936 में उड़ीसा से अलग होकर एक स्वतंत्र बिहार की नींव पड़ी लेकिन आजादी के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड राज्य भी अलग हो गया।

5.1 भौगोलिक स्थिति :

उत्तर भारत में $21^{\circ}58'10''$ — $27^{\circ}31'15''$ उत्तरी अक्षांश तथा $82^{\circ}19'50''$ — $88^{\circ}17'40''$ पूर्वी देशांतर के बीच बिहार राज्य हिंदी भाषी राज्य है । राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है।¹ जिसमें 92,257.57 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है। भौगोलिक तौर पर बिहार को तीन भागों में बांटा जा सकता है —

1. उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग
2. मध्य का विशाल मैदान
3. दक्षिण का पहाड़ी किनारा

¹ Gov.bih.nic.in



मानचित्र – बिहार

5.2 जनसांख्यिकी :

2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी जो पूरे देश की जनसंख्या (121.06 करोड़) का 8.6 प्रतिशत है। जनसंख्या के वर्तमान वृद्धि दर के अनुसार अप्रैल 2018 तक बिहार की जनसंख्या 11.9 करोड़ होगी। अगर हम जनसांख्यिकी विवरणी को पूरे भारत की जनसांख्यिकी विवरणी से तुलना करें तो पाते हैं कि 2001-2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर बिहार में 25.1 प्रतिशत रही जबकि संपूर्ण देश की 17.6 प्रतिशत। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार की जनसंख्या 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है जबकि देश कि 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में शहरीकरण की दर मात्र 11.3 प्रतिशत है जबकि पूरे देश में 31.2 प्रतिशत। अगर हम शहरी आबादी की दशकीय वृद्धि दर को देखें तो पाते हैं कि यह वृद्धि बिहार में 0.8 प्रतिशत रही जबकि पूरे देश में 3.4 प्रतिशत।

इस जनसांख्यिकी विवरणी एवं बिहार का क्षेत्रफल एवं भौगोलिक परिस्थितियों के साथ जोड़कर हमें इसके विकास का अध्ययन करना होगा क्योंकि जनसंख्या का दबाव एवं सामाजिक आर्थिक कारक बिहार के विकास की सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है।

तालिका: 5.1 भारत और बिहार की जनसांख्यिकी विवरणी और प्रशासनिक ढांचा (2001 और 2011)

जनसांख्यिकी सूचक	बिहार		भारत	
	2001	2011	2001	2011
जनसंख्या (करोड़)	8.29	10.41	102.87	121.06
लिंग अनुपात (महिला प्रति हजार पुरुष)	919	918	933	943
बाल लिंग अनुपात	942	935	927	919
जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	880	1106	325	382
शहरीकरण प्रतिशत	10.5	11.3	27.8	31.2
दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत	28.6	25.1	21.5	17.6
जिलों की संख्या	37	38	593	640
वैधानिक जनगणना शहरों की संख्या	130	199	5161	7935
गांवों की संख्या	45098	39073	638596	597369

स्रोत- भारत की जनगणना, 2001 और 2011।

5.3 बिहार की अर्थव्यवस्था :

बिहार की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था है यहाँ का अधिकांश क्षेत्र ग्रामीण है। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के कारण एवं आजादी के बाद क्षेत्र का विकास नहीं हो पाने के कारण यह एक पिछड़ा राज्य है हाल के दिनों में इन कमजोरियों के बावजूद विकास की प्रक्रिया में निरंतरता देखने को मिली है तथा विकास दर में बिहार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास दर से अधिक पाई गई है।

- पिछले दशक में 2004–2005 से 2014–2015 के बीच स्थिर मूल्य पर राज्य की आय 10.1 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2015–16 में 7.5 प्रतिशत और 2016–17 में 10.3 प्रतिशत रही।
- बिहार में जहां प्रति व्यक्ति आय स्थिर और वर्तमान में (2011–12), दोनों मूल्यों पर 23,525 रु. थी। वहीं 2016–17 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011–12 के स्थिर मूल्य पर 3.32 लाख करोड़ रुपए था और प्रति व्यक्ति आय 29,178 रु. है। वर्तमान मूल्य 2016–17 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 4.38 लाख करोड़ रु. अनुमानित है। जिससे प्रति व्यक्ति आय 38,546 रु. ठहरती है।²
- बिहार की अर्थव्यवस्था एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वाहक क्षेत्रों में खनन एवं प्रस्तर खनन (67.5 प्रतिशत), विनिर्माण (25.9 प्रतिशत), भंडारण और संचार (13.5 प्रतिशत) तथा वित्तीय सेवाएं (10.1 प्रतिशत) थे। इन समस्त क्षेत्रों में विकास की दर 10 प्रतिशत से अधिक थी।

5.4 आर्थिक एवं ग्रामीण उद्योग :

किसी भी अर्थव्यवस्था के शुरुआती चरण में प्राथमिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण होती है। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है और आर्थिक विकास में तेजी आता है तब मांग कृषि क्षेत्र से द्वितीयक और

² आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18, बिहार सरकार।

तृतीयक क्षेत्रों की दिशा में चली जाती है और अर्थव्यवस्था में इन क्षेत्रों की भूमिका बढ़ने लगती है। अर्थव्यवस्था में और अधिक विकास इन क्षेत्रों के द्वारा बड़े पैमाने की प्रेरणा से ही होता है। अगर हम इस आधार पर बिहार को देखते हैं तो पाते हैं कि पिछले 5 वर्षों (2011-12 से 2015-16) के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था का विकास 4.9 प्रतिशत की दर से हुआ वहीं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की विकास दर क्रमशः 8.5 प्रतिशत और 5.3 प्रतिशत रही। अन्य राज्यों की अपेक्षा यह दर काफी कम है लेकिन बिहार जैसे पिछड़े राज्य में यह ढांचागत परिवर्तन को दर्शाता है।

तालिका: 5.2 बिहार में 2011-12 के मूल्य द्वितीयक क्षेत्रों की वार्षिक विकास दर

क्षेत्र	वार्षिक विकास दर				
	2012-15	2013-14	2014-15	2016-17	2017-18
खनन एवं प्रस्तर का नाम	8.94	540.62	-58.35	177.92	-5.93
विनिर्माण	-33.76	94.49	37.40	9.33	-1.26
निर्माण	-5.22	6.46	-4.55	-5.43	-0.13
बिजली/जलापूर्ति/गैस	9.80	2.76	3.43	-2.61	6.43
संपूर्ण द्वितीयक क्षेत्र	-13.24	27.82	11.86	1.60	-0.21
कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.93	4.98	3.65	7.54	10.32

स्रोत- अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार

बिहार में आए यह ढांचागत परिवर्तन बिहार सरकार की राजनीति इच्छाशक्ति एवं राज्य सरकार द्वारा विकास पर जोर देते हुए इस पर होने वाले व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप संभव हो पाया है।

तालिका : 5.3 उद्योगों पर राज्य सरकार द्वारा व्यय (करोड़ में)

व्यय	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	वार्षिक चक्रवृद्धि व्यय
उद्योगों पर व्यय						
1. राजस्व व्यय	534	580	561	1201	888	19.1
2. पूंजीगत व्यय	49	535	3	29	228	1.6
3. योग	583	1115	564	1230	1116	15.0
आर्थिक सेवाओं पर व्यय	20246	24871	29173	37350	44943	22.1
उद्योगों पर व्यय आर्थिक सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत के बतौर	2.9	4.5	1.9	3.3	2.5	—

स्त्रोत:- बिहार गजट।

किसी भी राज्य के विकास में औद्योगिक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसमें प्राकृतिक संसाधन सहायक होते हैं लेकिन नवंबर 2000 में बिहार की विभाजन के बाद प्राकृतिक संसाधनों वाला हिस्सा झारखंड में चले जाने से बिहार में सिर्फ कृषि आधारित उद्योगों की संभावना बची रही लेकिन इन सब के बावजूद औद्योगिक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि बिहार में 2014-15 में कृषि आधारित उद्योगों का हिस्सा 34.9 प्रतिशत था जबकि पूरे भारत का यह आंकड़ा 41.6 प्रतिशत था जबकि गैर कृषि आधारित उद्योगों का हिस्सा 2014-15 में 65.1 प्रतिशत था।³ लेकिन 2014-15 में भारत के कुल कारखानों में बिहार की हिस्सेदारी मात्र 1.6 प्रतिशत है जबकी जनसंख्या की भागीदारी 8.6 प्रतिशत है जिसके कारण आबादी का बड़ा हिस्सा पलायन करने पर मजबूर है।

बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था ग्रामीण होने के नाते यहां लघु एवं कुटीर उद्योगों की भरमार है जो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। 2013 में मौजूद आर्थिक उद्यमों ने 32.44 लाख रोजगार प्रदान किया गया था। अगर

³ वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण, बिहार सरकार।

हम पिछले 8 वर्षों के रोजगार वृद्धि दर को देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में यह 54.6 प्रतिशत, शहरी क्षेत्रों में 24.0 प्रतिशत थी। छोटे-छोटे उद्यमों की स्थापना एवं उसमें हो रही वृद्धि से बिहार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का तेजी से विविधीकरण हो रहा है। विविधीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के स्तर में उसके अनुरूप वृद्धि होगी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की आर्थिक स्थिति उन्नति करने में मददगार होगी।

तालिका: 5.4 ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों की बढ़ोतरी (संख्या हजार में)

क्षेत्र		2005	2013	प्रतिशत वृद्धि
उद्यमों की संख्या	ग्रामीण	835	1200	43.7
	शहरी	389	507	30.3
	योग	1224	1707	39.4
स्वश्रम उद्यम	ग्रामीण	751	850	13.2
	शहरी	280	309	10.3
	योग	1031	1159	12.4
कृषि उद्यम	ग्रामीण	30	77	159.2
	शहरी	5	8	57.0
	योग	35	85	144.0
गैर कृषि उद्यम	ग्रामीण	806	1123	39.4
	शहरी	384	499	29.9
	योग	1190	1622	36.3
नियोजित व्यक्तियों की संख्या	ग्रामीण	1405	2171	54.6
	शहरी	865	1073	24.0
	योग	2270	3244	42.9

स्रोत:- अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार स्रोत।

5.5 गरीबी :

बिहार की गिनती उन चार राज्यों में होती है जिन्हें **बिमारू (BIMARU)** राज्य कहा जाता है। आजादी के बाद इस राज्य का आर्थिक विकास न हो पाने के कारण यहाँ पर गरीबी का अनुपात अन्य राज्यों की अपेक्षा आधिक है। जिससे यहाँ की आबादी कार्य के लिये आये दिन पलायन करने पर मजबूर है। इस गरीबी एवं पलायन के पीछे अनेक कारण हैं जिसमें बिहार का औद्योगिक विकास न हो पाना, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव, योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन न हो पाने जैसे कारण हो सकते हैं। आजादी के बाद राजनीतिक नेतृत्व ने गरीबी दूर करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तथा योजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण एवं विभिन्न योजनाओं में होने वाले खर्च में कटौती के कारण बिहार से गरीबी दूर नहीं किया जा सका है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार द्वारा योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन तथा इस पर होने वाले खर्च में बढ़ोतरी करके गरीबी को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

2011-12 में तेंदुलकर समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 816 रु प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों के लिये 1000 रु. प्रतिमाह के उपभोग व्यय के स्तर पर गरीबी को मापने का अनुमान लगाया। यानि कि 4 लोगों के परिवार के लिये सम्पूर्ण भारत के स्तर पर गरीबी रेखा का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में 3,264 रु. प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 4,000 रु. प्रतिमाह माना गया। इसी प्रकार बिहार में 2011-12 में गरीबी रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 778 रु. और शहरी क्षेत्रों में 923 रु. प्रति व्यक्ति उपभोग को माना गया। बिहार सरकार के पिछले कुछ वर्षों के रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि सरकार ने अपनी योजनाओं एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति से बिहार से गरीबी दूर करने का प्रयास किया।

तालिका: 5.5 बिहार और भारत में गरीबी अनुपात

क्षेत्र		1993-94	1999-04	2004-05	2011-12	2004-05 के बीच में कमी	गरीबी रेखा	
							2004-05	2011-12
बिहार	ग्रामीण	58.2	44.3	55.7	34.1	21.6	433	778
	शहरी	34.5	32.9	43.7	31.2	12.5	526	923
	संयुक्त	55.0	42.6	54.4	23.7	20.7	—	—
भारत	ग्रामीण	37.3	27.1	41.8	25.7	16.1	447	816
	शहरी	32.1	32.1	25.7	13.7	12.0	579	1000
	संयुक्त	36.0	26.1	37.2	21.9	15.3	—	—

स्त्रोत:- योजना आयोग, भारत सरकार।

तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट एवं भारत सरकार के आंकड़े यह बताते हैं कि 2004-05 की अपेक्षा 2011-12 में बिहार में गरीबी के अनुपात में कमी आयी है लेकिन इसमें और सुधार की गुंजाइश है क्योंकि अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में गरीबी का अनुपात अधिक है।

5.6 बिहार में ग्रामीण विकास :

बिहार के संदर्भ में ग्रामीण विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि इस राज्य की लगभग 90 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है इसलिए इस बड़ी आबादी को जीवन की गुणवत्ता एवं सारी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए गांवों का विकास जरूरी है। इसके लिए सरकार आजादी के बाद से ही विभिन्न योजनाओं, नीतियों एवं पंचायती संस्थाओं के माध्यम से गांवों के विकास के लिए प्रयासरत है जिससे गांवों का विकास हो सके और विकास का लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके जो अभी तक इससे वंचित था।

5.7 बिहार में पंचायती संस्थाएं :

बिहार 73वें संविधान संशोधन (1993) के बाद पंचायती राज को लागू करने वाले राज्यों में अग्रणी रहा है। इसमें 73वें संविधान संशोधन के सारे प्रावधानों को

लागू करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 में त्रिस्तरीय व्यवस्था के साथ ग्राम कचहरी की अवधारणा को अपनाया। 2005 में बिहार सरकार ने साहसी कदम उठाते हुए महिलाओं को सभी स्तरों एवं स्थानों पर अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। तत्पश्चात बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के द्वारा संशोधित कर इस आरक्षण व्यवस्था को लागू किया गया जिससे महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता एवं नेतृत्व की क्षमता विकसित किया जा सके।

बिहार पंचायत अधिनियम 2016 के अनुसार बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। पंचायत का प्रधान मुखिया, पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रमुख और जिला परिषद के प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। वर्तमान में बिहार में 38 जिला परिषद, 534 पंचायत समिति और 8991 ग्राम पंचायत हैं। इन त्रिस्तरीय संस्थाओं द्वारा गांवों के विकास के लिए अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है। विगत वर्ष में पंचायती संस्थाओं द्वारा गांवों के विकास के विभिन्न योजनाओं पर किए गए खर्चों में वृद्धि देखने को मिला है। व्यय स्तरों में यह वृद्धि सात निश्चय योजना और पांचवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं से हुआ है जिसके अनुसार हर वर्ष (2015–16 से 2019–20) विगत वर्ष में हुए कुल वास्तविक व्यय के 2.75 प्रतिशत और राज्य के अपने कर राजस्व के 8.50 प्रतिशत भाग का अंतरण पंचायती राज संस्थाओं को किया जाना है।

तालिका: 5.6 पंचायती राज संस्थाओं का व्यय स्तर (लाख रु.)

शीर्ष	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
	(वास्तविक)	(वास्तविक)	(वास्तविक)	ब.अ.
ग्राम पंचायत				
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	38860	27821	0	0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0	0	5252	5123
3. मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना	15533	1084	0	0
4. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	73193	107105	229445	355465
5. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	61324	0	75307	145174

6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	0	0	0	67000
7. पंचायत सरकार भवनों का निर्माण	0	36863	12400	45400
8. आकस्मिक अनुदान	0	0	1072	815
9. ग्राम पंचायत सदस्य/अधिकारियों का वेतन और भत्ता	163010	15383	28270	31025
योग	351920	188256	351746	650003
पंचायत समिति				
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	11103	7949	0	0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0	0	503	429
3. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	20907	30662	3424	0
4. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	13249	0	17491	32686
5. पंचायत समिति सदस्यों को भत्ता	1614	1946	2287	1929
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	—	—	0	500
योग	46873	40557	23705	35544
जिला परिषद				
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	5551	3975	0	0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0	0	400	304
3. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	10450	15287	1658	0
4. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	6940	5026	8910	51696
5. पंचायत समिति सदस्यों को भत्ता	207	431	468	455
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	—	—	0	501
योग	23148	24719	11436	52957
कुल योग	421941	253532	386887	738504

स्रोत:- पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार।

राज्य सरकार ने 2020 तक सुशासन को स्थापित करने के लिए सात निश्चय किए हैं इनमें से दो निश्चयों का क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है यह निश्चय हैं:-

1. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना : इस योजना का क्रियान्वयन पंचायतो में स्वच्छ जल को मुहैया कराना है। इसके तहत उन घरों तक

पाइपों के माध्यम से स्वच्छ जल पहुंचाया जाता है जहां का पानी आज आर्सेनिक, फ्लोराइड या आयरन से अत्यंत संक्रमित है पानी की ऐसी जरूरत 70,182 वार्डों में महसूस की गई है।⁴ इस जल की पूर्ति बोरिंग और सबमर्सिबल पंप से की जाती है। 2016-17 तक 14036 वार्डों तक स्वच्छ जल मुहैया कराने का लक्ष्य था जिसमें से अभी तक 12101 (86 प्रतिशत) वार्डों का अच्छादान किया गया है।⁵

2. **मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नालियां पक्कीकरण निश्चय योजना** : इसके तहत ग्राम पंचायतों द्वारा बिहार के गांवों में पक्की नालियों और गलियों का व्यवस्था कराना है। इसका निर्माण वार्ड इंप्लीमेंटेशन एवं मॉनिटरिंग यूनिट द्वारा कराया जाता है। योजना के अंतर्गत 2019-20 तक सारे टोलों के अच्छादान का लक्ष्य रखा गया है। वित्त वर्ष 2016-17 में 22,946 वार्डों में निर्माण कार्य के लिए 3,053 करोड़ रु. दिया गया है। अभी तक 22,395 वार्डों में काम पूरा किया जा चुका है।

5.8 ग्रामीण विकास कार्यक्रम : केंद्र सरकार द्वारा गांवों के विकास के लिए चलाई गई सारी ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इन ग्रामीण योजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण गरीबी में कमी लाना, रोजगार पैदा करना और भूख तथा कुपोषण समाप्त करना और इस प्रकार मानव जीवन की बेहतर गुणवत्ता की दिशा की ओर बढ़ना होता है जिसमें मानव अपना सर्वोत्तम विकास तथा मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए गरिमापूर्ण जीवन जी सके।

(i) बिहार ग्रामीण जीविका प्रमोशन सोसाइटी

बिहार ग्रामीण जीविका प्रमोशन सोसायटी अपने आरंभ 2007 के बाद से बिहार के ग्रामीण आबादी के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। अपने आरंभिक दिनों से ही यह राज्य और केंद्र द्वारा प्रायोजित अनेक गरीबी निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। यह राज्य और केन्द्र

⁴ पंचायती राज वार्षिक रिपोर्ट, बिहार सरकार।

⁵ पूर्वोक्त।

द्वारा प्रायोजित अनेक गरीबी निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। यह राज्य में ग्रामीण राष्ट्रीय जीविका मिशन के क्रियान्वयन के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। इसका आरंभ पहले 6 जिलों में किया गया बाद में चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार राज्य के सभी जिलों के सभी 534 प्रखंडों में कर दिया गया है।


विगत 10 वर्षों में जीविका में अपने सदस्यों एवं स्वयं सहायता समूहों के द्वारा एक सशक्त और टिकाऊ संस्था के निर्माण पर जोर दिया है। अब यह समूह ग्राम स्तर एवं संकुल स्तर संगठनों का निर्माण कर रहा है। जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन सके। सितंबर 2017 तक 79.12 लाख परिवारों को 6.76 लाख स्वयं सहायता समूह में संगठित कर चुका है। इसके साथ ही वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2017 तक 4.55 लाख स्वयं सहायता समूहों को बैंक के साथ जोड़ा गया है और वे 3,730 करोड़ ऋण बैंक से प्राप्त करने में सफल रहे हैं।⁶

तालिका : 5.7 जीविका की प्रगति

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 सितम्बर 17 तक
गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	91785	157157	365150	470220	610808	675744
गठित ग्राम संगठन की संख्या	5069	7452	14363	31229	35681	41,660
गठित संकुल स्तरीय संघों की संख्या	71	150	231	318	415	577
बैंकों के साथ ऋण संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	46251	69778	121181	221261	391314	454532
बैंक ऋण की रकम (करोड़ रु.)	227	376	659	1300	2993	3729

स्रोत:- जीविका बिहार सरकार।

⁶ जीविका वार्षिक रिपोर्ट, बिहार सरकार।



रेखाचित्र : 5.1 जीविका की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति

जीविका द्वारा ग्रामीण विकास के समर्पित काम को सराहते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने 2016-17 में बिहार को दो सूचकों (बैंक द्वारा स्वयं सहायता संगठनों के साथ ऋण संपर्क और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों RSETI का प्रदर्शन) में प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पुरस्कृत किया।

(ii) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना युवक-युवतियों के लिए टिकाऊ रोजगार पैदा करने के लिए नियोजन से जुड़ी कौशल विकास योजना है। राज्य के ग्रामीण गरीबों के सामने आधुनिक बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण औपचारिक शिक्षा एवं विपणन योग्य कौशलों की कमी के कारण अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना का लक्ष्य इन चुनौतियों को दूर करने के लिए वैश्विक मानकों के लिहाज से चिन्हित परियोजनाओं का वित्तपोषण करके चुनौतियों से निपटना है। नियोजन के अलावा इस योजना के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों के लिए काम में लगे रहना और कैरियर में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत हैं।

योजना के क्रियान्वयन में लगे विभिन्न एजेंसियों द्वारा बिहार में 90 प्रशिक्षण केंद्र खोले गए तथा सितंबर 2017 तक 1.70 लाख युवकों को प्रशिक्षित किया गया इनमें से 0.89 लाख का नियोजन भी हुआ।

तालिका : 5.8 सितम्बर 2017 तक कौशल विकास और नियोजन की स्थिति

कार्यक्रम	प्रशिक्षित	नियोजित
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना	38608	23252
ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान	131838	65580
अन्य	—	98554
योग	170446	187386

नोट:— अन्य में विश्व बैंक परियोजना और सीधे नियुक्ति शामिल है
 स्रोत:—जीविका बिहार सरकार।

(iii) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना

ग्रामीण गरीबों को आवास की कमियों को दूर करने के लिए इंदिरा आवास योजना की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 2016 को 2022 तक सबके लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराने के लक्ष्य को रखते हुए इस योजना को 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के रूप में पुर्नगठित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना है। जो गृहविहीन या कच्चे एवं जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे हैं। 2016 में योजना की शुरुआत में ही 2016-17 से 2018-19 तक 3 वर्ष में ही 1.0 करोड़ परिवारों को इस दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के तहत परिवारों को दिए गये मकानों का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर से बढ़कर रसोई के साथ 25 वर्गमीटर कर दिया गया है। इस योजना के तहत परिवार को मकान के लिए दी जाने वाली सहायता की राशि मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रु. और पहाड़ी क्षेत्रों में यह राशि 1,30,000 रु. है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रु. की सहायता भी दी जा रही है।

तालिका : 5.9 प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रदर्शन

वर्ष	वार्षिक मौलिक लक्ष्य (लाख)	पूरे हो चुके आवास (लाख)		धनराशि उपयोग का प्रतिशत
		समस्त	अनु. जाति एवं अनु. जनजाति	
2011-12	7.37	4.50 (61.1)	2.00 (44.5)	68.0
2012-13	8.36	8.40 (100.4)	3.72 (44.3)	75.0
2013-14	6.06	6.95 (114.8)	3.12 (51.3)	66.4
2014-15	2.75	4.99 (181.5)	2.48 (90.2)	66.2
2015-16	2.33	1.06 (21.2)	0.29 (11.7)	54.6
2016-17	6.37	5.67 (89.0)	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

नोट- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूर्ववर्ती कॉलम के लिहाज से प्रतिशत दशांति हैं।
 स्रोत:- ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार।

इस योजना के लाभार्थियों का चुनाव सामाजिक, आर्थिक जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर ग्राम सभा द्वारा किया जाता है जिससे यह सहायता वास्तव में वंचित लोगों तक पहुंच सके। वर्ष 2016-17 में 89.0 भौतिक उपलब्धि हासिल हुई जबकि 2015-16 मात्र 21.0 इस तरह इस योजना के माध्यम से ग्रामीण लोगों की मूलभूत आवश्यकता में से एक आवास की व्यवस्था को पूरा किया जा रहा है

(iv) गृहभूमि वितरण (अभियान बसेरा कार्यक्रम) : ग्रामीण आवास को सबसे पहले 1980 के दशक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के तहत मुख्य गतिविधि के तौर पर शामिल किया गया था 1985 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के तहत एक खास अनुपात में धनराशि अनुसूचित जाति, जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूर परिवारों के लिए आवास निर्माण हेतु रेखांकित था। इस योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था जो 1989-1995 तक जवाहर रोजगार योजना के उपयोजना के रूप में कार्य करती थी। 1996 में इसे स्वतंत्र इंदिरा आवास योजना के रूप में शुरू किया गया। अप्रैल 2016 में इसका नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया। जिससे एक परिवार को सुविधायुक्त घर मुहैया कराने की व्यवस्था है लेकिन कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास जमीन नहीं है इस समस्या

के निदान के लिए राज्य सरकार ऐसे परिवारों को 5 डेसिमल जमीन मुहैया कराती थी जिसके लिए तीन योजनाएं कार्यरत थी जो इसप्रकार हैं –

- महादलित विकास योजना (बिहार रैयती जमीन खरीद नीति-2010)
- गृह स्थल योजना (बिहार रैयती जमीन खरीदी नीति-2011) और
- जनजाति उपयोजना

वर्ष 2015-16 में इन तीनों योजनाओं को अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत समाहित कर लिया गया और एक मुख्य योजना अभियान बसेरा की शुरुआत की गई। इसके तहत 1.11 लाख परिवारों को भूमिहीन के रूप में चिन्हित करते हुए इनके परिवारों को 5 डेसिमल जमीन देने की व्यवस्था की गई नवंबर 2017 तक 1.11 लाख महादलितों में से 41,591(64 प्रतिशत) परिवारों को और उसके बाद पिछड़ी जाति के 15,444 (24 प्रतिशत), अनुसूचित जाति के 6,295 (10 प्रतिशत) और अनुसूचित जनजाति के 4,134 (3 प्रतिशत) परिवारों को जमीन दी गई। कुल सर्वेक्षित परिवारों में से 0.46 लाख परिवार अभी भी जमीन से वंचित है।⁷

तालिका : 5.10 अभियान बसेरा कार्यक्रम में जमीन पाने वालों परिवारों की संख्या

विवरण	महादलित	अनु. जाति	अनु. जनजाति	पिछड़ी जाति	अनुसूची	योग
सर्वेक्षित भूमिहीन परिवारों की संख्या	66949 (60.3)	12852 (11.6)	3937 (3.5)	17204 (15.5)	10096 (4.1)	111038 (100.0)
जमीन पाने वालों परिवारों की संख्या	41591 (63.5)	76295 (9.6)	2134 (3.3)	10200 (15.6)	5244 (8.0)	65464 (100.0)
जमीन पाने से वंचित परिवारों की संख्या	25358 (55.6)	655 (14.4)	1803 (4.0)	7004 (15.4)	9852 (10.6)	95574 (100.0)

नोट- कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योगफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
स्त्रोत:- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार।

इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार भूमिहीन ग्रामीणों को चार प्रकार की भूमि उपलब्ध कराती है:- (1.) गैर-मजरूआ मालिक/खास जमीन, (2.) गैर-मजरूआ आम जमीन और (3.)बिहार विशेषाधिकृत व्यक्ति गृहभूमि काश्तकारी

⁷ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार।

अधिनियम 1947 के तहत जमीन और इन तीन प्रकार की जमीनों की अनुपस्थिति में, (4.) बिहार रैयती जमीन खरीद नीति, 2010 के तहत खरीदी गई रैयती जमीन इन भूमिहीन परिवारों को सरकार देने का कार्य कर रही है।

(v) ग्रामीण विद्युतीकरण :

ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को एक आवश्यक कारक माना जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में बिजली अब एक बुनियादी मानवीय आवश्यकता बन चुकी है। जनगणना 2001 के अनुसार 1.2 लाख गांवों में बिजली की सुविधा नहीं थी।⁸ राज्यों द्वारा इस ओर अच्छे से ध्यान ना देने के कारण गांवों में बिजली तीव्र गति से नहीं पहुंचाई जा रही थी। इसको देखते हुए भारत सरकार 2005 में हर घरों में बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य एक लाख अविद्युतीकृत गांवों में बिजली पहुंचाने के साथ 2.31 करोड़ ग्रामीण बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले) परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना है। जुलाई 2015 को भारत सरकार ने इस योजना का पुनर्गठन करते हुए अपनी नई योजना **दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** में समाहित कर लिया गया। इस योजना के उद्देश्यों में—

- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि फीडरों को अलग करना और कृषि तथा गैर कृषि उपभोक्ता के लिए उचित आपूर्ति बहाल करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों/फीडरों/को अलग करना और कृषि उपभोक्ताओं के मीटरीकरण सहित उपसंचरण और वितरण के साथ अधिसंचरणा का सुदृढीकरण और क्षमता वृद्धि।
- राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में अंतरित करते हुए 12वीं और 13वीं योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण।

⁸ पी.आई.बी., भारत सरकार।

2011 की जनगणनानुसार बिहार देश का सर्वाधिक ग्रामीणीकृत (88.7 प्रतिशत) राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत 68.9 प्रतिशत से कहीं अधिक है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का काम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। जिससे वर्तमान समय में बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण में तेजी आई है।

तालिका : 5.11 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के तहत कार्य की प्रगति

(गांव की संख्या के आंकड़े)

अभिकरण/लक्ष्य/ उपलब्धि	दसवीं योजना	ग्यारहवीं योजना	योग	ग्यारहवीं योजना चरण-2	बारहवीं योजना	DDG के तहत	UEV में परिवर्तित	योग
अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण (UEV)								
लक्ष्य								
उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	5954	4108	10062	384	1403	59	153	1999
दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	10627	697	11324	757	327	154	68	1306
योग	16581	4805	21386	1141	1730	213	221	3305
उपलब्धि								
उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	5954	4108	10062	384	1403	59	153	1999
दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	10627	697	11324	757	327	154	68	1306
योग	16581	4805	21386	1141	1730	213	221	3305
अंशतः विद्युतीकृत ग्रामों का सघन विद्युतीकरण (PEV)								
उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	—	5969	5969	3510	14067	0	0	17577
दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	—	106	106	9534	7030	0	0	16564
योग	—	6075	6075	13044	21097	0	0	34141
उपलब्धि								
उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	—	5969	5969	3167	10189	0	0	13356
दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	—	106	106	7321	3538	0	0	10859
योग	—	6075	6075	10488	13727	0	0	24215

टिप्पणी : DDG = विकेंद्रित वितरित उत्पादन
स्रोत: ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार।

बिहार सरकार की विकास से संबंध एवं न्यायपूर्ण विकास के सात घटक (सात निश्चय) जो बुनियादी प्रतिबद्धताओं को व्यक्त करते हैं उसमें से एक निश्चय 'हर घर बिजली' इसका तीसरा घटक है। इसमें 2018 के अंत तक बिहार के सभी ग्रामीण घरों में बिजली के मीटर मुफ्त कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने बिजली की मांग एवं पूर्ति पर ध्यान देते हुए उर्जा की उपलब्धता में वृद्धि की है।

5.9 मनरेगा (बिहार) :

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के बढ़ते स्तर एवं शहरी पलायन को रोकने के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सितंबर 2005 में संसद से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कराया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार प्रदान सुनिश्चित कराना था। प्रथम चरण में 200 जिलों का चयन हुआ जिसमें बिहार के सर्वाधिक 23 जिला चयनित थे।⁹ इस नियम के अनुरूप ही राज्यों को नियम बनाने का सुझाव दिया गया। बिहार सरकार ने भी राष्ट्रीय अधिनियम के अनुरूप ही बिहार में भी इस योजना की शुरुआत की जिस में शुरुआती मजदूरी की दरें अकुशल मजदूरों के लिए 68 रु. निर्धारित की गईं।¹⁰ जो अब बढ़कर 176 रु. हो गई है।

वर्ष 2016-17 में 142.2 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए थे जो जनवरी 2019 तक बढ़कर 164.1 लाख हो गए। 2016-17 में 16.4 प्रतिशत जॉब कार्ड धारकों को ही रोजगार उपलब्ध कराया गया जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया परंतु इनमें से सिर्फ 15,558 जॉब कार्ड धारक ही 100 दिन का रोजगार प्राप्त कर पाए।¹¹

वर्ष 2016-17 में कुल 858.36 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार सृजन हुए जो 2017-18 में घटकर 817.53 लाख हो गए। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार में जनवरी 2019 तक 891.04 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार का सृजन हुआ जो विगत

⁹ नरेगा अधिनियम, 2006 बिहार सरकार।

¹⁰ पूर्वोक्त।

¹¹ www.narega.nic.in

वर्षों से अधिक है। इसको देखते हुए बिहार सरकार द्वारा मनरेगा के अंतर्गत धनराशि का उपयोग लगातार बढ़ाया जा रहा विगत 2 वर्षों (2015–16, 2016–17) में यह क्रमशः 82.0 प्रतिशत और 88.4 प्रतिशत था।¹²

पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने वित्तीय समावेशन एवं मनरेगा में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजदूरों के बैंक खातों में मजदूरी देने की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 2016–17 में मनरेगा मजदूरी भुगतान के लिए 45.1 लाख बैंक खाते खोले गए और उसे अपडेट कर नरेगा सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट किए गए।

तालिका: 5.12 बिहार में विभिन्न वित्तीय वर्ष में मनरेगा का प्रदर्शन

वर्ष	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17
जारी जॉब कार्ड की संख्या (लाख)	133.8	133.5	131.9	126.5	131.7	142.2
रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख)	26.8 (20.1)	24.7 (18.5)	20.6 (15.6)	10.4 (8.2)	15.1 (11.5)	23.4 (16.4)
100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख)	1.4 (5.1)	1.6 (6.3)	1.2 (6.0)	0.3 (2.9)	0.6 (4.0)	0.2 (0.6)
रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति-दिवस)	866.4	965.4	862.2	352.7	671.8	873.4
कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा	28.2	29.9	35.0	37.3	40.8	43.9
प्रति परिवार औसत रोजगार (व्यक्ति-दिवस)	32.3	39.2	41.9	34.1	45.2	37.5
पूरे हुए कार्यों की संख्या	54589	64846	104832	115055	109394	72693
धनराशि का उपयोग (प्रतिशत)	65.0	82.9	81.8	60.8	82.0	88.4
खुले खातों की संख्या (लाख)	107.6	110.7	111.0	49.3	34.2	45.1

टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अपने पूर्ववर्ती से (आड़ी पंक्ति) के लिहाज से प्रतिशत दर्शाते हैं
 स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार।

¹² www.narega.nic.in

जिस तरह देश के विभिन्न राज्यों में मनरेगा के प्रदर्शन में काफी अंतर देखने को मिलता है उसी तरह बिहार के विभिन्न जिलों में भी मनरेगा के प्रदर्शन में अंतर है। वर्ष 2016-17 में बिहार के 9 जिलों में 5 लाख से अधिक मनरेगा जॉब कार्ड जारी किए गए जिनमें पूर्व चंपारण में 6.48 लाख सर्वाधिक, मुजफ्फरनगर में 6.8 लाख और गया में 5.85 लाख थे। 2016-17 में जॉब कार्ड पाने वाले परिवारों में अनुसूचित जाति के परिवारों का हिस्सा 25.2 प्रतिशत था। इसी तरह 2016-17 में जॉब कार्ड धारकों में सबसे कम रोजगार मांग करने वाले जिलों में वैशाली (16.2 प्रतिशत), पटना (16.9 प्रतिशत) और मुजफ्फरनगर (17.4 प्रतिशत) में यह दर 20 प्रतिशत से भी कम की रही। वहीं दूसरी तरफ इसके विपरीत शिवहर (60.1 प्रतिशत) अरवल (52.4 प्रतिशत) और जहानाबाद (49.9 प्रतिशत) जैसे जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक रोजगार की मांग जॉब कार्ड धारकों ने की।¹³ रोजगार की मांग और 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने में सारण जिला 2.1 प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर था तत्पश्चात औरंगाबाद 1.6 प्रतिशत, जहानाबाद 1.6 प्रतिशत जिले हैं। जबकि पिछले वर्ष (2015-16) में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने वाले जिलों में जहानाबाद, बक्सर और मुंगेर का नंबर आता था।

इसी तरह मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं की भागीदारी में भी विभिन्न जिलों में काफी अंतर देखने को मिलता है। बिहार के 38 जिलों में से सिर्फ 8 जिलों (बेगूसराय, खगड़िया, गया, शेखपुरा, नवादा, मधुबनी, नालंदा और सहरसा) में ही महिलाओं की इस योजना में भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक देखने को मिली है। वहीं धनराशि के उपयोग में भी बिहार के जिलों में अंतर है अरवल, शेखपुरा, जमुई और सहरसा जैसे जिलों में मनरेगा की धनराशि का उपयोग 97 प्रतिशत से अधिक पाई गई है। वहीं बिहार की राजधानी पटना जिला में धनराशि के उपयोग का प्रतिशत सबसे कम 45.5 प्रतिशत पाया गया।¹⁴


¹³ आर्थिक समीक्षा (2017-18), खंड-1, बिहार सरकार, पृ. 185।

¹⁴ पूर्वोक्त।

तालिका : 5.13 बिहार में विभिन्न वित्तीय वर्ष में मनरेगा के अंतर्गत पूरे हुए कार्य

श्रेणियां	2014-15	2015-16	2016-17
जल संरक्षण	2433 (2.1)	3191 (2.9)	3524 (4.8)
सूखा अवरोधन	31857 (27.7)	42185 (38.6)	15796 (21.7)
सूक्ष्म-सिंचाई संबंधी कार्य	2237 (1.9)	3783 (3.5)	5133 (7.1)
व्यक्तिगत भूमि संबंधी कार्य	4202 (3.7)	6558 (6.0)	6108 (8.4)
पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार	775 (0.7)	1012 (0.9)	1234 (1.7)
भूमि विकास	4216 (3.7)	6821 (6.2)	8008 (11.0)
बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव	379 (0.3)	629 (0.6)	614 (0.8)
ग्रामीण संपर्क पथ	13508 (11.7)	19725 (18.0)	21072 (29.0)
कोई अन्य गतिविधि	53808 (46.8)	24143 (22.1)	9534 (13.1)
पूरे हुए कुल कार्यों की संख्या	115055 (100.0)	109394 (100.0)	72693 (100.0)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पूरे हुए कुल कार्यों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
 स्रोत: ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार।



रेखाचित्र : 5.2 मनरेगा के तहत पूरे हुए कार्य

मनरेगा के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के तहत कार्य किया जाता है जिसमें ग्रामीण संपर्क पथ का निर्माण, जल का संरक्षण, भूमि विकास, बाढ़ नियंत्रण एवं उससे बचाव, सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य, व्यक्तिगत भूमि पर कार्य, पारंपारिक जल निकायों का जीर्णोद्धार तथा सूखा अवरोधन जैसे कार्य प्रमुख हैं। उत्तरी बिहार के पूर्वी चंपारण, खगड़िया, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी जैसे जिलों में वर्षा के समय में बाढ़ की स्थिति हमेशा रहती है इससे निपटने के लिए समाज प्रगति सहयोग तथा मेघ पाइप अभियान (एमपीए) ग्रामीण समुदायों पर बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए प्रयासरत है जिसमें यह संगठन ग्रामीणों को मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों का चुनाव एवं उसका क्रियान्वयन बाढ़ से निपटने एवं उस समय स्वच्छता मुहैया कराने जैसे कार्यों को कराने पर जोर देता है। इसमें बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में नए तरह के कुओं का निर्माण, मटका फिल्टर जैसे कार्यों को प्रमुखता से स्थान दी जाती रही है।¹⁵

मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों की प्रगति वर्ष 2017-18 में देखने को मिली है। वर्ष 2016-17 में पूरी हुई कुल परियोजनाओं की संख्या जहां 76,871 थी वहीं 2017-18 में यह बढ़कर 1,04,220 हो गई। जनवरी 2019 तक (2018-19 में) यह 1,28,067 हो गई है। इसके पीछे मनरेगा के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी एक प्रमुख कारण रही क्योंकि वर्ष 2015-16 और 2016-17 में ग्रामीणों को कार्य के बदले निर्धारित 15 दिनों के अंदर दी जाने वाली मजदूरी की दर जहाँ मात्र क्रमशः 15.51 प्रतिशत और 32.09 प्रतिशत थी। जो बाद के दिनों में बढ़कर वर्ष 2017-18 में 60 प्रतिशत और वर्ष 2018-19 में (जनवरी 2019) तक 88.49 प्रतिशत हो गई है।¹⁶ उचित समय पर मजदूरी मिलने से लोगों में इस योजना के प्रति काम करने में दिलचस्पी दिखाई पड़ी है।


इसके साथ ही साथ जीविका जैसे स्वयं सहायता संगठन भी इस योजना में लोगों की भागीदारी बढ़ाने एवं अपने सदस्यों को इसमें काम दिलाने के लिए प्रेरित करते हैं। जिससे इनके सदस्यों में आत्मनिर्भरता आ सके और इनके सदस्यों के

¹⁵ रोजगार गारंटी पर जन संगठनों का राष्ट्रीय समन्वयन, दिसंबर 2011।

¹⁶ www.narega.nic.in

परिवारों की आमदनी बढ़ सके। वस्तुतः ग्रामीण गरीबी में कमी लाने के लिए यह दोनों योजनाएं एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करती हैं।


इस प्रकार ग्रामीण विकास हेतु अपनाये गये विभिन्न कार्यक्रमों का समग्र अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच भौगोलिक दूरियां कम हुई हैं। ग्रामीणों का शहरों की ओर होने वाले पलायन पर कुछ अंकुश लगा है। सभी सुख सुविधायें ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से प्राप्त हो रही हैं। लेकिन अभी भी निर्धनता तथा बेरोजगारी की समस्याओं से ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा भाग प्रभावित है। जिसके पीछे बढ़ती जनसंख्या, उद्योगों की कमी और प्राकृतिक संसाधन का अभाव प्रमुख कारण है। भौगोलिक दृष्टि से बिहार की स्थिति इस प्रकार है कि जहां की अधिकतर भूमि अनुपजाऊ तथा पथरीली होने के साथ-साथ बाढ़ से ग्रस्त है। शिक्षा के अभाव, जागरूकता की कमी, राजनीतिक नेतृत्व की उपेक्षा के कारण तथा योजनाओं में भ्रष्टाचार के कारण इस क्षेत्र का सही विकास नहीं हो पाया है इसके लिए सार्वजनिक, निजी क्षेत्रों की सहभागिता, जन सहयोग तथा सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं प्रभावी क्रियान्वयन तंत्र की आवश्यकता है, जिससे की ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। ऐसे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो वर्तमान में रोजगार प्रदान करने के साथ गांवों में आधारभूत संरचना, आजीविका, पर्यावरण-संरक्षण व बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषणयुक्त भोजन में विकास को भी सुनिश्चित करें।

A decorative border with floral motifs in the corners and a thin line around the page.

अध्याय-षष्ठम्
मनरेगा और ग्रामीण विकास: कैमूर
जनपद का एक अध्ययन

अध्याय-षष्ठम्

मनरेगा और ग्रामीण विकास: कैमूर जनपद का एक अध्ययन



मानचित्र - कैमूर (बिहार)

शोध अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व शोध का क्षेत्र निश्चित कर लेना आवश्यक होता है जिससे समय धन एवं शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता और शोधार्थी सही परिणाम पर भी पहुंच जाता है। मौलिक समस्याओं के संबंध में शोध करते समय क्षेत्र का विस्तृत एवं व्यापक होना आवश्यक होता है प्राथमिक स्रोतों पर आधारित किसी भी शोध अध्ययन के लिए यह आवश्यक होता है कि शोधार्थी उस क्षेत्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अध्ययन भली-भांति कर ले। इससे शोधार्थी को उस क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त होने के साथ-साथ अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण में होने वाले परिवर्तन के बारे में भी जानकारी प्राप्त हो जाती है।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मैंने बिहार राज्य में स्थित कैमूर जनपद का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए **“ग्रामीण विकास में मनरेगा की भूमिका बिहार के कैमूर जनपद का एक अध्ययन”** का विस्तृत विश्लेषण किया है। इसके लिए आकड़ों का संकलन जिला सांख्यिकी विभाग, भारत एवं बिहार राज्य की जनगणना, मनरेगा की वेबसाइट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के प्रतिवेदन, बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण जैसे अन्य रिपोर्टों के साथ सरकारी विभागों की वेबसाइट से प्राप्त किया गया है।

6.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :

कैमूर जिला का प्राचीन एवं रोचक इतिहास रहा है। प्राचीन काल में कैमूर पहाड़ी जनजातियों का आवास था जिसमें मुख्य रूप से भार, कैरोस, खारवा, एवं ओरांव जनजाति प्रमुख थी।

मौर्य और गुप्त शासन के समय में (600 B.C. से 500 A.D.) यह क्षेत्र सशक्त मगध साम्राज्य के अंतर्गत था। 700 ई0 में यह जिला हर्षवर्धन के नियंत्रण में था जो कन्नौज का शासक था। मुंडेश्वरी मंदिर से प्राप्त शिलालेख में इस क्षेत्र के शासक का नाम उदय सिंह बतलाया गया है। यह क्षेत्र मध्यकाल में धीरे-धीरे कमजोर होता गया और बख्तियार खिलजी के आक्रमण के फलस्वरूप यह क्षेत्र दिल्ली के अधीन आ गया।

मध्य काल में यह जिला शेरशाह के पिता हसन खां (सासाराम) के नियंत्रण

में था जो बाद में शेरशाह के साम्राज्य में मिला लिया गया। 1764 में बक्सर की लड़ाई के फलस्वरूप यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन हो गया था। 1857 की क्रांति के समय वीर कुंवर सिंह एवं अमर सिंह के विद्रोह के क्षेत्र का गवाह रहा है तथा भारत की आजादी में एक सफल योगदान दिया है। आजादी के बाद यह क्षेत्र शाहाबाद जिला के अंतर्गत आता था। शाहाबाद से अलग होकर रोहतास जिला का निर्माण हुआ और 1991 में रोहतास जिला से अलग होकर कैमूर जिला का निर्माण हुआ।

6.2 क्षेत्रफल :

कैमूर जिला 335501 हेक्टेयर में फैला है जिसका 54 प्रतिशत भूमि कृषि के लिए प्रयोग किया जाता है और 31 प्रतिशत के अंतर्गत वन है। 73 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि सिंचित जल स्रोत के अंतर्गत है। सिंचाई का मुख्य साधन नहर है जिसके अंतर्गत सिंचित भूमि का 50 प्रतिशत भाग है।

6.3 भौगोलिक स्थिति :

भौगोलिक रूप से कैमूर को दो भागों में बांटा जा सकता है

1. पहाड़ी क्षेत्र
2. समतल क्षेत्र

पहाड़ी क्षेत्र में कैमूर का पठार सम्मिलित है। इस क्षेत्र का पश्चिमी भाग कर्मनाशा दुर्गावती नदियों से घिरा है। कुदरा नदी इसके पूर्वी भाग में स्थित है। बक्सर तथा गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) इसके उत्तरी तरफ है, इसके दक्षिण में गढ़वा (झारखंड) और पश्चिम में चंदौली और मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) स्थित है इसके पूर्व में रोहतास जिला है।

6.4 जलवायु :

जनपद की जलवायु सामान्य के साथ-साथ उतार-चढ़ाव वाला है गर्मी में अत्यधिक गर्म और ठंड में अत्यधिक ठंड पड़ती है जनवरी सबसे ठंड महीना है जब औसत न्यूनतम तापमान से लगभग 40 डिग्री तक तापमान नीचे गिर जाता है। मार्च में तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और मई में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है इस समय तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वर्षा इस क्षेत्र

में कभी-कभी जून के मध्य में शुरू होती है तथा बीच सितंबर में खत्म हो जाती है। जनपद जून से सितंबर तक पूर्वी हवा प्राप्त करता है तथा अक्टूबर से मई में हवा की दिशा बदल जाती है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्ष जुलाई और अगस्त में (289 mm) होती है कभी-कभी जनवरी-फरवरी में शरद वर्षा भी होती है।

6.5 मिट्टी :

जिले के समतलीय क्षेत्र (कृषि योग्य भूमि) के अंतर्गत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जिस पर धान गेहूं ज्वार बाजरा इत्यादि फसलें उगाई जाती है। जैसे जैसे हम इस क्षेत्र के दक्षिण की ओर जाते हैं मिट्टी पथरीली/चट्टानी होती जाती है तथा कैमूर की पहाड़ी के नजदीक आने पर मिट्टी एकदम से पथरीली हो जाती है।

6.6 शोध क्षेत्र कैमूर का सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति :

कैमूर जनपद 8268 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला पूर्णतः ग्रामीण जनसंख्या वाला क्षेत्र है जिसमें मात्र केवल 1 (statutory) और 2 (census) शहर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 16,26,384 है जिसमें से पुरुष जनसंख्या 8,47,006 तथा महिला जनसंख्या 7,79,378 है। इस कुल जनसंख्या में 15,60,813 ग्रामीण और 65,571 शहरी है।¹

जनपद में सभी धर्म के मतावलंबी रहते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म 89.54 प्रतिशत के लोग रहते हैं इसके बाद दूसरे नंबर पर मुस्लिम 9.55 प्रतिशत है। विभिन्न धर्म के लोगों के रहने के बावजूद यहां का वातावरण सौहार्दपूर्ण एवं भाई-चारे की भावना वाली रही है।

क्र.सं.	धर्म	जनसंख्या	प्रतिशत
1.	हिन्दू	1456229	89.54
2.	मुस्लिम	155289	9.55
3.	ईसाइ	1407	0.09
4.	सिक्ख	296	0.02
5.	बुद्ध	7707	0.47
6.	जैन	129	0.01
7.	अन्य धर्म	1534	0.09
8.	धार्मिक नहीं	3799	0.23

Source- Indian census 2011

¹ Census of India 2011

कैमूर जनपद का अगर हम राजनीतिक विश्लेषण करें तो पाते हैं कि इस क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू एवं भारतीय जनता दल की सक्रियता ज्यादा रही है। अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव को देखें तो यहां पर भारतीय जनता दल विजयी रही है एवं 2015 के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता दल विजयी रही।

6.7 जनसांख्यिकी (कैमूर जिला) :

जिले की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 16,26,384 है, जो कि प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से 32वां स्थान रखता है जिसमें पुरुष जनसंख्या 8,47,006 है तथा महिलाओं की कुल जनसंख्या 7,79,378 है। जिले में कुल जनसंख्या का 95.9 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 4.1 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। जिले में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की कुल संख्या 3,69,088 है जो पूरे जनसंख्या का 22.7 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 1,92,686 तथा महिलाओं की संख्या 1,76,402 है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 57,981 है जो पूरे जनसंख्या का 3.5 प्रतिशत है, इसमें पुरुष जनसंख्या 29,717 तथा महिलाओं की कुल संख्या 28,264 है। कैमूर जिले का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जिले में 0-6 आयु वर्ष के बच्चों की कुल जनसंख्या 2,99,281 है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कैमूर जिले की कुल साक्षरता दर 69.34 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण साक्षरता दर 55.99 प्रतिशत एवं शहरी साक्षरता दर 70.50 प्रतिशत है। जिले में पुरुष साक्षरता दर 79.37 प्रतिशत एवं महिला साक्षरता दर 58.4 प्रतिशत है जो पुरुष साक्षरता दर से काफी कम है। कैमूर जिले का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 920 है जो कि पूरे प्रदेश में 18 वां स्थान रखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री-पुरुष अनुपात 921 है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 889 है।²

6.8 स्वास्थ्य :

मानव जीवन में स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण स्थान है। स्वास्थ्य के अभाव में व्यक्ति का आन्तरिक एवं बाह्य विकास सम्भव नहीं है। जीवन की गुणवत्ता और जीवन को सफल बनाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना आवश्यक है। स्वास्थ्य वैयक्तिक जिम्मेदारी होने के साथ-साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व तथा विश्वव्यापी सामाजिक लक्ष्य भी है। स्वास्थ्य के सन्दर्भ में कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वस्थ होने से अभिप्राय सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक एवं मानसिक स्तर पर भी स्वस्थ होना जरूरी है। इस प्रकार स्वास्थ्य न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए आवश्यक है बल्कि परिवार, समाज, एवं राज्य के लिए भी महत्वपूर्ण है।

कैमूर जिले में स्वास्थ्य सुविधाएँ संतोष जनक नहीं हैं। जिला सांख्यिकी पत्रिका 2010-11 के अनुसार जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में जिले अंतर्गत एलोपैथिक चिकित्सालयों की कुल संख्या 12, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 02, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 08, जिले में एक 100 बेड का सदर हास्पिटल है तथा मोहनिया में एक सब-डिविजन (Sub-division) अस्पताल है। आज भी जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं तकनीक के अभाव के कारण लोगों को गम्भीर बीमारियों जैसे टी० बी०, कैंसर इत्यादि के इलाज के लिए वाराणसी, लखनऊ, दिल्ली जैसे शहरों में जाना पड़ता है।

6.9 शिक्षा :

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कैमूर जिले की कुल साक्षरता दर 69.34 प्रतिशत है जिसमें पुरुष साक्षरता दर 81.3 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 60.9 प्रतिशत है। जो कि प्रदेश की कुल साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत अधिक है लेकिन राष्ट्रीय साक्षरता दर 73.0 प्रतिशत से 3.6 प्रतिशत कम है। वर्ष 2011-12 में जिले में कुल शैक्षणिक संस्थाओं में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 613, मिडिल स्कूल की संख्या 584, हाई स्कूल की संख्या 101, महाविद्यालयों की संख्या 18, है। जिले में व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के

² Census of India 2011

अभाव, महँगी एवं दोषपूर्ण शिक्षा तथा गुणात्मक शिक्षा के बजाय मात्रात्मक शिक्षा पर विशेष बल देने के कारण जिले में शैक्षणिक पिछड़ापन है।

6.10 औद्योगिक परिदृश्य (कैमूर) :

किसी भी क्षेत्र के विकास में औद्योगिक इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कैमूर जिले में देखा जाये तो बड़े उद्योगों की उपस्थिति बहुत कम है। लघु एवं कुटीर उद्योगों की उपस्थिति भी नाम मात्र की है। जिले में कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1025 है जिसमें कुल नामांकित 897 औद्योगिक इकाई है। वृहद् एवं मध्यम उद्योगों की संख्या 2 है जिसमें कुल रोजगार युक्त श्रमिकों की संख्या 208 है। जिले के कुल छोटे उद्योगों में प्रति दिन कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या 7 है।

तालिका: 6.1 कैमूर जिला में विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ

Type of industry	Number of units	Investments (Rs. Lakh)	Employment
Agro based	355	4125	1520
Cotton textile	135	1080	247
Redimade garments & Embroidery	20	25	96
Wood/ Wooden based furniture	30	28	76
Leather based	18	15	24
Rubber, plastic & petro based	2	31	Nil
Metal based(steel fab)	35	875	92
Engineering units	45	1115	130
Electrical machinery and Transport equipment	36	95	78
Repairing & Servicing	140	960	285
Others	68	610	206
Total	844	8959	2754

Source- Department of Industries, Govt. of Bihar

तालिका: 6.2 कैमूर में मजदूरों की स्थिति

क्रम संख्या	मजदूर	बिहार (34724987)	कैमूर (511163)
1.	मुख्य मजदूर	21354611	284646
2.	सीमांत मजदूर	13365376	226517
मजदूरों की श्रेणी			
3.	किसान	7196226	125070
4.	कृषक मजदूर	18345649	268597
5.	गृह निर्माण संबंधी मजदूर	1411208	24880
6.	अन्य मजदूर	7771904	92616

स्रोत- भारतीय जनगणना 2011

6.11 मनरेगा (कैमूर) :

2011 की जनगणना अनुसार कैमूर जिले में ग्रामीण परिवारों की संख्या 15,60,813 है। इनमें 2,84,646 मुख्य मजदूर एवं 2,26,517 सीमांत मजदूर हैं। कैमूर जिला भारत के उन जिलों में से है जिनमें मनरेगा 2006 में ही शुरू हो गई थी। जून 2019 के अंत तक जिले में मनरेगा कार्ड धारकों की संख्या 3,81,227 थी। मनरेगा कार्ड धारकों में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में 17.61 प्रतिशत लोगों ने रोजगार मांगा जिनमें से 2.6 प्रतिशत लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला। वहीं वित्तीय वर्ष 2016-17 में रोजगार मांगने वालों की संख्या 21.85 प्रतिशत हो गई जिनमें से 0.9 प्रतिशत लोगों को 100 दिन का रोजगार मिला। परंतु 2017-18 में 100 दिन के रोजगार मिलने वाले लोगों का प्रतिशत 1.3 था।³

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रोजगार दिवसों की संख्या 12,47,136 थी जिसमें 33,221 परिवार के लोग लाभांशित हुए थे। मनरेगा के अंतर्गत कुल सृजित रोजगार दिवसों में अगर महिलाओं के कार्य प्रतिशतता को देखा जाए तो यह 2015-16 में 87.7 प्रतिशत था वहीं 2016-17 में यह बढ़कर 91.6 प्रतिशत हो गया।

कैमूर जिले में होने वाले विभिन्न कार्यों को देखे तो वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 16,171 कार्य प्रस्तावित थे। जिनमें से 12,683 प्रगति पर थे और सिर्फ 1,314 कार्य पूरा कर लिए गए थे। इन कुल कार्यों में से 11,792 कार्य व्यक्तिगत भूमि पर होने प्रस्तावित थे जिनमें से 9,123 कार्य प्रगति पर थे और सिर्फ 84 कार्य पूरा हुए

थे। ग्रामीण संपर्क से सम्बंधित कार्यों को देखा जाये तो इस वित्तीय वर्ष में 1519 कार्य प्रस्तावित थे जिनमे से 905 कार्य प्रगति पर थे और 341 कार्य को पूरा कर लिया गया था। वहीं भूमि विकास सम्बन्धी कार्यों में कुल 469 कार्य प्रस्तावित थे जिनमे से 230 कार्य प्रगति पर थे और 156 कार्य पूरा कर लिए गए थे। ग्रामीण साफ-सफाई के लिए कुल 124 कार्य प्रस्तावित थे जिनमें से 69 कार्य पूरा कर लिए गए थे और 54 कार्य प्रगति पर थे।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 25,060 कार्य प्रस्तावित थे जिनमें से 16,082 प्रगति पर थे और 2,223 कार्य पूरा कर लिए गए थे। इनमें से 11,792 कार्य व्यक्तिगत भूमि पर होने प्रस्तावित थे जिनमे से 11,496 कार्य प्रगति पर थे और 1325 कार्य पूरे हुए थे। ग्रामीण संपर्क से सम्बंधित कार्य कुल 1519 प्रस्तावित थे जिनमे से 1239 कार्य प्रगति पर थे और 327 कार्य को पूरा कर लिया गया था। भूमि विकास सम्बन्धी कार्यों में कुल 640 कार्य प्रस्तावित थे जिनमे से 322 कार्य प्रगति पर थे और 81 कार्य पूरा कर लिए गए थे। पुराने जल स्रोतों के जीणोद्धार संबंधी कुल 1152 कार्य प्रस्तावित थे जिनमे से 599 कार्य प्रगति पर थे और 253 कार्यों को पूरा कर लिए गये थे।

तालिका: 6.3 बिहार के कैमूर जिले में मनरेगा की प्रगति

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
जॉब कार्ड प्राप्त परिवारों की संख्या (लाख)	2.20	2.10	1.99	2.06	2.18	2.25
जॉब कार्ड-प्राप्त परिवारों में अजा• परिवारों का प्रतिशत हिस्सा	46.69	43.97	39.58	38.36	37.24	36.67
रोजगार मांगने वाले जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों का प्रतिशत	16.78	18.52	15.82	17.61	21.88	18.81
रोजगार प्राप्त परिवारों में 100 दिन रोजगार-प्राप्त परिवारों का प्रतिशत	8.76	7.70	7.31	2.6	0.9	1.3
कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा	17.15	19.54	23.76	29.4	33.7	37.4
धनराशि का उपयोग (प्रतिशत)	85.7	85.6	66.5	87.7	91.6	87.1

Source- Economic Survey, Finance Department, Govt. of Bihar

³ WWW.NREGA.NIC.IN

इस अध्याय में मैंने कैमूर जनपद में मनरेगा लागू होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास का विवेचन किया है जिसमें उस क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ क्षेत्र के लोगों में शिक्षा स्वास्थ्य खानपान पोषण युक्त भोजन में आए परिवर्तन को भी जानने की कोशिश की है। इसके लिए हमने प्रश्नावली सूची के माध्यम से उत्तरदाताओं के रूप में मनरेगा में कार्यरत 200 मजदूरों का विभिन्न ग्राम पंचायतों से Disproportionate Stratified Random Sampling Method के आधार पर साक्षत्कार किया। इसमें विभिन्न समुदाय (सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, एवं जनजाति) के लोग शामिल थे इसके साथ ही साथ मनरेगा के अधिकारी, मुखिया, रोजगार सेवकों को भी इस साक्षत्कार में शामिल किया गया।

हमने अपना प्रतिदर्श कैमूर जिले के 12 ब्लाक में से 4 ब्लाक के 8 ग्राम पंचायत से लिया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से 25 लोगों को अपने प्रतिदर्श में शामिल किया गया।


हर ब्लाक के प्रत्येक ग्राम पंचायत से 5 सामान्य वर्ग, 5 पिछड़ा वर्ग, 5 अनुसूचित जाति, 5 अनुसूचित जनजाति और 5 महिला मनरेगा श्रमिकों को उत्तरदाता के रूप में चुना गया परन्तु सामान्य वर्ग के अनुपस्थिति के कारण उत्तरदाता के रूप में अन्य वर्ग के श्रमिकों को शामिल कर लिया गया।

लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या –

निम्नलिखित तालिका संख्या 6.3 में शोधकर्ता के द्वारा किये गये सर्वेक्षण में लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं को विभाजित किया जाता है। इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक (77.0 प्रतिशत) उत्तरदाता पुरुष है तथा 23.0 प्रतिशत उत्तरदाता महिला है।

तालिका: 6.4 लिंग के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या

क्रम संख्या	लिंग	संख्या	प्रतिशत
1.	पुरुष	154	77.0
2.	महिला	46	23.0
	योग	200	100



रेखाचित्र संख्या 6.1


उत्तरदाताओं की आयु का विवरण –

प्रस्तुत तालिका संख्या 6.4 में शोधकर्ता के द्वारा उत्तरदाताओं की आयु से सम्बन्धित आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है। इस तालिका के विश्लेषण करने से यह पता चलता है कि 41.5 प्रतिशत उत्तरदाता 34–41 वर्ष आयु वर्ग में आते हैं। इसके बाद 37.5 प्रतिशत उत्तरदाता 26–33 वर्ष आयु वर्ग से, 16.5 प्रतिशत उत्तरदाता 18–25 वर्ष आयु वर्ग में तथा 4.5 प्रतिशत उत्तरदाता 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के अन्दर आते हैं।

तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष सामने आता है कि सर्वाधिक 41.5 प्रतिशत उत्तरदाता 34–41 वर्ष आयु वर्ग के अन्दर आते हैं तथा सबसे कम उत्तरदाता 4.5 प्रतिशत है जो 50 वर्ष के अधिक आयुवर्ग के अंतर्गत आते हैं।

तालिका संख्या 6.5 उत्तरदाताओं की आयु का विवरण

क्रम संख्या	आयु वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1.	18–25 वर्ष	33	16.5
2.	26–33 वर्ष	75	37.5
3.	34–41 वर्ष	83	41.5
4.	50 वर्ष से अधिक	9	4.5
	योग	200	100



रेखाचित्र संख्या 6.2


समुदाय के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण प्रतिशत –

निम्नलिखित तालिका संख्या 6.5 उत्तरदाताओं के समुदाय को प्रदर्शित करती है। इस तालिका के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 90.0 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू समुदाय के हैं। इसके बाद अतिरिक्त 10.0 प्रतिशत उत्तरदाता मुस्लिम के हैं। सिख और ईसाई समुदाय के उत्तरदाताओं की संख्या नहीं है।

तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सर्वाधिक 90.0 प्रतिशत उत्तरदाता हिन्दू समुदाय के हैं तथा सर्वेक्षण के दौरान इस अध्ययन में सिख और ईसाई समुदाय के लोगों को नहीं देखा गया।

तालिका संख्या 6.6 समुदाय/धर्म के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	समुदाय	संख्या	प्रतिशत
1.	हिन्दू	180	90.0
2.	मुस्लिम	20	10.0
3.	सिख	0	0
4.	ईसाई	0	0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.3


जाति/वर्ग के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण –

निम्नलिखित तालिका संख्या 6.6 उत्तरदाताओं के जाति/वर्ग को प्रदर्शित करती है। इस तालिका के विश्लेषण करने से ज्ञात होता है कि 30.0 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के हैं। इसके अतिरिक्त 26.5 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति, 24.5 उत्तरदाता अनुसूचित जनजाति के हैं। सामान्य जाति के उत्तरदाताओं की संख्या सबसे कम 19.0 प्रतिशत हैं।

तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 30.0 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के लोग सर्वाधिक हैं तथा सामान्य जाति के उत्तरदाताओं की संख्या सबसे कम 19.0 प्रतिशत है।

तालिका संख्या 6.7 जाति/वर्ग के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	जाति/वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1.	सामान्य	38	19.0
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	60	30.0
3.	अनुसूचित जाति	53	26.5
4.	अनुसूचित जनजाति	49	24.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.4


वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण –

प्रस्तुत तालिका संख्या 6.7 में उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति का विश्लेषण किया गया जिसमें 98.5 प्रतिशत विवाहित, 2 प्रतिशत अविवाहित तथा 1.5 प्रतिशत तलाकशुदा है।

तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 96.5 प्रतिशत विवाहित हैं तथा अविवाहित तथा तलाकशुदा लोगों की संख्या कम है।

तालिका संख्या 6.8 वैवाहिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	वैवाहिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	विवाहित	193	96.5
2.	अविवाहित	4	2.0
3.	तलाकशुदा	3	1.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.5


शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण –

निम्नलिखित तालिका संख्या 6.8 की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा श्रमिक में 33.5 प्रतिशत निरीक्षर योग्यता रखते हैं। 24 प्रतिशत श्रमिकों की योग्यता 5वीं पास, 26 प्रतिशत लोग आठवीं पास, 10 प्रतिशत लोग 10वीं पास, 2.5 प्रतिशत लोग 12वीं तथा केवल 4 प्रतिशत लोग स्नातक की शैक्षिक योग्यता रखते हैं।

तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनरेगा के श्रमिक उत्तरदाताओं में सबसे ज्यादा निरक्षर ही है 33.5 प्रतिशत, सबसे कम 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता इंटरमीडिएट पास हैं इससे यह स्पष्ट होता है शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता कम दिखाई देती है।

तालिका संख्या 6.9 शैक्षणिक स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	शैक्षणिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	5वीं	48	24.0
2.	8वीं	52	26.0
3.	10वीं	20	10.0
4.	12वीं	5	2.5
5.	स्नातक	8	4.0
6.	निरक्षर	67	33.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.6


पेशा/व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण –

तालिका संख्या 6.9 में उत्तरदाताओं के व्यवसाय से सम्बन्धित आकड़ों को संकलित करके दर्शाया गया है। तालिका की व्याख्या से यह स्पष्ट होता है कि 84.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का व्यवसाय दैनिक मजदूरी है, 12.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का व्यवसाय कृषि है, 1.5 प्रतिशत उत्तरदाता व्यवसाय करते हैं और 1.5 प्रतिशत उत्तरदाता बेरोजगार हैं।

तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 84.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का व्यवसाय मजदूरी करना है तथा सबसे कम प्रतिशत उत्तरदाता व्यवसाय एवं 1.5 प्रतिशत उत्तरदाता बेरोजगार हैं।

तालिका संख्या 6.10 पेशा/व्यवसाय के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	पेशा/व्यवसाय	संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि	25	12.5
2.	मजदूरी	169	84.5
3.	व्यवसाय	3	1.5
4.	अन्य	3	1.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.7


वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण प्रतिशत –

निम्नलिखित तालिका संख्या 6.10 में उत्तरदाताओं की वार्षिक आय का वर्णन किया गया है। तालिका से दर्शित होता है कि इसमें सर्वाधिक 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं की वार्षिक आय 30 से 50 हजार है। 30,000 से कम की वार्षिक आय वाले 38.5 प्रतिशत, 50 से 70 हजार तक की वार्षिक आय वाले 9.5 प्रतिशत तथा 70000 से अधिक वार्षिक आय वाले लोग 12 प्रतिशत हैं।

तालिका से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि मध्यम आय वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है तथा उसी के आस-पास 30 हजार से कम आय वाले लोगों की संख्या है।

तालिका संख्या 6.11 वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	वार्षिक पारिवारिक आय	संख्या	प्रतिशत
1.	30 हजार से कम	77	38.5
2.	30 हजार से 50 हजार तक	80	40.0
3.	50 हजार से 70 हजार तक	19	9.5
4.	70 हजार से अधिक	24	12.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.8


विकास से संबंधित विचार के आधार पर उत्तरदाताओं का विवरण –

निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं के विकास से संबंधित क्या विचार है इसमें 45.5 प्रतिशत लोग जीवन स्तर में सुधार, 29.5 प्रतिशत लोग उनके प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, 23.5 प्रतिशत लोग गांव में सड़क, पानी, बिजली एवं आवास मिलने, 0.5 प्रतिशत लोग सामाजिक स्तर में सुधार को विकास मानते हैं।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 45.5 प्रतिशत लोग अपने जीवन में सुधार को विकास मानते हैं तथा सबसे कम लोग 0.5 प्रतिशत लोग सामाजिक स्तर में सुधार को विकास मानते हैं।

तालिका संख्या 6.12 विकास से संबंधित उत्तरदाताओं के विचार का विवरण

क्रम संख्या	विकास का अर्थ	संख्या	प्रतिशत
1.	जीवन स्तर में सुधार	91	45.5
2.	प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि	59	29.5
3.	सामाजिक स्तर में सुधार	1	0.5
4.	गांव में सड़क, पानी, बिजली, आवास	47	23.5
5.	उपरोक्त सभी	2	1.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.9


चुनाव में उत्तरदाताओं की भागीदारी –

प्रस्तुत तालिका संख्या 6.12 में उत्तरदाताओं की चुनाव में भागीदारी को स्पष्ट किया गया है जिसमें 89.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चुनाव में भाग लेने की बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया एवं 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चुनाव में भाग लेने के विषय पर कह नहीं सकते हैं की अभिव्यक्ति को दर्शाया। जबकि 1.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संबंध में अपना उत्तर नहीं में दिया।

इस तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि 89.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने चुनाव में भाग लेने में रूचि दिखाई।

तालिका संख्या 6.13 चुनाव में उत्तरदाताओं की भागीदारी

क्रम संख्या	चुनाव में भाग लेते हैं	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	178	89.0
2.	नहीं	2	1.0
3.	कह नहीं सकते	20	10.0
	योग	200	100.0




रेखाचित्र संख्या 6.10

आप किस आधार पर वोट देते हैं?

प्रस्तुत तालिका में उत्तरदाताओं के चुनाव में वोट देने के आधार को स्पष्ट किया गया है जिसमें सर्वाधिक 78.5 प्रतिशत लोगों ने अपने वोट डालने एवं प्रतिनिधि चुनने का आधार विकास एवं अच्छे व्यक्ति को माना, 12.5 प्रतिशत लोगों ने दबंग छवि वाले को, 9.0 प्रतिशत लोगों ने अपने जाति के व्यक्ति को तथा पार्टी के आधार पर चुनने वाले लोगों की संख्या नगण्य है।

तालिका संख्या 6.14 चुनाव में उत्तरदाताओं का वोट देने का आधार का विवरण

क्रम संख्या	वोट देने का आधार	संख्या	प्रतिशत
1.	विकास एवं अच्छा व्यक्ति	157	78.5
2.	जाति के व्यक्ति को	18	9.0
3.	दबंग/आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी को	25	12.5
4.	पार्टी के आधार पर	0	0
5.	अन्य	0	0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.11


क्या आप मानते हैं कि ग्रामीण विकास सरकारी योजनाओं से संभव है?

तालिका में उत्तरदाताओं से ग्रामीण विकास को सरकारी योजनाओं से संभावना कोई स्पष्ट किया गया है, जिसमें 69 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना था कि ग्रामीण विकास सरकारी योजनाओं से संभव है। 4.5 लोगों का मानना है कि नहीं सरकारी योजना से ग्रामीण विकास संभव नहीं है तथा 26.5 प्रतिशत उत्तरदाता इस संबंध में कुछ कह नहीं सकते के रूप में अपना उत्तर दिया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाता में सर्वाधिक 69 प्रतिशत लोगों का मानना है कि सरकारी योजना से ग्रामीण विकास संभव है।

तालिका संख्या 6.15 ग्रामीण विकास को सरकारी योजनाओं से संभावना का विवरण

क्रम संख्या	ग्रामीण विकास सरकारी योजनाओं से संभव	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	138	69.0
2.	नहीं	9	4.5
3.	कह नहीं सकते	53	26.5
	योग	200	100.0




रेखाचित्र संख्या 6.12

यदि नहीं तो क्या उपाय होने चाहिए?

तालिका में उत्तरदाताओं से ग्रामीण विकास को सरकारी योजनाओं से संभावना के अलावा अन्य अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया गया है, जिसमें से 4.5 प्रतिशत लोगों का मानना है कि नहीं सरकारी योजना से ग्रामीण विकास संभव नहीं है। इन 4.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से 2.5 प्रतिशत उत्तरदाता जनता की भागीदारी, 1.5 प्रतिशत उत्तरदाता जवाबदेह प्रशासनिक अधिकारी एवं 0.5 प्रतिशत में कर्मठ एवं प्रतिबद्ध नेतृत्व को ग्रामीण विकास का आधार माना।

तालिका संख्या 6.16 ग्रामीण विकास को सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है का विवरण यदि नहीं तो उपाय (प्रतिशत में)

क्रम संख्या	यदि नहीं तो उपाय	संख्या	प्रतिशत
1.	जनता की भागीदारी	5	2.5
2.	कर्मठ एवं प्रतिबद्ध नेतृत्व	1	0.5
3.	जवाबदेह प्रशासनिक अधिकारी	3	1.5
	योग	9	4.5



रेखाचित्र संख्या 6.13


उत्तरदाताओं की पारिवारिक स्थिति –

प्रस्तुत तालिका संख्या 6.16 में उत्तरदाताओं की पारिवारिक स्थिति को स्पष्ट किया गया है जिसमें से 86.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार गरीब पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। जबकि 6.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार मध्यवर्गीय हैं। वहीं 7.0 प्रतिशत उत्तरदाता सामान्य परिवार से संबंध रखते हैं।

इस तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 86.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार गरीब पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं एवं 6.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार मध्यवर्गीय हैं।

तालिका संख्या 6.17 उत्तरदाताओं की पारिवारिक स्थिति

क्रम संख्या	पारिवारिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1.	गरीब	173	86.5
2.	मध्यवर्गीय	13	6.5
3.	सामान्य	14	7.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.14


उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति –

तालिका संख्या 6.17 में उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति से सम्बन्धित तथ्यों को एकत्रित करके तालिकाबद्ध किया गया है। तालिका के विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि सर्वाधिक 75.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति एकल है तथा 24.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का परिवार संयुक्त है।

तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 75.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति एकल है, क्योंकि वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की परम्परा बिखरती जा रही है।

तालिका संख्या 6.18 उत्तरदाताओं के परिवार की प्रकृति

क्रम संख्या	परिवार की प्रकृति	संख्या	प्रतिशत
1.	एकल	151	75.5
2.	संयुक्त	49	24.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.15


मनरेगा से पूर्व उत्तरदाताओं के परिवार में आय का साधन –

तालिका संख्या 6.18 से यह स्पष्ट किया गया कि उत्तरदाताओं की मनरेगा से पहले उनकी आय के स्रोत क्या थे। 81.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं की गांव में मजदूरी, 12.5 प्रतिशत उत्तरदाता कृषि खेती, 2 प्रतिशत उत्तरदाता दूसरे शहर में नौकरी तथा 4 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य साधनों से आय प्राप्त करते थे।

इस तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि मनरेगा से पहले सर्वाधिक 81.5 प्रतिशत लोग गांव में मजदूरी करते थे, जिसमें कृषि मजदूरी, गृह निर्माण में कार्य, इत्यादि जैसे परंपरागत कार्य शामिल हैं। वहीं 2.0 प्रतिशत उत्तरदाता बाहर जाकर आय प्राप्त करते थे।

तालिका संख्या 6.19 मनरेगा से पूर्व उत्तरदाताओं के परिवार में आय का साधन

क्रम संख्या	मनरेगा से पूर्व परिवार में आय का साधन	संख्या	प्रतिशत
1.	गांव में मजदूरी	163	81.5
2.	कृषि/खेती	25	12.5
3.	दूसरे शहर में नौकरी	4	2.0
4.	अन्य	8	4.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.16


उत्तरदाताओं के जॉब-कार्ड में अंकित सदस्यों की संख्या –

प्रस्तुत तालिका संख्या 6.19 में उत्तरदाताओं की जॉब कार्ड पर परिवार के सदस्यों की संख्या को स्पष्ट किया गया है। 69.5 प्रतिशत ऐसे परिवार थे जिनके सदस्यों की संख्या जॉब कार्ड पर दो थी। 26.5 प्रतिशत ऐसे परिवार थे जिनके सदस्यों की संख्या 1 थी। 1.5 सदस्य परिवार की जॉब कार्ड पर सदस्यों की संख्या 3 और 2.5 प्रतिशत पर सदस्यों की संख्या 4 थी।

तालिका से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 69.5 प्रतिशत जॉब कार्ड परिवार के सदस्यों की संख्या 2 थी तथा 3 एवं 4 सदस्यों वाले जॉब कार्डों की संख्या बहुत कम 1.5 एवं 2.5 प्रतिशत थी।

तालिका संख्या 6.20 उत्तरदाताओं के जॉब कार्ड में अंकित सदस्यों की संख्या

क्रम संख्या	सदस्यों की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1.	1	53	26.5
2.	2	139	69.5
3.	3	3	1.5
4.	4	5	2.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.17


उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी –

इस तालिका में उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी को स्पष्ट किया गया है। जिसमें 92 प्रतिशत लोग मनरेगा कार्यक्रम के बारे में जानते थे और 8 प्रतिशत नहीं जानते थे।

उत्तरदाताओं के अध्ययन के अंतर्गत यह पाया गया कि वह 95 प्रतिशत लोग सिर्फ मनरेगा योजना के बारे में जानते थे लेकिन इसके अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी उन्हें ज्यादा नहीं थी।

तालिका संख्या 6.21 उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी

क्रम संख्या	मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	184	92.0
2.	नहीं	16	8.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.18


यदि हाँ तो क्या जानते हैं –

प्रस्तुत तालिका संख्या में मनरेगा कार्यक्रम के जानकारी प्रावधानों का उत्तरदाता से अध्ययन का वर्णन किया गया है, जिसमें 88.5 प्रतिशत लोग सिर्फ काम के रोजगार प्राप्ति के बारे में जानते थे। 0.5 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता, 1.0 प्रतिशत एक निश्चित दूरी के बाद मजदूरी वृद्धि तथा 2.0 प्रतिशत अन्य प्रावधानों के बारे में जानते थे।

जिससे स्पष्ट होता है कि सिर्फ कार्ड मिलने की जानकारी रखने वाले सर्वाधिक 88.5 प्रतिशत उत्तरदाता थे जबकि बेरोजगारी भत्ता एवं वेतन वृद्धि की जानकारी बहुत ही कम उत्तरदाताओं को थी।

तालिका संख्या 6.22 उत्तरदाताओं का मनरेगा कार्यक्रम प्रावधानों की जानकारी

क्रम संख्या	परिवार के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	100 दिन या इससे कम दिन रोजगार मिलता है	177	88.5
2.	बेरोजगारी भत्ता	1	0.5
3.	एक निश्चित दूरी के बाद मजदूरी वृद्धि	2	1.0
4.	अन्य	4	2.0
	योग	184	92.0



रेखाचित्र संख्या 6.19


उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी का स्रोत –

प्रस्तुत तालिका संख्या 6.22 में उत्तरदाताओं की मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी के स्रोत का अध्ययन किया गया है। जिसमें पाया गया कि 70 प्रतिशत सर्वाधिक उत्तरदाताओं को मनरेगा की जानकारी पंचायत से प्राप्त हुई, वहीं 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अन्य लोगों से एवं रेडियो तथा टेलीविजन से जानकारी बहुत कम लोगों मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त हुई जो क्रमशः 0.5 प्रतिशत व 1.5 प्रतिशत थी।

इस तालिका के अध्ययन से निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ग्राम पंचायत मनरेगा योजना की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत है।

तालिका संख्या 6.23 उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी का स्रोत

क्रम संख्या	मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी का स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1.	पंचायत से	140	70.0
2.	रेडियो से	1	0.5
3.	टेलीविजन से	3	1.5
4.	दीवार लेखन	0	0
5.	एन0जी0ओ0	0	0
6.	अन्य लोगों से।	56	28.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.20


उत्तरदाताओं के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम में काम मांगने के संबंध में –

निम्नलिखित तालिका में उत्तरदाताओं के द्वारा मनरेगा में काम मांगने का विश्लेषण किया गया है। 48.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने काम मांगा है जबकि 51.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा के अंतर्गत काम मांगने के अधिकार का उपयोग नहीं किया।

इससे यह निष्कर्ष स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 51.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं के द्वारा जानकारी के अभाव एवं अन्य कारणों से काम नहीं मांगा जबकि 48.5 प्रतिशत लोगों ने अपने काम के अधिकार से पंचायत से काम मांगा।

तालिका संख्या 6.24 उत्तरदाताओं के द्वारा मनरेगा कार्यक्रम में काम मांगने के संबंध में

क्रम संख्या	मनरेगा कार्यक्रम में काम मांगा गया	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	97	48.5
2.	नहीं	103	51.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.21


उत्तरदाताओं को काम मांगने के बाद प्राप्ति रसीद के संबंध में –

तालिका में उत्तरदाताओं द्वारा काम मांगने के बाद में प्राप्ति रसीद (Receiving) के मिलने का विश्लेषण किया गया है। 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि कार्य मांगने के फलस्वरूप उन्हें रसीद प्राप्ति हुआ था। जबकि 23.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें प्राप्ति रसीद नहीं मिला एवं 15.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर पता नहीं में दिया।

इससे यह निष्कर्ष यह प्राप्त होता है कि सर्वाधिक 23.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को काम मांगने के फलस्वरूप उन्हें रसीद प्राप्ति नहीं होती थी वहीं जिन उत्तरदाताओं को कोई भी रसीद प्राप्ति नहीं हुई उनकी संख्या 10.0 थी।

तालिका संख्या 6.25 उत्तरदाताओं को काम मांगने के बाद प्राप्ति रसीद के संबंध में

क्रम संख्या	काम मांगने के बाद रसीद प्राप्ति	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	20	10.0
2.	नहीं	47	23.5
3.	पता नहीं	30	15.0
	योग	97	48.5



रेखाचित्र संख्या 6.22


आपको काम मांगने के कितने दिन के अंदर काम मिला?

तालिका संख्या 6.25 में उत्तरदाताओं द्वारा कितने दिन में काम मिलने के समय का विश्लेषण किया गया है। जिसमें सर्वाधिक 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना था कि कार्य मांगने के फलस्वरूप उन्हें 15 दिन के कार्य प्राप्त हुआ। जबकि 18.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें 30 दिन के बाद कार्य मिला एवं 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर में कहा कि उन्हें 15–30 दिन में कार्य प्राप्त हुआ।

इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य मांगने वाले अत्यधिक ग्रामीणों को 15 दिन के अन्दर ही कार्य की प्राप्ति हो जाती है।

तालिका संख्या 6.26 काम मांगने के बाद काम मिलने में लगा समय

क्रम संख्या	काम मिलने में लगा समय	संख्या	प्रतिशत
1.	15 दिन के अंदर	40	20.0
2.	15–30 दिन	20	10.0
3.	30 दिन के बाद	37	18.5
	योग	97	48.5



रेखाचित्र संख्या 6.23


मनरेगा कार्यक्रम में काम मिलते समय क्या आप किसी प्रकार के भेदभाव का अनुभव हुआ?

प्रस्तुत तालिका में उत्तरदाताओं को मनरेगा में काम मिलते समय भेद-भाव का विश्लेषण किया गया जिसमें सर्वाधिक 81 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें काम मिलने में कोई भेदभाव नहीं हुआ। 10 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि हां भेदभाव हुआ, वहीं 9 प्रतिशत लोगों ने पता नहीं में अपना उत्तर दिया।

इससे स्पष्ट होता है कि लोगों ने भेदभाव के बात को नकारा सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों ने ही स्वीकार किया।

तालिका संख्या 6.27 मनरेगा कार्यक्रम में काम मिलते समय भेदभाव

क्रम संख्या	भेदभाव का अनुभव	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	20	10.0
2.	नहीं	162	81.0
3.	पता नहीं	18	9.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.24


यदि हाँ तो किस आधार पर हुआ?

प्रस्तुत तालिका उत्तरदाताओं के द्वारा भेदभाव की स्वीकृति के बाद भेदभाव के होने वाले स्वरूप का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 4.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने धार्मिक भेदभाव, 3.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं में जातिगत तथा 2.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मतदान भेदभाव को स्वीकारा है तथा लैंगिक भेदभाव की संख्या 0 थी।

इससे स्पष्ट होता है कि भेदभाव होने वाले कारणों में सर्वाधिक धर्म एवं जाति का था।

तालिका संख्या 6.28 मनरेगा कार्यक्रम में काम मिलते समय भेदभाव का आधार

क्रम संख्या	भेदभाव का आधार	संख्या	प्रतिशत
1.	जातिगत	7	3.5
2.	धार्मिक	9	4.5
3.	मतदान	4	2.0
4.	लैंगिंग	0	0
5.	अन्य	0	0
	योग	20	10.0



रेखाचित्र संख्या 6.25


आपको मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने दिन काम मिले?

तालिका से उत्तरदाताओं को मनरेगा के अंतर्गत मिले कामों की अवधि का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 39.0 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता हैं जिन्हें 50 से 100 दिन काम प्राप्त हुई। 50 दिन से कम कार्य प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या 50.0 प्रतिशत है 10 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिन्हें 10 दिन से कम काम मिला।

इससे स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं को 50 से 100 दिन से कम कार्य प्राप्त मनरेगा में हुई।

तालिका संख्या 6.29 मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत मिले काम का विवरण

क्रम संख्या	कार्यक्रम के अंतर्गत मिले काम के दिनों की संख्या	संख्या	प्रतिशत
1.	81-100 दिन	18	9.0
2.	51-80 दिन	60	30.0
3.	11-50 दिन	100	50.0
4.	0-10 दिन	20	10.0
5.	अन्य	2	1.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.26


आपको कार्य करने के कितने दिनों बाद मजदूरी का भुगतान होता है?

तालिका से प्रदर्शित होता है कि उत्तरदाताओं की मनरेगा के अंतर्गत किए गए कार्यों की वेतन भुगतान का अध्ययन किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत मिले कार्यों के बाद 70.5 प्रतिशत लोगों को वेतन भुगतान 15 दिन से 1 महीने के बीच हुआ। 14.5 प्रतिशत लोगों का मजदूरी 1 से 3 माह के अंतर्गत हुआ।

अतः प्रतिशत तालिका का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि सिर्फ 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मनरेगा में मजदूरी भुगतान 15 दिन से पूर्व किया गया।

तालिका संख्या 6.30 कार्य करने के उपरांत मजदूरी भुगतान में लगा समय का विवरण

क्रम संख्या	मजदूरी का भुगतान हुआ	संख्या	प्रतिशत
1.	15 दिन से पूर्व	20	10.0
2.	15 दिन से एक माह	141	70.5
3.	1-3 माह	29	14.5
4.	3 माह से अधिक	10	5.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.27


आपको कार्य करने हेतु कितनी दूर जाना पड़ा?

प्रस्तुत तालिका में मनरेगा कार्यक्रम में मजदूरों की दूरी का विश्लेषण किया गया जिसमें 97.5 प्रतिशत उत्तरदाता ने कहा कि उन्हें 5 किलोमीटर के अंदर ही कार्य प्राप्त कर दिए जाते हैं जबकि 2.5 प्रतिशत तक जाता का मानना था कि 5 किलोमीटर से भी अधिक दूर उन्हें कार्य मिलता था।

इससे स्पष्ट है कि मनरेगा में मजदूरों को 5 किलोमीटर के अंतर्गत कार्य उपलब्ध करा दिए जाते हैं। उत्तरदाता में सर्वाधिक 97.5 प्रतिशत लोगों को 5 किलोमीटर के अंदर ही कार्य प्राप्त हुए।

तालिका संख्या 6.31 मनरेगा में मजदूरों को कार्य करने की दूरी का विवरण

क्रम संख्या	कार्य करने हेतु जाने की दूरी	संख्या	प्रतिशत
1.	0-5 किमी०	195	97.5
2.	5 से अधिक किमी० तक	5	2.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.28


क्या यदि आप 5 किमी० से अधिक दूर गए तो आपको अतिरिक्त मजदूरी मिली?

निम्नलिखित तालिका में यदि कोई उत्तरदाता 5 किलो मीटर से अधिक दूरी पर कार्य करता है तो उसे अतिरिक्त मजदूरी मिलती है या नहीं। कुल 2.5 प्रतिशत लोगों ने इस संबंध में अपने उत्तर दिए जिसमें केवल 1 प्रतिशत व्यक्ति को अतिरिक्त मजदूरी मिलती है तथा 1.5 प्रतिशत लोगों का इस संबंध में उत्तर नहीं था।

इस तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर मनरेगा श्रमिक काम करने जाते हैं और तो उसमें केवल कुछ लोगों को ही अतिरिक्त मजदूरी मिलती है।

तालिका संख्या 6.32 5 किमी० से अधिक दूर कार्य पर अतिरिक्त मजदूरी का विवरण

क्रम संख्या	अतिरिक्त मजदूरी मिली	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	2	1.0
2.	नहीं	3	1.5
	योग	5	2.5



रेखाचित्र संख्या 6.29


क्या आपको मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी है?

निम्नलिखित तालिका में मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दर्शाया गया है आकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि 77.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी थी। 22.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं थी।

इस तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं को मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी थी।

तालिका संख्या 6.33 कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी का विवरण

क्रम संख्या	कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	155	77.5
2.	नहीं	45	22.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.30


क्या आपके कार्यस्थल पर मस्टररोल रखा जाता है?

प्रस्तुत तालिका में कार्यस्थल पर मस्टर रोल रखा जाता है इस संबंध में जानकारी को दर्शाया गया है। 37.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि कार्यस्थल पर मस्टर रोल रखा जाता है। वहीं 51.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर नहीं में दिया। जबकि 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इसके बारे में पता नहीं था

इससे यह स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में कार्यस्थल पर मस्टर रोल की अनुपस्थिति पाई जाती है।

तालिका संख्या 6.34 कार्यस्थल पर मस्टररोल की उपस्थिति का विवरण

क्रम संख्या	कार्यस्थल पर मस्टररोल रखा जाता है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	75	37.5
2.	नहीं	103	51.5
	पता नहीं	22	11.0
	योग	200	100



रेखाचित्र संख्या 6.31


क्या आपके कार्यस्थल पर मस्टर रोल में आपकी उपस्थिति दर्ज की जाती है?

नीचे दी गई तालिका में कार्यस्थल पर मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज की जाती है इसकी जानकारी को स्पष्ट किया गया है इस तालिका के अनुसार 50 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कार्यस्थल पर मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज की जाती है। 33.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं की उपस्थिति मस्टर रोल में दर्ज नहीं की जाती है तथा 11 प्रतिशत उत्तरदाताओं की उपस्थिति मेट द्वारा दर्ज की जाती है जबकि 5.5 मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज की जानकारी से अनभिज्ञ थे।

इससे यह स्पष्ट होता है कि शोध क्षेत्र में कार्यस्थल पर मस्टर रोल की उपस्थिति के उपरांत मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की जाती है।

तालिका संख्या 6.35 कार्यस्थल पर मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज का विवरण

क्रम संख्या	कार्यस्थल पर मस्टर रोल में उपस्थिति दर्ज की जाती है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	100	50.0
2.	नहीं	67	33.5
3.	मेट द्वारा	22	11.0
4.	पता नहीं	11	5.5
	योग	200	100



रेखाचित्र संख्या 6.32


आपका जॉब कार्ड किसके पास रहता है?

तालिका में उत्तरदाताओं के जॉब कार्ड रखने के संबंध के अध्ययन का विवरण है। 96.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उनका जॉब कार्ड स्वयं के पास हो जाता है 2.5 प्रतिशत लोगों का जॉब कार्ड ग्राम प्रधान पंचायत मित्र के पास रहता है तथा 1 प्रतिशत लोगों का जॉब कार्ड दोनों के पास समय समय पर रहता है।

इस तालिका से यह पता चलजा है कि सर्वाधिक उत्तरदाताओं का जॉब कार्ड उनके स्वयं के पास जाता है जिनकी प्रतिशत 96.5 है।

तालिका संख्या 6.36 जॉब कार्ड रखने के संबंध में विवरण

क्रम संख्या	जॉब कार्ड रहता है	संख्या	प्रतिशत
1.	स्वयं के पास	193	96.5
2.	ग्राम प्रधान/पंचायत मित्र के पास	5	2.5
3.	दोनों के पास समय-समय पर	2	1.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.33


क्या आपको बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी है?

नीचे दी गई तालिका में उत्तरदाताओं को बेरोजगारी भत्ता के बारे में जानकारी का वर्णन किया गया है। सर्वाधिक 73.0 प्रतिशत लोगों को बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। 6.0 प्रतिशत लोगों को इसके बारे में जानकारी के बारे में अपना उत्तर पता नहीं में दिया, वही सिर्फ 21.0 प्रतिशत लोगों को बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी प्राप्त थी।

इस तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है सर्वाधिक 73 प्रतिशत उत्तरदाताओं को बेरोजगारी भत्ते के बारे में मालूम नहीं है।

तालिका संख्या 6.37 बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी का विवरण

क्रम संख्या	बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	42	21.0
2.	नहीं	146	73.0
3.	पता नहीं	12	6.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.34


क्या आपको सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी है?

प्रस्तुत तालिका में उत्तरदाताओं के सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी का अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें 76.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। 8.5 प्रतिशत लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त तथा 15 प्रतिशत लोगों ने पता नहीं में उत्तर दिया है।

इस तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक अंकेक्षण के बारे में सर्वाधिक 76.5 प्रतिशत लोगों को जानकारी प्राप्त नहीं है और सिर्फ 8.5 प्रतिशत लोग इसके बारे में जानते हैं।

तालिका संख्या 6.38 सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी का विवरण

क्रम संख्या	सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	17	8.5
2.	नहीं	153	76.5
3.	पता नहीं	30	15.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.35


क्या आपके पंचायत में ग्राम सभा की बैठक होती है हां तो कितनी बार?

निम्नलिखित तालिका में उत्तरदाताओं के पंचायत में ग्राम सभा की बैठक की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। 58.0 प्रतिशत उत्तरदाता ने कहा कि वर्ष में दो बार से कम ग्राम सभा की बैठक होती है। 22.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पंचायत में वर्ष में दो बार से अधिक ग्राम सभा की बैठक होती है, वहीं 14.5 प्रतिशत ने कहा की वर्ष में ग्राम सभा की बैठक केवल दो बार होती है। इसके अतिरिक्त 5.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को इस बारे में पता नहीं है।

इस तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की बैठक वर्ष में दो बार से कम होती है।

तालिका संख्या 6.39 ग्राम सभा की बैठक के बारे में जानकारी का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम सभा की बैठक होती है	संख्या	प्रतिशत
1.	वर्ष में दो बार से अधिक	44	22.0
2.	दो बार से कम	116	58.0
3.	दो बार	29	14.5
4.	पता नहीं	11	5.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.36


क्या आप ग्राम सभा की बैठक में जाते हैं यदि हां तो वहां मनरेगा के कार्य योजना के बारे में निर्णय लिया जाता है?

तालिका में ग्राम सभा की बैठक में मनरेगा के कार्य योजना के बारे में निर्णय लिए जाने का विश्लेषण किया गया है। 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि ग्राम सभा की बैठक में मनरेगा योजना के कार्यों के बारे में निर्णय लिया जाता है। 11.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा नहीं तथा 55.5 प्रतिशत लोगों ने इसका उत्तर पता नहीं में दिया।

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 55.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ग्राम सभा की बैठक में मनरेगा योजना के लिए जाने वाले निर्णय के बारे में पता नहीं है।

तालिका संख्या 6.40 ग्राम सभा की बैठक में मनरेगा योजना निर्णय संबंधित विवरण

क्रम संख्या	मनरेगा के कार्य योजना के बारे में निर्णय लिया जाता है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	66	33.0
2.	नहीं	23	11.5
3.	पता नहीं	111	55.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.37


क्या आपके ग्राम सभा/पंचायत द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है?

तालिका में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण के बारे में अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 44.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि ग्राम सभा के द्वारा मनरेगा का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जाता है, 15.0 प्रतिशत में स्वीकार किया कि ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है जबकि 41.0 प्रतिशत ने कहा उन्हें नहीं पता है।

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण की कमी पायी जाती है।

तालिका संख्या 6.41 ग्राम सभा/पंचायत द्वारा सामाजिक अंकेक्षण का विवरण

क्रम संख्या	ग्राम सभा/पंचायत द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	30	15.0
2.	नहीं	88	44.0
3.	पता नहीं	82	41.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.38


क्या मनरेगा कार्यक्रम से आपके परिवार की आय में वृद्धि हुई है?

तालिका में मनरेगा कार्यक्रम से उत्तरदाताओं के परिवार की आय वृद्धि का आकलन का वर्णन किया गया है। 66.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि उनके परिवार की आय में वृद्धि हुई है या नहीं। 21.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि थोड़ा बहुत उनके आय में वृद्धि हुई है, जबकि 5.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके परिवारिक आय में वृद्धि हुई है, वहीं 8.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आय वृद्धि को लेकर नकारात्मक उत्तर दिया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं को यह मालूम नहीं है कि मनरेगा कार्यक्रम से उनके परिवारिक आय में वृद्धि हुई या नहीं।

तालिका संख्या 6.42 मनरेगा कार्यक्रम से परिवार की आय में वृद्धि का विवरण

क्रम संख्या	मनरेगा कार्यक्रम से परिवार की आय में वृद्धि	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	10	5.0
2.	नहीं	16	8.0
3.	थोड़ी बहुत	42	21.0
4.	पता नहीं	132	66.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.39


क्या मनरेगा कार्यक्रम के बावजूद आपने बाहर जाकर कार्य किया?

निम्नलिखित तालिका में मनरेगा कार्यक्रम की बावजूद उत्तरदाताओं द्वारा बाहर जाकर काम करने की जानकारी को प्रस्तुत किया गया है। 43.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि मनरेगा कार्यक्रम बाद वे बाहर जाकर काम नहीं किये। 19.5 प्रतिशत लोगों ने कहा कि हाँ इसके बाद भी वह बाहर जाकर काम किया है। 37.0 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि कभी-कभी बाहर जाकर वे काम करते हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा के बाद 43.0 प्रतिशत लोगों ने बाहर जाकर काम नहीं किया।

तालिका संख्या 6.43 मनरेगा कार्यक्रम के बावजूद बाहर जाकर काम करने वालों का विवरण

क्रम संख्या	बाहर जाकर कार्य किया	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	39	19.5
2.	नहीं	87	43.5
3.	कभी-कभी	74	37.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.40


क्या मनरेगा कार्यक्रम में काम से आपके जीवन में सुधार आया है?

तालिका में मनरेगा योजना से उत्तरदाताओं के जीवन में सुधार की जानकारी को प्रस्तुत किया गया है। 27.5 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि मनरेगा के बाद उनके जीवन में थोड़ा बहुत सुधार हुआ। 4.5 प्रतिशत ने प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि योजना ने उनके जीवन में सुधार किया है जबकि 64.0 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि सुधार हुआ कि नहीं। 4.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि मनरेगा से उनके जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ।

इससे स्पष्ट है की सर्वाधिक उत्तरदाता को मालूम नहीं कि मनरेगा से उनके जीवन में सुधार हुआ कि नहीं।

तालिका संख्या 6.44 मनरेगा से उत्तरदाताओं के जीवन में सुधार की जानकारी

क्रम संख्या	जीवन में सुधार	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	9	4.5
2.	नहीं	8	4.0
3.	थोड़ा बहुत	55	27.5
4.	पता नहीं	128	64.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.41


यदि हों तो किस तरह का बदलाव आया है?

इस तालिका में मनरेगा से लोगों के जीवन में होने वाले सुधार के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। 13.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि योजना से उनके जीवन में आर्थिक सुधार हुआ, जबकि 8.0 प्रतिशत ने सामाजिक एवं 8.5 प्रतिशत ने राजनीतिक तथा सिर्फ 2.0 प्रतिशत ने राजनीतिक सुधार को स्वीकार किया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा से सर्वाधिक 13.5 प्रतिशत मजदूरों के आय में वृद्धि हुआ।

तालिका संख्या 6.45 मनरेगा से लोगों के जीवन में होने वाले सुधार के स्वरूप

क्रम संख्या	बदलाव	संख्या	प्रतिशत
1.	आर्थिक	27	13.5
2.	सामाजिक	16	8.0
3.	राजनीतिक	4	2.0
4.	परिवारिक	17	8.5
	योग	64	32.0



रेखाचित्र संख्या 6.42


क्या मनरेगा में महिलाओं को काम मिलता है हाँ तो कितना दिन

तालिका में मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं को मिलने वाली कार्य की अवधि का वर्णन किया गया है। जिसमें 33.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें 0-25 दिन तक महिलाओं को काम मिलता है, जबकि 49.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने 26-50 दिन, 14.5 प्रतिशत 51-75 दिन तथा सिर्फ 2.5 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि महिलाओं को मनरेगा में 76-100 दिन काम मिलता है।

इससे यह स्पष्ट है कि सर्वोदय उत्तरदाताओं ने महिलाओं को 26-50 दिन कार्य मिलने को स्वीकार किया।

तालिका संख्या 6.46 मनरेगा में महिलाओं के कार्य की अवधि का विवरण

क्रम संख्या	महिलाओं को काम मिलता	संख्या	प्रतिशत
1.	0-25 दिन	67	33.5
2.	26-50 दिन	99	49.5
3.	51-75 दिन	29	14.5
4.	76-100 दिन	5	2.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.43


मनरेगा में काम करने से महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुआ है?

तालिका में मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में बदलाव का विश्लेषण किया गया है। जिसमें 26.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि कुछ हद तक उनकी स्थिति में बदलाव आया है। 10.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रत्यक्ष रूप स्वीकार किया कि महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुआ, जबकि 8.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि नहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। सर्वाधिक 55.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुआ या नहीं।

इस तरह इस तालिका से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता असमंजस की स्थिति में हैं कि मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुआ है कि नहीं।

तालिका संख्या 6.47 मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में बदलाव का विवरण

क्रम संख्या	महिलाओं की स्थिति में बदलाव	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	20	10.0
2.	नहीं	16	8.0
3.	कुछ हद तक	53	26.5
4.	पता नहीं	111	55.5
	योग	200	100



रेखाचित्र संख्या 6.44


यदि हां तो किस प्रकार का

तालिका में मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में होने वाले बदलाव के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है। जिसमें 18.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में आर्थिक बदलाव हुआ। वहीं 14.4 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने आत्मनिर्भरता एवं 3.0 प्रतिशत ने मनरेगा से महिलाओं की सामाजिक बदलाव को स्वीकार किया।

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक उत्तरदाताओं ने मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में आर्थिक बदलाव को स्वीकार किया।

तालिका संख्या 6.48 मनरेगा से महिलाओं की स्थिति में आये बदलाव का स्वरूप

क्रम संख्या	बदलाव का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	आर्थिक	38	19.0
2.	सामाजिक	6	3.0
3.	आत्मनिर्भरता	29	14.5
	योग	73	36.5



रेखाचित्र संख्या 6.45


आप मनरेगा की मजदूरी का भुगतान कैसे प्राप्त करते हैं?

तालिका में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के भुगतान के माध्यम का आकलन किया गया है। 96.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी मजदूरी भुगतान सीधे बैंक के माध्यम से उनके खाते में आ जाता है। 2.0 प्रतिशत सीधे हाथ में मजदूरी भुगतान तथा 1.5 प्रतिशत ने अन्य माध्यमों से मजदूरी भुगतान को स्वीकार किया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बैंक खाते में सीधे भुगतान हो जाता है।

तालिका संख्या 6.49 मनरेगा मजदूरों की मजदूरी के भुगतान के माध्यम का विवरण

क्रम संख्या	मजदूरी का भुगतान प्राप्त करते हैं	संख्या	प्रतिशत
1.	बैंक के माध्यम से	193	96.5
2.	सीधे हाथों हाथ	4	2.0
3.	पोस्ट ऑफिस	0	0.0
4.	अन्य माध्यमों से	3	1.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.46


क्या मनरेगा में कार्य करने से पूर्व बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका खाता था?

तालिका में मनरेगा योजना से उत्तरदाताओं का बैंक से जुड़ाव का विश्लेषण किया गया है जिसमें 49.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि मनरेगा से पूर्व बैंक या पोस्ट ऑफिस में उनका खाता था। 46.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनका खाता मनरेगा योजना के बाद खुला वहीं 4.0 प्रतिशत लोग कहते हैं कि उन्हें पता नहीं कि उनका खाता कब खुला।

इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 49.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का खाता मनरेगा योजना से पूर्व खुल गया था वहीं 46.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का खाता मनरेगा योजना के बाद में खुला था।

तालिका संख्या 6.50 मनरेगा योजना से उत्तरदाताओं का बैंक से जुड़ाव का विवरण

क्रम संख्या	मनरेगा में कार्य करने से पूर्व बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका खाता था	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	99	49.5
2.	नहीं	93	46.5
3.	पता नहीं	8	4.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.47


क्या आपने मनरेगा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत मनरेगा शिकायत रजिस्टर में दर्ज कराया है?

तालिका में मनरेगा में शिकायत रजिस्टर पर शिकायत दर्ज कराने का विश्लेषण किया गया है। 64.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत मनरेगा शिकायत रजिस्टर में दर्ज नहीं की। 6.5 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उन्होंने शिकायत को शिकायत रजिस्टर में दर्ज करवाया था और 29.5 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उन्हें शिकायत दर्ज के विषय में पता नहीं है।

इस तरह स्पष्ट है कि सर्वाधिक 64 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिकायत रजिस्टर उपयोग नहीं किया।

तालिका संख्या 6.51 मनरेगा शिकायत रजिस्टर उपयोग संबंधित विवरण

क्रम संख्या	शिकायत मनरेगा शिकायत रजिस्टर में दर्ज	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	13	6.5
2.	नहीं	128	64.0
3.	पता नहीं	59	29.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.48


क्या आपके गांव में मनरेगा से संबंधित अनियमितता/गड़बड़ी को लेकर कभी धरना प्रदर्शन हुआ है?

तालिका संख्या 6.51 में मनरेगा में अनियमितता को लेकर होने वाले प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है। जिसमें 45.5 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि नहीं मनरेगा में अनियमितता को लेकर धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। 46.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्हें पता नहीं कि धरना प्रदर्शन हुआ है या नहीं, जबकि 5.0 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि हां हुआ है और 2.5 प्रतिशत कहते हैं कि कभी-कभी धरना प्रदर्शन को स्वीकार किया।

इससे यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता गांव में मनरेगा में अनियमितता को लेकर होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर जानकारी नहीं थी।

तालिका संख्या 6.52 मनरेगा में अनियमितता को लेकर होने वाले धरना प्रदर्शन

क्रम संख्या	अनियमितता/गड़बड़ी को लेकर कभी धरना प्रदर्शन	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	10	5.0
2.	नहीं	91	45.5
3.	कभी-कभी	5	2.5
4.	पता नहीं	94	46.0
	योग	200	100



रेखाचित्र संख्या 6.49


आपके अनुसार मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हुए है क्या वे लम्बी अवधी तक लाभ प्रदान कर सकते है?

तालिका में मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हुए है क्या वे लम्बी अवधी तक लाभ प्रदान कर सकते हैं की जानकारी का विश्लेषण किया गया है। जिसमें 61.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्य लंबी अवधि तक लाभ प्रदान कर सकते हैं। 34.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने पता नहीं में अपना उत्तर दिया जबकि 4.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हुए वह लंबी अवधि तक लाभ प्रदान नहीं कर सकते हैं।

इससे यह स्पष्ट होता है मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हुए है वे उन्हे लम्बी अवधी तक लाभ प्रदान कर सकते है।

तालिका संख्या 6.53 मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्य गुणवत्ता का विवरण

क्रम संख्या	मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हुए है क्या वे लम्बी अवधी तक लाभ प्रदान कर सकते हैं।	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	122	61.0
2.	नहीं	9	4.5
3.	पता नहीं	69	34.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.50


क्या मनरेगा कार्य योजना से आपके गांव में कोई विकास/परिवर्तन देखने को मिलता है?

तालिका में मनरेगा योजना का कार्य से गांव में विकास का विश्लेषण किया गया है। 35.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि मनरेगा कार्यक्रम से विकास एवं परिवर्तन हुआ है। 47.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा से थोड़ा बहुत विकास एवं परिवर्तन, एवं 2.5 प्रतिशत लोग मनरेगा कार्यक्रम से विकास एवं परिवर्तन को अस्वीकार किया।

इस अध्ययन से यह पता चलता है कि मनरेगा योजना से गांवों में विकास एवं परिवर्तन देखने को मिला है।

तालिका संख्या 6.54 मनरेगा योजना उपरांत गांव में विकास/परिवर्तन का विवरण

क्रम संख्या	मनरेगा कार्य योजना से आपके गांव में कोई विकास/परिवर्तन	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	70	35.0
2.	थोड़ा बहुत	95	47.5
3.	नहीं	5	2.5
4.	पता नहीं	30	15.0
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.51


यदि हां तो किस प्रकार का विकास हुआ है?

प्रस्तुत तालिका में गांव में विकास के स्वरूप का विश्लेषण किया गया है जिसमें 62.5 प्रतिशत लोगों का मानना है कि गांव में सड़क का निर्माण हुआ, 6.5 प्रतिशत उत्तरदाता साफ सफाई एवं 10 प्रतिशत उत्तरदाता आधारभूत संरचना के विकास को स्वीकारते हैं।

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा में सड़कों के निर्माण को गांव में होने वाले विकास कार्यों में सर्वाधिक महत्व दिया गया है।

तालिका संख्या 6.55 मनरेगा से गांव में विकास के स्वरूप का विवरण

क्रम संख्या	विकास का प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1.	सड़क निर्माण	125	62.5
2.	साफ-सफाई	13	6.5
3.	आधारभूत संरचना	20	10.0
4.	अन्य	7	3.5
	योग	200	100.0



रेखाचित्र संख्या 6.52


मनरेगा की वजह से उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार –

प्रस्तुत तालिका में मनरेगा कार्यक्रम से उत्तरदाताओं के जीवन में शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार को दिखाया गया है। 77.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य में मनरेगा के आने से सुधार को नकारा, जबकि 14 प्रतिशत शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार को लेकर कुछ कह नहीं सके। सिर्फ 9.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य में मनरेगा के आने से सुधार हुआ है।

इस तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 75.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा के आने से शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार को स्वीकार नहीं किया है। वहीं सिर्फ 9.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य में मनरेगा के आने से सुधार हुआ है।

तालिका संख्या :6.56 मनरेगा के उपरांत उत्तरदाताओं की शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार

क्रम संख्या	शिक्षा एवं स्वास्थ्य में सुधार	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	18	9.0
2.	नहीं	154	77.0
3.	कह नहीं सकते	28	14.0
	योग	200	100



रेखाचित्र संख्या 6.53


मनरेगा के उपरांत उत्तरदाताओं के खान-पान में सुधार –

तालिका में मनरेगा कार्यक्रम के उपरांत उत्तरदाताओं के खान-पान में सुधार को प्रदर्शित किया गया है। इस तालिका से पता चलता है कि 75.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके खान-पान में मनरेगा के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। 13 प्रतिशत उत्तरदाता खान-पान में सुधार को लेकर कुछ कह नहीं सके। वहीं सिर्फ 11.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि उनके खान-पान में मनरेगा के आने से सुधार हुआ है।

इस तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 75.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने मनरेगा के आने से खान-पान में सुधार को स्वीकार नहीं किया है। जबकि 11.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही खान-पान में मनरेगा के आने से सुधार को स्वीकार किया है।

तालिका संख्या: 6.57 मनरेगा के उपरांत उत्तरदाताओं के खान-पान में सुधार

क्रम संख्या	खान-पान में सुधार	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	23	11.5
2.	नहीं	151	75.5
3.	कह नहीं सकते	26	13.0
	योग	200	100



रेखाचित्र संख्या 6.54


मनरेगा योजना जारी रखने के संबंध में उत्तरदाताओं के विचार –

प्रस्तुत तालिका में मनरेगा योजना को जारी रखने संबंधी विचारों का विश्लेषण किया गया है जिसमें 96.0 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि मनरेगा योजना को आगे जारी रखा जाना चाहिए जबकि 2.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि नहीं इस योजना को आगे जारी नहीं रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त 1.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपना उत्तर पता नहीं में दिया।

इस तालिका के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि सर्वाधिक 96.0 प्रतिशत उत्तरदाता इस योजना को जारी रखने पर सहमत हैं।

तालिका संख्या: 6.58 मनरेगा योजना जारी रखने के संबंध में उत्तरदाताओं का विवरण

क्रम संख्या	मनरेगा कार्य योजन को आगे जारी रखना चाहिए	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	192	96.0
2.	नहीं	5	2.5
3.	पता नहीं	3	1.5
	योग	200	100



आलेख संख्या 6.55

6.12 अवलोकन और मुद्दे :

भगवानपुर ब्लाक के दमनपुर गांव के अध्ययन के दौरान देखने को मिला कि वहां पर पिछले दो तीन सालों से मनरेगा के अंतर्गत कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है। जब पूछा गया वहां के लोगों से तो यह ज्ञात हुआ कि वहां के स्थानीय प्रभुत्वशाली लोग एवं वार्ड मेंबर कार्य शुरू करने से पहले मुखिया से पी.सी. मांगते हैं तथा गांव के खेतिहर अगर उनके खेत से पगडंडी निकलती है तो वे उससे मिट्टी नहीं देते हैं जिस कारण कोई कच्ची सड़क का निर्माण भी नहीं हो सका है।

कैमूर जिले से नजदिक सियों गांव में यह पाया गया है की मजदूर मनरेगा में कार्य करने में रुचि नहीं ले रहे थे उनका कहना था कि मनरेगा में कार्य करने के एवज में कम मजदूरी दी जाती है। हमे हर रोज जिले में इससे दुगनी मजदूरी पर काम प्राप्त हो जाता है तब हम क्यों कम मजदूरी पर कार्य करें ।

भगवानपुर ब्लाक से नजदिक गांव में एक तालाब है। मनरेगा के अधिकारी का यह कहना था कि उस तालाब पर अच्छा कार्य मनरेगा के अंतर्गत हो सकता है लेकिन वहां पर अनुसूचित जाति के लोग (मुसहर) का कब्जा है। जब हम वहां पर कार्य निकालते हैं और कार्य शुरू करना चाहते हैं तब उनके स्थानीय नेता का दबाव आता है और हमे कार्य बंद करना पड़ता है।

चाँद ब्लाक के पाढी पंचायत के बहदुरा गांव में एक तालाब था वहां के लोगों का कहना था की हम इस तालाब के जीर्णोद्धार लिए कितने बार अपने मुखिया के पास गए साथ ही इसमें कार्य शुरू करने के लिए रोजगार सेवक से भी मिले लेकिन अब तक कार्य शुरू नहीं हुआ। उनका कहना था की मुखिया इस तालाब पर इस लिए कार्य नहीं शुरू करता क्योंकि उसका कहना है की उस बस्ती के लोग उसे वोट नहीं दिए इसलिए इस पर कार्य शुरू नहीं कर रहा है। रोजगार सेवक से पूछने पर उसने कहा कि हम कार्य शुरू करना चाहते हैं लेकिन मुखिया कहता है कि हम उसके बिल/मस्टर रोल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।

भगवानपुर ब्लाक के गांव में अध्ययन के दौरान पाया गया कि वहां के लोगों को कार्य प्राप्ति में भेदभाव किया जाता है। लोगों का कहना था कि मुखिया अपने खास लोगो को काम देता है परन्तु अध्ययन में यह नहीं पाया गया कि वहां पर

मनरेगा के अंतर्गत तालाब एवं पेड़ पौधों को लगाने का अच्छा कार्य हुआ है।

अगर हम कैमूर जिले के अंतर्गत मनरेगा के कार्य को देखे तो चाँद ब्लाक में मनरेगा के अन्तर्गत भ्रष्टाचार भी पाया गया है, जहां पर सिर्फ कागज पर पेड़ लगा कर पैसे निकाल लिए गए। कम मजदूरी के कारण जिले में मनरेगा में लोग कार्य करने में रूचि नहीं ले रहे हैं।

मनरेगा का कैमूर क्षेत्र में प्रभाव का अवलोकन करने पर यह पाया गया की वहां पर मनरेगा से होने वाले कार्य के फलस्वरूप आधारभूत संरचना (तालाब निर्माण, सड़क, कच्ची सड़क और तालाब का जीर्णोद्धार) में वृद्धि हुई है इस बात को क्षेत्र के उत्तरदाता भी स्वीकार करते हैं लेकिन उनसे यह पूछने पर की क्या मनरेगा से उनके स्वास्थ्य, शिक्षा एवं भोजन पर होने वाले खर्च पर प्रभाव (वृद्धि) पड़ा तो उनका कहना था कि नहीं। हम जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं इन बिन्दुओं पर मनरेगा का कैमूर क्षेत्र पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिलता है।

महिलाओं पर मनरेगा के प्रभाव का अध्ययन करने पर यह पाया गया की शुरू में तो इसमें महिलाये कार्य करने में रूचि ले रही थी लेकिन समय पर मजदूरी न मिलने से वे मायूस थी। परंतु उनका यह भी कहना था कि अगर समय पर मजदूरी मिले तो अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंतर्गत हमें अपने घर के पास काम मिल जाता है। मनरेगा से उनके जीवन में बदलाव के बारे में पूछने पर उनमें से कुछ महिलायें बदलाव को कुछ हद तक स्वीकार करती हैं और अधिकतर को इस बारे में मालूम ही नहीं हैं।


कैमूर क्षेत्र में मनरेगा कार्यक्रम में जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है जहां वे अपने कार्य के अधिकार, बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी से अनभिज्ञ थे जिससे मनरेगा में प्रति परिवार कार्य कम पाया गया। इसके लिए सरकार को चाहिए की मनरेगा कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार इस क्षेत्र में करे ताकि इस योजना के बारे में लोग जानकारी प्राप्त कर सकें।

कैमूर जिले के 4 ब्लॉकों के 8 ग्राम प्रधान (मुखिया) तथा 4 प्रोग्राम ऑफिसर और 8 रोजगार सेवक से मनरेगा के क्रियान्वयन और उसमें आने वाले कठिनाइयों के बारे में साक्षात्कार किया गया तथा मनरेगा से गांव में होने वाले विकास से सम्बंधित प्रश्न भी पूछा गया। 8 मुखिया में से 7 मुखिया ने माना की उन्हें लोकल

लोगों द्वारा मनरेगा में होने वाले कार्यों में रुकावट पैदा की जाती है। यह स्थानीय लोग दबंग, खेतिहर तथा वार्ड मेंबर होते हैं। स्थानीय प्रभुत्वशाली लोग कार्य करने के बदले उनसे पैसे मांगते हैं जिन्हें वे PC (Personal commission) के नाम से पुकारते हैं। 4 प्रोग्राम ऑफिसर में से सभी ने माना कि मनरेगा के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रभुत्वशाली वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर कार्य होने से सभी के हितों में टकराव होता है तथा दबंग और खेतिहर लोग इसमें सबसे ज्यादा होते हैं। इसके अलावे स्थानीय स्तर के नेता भी अपने वोट बैंक को साधने के लिए मनरेगा में होने वाले कार्यों को प्रभावित करता है इसके साथ ही उनका कहना था कि हमें यह कहा गया होता है कि विवादित कार्य या स्थल पर कार्य शुरू नहीं करना है।

इस तरह अध्ययन उपरांत देखा जाय तो मनरेगा के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रभुत्वशाली वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और राज्य के स्वायत्तता को कम कर रहे हैं।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नवीन आयाम स्थापित कर रही है। बिहार राज्य के कैमूर जिले में मनरेगा द्वारा अनेक ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस योजना में बढ़ती संख्या से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह योजना काफी हद तक ग्रामीण लोगों को आसान तरीके से रोजगार प्रदान कर गरीबी को कम करने में कुछ हद तक सफल रही है लेकिन अध्ययन उपरांत यह भी कहना अनुचित नहीं होगा कि मनरेगा ने कैमूर जिले में आधारभूत संरचना (सड़क, नहर, सिंचाई के लिए पइन्, कुँआ, तालाब इत्यादि) का विकास तो किया है परन्तु मनरेगा श्रमिकों के सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया है। शहरों की चकाचौंध व विभिन्न रोजगारों के कारण ग्रामीणों का पलायन अभी भी रुका नहीं है। लेकिन पहले की तरह शहरों की ओर पलायन में कमी जरूर आयी है।

A decorative border with floral and scrollwork motifs in the corners, framing the central text.

अध्याय-सप्तम्
निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय—सप्तम्

निष्कर्ष एवं सुझाव

किसी भी देश के पूर्ण विकास हेतु उसके समस्त भागों का विकसित होना आवश्यक है, यदि कुछ क्षेत्र का अत्यधिक विकास हुआ हो तथा अधिकांश भागों के नागरिकों को जीवन यापन की सामान्य दैनिक वस्तुएं भी सुलभ नहीं हो पाती तो निश्चित रूप से उस देश को विकसित नहीं कहा जा सकता है। पूर्ण विकास हेतु समस्त क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास अनिवार्य है। भारत की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या उन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो आज भी गरीबी के पर्याय माने जाते हैं। एक तरफ नगरीय क्षेत्र विकास के केन्द्र माने जाते हैं, जहाँ लोगों का सामान्य जीवन स्तर उच्च होता है, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या अत्यन्त निम्न स्तरीय जीवन यापन कर रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केन्द्रित हुआ और इसके लिए अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये लेकिन अभी भी ग्रामीण जनसंख्या का कुछ भाग ऐसा है, जिसके पास न तो जीविका का कोई स्थायी साधन है और न ही रहने के लिए आवास। ये लोग दिनभर कठोर परिश्रम करके येन केन प्रकारेण जो धन अर्जित करते हैं उसी से इन्हें दैनिक भोजन प्राप्त होता है।

ग्राम ग्रामीण समुदाय की संगठनात्मक इकाई है जो मुख्यतः प्राथमिक समूहों से बना होता है जिसमें परिवार उत्पादन की इकाई होता है तथा अपनी अधिकांश वस्तुएं उत्पन्न करने की कोशिश करता है। ग्राम शब्द का प्रयोग आदिकाल से ही होता आया है जो सामाजिक संबंधों को स्थायित्व प्रदान करने वाले संगठन रूप में जाना जाता था।

विकास को हम हमेशा उन्नति के रूप में देखते हैं जो जीवन के किसी भी पहलू में नवीनता लाता है। विकास को उन व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तनों से लिया जाता है जो समाज को संगठित रूप प्रदान करने में सहायक होता है।

व्यवस्थित शब्द का अभिप्राय हम होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम को देखते हैं जो प्रत्येक परिवर्तन अपने पूर्व के परिवर्तन पर निर्भर रहेगा। समनुगत शब्द का आशय परिवर्तन संबंधहीन नहीं होंगे इनमें परस्पर सामंजस्य होगा। विकास एक तुलनात्मक शब्द है जो निश्चित समयों में किसी व्यक्ति, समाज, वस्तु क्षेत्र इत्यादि में होने वाले परिवर्तन को बतलाता है जो समयान्तराल परिवर्तन होता रहता है।

ग्रामीण विकास ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास को प्रदर्शित करता है। यह एक व्यापक एवं बहुआयामी संकल्पना है इसमें कृषि सहायक गतिविधियां, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, और शिल्पकारी, सामाजिक, आर्थिक, सामुदायिक सेवाएं एवं सुविधाएं और इन सभी से ऊपर ग्रामीण क्षेत्रों के मानव विकास को सम्मिलित किया जाता है। संक्षेप में कहें तो ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण लोगों का आर्थिक सुधार और बड़ा सामाजिक बदलाव दोनों ही हैं।

भारत जैसे देश में ग्रामीण विकास का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का लगभग तीन चौथाई (121.07 करोड़ में से 83.4 करोड़) जनसंख्या गांवों में रहती है। इसलिए भारत के विकास के लिए भारत के गांवों का विकास जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है जिससे ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को उठाया जा सके इसके लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाओं की शुरुआत की गई जिसमें ग्रामीण गरीबी निवारण एवं उस क्षेत्र के आधारभूत संरचनाओं के विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। 2005 में भारत सरकार ने गांवों से गरीबी दूर कर एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक अधिनियम बनाया जिसे 'नरेगा' (राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम) कहा गया। बाद में महात्मा गांधी के गांवों के विकास संबंधी विचार एवं प्रयास को देखते हुए इसका नाम मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम) कर दिया गया। 2006 से लेकर अब तक मनरेगा ने श्रमिकों को रोजगार देकर उनके जीवन

स्तर को उठाने का प्रयास किया है साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का निर्माण कर ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है।

“ग्रामीण विकास और मनरेगा: बिहार के कैमूर जनपद का एक अध्ययन” नामक इस शोध प्रबंध में शोधार्थी ने मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास के विभिन्न आयामों को उपर्युक्त शीर्षक के अंतर्गत किया है।

शोध के **प्रथम अध्याय** में विकास को परिभाषित करते हुए विकास के विभिन्न आयामों का वर्णन किया गया है जिसमें राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास तथा सांस्कृतिक विकास प्रमुख रूप से है। विकास की चर्चा केवल आर्थिक विकास के रूप में नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सारे आयाम/घटक मिलकर विकास की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस अध्याय में भारत के ग्रामीण विकास की आवश्यकता को बताते हुए गांवों के विकास के लिए चलाई गई योजनाओं का संक्षेप में वर्णन करते हुए ग्रामीण विकास के नियोजन में दिये जाने वाले प्राथमिकताओं को बतलाया गया है। इसके साथ ही मनरेगा योजना का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। 21वीं सदी में ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए कार्यक्रमों की सूची प्रदान की गई है।

शोध के **द्वितीय अध्याय** में ग्रामीण विकास का विस्तार से वर्णन किया गया है। ग्राम की अवधारणा को परिभाषित करते हुए ग्राम को ग्रामीण समुदाय की संरचनात्मक इकाई के रूप में बतलाया गया है जो प्राथमिक समूहों से बना होता है। गांवों को शहरों से अलग करने वाली विशेषता का वर्णन करते हुए इसमें होने वाले परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। गांवों में रहने वाले लोग “ग्रामीण” का भी वर्णन किया गया है। विकास को परिभाषित करते हुए इसे तुलनात्मक रूप में देखा गया है। जो निश्चित समयों में किसी व्यक्ति, समाज, वस्तु, क्षेत्र इत्यादि में होने वाले परिवर्तन को बतलाया है। समय के साथ होने वाले विकास की अवधारणा में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए इस विकास के परंपरागत, कल्याणकारी एवं आधुनिक दृष्टिकोणों का वर्णन किया गया है।

इसी अध्याय में भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा को बतलाते हुए इसके विभिन्न आयामों (मानवीय, आर्थिक, राजनीतिक विज्ञान एवं तकनीकी तथा संसाधन एवं पर्यावरण) का वर्णन किया गया है। भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता को बतलाते हुए ग्रामीण विकास के तरीके का वर्णन किया गया है। इसके साथ भारत में ग्रामीण विकास के दृष्टिकोणों (गांधीवादी, अंबेडकरवादी) का विस्तार से वर्णन किया गया है।

तृतीय अध्याय में भारत में ग्रामीण विकास के लिए किए गए प्रयास एवं सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन योजनाओं को दो भागों में बांटते हुए आजादी के पूर्व एवं आजादी के बाद के ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव एवं उनकी सफलता एवं असफलता को बताया गया है। आजादी के पूर्व श्रीनिकेतन परियोजना, मार्ताण्डम परियोजना, गुड़गांव परियोजना, बड़ौदा परियोजना इत्यादि जैसे ग्रामीण विकास की परियोजना का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी अध्याय में स्वतंत्रता बाद चलाए गए ग्रामीण विकास के विभिन्न योजनाओं को सामाजिक कल्याण अभिमुख योजनाएं, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास योजनाएं, पर्यावरण सहज (सतत विकास) योजनाएं तथा रोजगार से संबंधित योजनाओं के रूप में बांटकर विभिन्न योजनाओं का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

शोध के **चतुर्थ अध्याय** में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम को बतलाते हुए इसके क्रियान्वयन का विस्तार से वर्णन किया गया है। जिसमें ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी को दिखाते हुए मनरेगा अधिनियम के लाने की पृष्ठभूमि को बतलायी गयी है। मनरेगा को लागू करने के पीछे दो कारणों को सामाजिक, आर्थिक ढांचागत बदलाव एवं राजनीतिक कारण का उल्लेख किया गया है, योजना एवं अधिनियम में अंतर बतलाते हुए अधिनियम में उल्लेखित इसके उद्देश्य, रोजगार गारंटी, कार्य दिवस, जॉब कार्ड, कार्य के लिए आवेदन, महिलाओं को 33% आरक्षण, बेरोजगारी भत्ता, योजना अंतर्गत होने वाले कार्य, पंचायत संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका, पारदर्शिता के प्रावधान एवं सामाजिक अंकेक्षण जैसे बिंदुओं का वर्णन किया गया है।

इसी अध्याय में मनरेगा योजना का भारतीय स्तर पर क्रियान्वयन का विस्तार से वर्णन किया गया है जिसमें मनरेगा के उपरांत पुरुष और महिलाओं के वास्तविक मजदूरी में वृद्धि का वर्णन करते हुए मनरेगा का राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रगति का वर्णन किया गया है। इसके साथ मनरेगा में होने वाले कुल कार्यों में कृषि एवं कृषि से संबंधित होने वाले कार्यों की प्रतिशतता को दिखाते हुए मनरेगा के उपरांत श्रमिकों के उपयोग, व्यय, ऊर्जा प्रोटीन के धन तथा संपत्ति एकत्रित में होने वाले वृद्धि का वर्णन किया गया है।

पंचम अध्याय बिहार में ग्रामीण विकास और मनरेगा में मनरेगा का ग्रामीण जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। इसमें बिहार का संक्षेप परिचय देते हुए भारत और बिहार की जनसंख्या एवं प्रशासनिक ढांचा का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। बिहार की अर्थव्यवस्था, आर्थिक एवं ग्रामीण उद्योग तथा द्वितीयक क्षेत्रों में वार्षिक विकास की दर को बतलाते हुए उद्योगों पर राज्य सरकार के व्यय को दिखलाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों की बढ़ोतरी को बतलाया गया है।

इसी अध्याय में भारत एवं बिहार के शहरी तथा ग्रामीण गरीबी अनुपात को बताते हुए बिहार में ग्रामीण विकास की आवश्यकता का वर्णन किया गया है। बिहार में ग्रामीण विकास को बतलाते हुए बिहार में पंचायती संस्थाओं एवं उनके द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय को दिखलाया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के विकास के लिए किए गए सात निश्चय का वर्णन किया है इसके साथ ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जैसे भारत सरकार की योजनाओं का बिहार में प्रगति का वर्णन करते हुए गृह भूमि वितरण (अभियान बसेरा कार्यक्रम) की भी व्याख्या की गई है। भारत सरकार द्वारा 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम पारित कर लोगों को कानूनी काम का अधिकार प्रदान किया गया बिहार में मनरेगा योजना की प्रगति/प्रदर्शन का विस्तार से वर्णन किया गया है।

शोध के षष्ठम् अध्याय के अंतर्गत मनरेगा का ग्रामीण विकास में भूमिका का अध्ययन बिहार के कैमूर जिले का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। इसके लिए आंकड़ों का संकलन प्रमुख रूप से जिला सांख्यिकी विभाग, पत्रिका, भारत एवं बिहार राज्य की जनगणना, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के प्रतिवेदन एवं नरेगा की वेबसाइट तथा संबंधित सरकारी विभागों की वेबसाइट से किया गया है।

इस अध्याय में मैं बिहार के कैमूर जिले में मनरेगा में सहभागी होने के पश्चात जिले में मनरेगा द्वारा मनरेगा श्रमिकों के उनके जीवन/स्थिति (आय वृद्धि, शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि, समाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन आदि) में आए बदलाव का अध्ययन करने की कोशिश की है। जिसके लिए हमने प्रश्नावली सूची के माध्यम से मनरेगा में कार्यरत 200 मनरेगा श्रमिकों का विभिन्न समुदायों (सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग) से साक्षात्कार किया गया। इन मनरेगा श्रमिकों का चयन जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों से Disproportionate Stratified Random sampling Method के आधार पर किया गया है।

इसी अध्याय में मनरेगा से संबंधित सकारात्मक तथा नकारात्मक सभी पहलुओं का विश्लेषण करते हुए उसकी जानकारी को सारणी तथा पाई –चार्ट के माध्यम से दिखलाया गया है। सर्वे के दौरान प्रश्नावली से प्राप्त जानकारी के आधार पर मनरेगा के उद्देश्य तथा परिकल्पना की पुष्टि इस अध्याय में किया गया है।

प्रथम शोध परिकल्पना –

“मनरेगा के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रभुत्वशाली समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं” को जानने के लिए शोध में प्रयुक्त मनरेगा श्रमिकों के लिए प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4.8, 4.9 एवं 4.18 तथा मुखिया, प्रोग्राम ऑफिसर तथा रोजगार सेवक से साक्षात्कार लिया गया। मनरेगा श्रमिकों से प्राप्त आंकड़ों को सारणी संख्या 6.24, 6.25 एवं 6.33 में व्यक्त किया गया है। इसके साथ ही क्रियान्वयन में शामिल अधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों के साक्षात्कार को भी अध्याय संख्या षष्ठ में वर्णन

किया गया है प्राप्त आंकड़ों एवं आनुभाविक अध्ययन द्वारा यह ज्ञात होता है कि 81 प्रतिशत मनरेगा श्रमिकों को कार्य प्राप्ति में भेदभाव नहीं किया जाता है परंतु जनप्रतिनिधियों एवं मनरेगा के क्रियान्वयन में शामिल अधिकारियों से साक्षात्कार से यह ज्ञात होता है कि दबंग, खेतिहर तथा अन्य वार्ड प्रतिनिधियों द्वारा मनरेगा के क्रियान्वयन को व्यक्तिगत हित एवं लाभ के लिए प्रभावित किया जाता है। इसके साथ मनरेगा के प्रावधान भी इन अधिकारियों के स्वतंत्रता को कम करते हैं जिसमें यह है कि विवादित स्थान पर कार्य शुरू नहीं किया जा सकता।

अध्ययन से यह पाया गया कि मनरेगा में श्रमिकों को कार्य देने में भेदभाव नहीं होता है। लेकिन अधिकतर श्रमिक मनरेगा में कम मजदूरी के कारण कार्य नहीं करने की बात कही साथ ही समय पर मजदूरी न मिलने की शिकायत की। मनरेगा अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के आंकड़े से शोध की प्रथम पर परिकल्पना सिद्ध होती है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में स्थानीय प्रभुत्व साली समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

द्वितीय शोध परिकल्पना –

“बिहार के कैमूर जिले में सामाजिक अंकेक्षण के अभाव में मनरेगा का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है” की अन्वेषण के लिए शोध में प्रस्तुत प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4.20, 4.21, 4.22 एवं 4.23 को लिया गया है। उत्तरदाताओं से प्राप्त उत्तर का विवरण सारणी संख्या 6.35, 6.36, 6.37 और 6.38 में दिया गया है। प्राप्त आंकड़ों एवं आनुभाविक अध्ययन उत्तरदाताओं को सामाजिक अंकेक्षण के बारे में बहुत कम जानकारी है तथा जिले में ग्राम सभा की बैठकें साल में दो बार से कम (58 प्रतिशत उत्तरदाता) होती है। ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा में होने वाले कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण बहुत कम (44 प्रतिशत उत्तरदाता) किया जाता है। निष्कर्षतः उपरोक्त आंकड़ों से यह कहा जा सकता है कि कैमूर जिले में मनरेगा में हुए कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण का अभाव पाया जाता है। जिससे मनरेगा का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्थान में ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण करने से वहां मनरेगा के क्रियान्वयन में सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इससे

शोध की दूसरी परिकल्पना सिद्ध होती है कि कैमूर जिले में अंकेक्षण के अभाव में मनरेगा का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पा रहा है।

तृतीय शोध परिकल्पना—

“कैमूर जिले में शिक्षा एवं जागरूकता के कारण मनरेगा का ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है” की वैधता की जांच के लिए शोध में प्रस्तुत प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 1.3, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.14, 4.19, 4.20 को लिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार कैमूर जिले की साक्षरता दर 69.34 है। परंतु सारणी संख्या 6.6 से यह ज्ञात होता है कि मनरेगा में कार्यरत श्रमिकों में सबसे ज्यादा (33.5 प्रतिशत) निरक्षर हैं वहीं 24 प्रतिशत 5वीं पास एवं 26 प्रतिशत 6वीं पास हैं। प्राप्त आंकड़ों का विवरण सारणी संख्या 6.9, 6.10, 6.12, 6.13, 6.18, 6.19, 6.21, 6.30, 6.34 और 6.35 में दिया गया है। प्राप्त आंकड़ों से एवं अनुभाविक अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि जिले में साक्षरता दर तो अच्छी है लेकिन मनरेगा योजना के बारे में जागरूकता की कमी है। क्योंकि सर्वे के दौरान उत्तरदाताओं को मनरेगा के बारे में तो जानकारी था लेकिन उसके अंतर्गत प्रावधानों का ज्यादा ज्ञान नहीं था उनका कहना था। कि जब कार्य आएगा तब उन्हें कार्य मिलेगा बेरोजगारी भत्ते के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों के बारे में उन्हें ज्ञान था लेकिन कार्य मांगने के अधिकार को वे नहीं जानते थे। जिससे वहाँ प्रति परिवार कुल कार्य दिवस कम पाया गया।

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार यह कहा जा सकता है कि जिले की साक्षरता दर अच्छी होने के बावजूद यहाँ मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों एवं अधिनियम के प्रावधानों की जागरूकता में कमी पाई गई। अतः यह कहा जा सकता है कि जिले में मनरेगा योजना के प्रति लोगों में जागरूकता का अभाव है जिससे मेरी तृतीय परिकल्पना कैमूर जिले में शिक्षा एवं जागरूकता के कारण मनरेगा का ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, असत्य सिद्ध होती है।

निष्कर्षतः प्राप्त आंकड़ों से एवं अनुभाविक अध्ययन से यह कहा जा सकता है कि कैमूर जिले में मनरेगा में ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

एक और जहां मनरेगा से ग्रामीण आधारभूत संरचना में वृद्धि हुई है (सारणी संख्या 6.51 और 6.52) वहीं दूसरी तरफ विकास के मानवीय (उत्तरदाताओं के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खान-पान) पर मनरेगा का ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिला (सारणी संख्या 6.53 और 6.54)। इस तरह जहां मनरेगा गांवों की आधारभूत संरचना में बढ़ोतरी कर ग्रामीण विकास पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है लेकिन वहीं ग्रामीणों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पोषणयुक्त भोजन की बढ़ोतरी में मनरेगा का प्रभाव ज्यादा नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि मनरेगा कैमूर जिले के ग्रामीण विकास में सिर्फ एक पक्ष में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, वहीं दूसरे पक्ष में इसका योगदान सकारात्मक नहीं है।

प्रस्तुत शोध के अध्ययन में यह पाया गया कि अधिकांश ग्रामीण जनता में मनरेगा के बारे में समुचित जानकारी का अभाव है। जिले में अच्छी साक्षरता दर होने के बावजूद लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी कम पाई गई। प्रशासनिक स्तर पर भी इसके प्रचार-प्रसार के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

किसी भी योजना या कार्यक्रम की सफलता और उसका प्रभावी क्रियान्वयन का महत्वपूर्ण पहलू राज्य स्वायत्तता एवं जन सहभागी होता है। लाभार्थी का योजना के प्रति जागरूकता का स्तर एवं पर्याप्त शिक्षा तथा जन नीतियों के प्रचार प्रसार का स्तर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन के अंतर्गत जिले में इन सब की कमी पाई गई जिसने मनरेगा का सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।

मनरेगा अधिनियम एक प्रमुख विशेषता है जो इसे पूर्ववर्ती योजनाओं से अलग करती है वह है सामाजिक अंकेक्षण। इससे ना केवल भागीदारी बढ़ती है अपितु यह भ्रष्टाचार को समाप्त करने का एक अच्छा औजार है परंतु अध्ययन के दौरान एवं प्राप्त आंकड़ों से जिले में सामाजिक अंकेक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता एवं नियमित रूप से भाग लेने में कमी पाई गई। अध्ययन में पाया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा भी सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया एवं बैठक बहुत कम की जाती है।

श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक उन्हें कार्य करने का प्रेरणा प्रदान करता है जिस पर कार्य की सफलता निर्भर करता है। मनरेगा में मजदूरों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक उसी तरह के समान कार्य के लिए दिए जाने वाले से पारिश्रमिक कम है। जिससे मजदूर इसमें कार्य करने की रुचि नहीं दिखाते हैं। शोध अध्ययन के दौरान मनरेगा श्रमिकों की शिकायत रही कि उन्हें कार्य के एवज में कम मजदूरी दी जाती है। इससे ज्यादा हमें दूसरे के यहां कार्य करने पर मिलती है। इसके साथ ही उनकी शिकायत थी कि की मजदूरी समय पर नहीं दी जाती है।

सुझाव—

1. राज्य मशीनरियों द्वारा जिले में लोगों को मनरेगा संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रचार—प्रसार की आवश्यकता इसके लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जा सकती है।
2. ग्राम सभा द्वारा मनरेगा में होने वाले कार्य की निगरानी रखी जानी चाहिए।
3. मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि किया जाए।
4. वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले कार्यों में वृद्धि किया जाए।
5. भ्रष्टाचार निवारण तंत्र बनाया जाए।
6. श्रम के साथ—साथ तकनीकी को भी बढ़ावा दिया जाए।
7. ग्रामीण विकास हेतु नियोजन में आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
8. मजदूरी का समय पर भुगतान हो।
9. योजना अंतर्गत स्थायी संपत्तियों का निर्माण किया जाए जिससे आने वाले समय में लाभ प्राप्त किया जा सके।
10. मनरेगा योजना को ग्रामीण विकास की अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए।

11. ग्रामीण विकास हेतु नियोजन बनाते समय ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों का सहयोग एवं सुझाव लिया जाए।
12. ग्रामीण क्षेत्रों पर शोध को बढ़ावा दिया जाए और प्राप्त निष्कर्षों का पालन किया जाए।
13. ग्रामीण विकास से संबंधित विभाग एवं अधिकारियों को सरकारी आंकड़ों पर निर्भर ना होकर स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भौतिक सत्यापन किया जाए।
14. राज्य मशीनरियों को स्वायतता (स्टेट ऑटोनॉमी) प्रदान की जाए।
15. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।

बिहार से संबंधित सुझाव –

1. राज्य मशीनरियों द्वारा जिले में लोगों को मनरेगा संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए प्रचार-प्रसार की आवश्यकता इसके लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जाए।
2. राज्य मशीनरियों को स्वायतता (स्टेट ऑटोनॉमी) प्रदान की जाए।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से संबंधित लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए।
4. राज्य सरकार को मनरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों का समय पर ऑडिट कराना चाहिए।
5. भ्रष्टाचार निवारण तंत्र बना कर इसमें शामिल अधिकारियों पर जल्द कारवाई की जाए।

बिहार के कैमूर जिला से संबंधित सुझाव –

1. प्रचार-प्रसार की आवश्यकता इसके लिए स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जा सकती है।
2. प्रति परिवार मिलने वाले कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाए। क्योंकि यहाँ औसत कार्यदिवस 15-30 दिन ही है।
3. जिले के अंतर्गत पारम्परिक जल स्रोतों के जिणोद्धार के कार्यों को बढ़ावा दिया जाए।
4. जिले के अंतर्गत मनरेगा में शुरू हुए कार्यों को समय पर पूरा किया जाए क्योंकि पिछले दो वित्तीय वर्ष में पूरे हुए कार्यों का औसत क्रमशः 21.25 और 13.56 ही है।

मनरेगा एक्ट से संबंधित सुझाव-

1. परिवार की परिभाषा को विस्तारित किया जाए।
2. राज्य स्वायत्तता संबंधित प्रावधानों को एक्ट में मजबूती प्रदान की जाए।

A decorative border with floral and scrollwork motifs in the corners, framing the central text.

संदर्भ सूची

संदर्भ सूची

पुस्तकें –

- श्रीकांत (2011), बिहार राज और समाज, वाणी प्रकाशन, पटना, बिहार।
- श्रीकांत (2005) बिहार में चुनाव, जाति, हिंसा और बूथ लूट, वाणी प्रकाशन, पटना बिहार।
- कटारिया, डॉ. सुरेंद्र (2010), पंचायती राज संस्थाएं, अतीत, वर्तमान और भविष्य, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, राजस्थान।
- कैनेडी, माइग्रेट (1995), ब्याज व मुद्रा स्फीति, यू. एस. ए. सेवा इंटरनेशनल मिशन।
- कोठारी, रजनी (2013), भारत में राजनीति, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
- कुमार, रंजन (2017), ग्राम विकास और समाज, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।
- गंगराडे,के डी. (2010), गांधीजी के आदर्श और ग्रामीण विकास, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
- गुप्ता, माधव प्रसाद (2016), मनरेगा पंचायती राज एवं जनजातीय विकास, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, राजस्थान।
- चतुर्वेदी, विनायक (2011), ग्रामीण विकास, प्रिज्म बुक्स इंडिया, जयपुर, राजस्थान।
- चौधरी, कृष्ण कुमार एंड श्रीकांत (2010), बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, वाणी प्रकाशन, पटना, बिहार।
- चौधरी, बासुकीनाथ एवं कुमार, युवराज (2013) आज का भारत राजनीति और समाज, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
- जगुआर, डॉ. रवि शंकर (2011), भारत में ग्रामीण विकास अवधारणा, रणनीति और योजनाएं, नेहा पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, नई दिल्ली।

- ठाकुर, संकर्षण (2017), बंधु बिहारी (The Brother Bihari), प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- डॉ. महिपाल (2016), ग्राम नियोजन, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।
- देसाई, ए. आर. (2009), भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र, रावत प्रकाशन, जयपुर, राजस्थान।
- द्रेज, ज्यां एवं सेन, अमर्त्य (2018), भारत और उसके विरोधाभास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली।
- द्रेज, ज्यां द्वारा संपादित एवं कमल नयन चौबे द्वारा सहपादित (2017), भारतीय नीतियों का सामाजिक पक्ष, लोक चेतना प्रकाशन।
- द्रेज, ज्यां एवं रितिका खेरा (2006), रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।
- पटेल, प्रो. राजेश (2014), ग्राम विकास की रूपरेखा, रावत प्रकाशन, जयपुर, राजस्थान।
- पाठक, नरेंद्र (2016), विकसित बिहार की खोज नीतीश कुमार, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- पाण्डेय डॉ. जय नारायण (2018), भारत का संविधान, सेंट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश।
- प्रो. वसावा, डी. वसावा (2019), मनरेगा एवं ग्रामीण विकास, जे टी एस पब्लिकेसंस।
- बसु, आचार्य, डॉ. दुर्गादास (2006), भारत का संविधान एक परिचय, वाधवा एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली।
- बाबेल, डॉ. बसंतीलाल (2010), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास योजनाएं, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर।
- महिपाल (2017), पंचायती राज चुनौतियां एवं संभावनाएं, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नई दिल्ली।

- मैथ्यू जार्ज (2009), भारत में पंचायती राज परिप्रेक्ष्य और अनुभव, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
- यादव, सुबह सिंह (1994), ग्रामीण विकास के नए क्षितिज, मानक पब्लिकेशंस, दिल्ली।
- यादव, राम गणेश (2014), ग्रामीण नगरीय समाजशास्त्र, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
- लापिएर, डोमिनिक एंड लैरी कॉलिंग्स अनुवादित तेजपाल सिंह धामा (2009), आजादी आधी रात को, हिंद पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- शर्मा, वीरेन्द्र प्रकाश (2008), भारतीय समाज : मुद्दे और समस्याएं, पंचशील प्रकाशन, जयपुर।
- शर्मा, ओमप्रकाश (2004), ग्रामीण समाज में नियोजित सामाजिक परिवर्तन, रावत प्रकाशन, जयपुर, राजस्थान।
- शर्मा, धर्मराज (2019), भारत निर्माण एवं मनरेगा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, राजस्थान।
- शर्मा, महेश (2010), नरेगा (National Rural Employment Guarantee Act) प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- शाही, डॉ. धर्मेन्द्र प्रताप (2012), ग्रामीण विकास एवं मनरेगा, इंडिया बुक एंड पेरियोडिक, नई दिल्ली।
- सिंह, कटार अनुवादित महेंद्र सिंह सिसोदिया (2011), ग्रामीण विकास सिद्धांत नीतियां एवं प्रबंध, रावत प्रकाशन, जयपुर, राजस्थान।
- सिंह, ललित कुमार (2018), डॉ कलाम के सपनों का बिहार, प्रभात पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
- सिंह, जनक (2010), ग्रामीण विकास के विविध आयाम, ज्ञान पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- सिंह, धर्मेन्द्र (2017), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, जयपुर, राजस्थान।

- सिंह, शिवबहाल (2010), विकास का समाजशास्त्र, रावत पब्लिकेशंस, जयपुर, राजस्थान।
- सिन्हा, अरुण (2015), नीतीश कुमार और उभरता बिहार, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
- सिंह, अभय प्रसाद (2015), समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आंदोलन, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
- सेन, अमर्त्य (2011), गरीबी और अकाल, राजपाल एंड सन्स पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- सेन, अमर्त्य (2013), आर्थिक विकास और स्वतंत्र, अनु० भवानी शंकर बांगला, राजपाल एंड सन्स पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- सेन, अमर्त्य (2011), आर्थिक विषमताएं, अनु० भवानी शंकर बांगला, राजपाल एंड सन्स पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- सेन, अमर्त्य (2012), भारत विकास की दिशाएं, अनु० भवानी शंकर बांगला, राजपाल एंड सन्स पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- सेन, अमर्त्य (2014), न्याय का स्वरूप, अनु० भवानी शंकर बांगला, राजपाल एंड सन्स पब्लिशर्स, नई दिल्ली।
- हेमंत (2016), बिहार एक खोज, प्रभात पब्लिकेशंस, नई दिल्ली।
- Dreze, Jean (23 Aug 2014), Learning from Nrega, The Hindu.
- Dutta, Pooja (2014), Right to work Assessing India's Employment Guarantee scheme in Bihar, The World Bank.
- Gerry, Rodgers *at.all*, (2013), The Challenges of Inclusive Development in Rural Bihar, Institute for Human Development, New Delhi.
- Khera, Reetika (2011), The Battle for Employment guarantee, oxford university press.
- Nrega – A Review of Decent Work and Green job in kaimur District in Bihar (2009), International Labour Organisation, New Delhi.

- Tiwari, Atul Kumar (2011), Reaching out of the Neglected Poor in Rural India, National Social Assistance Program, Press Information Bureau (PIB), New Delhi.

रिपोर्ट –

- आर्थिक सर्वेक्षण (2006–07), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2008–09), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2009–10), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2010–11), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2011–12), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2012–13), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2013–14), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2014–15), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2015–16), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2016–17), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2017–18), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- आर्थिक सर्वेक्षण (2018–18), वित्त विभाग, बिहार सरकार ।
- कैग रिपोर्ट (2011), महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना का लेखा परीक्षा, भारत ।
- महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा (2006–12), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, ओरियंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली ।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, दिशा निर्देश (2013), चौथा संस्करण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, प्रतिवेदन (2 फरवरी) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, प्रतिवेदन (2 फरवरी 2015), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, एक दशक की उपलब्धि (2016) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- मनरेगा समीक्षा-II (2015), यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, नई दिल्ली।
- रोजगार गारंटी पर जन संगठनों का राष्ट्रीय समन्वयन, दिसंबर 2011।
- रोजगार सूत्र, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम (2018), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार।
- सतत ग्रामीण विकास, 3 वर्ष पहल एवं उपलब्धियां (2017) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- वार्षिक रिपोर्ट (2007-08), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- वार्षिक रिपोर्ट (2008-09), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- वार्षिक रिपोर्ट (2018), बदलता ग्रामीण भारत, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- भारत की जनगणना, 2001 और 2011।

पत्रिका –

- अरोड़ा, वेद प्रकाश (मई 2006), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
- कटारिया, सुरेंद्र (दिसंबर 2009), आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान, कुरुक्षेत्र,।
- द्रेज, ज्यां (अप्रैल 2006), वायदों का सच, योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
- शेखावत, प्रहलाद (2011), भारत के किधर जा रहा है, इंडिया टुडे, नई दिल्ली।
- सारांश, मनरेगा न्यूजलेटर, खंड-2, अंक-3 (2015), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- सिंह, कुमार रमेश (दिसंबर 2009), नरेगा से बिहार में गांव की बदलती तस्वीर, कुरुक्षेत्र, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- द्रेज, ज्यां, सिर्फ व्यक्ति की आय बढ़ाने से नहीं होता विकास, Im4Change।

समाचार पत्र –

- जनसत्ता, 5 मार्च 2017।
- बिजनेस स्टैंडर्ड, 1 अक्टूबर 2015।
- निनान, ओ. ए. (2011), आर्थिक विकास से बेरोजगारी नहीं घटी, द हिन्दू, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय सहारा, मनरेगा के दस साल कितने असरदार, कितने कारगर, 13 फरवरी 2016।
- सौमित्र, मोहन (21 जुलाई 2010), पूर्ण स्वच्छता अभियान और मनरेगा, चौथी दुनिया, न्यूजपेपर।

वेबसाइट्स –

- www.nrega.nic.in
- www.rural.nic.in
- www.nird.org.in
- www.rdd.bih.nic.in
- www.pib.nic.in

A decorative border in dark blue ink, featuring intricate floral and scrollwork designs at each of the four corners. The border consists of thin lines forming a rectangle, with the corners embellished with stylized flowers and swirling vines.

परिशिष्ट

साक्षात्कार अनुसूची

सामान्य निर्देश— प्रस्तुत साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग शोध कार्य हेतु किया जाएगा। प्राप्त जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। शोधार्थी आपके सहयोग के लिए सदैव अभारी रहेगा।

शोध निर्देशक
प्रो० सार्तिक बाग
राजनीति विज्ञान विभाग

शोध छात्र
प्रेम शंकर गोंड

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

खण्ड—अ

1. उत्तरदाताओं का व्यक्तिगत विवरण
 - 1.1 नाम:
 - 1.2 आयु वर्ग : (i). 18—25 वर्ष (ii). 26—33 वर्ष (iii). 34—41 वर्ष (iv). 42—49 वर्ष (v). 50—57 वर्ष (vi). 58 वर्ष या अधिक
 - 1.3 शैक्षिक स्थिति : (i). निरक्षर (ii). साक्षर
(A). 5वीं (B). 8वीं (C). 10वीं (D). 12वीं (E). स्नातक (F). स्नातकोत्तर
 - 1.4 समुदाय : (i). हिन्दू (ii). मुस्लिम (iii). सिख (iv). ईसाई (v). अन्य
 - 1.5 वर्ग : (i). सामान्य (ii). अन्य पिछड़ा वर्ग (iii). अनुसूचित जाति
(iv). अनुसूचित जनजाति
 - 1.6 वैवाहिक स्थिति : (i). विवाहित (ii). अविवाहित (iii). तलाकशुदा (iv) अन्य
 - 1.7 पेशा : (i). कृषि (ii). मजदूरी (iii). व्यवसाय (iv). अन्य
 - 1.8 वार्षिक पारिवारिक आय : (i). 30 हजार से कम (ii). 30 हजार से 50 हजार तक
(iii). 50 हजार से 70 हजार तक (iv). 70 हजार से अधिक

खण्ड—ब

2. सामान्य जागरूकता से सम्बन्धित प्रश्न:—

2.1 आप विकास का क्या अर्थ मानते हैं?

- (i). जीवन स्तर में सुधार (ii). प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि
(iii). सामाजिक स्तर में सुधार (iv). गांव में सड़क, पानी, बिजली, आवास
(v). उपरोक्त सभी

2.2 नीचे ग्रामीण विकास से सम्बन्धित कुछ प्रमुख योजनाओं की सूची दी गई है इनमें से कितनी योजनाओं के बारे में आप जानते हैं?

- (i) मनरेगा : (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते
(ii) इंदिरा आवास योजना : (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते
(iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते
(iv) उज्जवला योजना : (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते
(v) जवाहर रोजगार योजना : (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते
(vi) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना:(a).हाँ(b).नहीं (c).कह नहीं सकते
(vii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना : (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते
(viii) सर्व शिक्षा अभियान : (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते
(ix) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन : (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते
(x) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना : (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते

2.3 क्या आप चुनाव में भाग लेते हैं?

- (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते

2.4 आप किस आधार पर वोट देते हैं?

- (a). विकास एवं अच्छा व्यक्ति (b). जाति के व्यक्ति को
(c). दबंग/आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी को (d). पार्टी के आधार पर
(e). अन्य

2.5 क्या आप मानते हैं कि ग्रामीण विकास सरकारी योजनाओं से संभव है?

- (a). हाँ (b). नहीं (c). कह नहीं सकते

2.6 यदि नहीं तो क्या उपाय होने चाहिए?

(a). जनता की भागीदारी (b). कर्मठ एवं प्रतिबद्ध नेतृत्व

(c). जवाबदेह प्रशासनिक अधिकारी (d). जनता के दृष्टिकोण में परिवर्तन

खण्ड—स

3.1 परिवार के प्रकार : (i). गरीब (ii). मध्यवर्गीय (iii). सामान्य

3.2 परिवार की प्रकृति : (i). एकल (ii). संयुक्त

3.3 परिवार के सदस्यों की संख्या : पुरुष.....महिला.....कुल.....

3.4 परिवार के आय के साधन क्या है: (i). गांव में मजदूरी (ii). खेती
(iii). दूसरे शहर में नौकरी (iv). अन्य

3.5 ग्राम/ग्राम पंचायत:

3.6 ब्लॉक:

3.7 जनपद:

3.8 जाब कार्ड में अंकित सदस्यों की संख्या:

खण्ड—द

4. मनरेगा तथा उसके प्रभाव से संबंधित जानकारी

4.1 क्या आपको मनरेगा कार्यक्रम की जानकारी है (i). हाँ (ii). नहीं

4.2 यदि हाँ तो क्या जानते हैं—

(i). 100 दिन या इससे कम दिन रोजगार मिलता है

(ii). बेरोजगारी भत्ता (iii). एक निश्चित दूरी के बाद मजदूरी वृद्धि

(iv). अन्य

4.3 आपको मनरेगा कार्यक्रम के बारे में कहां से पता चला?

(i). पंचायत से (ii). रेडियो से (iii). टेलीविजन से (iv). दीवार लेखन

(v). एन0जी0ओ0 (vi). अन्य लोगों से।

4.4 क्या आपको मनरेगा कार्यक्रम की कार्य योजनाओं की जानकारी है?

(i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं

- 4.5 क्या आपके द्वारा मनरेगा कार्यक्रम में काम मांगा गया?
(i). हाँ (ii). नहीं
- 4.6 क्या आपको काम मांगने के बाद प्राप्ति रसीद मिलती है?
(i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं
- 4.7 आपको काम मांगने के कितने दिन के अंदर काम मिला?
(i). 15 दिन के अंदर (ii). 15–30 दिन (iii). 30 दिन के बाद
(iv). इससे अधिक
- 4.8 मनरेगा कार्यक्रम में काम मिलते समय क्या आप किसी प्रकार के भेदभाव का अनुभव हुआ?
(i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं
- 4.9 यदि हां तो किस आधार पर हुआ?
(i). जातिगत (ii). धार्मिक (iii). मतदान (iv). लैगिंग (v). अन्य
- 4.10 आपको मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कितने दिन काम मिले?
(i). 81–100 दिन (ii). 51–80 दिन (iii). 10–50 दिन (iv). 10 दिन
- 4.11 आपको कार्य करने के कितने दिनों बाद मजदूरी का भुगतान होता है?
(i). 15 दिन से पूर्व (ii). 15 दिन से एक माह (iii). 1–3 माह
(iv). 3 माह से अधिक (v). अब तक नहीं हुआ
- 4.12 आपको कार्य करने हेतु कितनी दूर जाना पड़ा?
(i). 0–5 किमी0 (ii). 5 से अधिक किमी0 तक
- 4.13 क्या यदि आप 5 किमी0 से अधिक दूर गए तो आपको अतिरिक्त मजदूरी मिली?
(i). हाँ (ii). नहीं
- 4.14 क्या आपको मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य स्थल पर दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी है?
(i). हाँ (ii). नहीं

- 4.15 आपके कार्यस्थल पर कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध थीं?
 (i). पेयजल (ii). छाया (iii). बच्चों को रखने की सुविधा
 (iv). प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (v). अन्य सुविधाएँ
- 4.16 क्या आपके कार्यस्थल पर मास्टररोल रखा जाता है?
 (i). हाँ (ii). नहीं
- 4.17 क्या आपके कार्यस्थल पर मास्टररोल में उपस्थिति दर्ज की जाती है?
 (i). हाँ (ii). नहीं
- 4.18 आपका जाब कार्ड किसके पास रहता है?
 (i). स्वयं के पास (ii). ग्राम प्रधान/पंचायत मित्र के पास
 (iii). दोनों के पास समय-समय पर
- 4.19 क्या आपको बेरोजगारी भत्ते के बारे में जानकारी है?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं
- 4.20 क्या आपको सामाजिक अंकेक्षण के बारे में जानकारी है?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं
- 4.21 क्या आपके पंचायत में ग्राम सभा की बैठक होती है हां तो कितनी बार
 (i). वर्ष में दो बार से अधिक (ii). दो बार से कम (iii). दो बार
 (iv). पता नहीं
- 4.22 क्या आप ग्राम सभा की बैठक में जाते हैं यदि हां तो वहां मनरेगा के
 कार्य योजना के बारे में निर्णय लिया जाता है?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं
- 4.23 क्या आपके ग्राम सभा/पंचायत द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किया जाता
 है?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं
- 4.24 मनरेगा कार्यक्रम से पूर्व आपकी आय के स्रोत क्या-क्या थे?
 (i). कृषि मजदूरी (ii). अन्य मजदूरी (iii). अन्य स्थान पर गमन
 (iv). अन्य स्रोत

- 4.25 क्या मनरेगा कार्यक्रम के बावजूद आपके परिवार की आय में वृद्धि हुई है?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). थोड़ी बहुत (iv). पता नहीं
- 4.26 क्या मनरेगा कार्यक्रम के बावजूद आपने बाहर जाकर कार्य किया?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iv). कभी-कभी
- 4.27 क्या मनरेगा कार्यक्रम में काम से आपके जीवन में सुधार आया है?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). थोड़ा बहुत (iv). पता नहीं
- 4.28 यदि हाँ तो किस तरह का बदलाव आया है?
 (i). आर्थिक (ii). सामाजिक (iii). राजनीतिक (iv). पारिवारिक
- 4.29 क्या मनरेगा में महिलाओं को काम मिलता है हाँ तो कितना दिन
 (i). 0-25 दिन (ii). 26-50 दिन (iii). 51-75 दिन (iv). 76-100 दिन
- 4.30 मनरेगा में काम करने से महिलाओं की स्थिति में बदलाव हुआ है?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). कुछ हद तक (iv). पता नहीं
- 4.31 यदि हाँ तो किस प्रकार का
 (i). आर्थिक (ii). सामाजिक (iii). आत्मनिर्भरता (iv). अन्य
- 4.32 आप मनरेगा की मजदूरी का भुगतान कैसे प्राप्त करते हैं?
 (i). बैंक के माध्यम से (ii). सीधे हाथों हाथ (iii). पोस्ट ऑफिस (iv). अन्य माध्यमों से
- 4.33 क्या मनरेगा में कार्य करने से पूर्व बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका खाता था?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं
- 4.34 क्या आपने मनरेगा से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत मनरेगा शिकायत रजिस्टर में दर्ज कराया है?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं
- 4.35 क्या आपके गांव में मनरेगा से संबंधित अनियमितता/गड़बड़ी को लेकर कभी धरना प्रदर्शन हुआ है?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). कभी-कभी (iv). पता नहीं

- 4.36 क्या आपने उस प्रदर्शन/विरोध में हिस्सा लिया था?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). एक बार (iv). पता नहीं
- 4.37 आपके अनुसार मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं क्या वे लम्बी अवधि तक लाभ प्रदान कर सकते हैं?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं
- 4.38 क्या मनरेगा कार्य योजना से आपके गांव में कोई विकास/परिवर्तन देखने को मिलता है?
 (i). हाँ (ii). थोड़ा बहुत (iii). नहीं (iv). पता नहीं
- 4.39 यदि हां तो किस प्रकार का विकास हुआ है?
 (i). सड़क निर्माण (ii). साफ-सफाई (iii). आधारभूत संरचना (iv). अन्य
- 4.40 मनरेगा के उपरांत क्या आपके शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यय में सुधार हुआ?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). कह नहीं सकते
- 4.41 मनरेगा के उपरांत क्या आपके खान-पान में सुधार हुआ?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). कह नहीं सकते
- 4.42 क्या मनरेगा कार्य योजन को आगे जारी रखना चाहिए?
 (i). हाँ (ii). नहीं (iii). पता नहीं

रोजगार सेवक एवं मुखिया से संबंधित प्रश्न –

1. मनरेगा के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किये जाते हैं?
2. मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों से गांव का विकास हो रहा है? यदि हां तो किस तरह का विकास हुआ?
3. मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों से श्रमिकों का विकास हो रहा है यदि हां तो कैसा?
4. मनरेगा के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है यदि हां तो कैसे?
5. मनरेगा के सफल क्रियान्वयन हेतु क्या क्या उपाय होने चाहिये?



छायाचित्र

छायाचित्र



छायाचित्र 1: मनरेगा श्रामिकों से जानकारी लेता हुआ शोधार्थी



छायाचित्र 2: मनरेगा अधिकारियों से जानकारी लेता हुआ शोधार्थी